

गैर मुकल्लेदीन के
एतेराजात के जवाबात

सिलसिलये इशाअत (2)

तर्के रफे यदैन्

अहादीसे सहीहा व आसारे सहाबा व ताबेईन की रौशनी में

मुसन्निफ़

मुफ्ती रज़ाउल हक़ अशरफी मिस्बाही

नाशिर

अहले सुन्नत रिसर्च सेंटर मुम्बई

मुलहक़

अस्सय्यद महमूद अशरफ़ दारुत्तहकीक़ वत्तसनीफ़,
जामे अशरफ़ दरगाह किछौछा शरीफ़ ज़िला अम्बेडकर नगर यूपी

जुमला हुकूक बहक्के नाशिर महफूज़

नाम किताब : तर्कें रफेयदैन् (सह्ली अहदीस व आसार की रैशनी में)
मुसन्निफ़ : मुफ्ती रज़ाउल हक़ अशरफी मिस्बाही
कम्पोज़िंग : मोहम्मद हारून अशरफी जामे अशरफ़
दरगाह किछौछा शरीफ़ (अम्बेडकर नगर)
यूपी 09258495628
नाशिर : अहले सुन्नत रिसर्च सेंटर मुम्बई
पहला एडीशन : शव्वाल 1436 हि०/जुलाई 2015 ई०
सफ़हात : 176
कीमत :

मिलने के पते

- (1) अस्सय्यद महमूद अशरफ़ दारुततहकीक वत्तसनीफ़, जामे अशरफ़ किछौछा शरीफ़ यूपी
- (2) अहले सुन्नत रिसर्च सेंटर मुम्बई मोबाइल : 09887517751
- (3) मक़तबा फ़ैज़ाने सरकारे कलां जामे अशरफ़ दरगाह किछौछा शरीफ़
09889757557
- (4) अल-अशरफ़ एकेडमी राजमहल साहिबगंज झारखन्ड ,मो० 08869998234
- (5) अल-अशरफ़ एकेडमी एल-16 अबुल फ़ज़ल इनकिलेव जामेया नगर
ओखला नई दिल्ली 25, मो० 09013008786

फैहरिस्त

क्र०	उनवानात	प्र०
1	किताब 'तर्क रफेयदैन' क्यों लिखी गई?	8
2	रफेयदैन न करने की पहली हदीस	16
3	हज़रत अबदुल्लाह इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो की हदीस	16
4	हदीसे इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो के पहले रावी	16
5	इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे तआला अलैह	16
6	इमामे अबू हनीफ़ा की हयात में जो सहाबये किराम बाहयात थे	17
7	इमामे अबू हनीफ़ा ने जिन शूयूख़ से अह्लादीस का सिमा किया	18
8	इमामे अबू हनीफ़ा के चन्द खास मशहूर मोहदिस शागिर्द	20
9	इमामे अबू हनीफ़ा नाक़दीने हदीस की नज़र में	22
10	हदीसे इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो के दूसरे रावी	23
11	इमामे हम्माद बिन अबी सुलैमान मौत: 120 हि०	23
12	इमामे हम्माद ताबेईन व मोहदसीन की नज़र में	24
13	हदीसे इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो के तीसरे रावी	25
14	इब्राहीम बिन यज़ीद अल नखई मौत: 95 या 96 हि०	25
15	हदीसे इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो के चौथे रावी	26
16	इमामे अलक़मा बिन कैस मौत: 62 हि०	26
17	इमामे असवद इब्ने यज़ीद मौत: 74 या 75 हि०	26
18	हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो मौत 32 हि०	26
19	हदीसे इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो की दूसरी सनद	27
20	अहले हदीस का एतेराज़	27
21	एतेराज़ का जवाब	28
22	हदीसे इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो की तीसरी सनद	28
23	हदीसे इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो की चौथी सनद	28
24	शैख़ अलबानी (अहले हदीस) के नज़दीक रफेयदैन की हदीस सही है	28
25	हदीसे इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो की पांचवी सनद	28
26	हदीसे इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो की छठी सनद	29
27	हदीसे इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो की सातवी सनद	29
28	हदीसे इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो की आठवी सनद	29
29	हदीसे इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो की नौवी सनद	30
30	हदीसे इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो की दसवी सनद	30
31	हदीसे इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो की ग्यारहवी सनद	30

32	हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की बारहवीं सनद	30
33	हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की तेरहवीं सनद	31
34	हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की चौधवीं सनद	31
35	हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की पंदरहवीं सनद	31
36	हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की सोलहवीं सनद	31
37	हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की सतरहवीं सनद	33
38	हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की अटारहवीं सनद	33
39	हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की उन्नीसवीं सनद	34
40	हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की बीसवीं सनद	34
41	हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की इक्कीसवीं सनद	34
42	अहले हदीस का एतेराज़ और उसका जवाब	34
43	हदीसे इब्ने मसऊद पर अहले हदीस का दूसरा एतेराज़ और उसका जवाब	35
44	हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की बाईसवीं सनद	40
45	दारकुली के शीर्माक का जवाब	40
46	हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की तेईसवीं सनद	41
47	रफ़यदैन् न करने की दूसरी हदीस	42
48	हदीसे बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो तआला अन्हो	42
49	हदीसे बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की इसनादी हैसियत	43
50	हदीसे बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के पहले रावी	43
51	इमामुल मोहद्वसीन वल फुकहा इमामे अबू हनीफा रहमतुल्लाहो तआला अलैह	43
52	हदीसे बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के दूसरे रावी	43
53	इमामे आमिर बिन अब्दुशोबी मौत: 109 हि०	43
54	हज़रते बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो तआला अन्हो मौत: 72 हि०	44
55	रफ़यदैन् न करने की यह हदीस सनद के एतेबार से बहुत आला है	44
56	रफ़यदैन् न करने की तीसरी हदीस	45
57	रफ़यदैन् न करने की चौथी हदीस	46
58	रफ़यदैन् न करने की पांचवीं हदीस	48
59	रफ़यदैन् न करने की छठी हदीस	48
60	रफ़यदैन् न करने की सातवीं हदीस	48
61	रफ़यदैन् न करने की आठवीं हदीस	49
62	रफ़यदैन् न करने की नौवीं हदीस	49
63	रफ़यदैन् न करने की दसवीं हदीस	49
64	रफ़यदैन् न करने की ग्यारहवीं हदीस	49
65	रफ़यदैन् न करने की बारहवीं हदीस	50

66	रफयदेन न करने की तेरहवीं हदीस	50
67	रफयदेन न करने की चौधवीं हदीस	51
68	रफयदेन न करने की पंदरहवीं हदीस	51
69	रफयदेन न करने का सुबूत सिद्दाहे सित्ता की अहादीस से	51
70	रफयदेन न करने की सोहलवीं हदीस	52
71	रफयदेन न करने की सतरहवीं हदीस	52
72	नमाज़ में रफयदेन न करने बल्कि सुकून इख्तियार करने का हुक्म	53
73	हज़रत जाबिर बिन समुरह रज़ियल्लाह तआला अन्हो की रिवायात	54
74	रफयदेन न करने की अठारहवीं हदीस	54
75	रफयदेन न करने की उन्नीसवीं हदीस	54
76	रफयदेन न करने की बीसवीं हदीस	54
77	रफयदेन न करने की इक्कीसवीं हदीस	54
78	वह कुतुबे अहदीस जिनमें तकबीर तहरीमा के सिवा मुतलकन रफयदेन से मना है	55
79	वह कुतुबे अहदीस जिनमें सलाम के वक़्त रफयदेन से मना है	56
80	रफयदेन न करने की बाईसवीं हदीस	57
81	रफयदेन न करने की तेईसवीं हदीस	58
82	रफयदेन न करने की चौबीसवीं हदीस	58
83	रफयदेन न करने की पच्चीसवीं हदीस	60
84	रफयदेन न करने की छब्बीसवीं हदीस	62
85	रफयदेन न करने की सत्ताईसवीं हदीस	62
86	हज़रते अब्बाद बिन जुबैर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की हदीस	62
87	रफयदेन न करने पर आसारे सहाबये किराम	63
88	खुलफ़ाये राशेदीन के अमल से रफयदेन न करने का सुबूत	63
89	हज़रते अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रफयदेन नहीं करते थे	63
90	एक एतेराज़ और उसका जवाब	63
91	हज़रते उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रफयदेन नहीं करते थे	63
92	अहले हदीस का एतेराज़ और उसका जवाब	65
93	हज़रते अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रफयदेन नहीं करते थे	65
94	हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रफयदेन नहीं करते थे	66
95	हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के नज़दीक़ रफयदेन की अहादीस मन्सूख़ हैं	67
96	ग़ैर मुक़ल्लिद सिद्दीक़ हसन के बक़ौल रफयदेन मन्सूख़ है	67
97	हज़रते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रफयदेन नहीं करते थे	67
98	अशरये मुबशशरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रफयदेन नहीं करते थे	68
99	हज़रते अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रफयदेन नहीं करते थे	68

100	वह ताबईने किराम जो रफ़ैयदेन नहीं करते थे	69
101	इब्राहीम बिन यज़ीद अल नखई मौत: 95 या 96 हि० रफ़ैयदेन नहीं करते थे	69
102	हज़रते खैसुमा रफ़ैयदेन नहीं करते थे	70
103	हज़रते कैस बिन अबू हाज़िम रफ़ैयदेन नहीं करते थे	71
104	हज़रते आमिर शोबी रफ़ैयदेन नहीं करते थे	74
105	हज़रते इब्ने मसऊद व हज़रते अली के असहाब रफ़ैयदेन नहीं करते थे	75
106	हज़रते अब्दुर्रहमान इब्ने अबी लैला रफ़ैयदेन नहीं करते थे	76
107	हज़रते मुआविया इब्ने हिशाम मौत: 204 या 205 हि०	77
108	इमामे मालिक के नज़दीक रफ़ैयदेन नहीं	77
109	फूकहाये किराम रफ़ैयदेन नहीं करते थे	79
110	हज़रते हज़रते अबूबक्र बिन अय्याश रहमतुल्लाहे अलैहे का बयान	79
111	क्या रफ़ैयदेन पचास सहाबा से मरवी है?	79
112	क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने ज़िन्दगी भर रफ़ैयदेन किया?	80
113	रफ़ैयदेन करने की चार सौ रिवायात— एक किस्सा	81
114	इमामे मोहम्मद रहमतुल्लाहे अलैह पर इल्जाम	84
115	गौसे आज़म के नाम का ग़लत इस्तेमाल	85
116	दुर्रे मुख्तार की इबारत से धोका	86
117	हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अहो पर भूलने का इल्जाम	87
118	फ़िरक़े अहले हदीस के एतेराज़ात के जवाबाद	89
119	एक हैरानकुन बात	90
120	एतेराज़ात व जवाबात	91
121	इमामे अबू हनीफ़ा और इमामे औज़ाई का मुबाहसा	93
122	ग़लत फहमियों का इज़ाला	105
123	पहली ग़लत फहमी	105
124	ग़लत फहमी का इज़ाला	105
125	दूसरी ग़लत फहमी	110
126	ग़लत फहमी का इज़ाला	110
127	तीसरी ग़लत फहमी	111
128	ग़लत फहमी का इज़ाला	111
129	अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह बिन याकूब हारिसी बुख़ारी पर अक़्वाले जरह का तनकीदी जायज़ा	111
130	अबू मोहम्मद हारिस बुख़ारी की हैसियत	112
131	हसन इब्ने ज़ियाद लोलुई पर जरह का जवाब	118
132	हसन इब्ने ज़ियाद लोलुई के तअल्लुक से एक मन गढ़त किस्सा	121
133	हसन इब्ने ज़ियाद के तक्वे का एक नादिर वाक़ेया	127

134	अरब मोहक्केकीन के नज़दीक हसन इब्ने ज़ियाद सिक्ह हैं	136
135	उलमाये अहले हदीस जवाब दें	138
136	इमामे आजम अबू हनीफ़ा पर एक संगीन इलज़ाम का जवाब	141
137	इमामे अबू हनीफ़ा के मुतअल्लिक एक मनगढ़त वाक़ेया	142
138	रफ़ेयदैन् के तअल्लुक से एक गढ़ी हुई रिवायत	152
139	सनद का तनकीदी जायज़ा	153
140	हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई की झूटी बातें	157
141	एक अहम पैग़ाम—जवानाने अहले सुन्नत के नाम	164
142	माख़ज़ व मराजे	166
143	मुसन्निफ़ की किताबें	174

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

किताब *तर्क रफ़ेयदैन्* कयों लिखी गई?

नमाज़ में तकबीरे तहरीमा कहते वक़्त दोनों हाथों को उठाना सुन्नत है। इस पर बहुत सारी सही हदीसें, सहाबा के आसार और ताबेईन् के अक़वाल व आमाल मौजूद हैं। इस पर सब का इत्तिफ़ाक़ है। लेकिन रुकू में जाते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त तीसरी रक़अत के लिये उठने के बाद या सजदे में जाते वक़्त या दोनों सजदों के दरमियान रफ़ेयदैन् किया जाए या नहीं इसमें मोहद्दीसीन व फ़ुक्हा का इख़िलाफ़ है। बाज़ के नज़दीक रफ़ेयदैन् करना चाहिए और बाज़ के नज़दीक रफ़ेयदैन् नहीं करना चाहिए।

इस इख़िलाफ़ की बुनियादी वजह यह है के रसूले अकरम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम और सहाबये किराम से रफ़ेयदैन् के तअल्लुक़ से मुख़ालिफ़ रिवायात मनकूल हैं। बाज़ रिवायात में है के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे व सल्लम ने रुकू करते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त और बाज़ में है के सजदे में जाते वक़्त और दो सजदों के दरमियान और बाज़ में है के दो रक़अत से उठते वक़्त रफ़ेयदैन् किया है। बाज़ रिवायात में है के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे व सल्लम ने सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेयदैन् किया है और पूरी नमाज़ में कहीं रफ़ेयदैन् नहीं किया। इमामे अहमद इब्ने हम्बल, इमामे शाफ़ेई वग़ैरा मुजतहेदीन् ने रफ़ेयदैन् करने की अहादीस को अपने उसूल व ज़वाबित की रौशनी में ज्यादा मज़बूत व काबिले तरज़ीह समझा और उन्होंने रफ़ेयदैन् किया और इन अइम्मा मुजतहेदीन् के मुक़ल्लेदीन् ने भी अपने अइम्मा की तहकीक़ पर एतेमाद करते हुए रफ़ेयदैन् किया। इस लिए शाफ़ेई व हम्बली हज़रात रफ़ेयदैन् करते हैं। लेकिन इमामे अबू हनीफ़ा और अइम्मा अहनाफ़ के नज़दीक रफ़ेयदैन् न करने की अहादीस ज्यादा क़वी और रफ़ेयदैन् की अहादीस के लिए नासिख़ है, इस लिए उन्होंने रफ़ेयदैन् न करने की अहादीस को तरज़ीह दी और उन पर अमल किया और उनके मुक़ल्लेदीन् ने उन की तहकीक़ व इजतेहाद पर एतेमाद करते हुए रफ़ेयदैन् नहीं किया। यही वजह है के हनफी हज़रात रफ़ेयदैन् नहीं करते। यह एक फ़िक़ही और फ़ुरुई इख़्तेलाफ़ था, इस इख़्तेलाफ़ की बुनियाद पर अहले सुन्नत वल जमाअत ने कभी भी एक दूसरे को मुख़ालिफ़े सुन्नत, मुनकिरे हदीस या गुमराह नहीं कहा। न किसी हनफी ने किसी शाफ़ेई या हम्बली को मुनकिरे हदीस कहा न किसी शाफ़ेई या हम्बली ने किसी हनफी को मुनकिरे हदीस कहा। चारों अइम्मा के मानने वाले अहलेसुन्नत वल जमाअत हैं। इस लिये इन के दरमियान किरअत खलफ़ल इमामे (इमामे के पीछे किरअत करना), आमीन बिलजहर (ज़ोर से आमीन कहना) रफ़ेयदैन् (नमाज़ में तकबीरे तहरीमा के अलावा दोनों हाथों को

उठाना) वगैरा फुरुई व फिकही मसाइल में इखेलाफ होने के बावजूद हर एक दोसरे को अहले हक, अहले सुन्नत कहते हैं और कोई किसी पर लान तान नहीं करता। बल्कि लान तान करने को सख्त गुनाह तसब्बुर करता है।

बारहवीं सदी हिजरी तक इन फुरुई इखेलाफ को किसी ने गुमराही नहीं कहा। लेकिन बारहवीं सदी हिजरी में मोहम्मद बिन अब्दुल वहहाब नजदी (मैत: 1206 हि०) का फितना उठा और उसने हरमैन तय्ये बैन में अहले सुन्नत व जमाअत पर जुल्मो तशद्दुद और कत्लो खूरेजी का बाज़ार गरम किया। तौहीद के नाम पर अज़मते रिसालत व शाने औलिया पर हमला किया। उस वक्त हरमे काबा में चारों अइम्मये मज़ाहिब के मुसल्ले बिछते थे। उसने हम्बली लिबादा ओढ़ लिया लेकिन वह चारों अइम्मा का खुला दुश्मन था। उसने अपनी एक अलग जमाअत (वहाबी) बनाने की तहरीक चलाई। उसके नजदीक अम्बिया से तवस्सुल, ज़ियारते कुबूर, ताजीमे अम्बिया व सालेहीन हराम बल्कि शिर्क था। यहां तक के गुम्बदे खज़रा को उसने सनमे अकबर (सब से बड़ा बुत) कहा। अपने अकाइद व नज़रियात की इशाअत के लिए 'किताबुतौहीद' नाम की किताब लिखी। उसके वालिद शैख अब्दुल वहहाब और उस के भाई शैख सुलैमान बिन अब्दुल वहहाब दोनों उस के नज़रियात के मुखालिफ थे। जिस के नतीजे में बाप को बेटे की बदज़बानी की तकलीफ बरदाश्त करनी पड़ी और भाई को वतन से दूर जाना पड़ा और भाई के खिलाफ 'अस्सवाइकलु इलाहिया फिरदे अलल वहाबिया' नाम की किताब लिखनी पड़ी। मोहम्मद बिन अब्दुल वहहाब की नज़र में हरमैन तय्येबैन के उलमा व अ़वामे अहले सुन्नत ताजीमे कुबूरे अम्बिया व शआयिरे इस्लाम, तवस्सुले अम्बिया व ज़ियारिते कुबूरे सालेहीन की बुनियाद पर मुश्रिक हो गए थे। लिहाज़ा मोहम्मद बिन अब्दुल वहहाब के नजदीक वह मुबाहुदम (कत्ल होने के लाइक) थे। उनका कत्ल जाइज़ था। चुनांचे उस ने वालीए मक्का को अपना हमनवा बनाया और उस की मदद से बे शुमार उलमाये अहले सुन्नत का कत्ले आम करवाया। शआइरे अम्बिया (नबीयों की निशानियों) को मिटाया। शुहदा के मज़ारात को मिस्मार किया और नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक फितनये खवारिज (खारिजी फ़ित्ना) नज्द से वहाबी लिबास में मलबूस हो कर हरमैन पर मुसल्लत हो गया।

(मोहम्मद बिन अब्दुल वहहाब के बारे में मालूमात के लिए अंग्रेज़ी जासूस हिमफिरे की किताब 'हिमफिरे के एतराफात' का मुतालआ करें।)

वहाबी नज़रियात की हामिल आले सऊद की हुकूमत ने हरमैन शरीफैन में वही सब किया जो उन के पेशवा मोहम्मद बिन अब्दुल वहहाब नजदी का अस्ल टारगेट था। वहाबी दौरे हुकूमत में हरम शरीफ से यह कह कर चारों अइम्मा के मुसल्लों को

उठा दिया गया कि इस से उम्मत मुस्लिमां में फिरका बन्दी पैदा होती है। हम्बली मुसल्ले पर 'वहाबी' मुसल्ला बिछा दिया गया और चारों मज़ाहिब के लागों को वहाबी इमामे की इक्तिदा का पाबन्द कर दिया गया। हरमैन तय्येबैन में मुसलमान बारहवीं सदी हिजरी तक जिन इस्लामी अकाइदो नज़रियात पर जमे हुए थे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने उनको कुफ्रो शिर्क कहा। उसने कहा "छह सौ साल से तमाम दुनिया के मुसलमान काफ़िरो मुश्रिक हैं। जो मक़बरो में जाकर दुआ करे, मज़ारात को चूमे, कब्रों की मिटटी ले, औलिया से मदद तलब करे वह भी काफ़िर है। अम्बिया व औलिया की शफ़ाअत मानने वाला काफ़िर है, उस का मालो जान हलाल है। या रसूलुल्लाह कहने वाला काफ़िर है। वह यह भी कहता था मोहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की कब्र को, उनके मशाहिद और उनके आसार व मसाजिद और किसी नबी या वली की कब्र को और तमाम मज़ारात के लिए सफ़र करना शिर्क है, वह मज़ारात को मूरतियों से तश्बीह देता था।

मुजतहेदीने उम्मत का दौर गुज़र जाने के बाद अइम्मये मुजतहेदीन की तकलीद ज़रूरी हुई। ग़ैर मुजतहेदीन फुक़हा व उलमा व आम मुसलमान चारों फ़िक़ही इमामे में से किसी एक की तकलीद करते हैं। सारे मुकल्लेदीन हनफी, हमबली, मालेकी और शाफ़ेई अहले हक़ अहले सुन्नत हैं। फ़िक़ही इख़िलाफ़ात के बावजूद बाहम शीरो शकर रहे। किसी ने किसी को फ़िक़ही मसाइल में इख़िलाफ़ की बुनियाद पर काफ़िर, गुमराह या फ़ासिक नहीं कहा। लेकिन हिमफ़िरे के बकौल मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के नजदीक हनफी, शाफ़ेई, हमबली और मालेकी मकातिबे फ़िक़्र में से किसी मक़तबे फ़िक़्र की कोई अहमियत नहीं थी। वह कहता था के खुदा ने जो कुछ कुरआन में फ़रमा दिया है बस वही हमारे लिए काफ़ी है। वह अबू हनीफ़ा की तहकीर करते हुए कहता था मैं अबूहनीफ़ा से ज़्यादा जानता हूँ। हद यह है के उस का यह दावा भी था के निस्फ़े बुख़ारी (बुख़ारी शरीफ़ की आधी किताब) बिल्कुल लचर और बेहूदा है। (दिखिए किताब हिमफ़िरे के एतराफ़ात)

हिन्दुस्तान तेरहवीं सदी हिजरी तक फ़िन्नये वहाबियत के ज़हर से महफूज़ रहा। यहां अकसरियत अहले सुन्नत की थी और कलील तादाद में शिया भी थे। ख़ानदाने शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी में मौलवी इस्माईल देहलवी (मैत 1246 हि०/1831 ई०) पैदा हुए। वह अपने पीर सय्यद अहमद राय बरेलवी के हमराह सफ़रे हरमैन शरीफ़ेन से वापसी पर वहाबी अकाइदो नज़रियात भी साथ लाए और हिन्दुस्तान में वहाबियत की तबलीग़ शुरु की। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की किताब '*किताबुत्तौहीद*' का खुलासा उर्दू ज़बान में तकवियतुल इमान के नाम से लिखा। इस में लिखा के अल्लाह के नबी मर कर मिटटी में मिल गए।

उनका यह भी कहना था के नमाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का ख्याल लाना अपने बैल गधे के ख्याल में डूब जाने से बदरजहा बद तर है (सिरात मुस्तकीम स0 97) हर बड़ा छोटा (नबी, वली या गैर नबी वली) अल्लाह के आगे चमार से ज्यादा जलील है। सारे अम्बिया आजिज बन्दे और हमारे भाई हैं, अल्लाह ने उन्हें बड़ाई दी वह बड़े भाई हुए। अपनी औलाद का नाम अब्दुन्नबी, अब्दुरसूल रखना शिर्क है। कुरबे कयामत एक हवा चलेगी जिससे सारे मुसलमान मर जायेंगे सो वह हवा चल चुकी है। यानी अब कोई मुसलमान दुनिया में न रहा। (यही बात शैख नजदी ने कही थी कि छः सौ साल से दुनिया में कोई मुसलमान नहीं) मौलवी इस्माईल देहलवी यह भी कहते थे के खुदा झूट बूल सकता है। (रिसाला यक रेजी स0 149)

खुद मौलवी इस्माईल देहलवी को एहसास था के उनकी किताब तकवियतुल ईमान से उम्मत में इखिलाफ पैदा होगा। चुनांचे उन्होंने कहा था के उसमें (तकवियतुल ईमान में) बाज़ जगह जरा तेज़ अलफाज़ भी आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दु भी हो गया है। गो इस से शोरिश होगी मगर तवक्को है के लड़ भिड़ कर खुद ठीक हो जायेंगे। (अरवाहे सलासा स0 81)

मौलवी इस्माईल देहलवी की वह किताब जिस से मुसलमानों में इन्तिशार फैलाने वाला था अंग्रेजों को इतनी पसन्द आई के उसका अंग्रेजी तरजमा करवा कर 1856 ई0 में लन्दन से शाये करवाया।

सर सय्यद अलीगढ़ी लिखते हैं : जिन चौदह किताबों का जिक्र डाक्टर हंटर साहब ने अपनी किताब में किया है उन में सातवीं किताब तकवियतुल ईमान है। चुनांचे इस किताब का अंग्रेजी तरजमा रायल एशियाटिक सोसाइटी लन्दन के रिसाला जि0 12 1825 ई0 में छपा था। (मकालात सर सय्यद 9/178) शैख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी तकलीद को हराम बल्कि शिर्क समझता था अगरचे शुरू में अपने आप को छुपाये रखने के लिए खुद को हम्बली कहलाता था। (शैख नजदी की किताब 'रिसाला फी तहरीमिस्तकलीद' का जिक्र हिन्दुस्तानी वहाबी आलिम नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली ने किया है) यही नजरिया मौलवी इस्माईल देहलवी का था। मौलवी इस्माईल देहलवी ने भी अइम्मये अरबआ में से किसी की तकलीद को ज़रूरी करार नहीं दिया। (मुशाहदाते काबुल व यागिस्तान: मोहम्मद अली कुसूरी प्र0 156)

हिन्दुस्तान में सुन्नी मुसलमान मुकल्लिद थे। मौलवी इस्माईल देहलवी ने सब से पहले फितनये गैर मुकल्लिदियत की बुनियाद डाली। हिन्दुस्तान में वहाबी तहरीक के एजेन्डे में अंग्रेज़ दासती भी थी। क्योंकि वहाबी अकाइदो नजरियात को फैलाकर मुसलमानों में इप्तिराको इन्तिशार पैदा करने के लिए अंग्रेजों की वफ़ादारी ज़रूरी थी। चुनांचे मौलवी इस्माईल देहलवी ने हिन्दुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की हिमायत की और

उसके खिलाफ़ फ़तवये जिहाद को ग़लत कहा। मौलवी इस्माईल देहलवी के पैरोकार जो ग़ैर मुक़ल्लेदीन के शैख़ुलकुल कहलाते हैं वह हैं मौलवी मियां नज़ीर हुसैन देहलवी (मौत 1320 हि०/1902 ई०)। उन्हें तक़लीद अइम्मा के खिलाफ़ 'मेयारुलहक़' नामी किताब लिखने के इनआम में अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ़ से शमसुल उलमा का ख़िताब मिला था।

इब्तिदा में वहाबी तहरीक से मुसल्मानों को सख़्त बद दिली थी वह उसको अपने दीनो ईमान के लिए ख़तरनाक समझते थे क्योंकि वह जानते थे के यह फ़िल्ना सर ज़मीने नजद से निकल कर मोहम्मद बिन अब्दुलवहाब नजदी के पैरोकारों के ज़रिये हिन्दुस्तान पहुँचा है। वहाबी तहरीक से आम मुसलमानों की बेजारी को देखते हुए मौलवी इस्माईल देहलवी के पैरोकारों ने बड़ी होशियारी से अपनी तहरीक का मह्वर कुरआनो हदीस को ज़ाहिर किया और भोले भाले मुसलमानों को इस तरह के खुशनुमा जुमलों से बहकाना शुरु किया " इस्लाम की बुनियाद कुरआनो हदीस है लिहाज़ा कुरआनो हदीस को मानो किसी इमामे की तक़लीद करना मना है।" किसी ने कहा तक़लीद शिर्क है, किसी ने कहा गुमराही है। उनके इन खुशनुमा जुमलों के पीछे जो 'मगरिबी साज़िश' और 'ख़ारजी फ़िक्' पोषीदा थी उससे आम लोग नावाकिफ़ थे। नतीजे में कुछ लोग उनके जाल में फंसने लगे। फिर भी आम तौर से उन्हें वहाबी कहे जाने की वजह से मुसलमानों में उनसे बेजारी और नफरत रहती थी। लिहाज़ा अब वहाबी फ़िल्ना ने अपना चोला बदला और रियासत पंजाब पाकिस्तान (ग़ैर मुनक़सिम हिन्दुस्तान का हिस्सा) के अंग्रेज़ गवर्नर को एक दरखास्त दी कि हमारी जमाअत हुकूमत (अंग्रेज़) की बहीखाह है लेकिन हमारे नाम के साथ सरकारी दस्तावेज़ में हर जगह वहाबी लिखा जाता है जिससे आम मुसलमानों में हमारी तरफ़ से बेजारी पैदा होती है लिहाज़ा हम दरखास्त करते हैं के तमाम सरकारी दस्तावेज़ में हमारे नाम के साथ वहाबी न लिखा जाए बल्कि 'अहले हदीस' लिखा जाए। गवर्नर पंजाब ने यह दरखास्त मन्ज़ूर कर ली और उनके नाम के साथ 'अहले हदीस' लिखा जाने लगा। जब फ़िल्नये वहाबियत ने अपने नाम के साथ 'अहले हदीस' का खुशनुमा लेबिल लगाया तो रफ़्ता रफ़्ता लोग यह भूलने लगे के यह फिरका दर हकीक़त हदीसे रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की आड़ में वहाबी अक़ाईद की तबलीग़ करने वाला है। यहाँ यह तारीख़ी हकीक़त भी ज़िक्र कर देना ज़रूरी है के हिन्दुस्तान में वहाबी तहरीक का शायद ग़ला घोंट दिया जाता अगर उसे उलमाये देवबन्द रशीद अहमद गंगोही, मौलवी ख़लील अहमद अम्बेठवी, मौलवी अशरफ़ अली थानवी वग़ैरुहम की तार्ईदो

हिमायत हासिल न होती। मौलवी इस्माईल देहलवी की किताब 'तकवियतुल ईमान' जिससे मुसलमानों का शीराजा बिखरा, जिसमें सारे मुसलमानों को काफिर लिखा गया, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम और औलिया की शान में गुस्ताखाना बातें लिखी गयीं उसकी तारीफ करते हुए मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा "तकवियतुल ईमान बहुत अच्छी किताब है और शिको बिदअत की तरदीद में बेमिसाल है।" मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने वहाबियों की हिमायत में यह लिखा "मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक़तदियों को वहाबी कहते हैं उनके अकाइद उम्दा थे। उनके मुक़तदी अच्छे हैं। मगर जो हद से बढ़ गए हैं उनमें फ़साद आ गया है और अकाइद सबके मुत्ताफ़िक हैं। (फ़तावये रशीदिया ख० 1 प्र० 119)

रफ़ता तफ़ता वहाबी तहरीक ने हिन्दुस्तान में 'वहाबी फ़िरका' को जन्म दिया जो बाद में चल कर दो गुरुप 'अहले हदीस' (वहाबी ग़ैर मुक़ल्लदीन) और 'देवबन्दी' (वहाबी मुक़ल्लदीन) में तकसीम हो गया। देवबन्दी गिरोह अकाइदो नज़रियात में अहले हदीस (वहाबी) की तार्इद करता है। (बल्कि उलमाये देवबन्द रशीद अहमद गंगोही, अशरफ़ अली थानवी वग़ैरहम ने अपनी किताबों में हुज़ूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताख़ाना इबारतें लिखी हैं) और तकलीद में अहले हदीस से इख़िलाफ़ रखता है। अकसर देवबन्दी इमामे अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद होने के सबब अहले हदीस (ग़ैर मुक़ल्लेदीन) के ख़िलाफ़ तकलीद के सुबूत पर किताबें भी लिखते हैं। लेकिन अकाइदो नज़रियात में मेल जोल होने की वजह से वहाबी जमाअत में वह शरीक रहते हैं। अकाइद के लिहाज़ से देवबन्दी गिरोह को वहाबी कहा जाता है और तकलीद के मसअले में अहले हदीस से इख़िलाफ़ होने की वजह से उन्हें अहले हदीस (ग़ैर मुक़ल्लिद) नहीं कहा जाता। वहाबी फ़िरके की हकीक़त तारीख़ के आईने में अरबाबे इल्मो दानिश की नज़र में अयां है। इस की सियाह तारीख़ से मुसलमान वाकिफ़ होने की वजह से इस से बेज़ार रहते हैं, इसलिए ग़ैर मुक़ल्लिद वहाबी (अहले हदीस) और मुक़ल्लिद वहाबी (देवबन्दी) दोनों अपने आप को वहाबी कहलाना पसंद नहीं करते।

वहाबी तहरीक का अस्ल मक़सद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के इस्लाम मुख़ालिफ़ अकाइदो नज़रियात को आम करना है और मुसल्मानों को अहले सुन्नत वल जमाअत से अलग करके वहाबी बनाना है। ग़ैर मुक़ल्लिद वहाबी, अहले सुन्नत के चार फ़िक़ही स्कूल (हन्फ़ी, शाफ़ई, हम्बली और मालिकी) को गुमराह फ़िरका कहते हैं। खुसूसन हन्फ़ी अइम्मा, फ़ुक़हा, उलमा और अ़वाम को अपने इनादो दुश्मनी का

निशाना बनाते हैं। इसलिए हनफियों के खिलाफ उनकी शाज़िशें ज़ोरों पर रहती हैं। वह स्कूल कालिज के नौजवान तलबा के हाथों में कुरआन और सहीह बुख़ारी का इंगलिश तरजमा थमा देते हैं। उन्हें चन्द कुरआनी आयात व बुख़ारी की कुछ अहादीस सूरह नं० और हदीस नं० के साथ रटा देते हैं फिर उन्हें इस खुश फहमी में मुब्तिला कर देते हैं के अब तुम खुद से कुरआन व हदीस समझने वाले हो गये । कुरआन की वह आयात जो मुश्रिकीन और बुतों के बारे में नाज़िल हुई हैं उन आयात के तरजमे नौजवानों को देकर उन्हें यह समझाते हैं के देखो मुश्रिकीन अपने बुतों को जिस तरह पुकारते हैं, उनसे मदद मांगते हैं सुन्नी लोग भी मज़ारात पर जाकर वैसा ही करते हैं। उन्हे यह गुमराह कुन उसूल समझाया जाता है के सिर्फ़ सहीह अहादीस मानो, बुख़ारी व मुस्लिम में जो है उसी को मानो। सहीह बुख़ारी में है कि रुकू में जाते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त रफ़ेय़दैन् करना चाहिए। बुख़ारी की किसी हदीस में नहीं है के रफ़ेय़दैन् नहीं करना चाहिए। सहीह हदीस के मुकाबिले में किसी इमामे की बात कैसे मानी जायेगी?

उनकी खुशनुमा गुमराह कुन बातों से बहुत से नौजवान प्रभावित हो जाते हैं और वहाबी जाल में फंस जाते हैं। वह पहले रफ़ेय़दैन् करना शुरू करते हैं फिर ज़ोर से आमीन कहने लगते हैं। फिर पहले मज़ारात पर हाज़िरी देने से बाज़ आ जाते हैं फिर हाज़िरी देने वालों को रोकते हैं। फिर औलिया की अज़मत दिल से धीरे धीरे मिटाई जाती है। जब औलिया की अज़मत दिल से निकल जाती है तो अम्बिये किराम की अज़मत पर दस्त दराज़ी (हस्तक्षेप) की ज़ुरअत पैदा की जाती है और क़यामत यह कि दिल से यह एहसास भी निकाल दिया जाता है कि वह औलिया या अम्बिया की शान में गुस्ताखी व तौहीन के मुस्तकिब हो रहे हैं बल्कि उन्हें यह बावर कराया जाता है कि वह अल्लाह की अज़मत और उसकी तौहीद के सच्चे अलमबरदार बन रहे हैं और शिर्क व बिदअत का ख़ातिमा कर रहे हैं।

फ़िल्नये ख़ारजियत का यह नया रूप इतना ख़तरनाक है के उसके जाल में फंस जाने वाला इन्सान गुमराही में दिन ब दिन धंसता जाता है फिर अपने आप को औरों के मुकाबिल सच्चा मुवहहिद और कामिल मोमिन तसब्बुर करता है। मौला तआला तमाम मुसलमानों को इस फ़िल्ने से महफूज़ रखे।

ज़ेरे नज़र किताब "तर्क रफ़ेय़दैन्" फ़िल्नये वहाबियत के जाल में फंसे हुए उन ज़ेहनों को आज़ाद करने की एक कोशिश है जो यह समझते हैं कि नमाज़ में रुकू के

वक्त और रूकू से उठते वक्त रफ़ेयदैन न करना किसी सहीह हदीस से साबित नहीं। इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुकल्लेदीन अपनी तबीअत से रफ़ेयदैन नहीं करते और नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वस्सम की सुन्नत की मुख़ालफ़त करते हैं। हमारे सुन्नी भाई शाफ़ई व हम्बली जो नमाज़ में रफ़ेयदैन करते हैं किताबे हाज़ा में मेरा रूये सुख़न उनकी तरफ़ नहीं। हमारे मुख़ातब वह लोग हैं जो इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और आप के मुकल्लेदीन को रफ़ेयदैन न करने की बिना पर लान तान करते हैं और उन्हें मुख़ालिफ़े सुन्नत व मुनकिरे सहीह हदीस कहते हैं।

इस मुख़ासर किताब में सही अहादीस व आसारे सहाबा व ताबेईन से साबित किया गया है के रूकू में जाते वक्त, रूकू से उठते वक्त रफ़ेयदैन न करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम और सहाबा व ताबेईन के अमल से साबित है। यह ख़िलाफ़े सुन्नत नहीं। इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने सही हदीस की मुख़ालफ़त नहीं की है। इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को रफ़ेयदैन न करने की हदीस सब से ज़्यादा सहीह सनद के साथ मिली है।

मौला तअ़ाला से दुआ है के यह किताब ज़ेहनों पर पड़े हुए गर्दो गुबार को साफ़ करने का ज़रीया बने और मेरे लिए सवाबे आख़िरत का बाइस हो। आमीन बिजाहे सय्येदिल मुस्सलीन व आलेही व असहाबेही अजमईन।

रज़ाउल हक़ अशरफ़ी मिसबाही

अस्सय्यद महमूद अशरफ़ दारुत्तहकीक़ वत्तसनीफ़

जामे अशरफ़ दरगाह किछौछा शरीफ़ (यूपी)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलोहिल करीम व आलेही व असहाबेही अजमईन।

नमाज़ में तकबीरे तहरीमा के अलावा रुकू में जाते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त, तीसरी रकअत के लिए उठने पर, सजदे में जाते वक़्त और दोनों सजदों के दरमियान दोनों हाथों को ऊपर उठाना चाहिए या नहीं। यह एक फुरूई मसअला है। इस तअल्लुक से दो तरह की अहादीस कुतुबे अहादीस में मौजूद हैं। रफ़ेयदैन करने पर भी अहादीस हैं और न करने पर भी। इमामे शाफ़ई और इमामे अहमद इब्ने हम्बल ने उन अहादीस पर अमल किया जिन में रुकू में जाते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त और तीसरी रकअत के लिए उठने के बाद रफ़ेयदैन करने का ज़िक्र है और इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उन अहादीस पर अमल किया है जिनमें रफ़ेयदैन न करने का ज़िक्र है।

ज़ैल में हम वह अहादीसे करीमा दर्ज करते हैं जिनमें तकबीरे तहरीमा के सिवा रुकू करते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त, सजदे में जाते वक़्त और सजदे से उठते वक़्त पूरी नमाज़ में कहीं रफ़ेयदैन न करने की सराहत मौजूद है।

रफ़ेयदैन न करने की पहली हदीस

हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो की हदीस पहली सनद:

1. हज़रते अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैह ने फरमाया कि हमसे हम्माद ने हदीस बयान की उन्होंने इब्राहीम से, उन्होंने अल्कमा और असवद से, दोनों ने हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम सिर्फ़ तकबीरे इफ़तेताह (तहरीमह) के वक़्त हाथों को उठाते थे। इस के सिवा पूरी नमाज़ में हाथों को नहीं उठाते थे।

हदीसे इब्ने मसऊद के पहले रावी

इमामे अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहो अन्हो:

नाम: नोमान बिन साबित, कुन्नियत: अबू हनीफ़ा, इमामे आजम के लक़ब से मशहूर हैं। सन् 80 हि0 में कूफ़ा में पैदा हुए। इमामे अबू हनीफ़ा ने जब कूफ़े में शुज़र की आंखें खोलीं तो उस वक़्त कूफ़ा उलूमे हदीसो

फिक्ह का सब से बड़ा मरकज़ था। खुद इमामे बुख़ारी का बयान है के मैंने इल्मे हदीस हासिल करने के लिए बेशुमार मरतबा कूफ़े का सफ़र किया। इमामे अबू हनीफ़ा ताबेईन में से थे। (किताबुस्सिकात लेइब्ने हब्बान) सहीह रिवायत से साबित है कि आप ने हज़रते अनस रज़ियल्लाहो अन्हो से शरफ़े मुलाकात हासिल किया है। (मनाकिबे अबी हनीफ़ा लिज़्ज़हबी प्र0 114, अल मआरिफ़ुन्नामानिया हैदराबाद, (तज़किरतुल हुप्फ़ाज़ 1 / 168)

मोहदिस मुल्ला अली क़ारी (मौत सन 1014 हि0) ने फरमाया : इमामे अबू हनीफ़ा ने आठ सहाबा से मुलाकात की है, उनमें हज़रते अनस, हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा, हज़रत सहल इब्ने सअद हैं। इमामे सैमरी और अबू नुऐम व दीगर ने हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने हारिस बिन ज़अर रज़ियल्लाहो अन्हो के नाम भी ज़िक्र किये हैं। (मिरकातुल मफ़ातीह जि0 1 स0 29)

इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैह की हयात में जो सहाबये किराम बाहयात थे

1. हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़िल्लाहो अन्हो मौत बसरा 93 हि0।
2. हज़रत मालिक इब्ने हुवैरिस रज़िल्लाहो अन्हो मौत बसरा 94 हि0।
3. हज़रत सहल इब्ने सअद रज़िल्लाहो अन्हो मौत मदीना 91 हि0।
4. हज़रत मालिक इब्ने औस रज़िल्लाहो अन्हो मौत मदीना 92 हि0।
5. हज़रत वासिला इब्ने असका रज़िल्लाहो अन्हो मौत शाम 86 हि0।
6. हज़रत मिक्दाम इब्ने मादीकरब रज़िल्लाहो अन्हो मौत शाम 87 हि0।
7. हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़िल्लाहो अन्हो मौत शाम 87 हि0।
8. हज़रत अबुत्तुफ़ैल आमिर इब्ने वासिला रज़िल्लाहो अन्हो मौत मक्का 100 या 110 हि0।
9. हज़रत अम्र बिन हुरैस रज़िल्लाहो अन्हो मौत कूफ़ा 87 हि0।
10. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने औफ़ा रज़िल्लाहो अन्हो मौत कूफ़ा 85 हि0।
11. हज़रत अबू उमामा अंसारी रज़िल्लाहो अन्हो मौत 100 हि0।
12. हज़रत साइब इब्ने खल्लाद रज़िल्लाहो अन्हो मौत 91 हि0।
13. हज़रत अबुल बदाह रज़िल्लाहो अन्हो मौत 117 हि0।
14. हज़रत महमूद इब्ने रबी रज़िल्लाहो अन्हो मौत 91 हि0।

15. हज़रत महमूद इब्ने वलीद रज़िल्लाहो अन्हो मौत 96 हि0 ।
16. हज़रत कुबैसा इब्ने जुवैब रज़िल्लाहो अन्हो मौत 86 हि0 ।
17. हज़रत अब्दुर्रहमाद इब्ने अब्दुल कारी रज़िल्लाहो अन्हो मौत 81 हि0 ।
18. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हारिस इब्ने जज़अ रज़िल्लाहो अन्हो मौत 96 हि0 या बाद ।

19. हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़िल्लाहो अन्हो मौत 70 या 91 या 94 हि0 । (उसुदुल गाबा स0 322 इसाबा स0 2/13)

और अगर बाज़ मुहक्केकीन की तहकीक के मुताबिक़ इमामे आजम की तारीख़े विलादत 70 हि0 मानी जाये तो दरज ज़ैल सहाबये किराम का ज़माना भी आप को नसीब हुआ ।

20. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़िल्लाहो अन्हो मौत मदीना 74 हि0 ।
21. हज़रत अबू सईद खुदरी रज़िल्लाहो अन्हो मौत मदीना 74 हि0 ।
22. हज़रत सल्मा इब्ने अकवा रज़िल्लाहो अन्हो मौत मदीना 74 हि0 ।
23. हज़रत राफ़े बिन खुदैज रज़िल्लाहो अन्हो मौत मदीना 73 हि0 ।
24. हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़िल्लाहो अन्हो मौत कूफ़ा 74 हि0 ।
25. हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़िल्लाहो अन्हो मौत कूफ़ा 74 हि0 ।
26. हज़रत ज़ैद इब्ने ख़ालिद रज़िल्लाहो अन्हो मौत कूफ़ा 78 हि0 ।
27. हज़रत मोहममद बिन हातिब रज़िल्लाहो अन्हो मौत कूफ़ा/मदीना 74 हि0 ।
28. हज़रत अबू सालबा खुश्नी रज़िल्लाहो अन्हो मौत 75 हि0 ।
29. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बसर रज़िल्लाहो अन्हो मौत 74 हि0 ।
30. हज़रत साइब इब्ने खुबाब मौत 77 हि0 । (उसुदुल गाबा 2/313)

इमामे आजम ने दरज ज़ैल मशहूर शूयूख़ से अहादीस का सिमा किया है

1. हज़रते अनस रजियल्लाहो अन्हो 2. हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने हारिस इब्ने जज़अ रजियल्लाहो अन्हो 3. हज़रते हम्माद इब्ने अबी सुलैमान ताबेई 4. आमिर इब्ने शराहील शाबी : इन्होंने 500 सहाबये किराम को पाया था । इमामे ज़हबी ने फ़रमाया के वह अबू हनीफ़ा के अकाबिर असातिज़ा में थे । 5. सल्मा बिन कुहैल (मशहूर मोहदिस ताबेई) 6. अबू इसहाक़ सबीई (अकाबिर ताबेईन मे से थे, 48 सहाबा से मुलाकात की थी,

सिद्दाहे सिद्धा के रावियों में से हैं) 7. समाक बिन हरब (80 सहाबये किराम से मुलाकात की थी) 8. मुहारिब बिन दिसार (ताबेई इन्होंने हज़तर उमर व अबू हरैरा रज़ियल्लाहो अन्हुमा से सिमाए हदीस किया था।) 9. हिशाम बिन उरवा (मशहूर ताबेई, कसीर सहाबा से सिमाए हदीस किया था) 10. सुलैमान बिन मेहरान अल मारुफ़ आमश कूफ़ी (मशहूर मोहदिस ताबेई) 11. क़तादा (मशहूर मोहदिस ताबेई) 12. शोबा (अमीरुल मोमेनीन फ़िलहदीस माने जाते थे) मशहूर मोहदिस व नाकिदे हदीस उस्ताज़े इमामे बुख़ारी यहया बिन मईन से किसी ने पूछा: अबू हनीफ़ा के बारे में आपका क्या ख़्याल है? उन्होंने कहा: मेरे नज़दीक उनके कामिल होने की यही दलील काफ़ी है कि शोबा ज़ैसे मुहदिस ने उन्हें अहदीस रिवायत करने की इजाज़त दी थी। 13. अता बिन अबी रुबाह मौत 114 या 115 हि0 (मशहूर ताबेई, मुहदिस, फ़कीह, और मुजतहिद थे। उनके बारे में हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहो अन्हो फ़रमाते थे कि लोग अता के होते हुए मुझ से फ़त्वा क्यों पूछते हैं? हज के ज़माने में सलतनत की तरफ़ से एलान होता था के अता के होते हुए कोई शख्स फ़त्वा देने का मुजाज़ नहीं। इमामे औज़ाई, जुहरी, अम्र बिन दीनार वगैरुहम आपके हल्क़ये दरस से निकल कर इल्मो फ़ज़ल के आपताब कहलाए। इमामे अबू हनीफ़ा ने इल्मे हदीस व फ़िक्ह में बहुत ज्यादा इस्तिफ़ादा किया है। दरस में इमामे अबू हनीफ़ा को अपने पहलू में बिठाया करते थे। ज़हबी ने उन्हें इल्म का पहाड़ करार दिया है) (अलकाशिफ़ात 3797, तकरीबुस्सिकात स0 854 दारुल मारेफ़ा बौरुत) 14. अम्र बिन दीनार (ताबेईन में से थे, इमामे ज़हबी ने उन्हें इमामे हदीस लिखा है, इब्ने हज़र असक़लानी ने सिक्ह, सबत (कामिल हाफ़िज़ा वाला) लिखा है। 130 हि0 में वफ़ात हुई) (अत्तकरीब त 5649, अलकाशिफ़ त0 4152) 15. इब्राहीमे नख़ई (जलीलुलक़दर ताबेई मोहदिस फ़कीह थे)

बतौर मिसाल यह चन्द मोहदसीन के असमा ज़िक्र किये गये , उलमाये मोहक्केकीन की राय के मुताबिक़ इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैह ने 400 अइम्मये ताबेईन से सिमाये हदीस किया है। (जामेउल मसानीद ख़ारज़मी 1/32, उक़दुल ज़मान स0 63, अलख़ैरातुल हिसान 36)

इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैह के चन्द ख़ास मशहूर मोहदिस तलामिज़ा

1. अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक: इमामे, मोहदिस, फ़कीह और हाफ़िज़ुल हदीस थे। इब्ने हजर ने फ़रमाया है के ऐसे आलिम थे जिनमें ख़ैर की सारी फ़ज़ीलतें जमा थीं, सिकह थे। (अस्सिफ़ात 7/7, अत्तक़रीब त 3954, अलकाशिफ़ लिज्जहबी त 2941) अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फ़रमाते थे: अगर अल्लाह ने अबू हनीफ़ के ज़रिये मेरी मदद न की होती तो मैं आम आदमियों की तरह होता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक इमामे बुख़ारी के शैख़ के शैख़ हैं। यानी इमामे बुख़ारी के दादा उस्ताज़ इमामे आज़म के शागिर्द हैं। इमामे बुख़ारी कहीं दो वास्तों से भी इमामे आज़म के शागिर्द होते हैं, वह इस तरह से है: इमामे बुख़ारी के उस्ताज़ यहया इब्ने मईन उनके उस्ताज़ अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक और उनके उस्ताज़ इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैह।

2. यहया इब्ने सईद अलक़तान: मशहूर मोहदिस, नाकिदे हदीस, फ़कीह थे। हाफ़िज़ ज़हबी ने लिखा है के वह इमामे अबू हनीफ़ा के कौल पर फ़त्वा दिया करते थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर ने तहज़ीब में यहया इब्ने सईद अलक़तान का यह कौल नक़ल किया है: मैंने अबू हनीफ़ा के अक़सर अक़वाल को क़बूल किया है। उनका यह कौल भी है : हमने अबू हनीफ़ा की मजलिसों में शिरकत की है और उनसे अहादीस का सिमा किया है। वल्लाह मैं जब भी उनके चेहरे को देखता था तो मुझे यह महसूस होता था के यह शख़्स अल्लाह का तक़वा दिल में रखता है। (तारीख़े बग़दाद 13/352)

3. वकीअ बिन अल ज़र्ह: इमामे शाफ़ई के उस्ताज़ और सिद्दाहे सित्ता के रावियों में से हैं। इमामे बुख़ारी व मुसलिम वगैरह के उस्ताज़ के उस्ताज़ हैं। यह इमामे आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द थे। इब्ने अब्दुल बर्र ने 'अल इन्तिफ़ा' में लिखा है के वकीअ इब्ने अल ज़र्ह (इमामे अबू यूसुफ़ और इमामे मोहम्मद की तरह) इमामे अबू हनीफ़ा के अक़वाल पर फ़त्वा दिया करते थे।

4. इमामे अबू यूसुफ़: मोहदिस, मुजतहिद, फ़कीह, इमामे आजम अबू हनीफ़ा के खास शागिर्दों में थे। फ़िक्ह की तदवीन व जमा में आप की मजलिस के रुकने अज़ीम थे। तबये ताबेईन में से थे, कामिल हिफ़ज़ो इत्क़ान वाले थे। स0 181 या 182 हि0 में वफ़ात हुई। (अस्सिक्कात लेइब्ने हिब्बान 7/645)

5. इमामे मोहम्मद: मोहदिस, फ़कीह, इमामे आजम के खास शागिर्द व फ़िक्ह की तदवीन में अहम रुक्न की हैसियत रखते थे।

6. इमामे जुफ़र: मोहदिस, मुजतहिद, फ़कीह, इमामे आजम के खास शागिर्दों और तबये ताबेईन में से थे, हाफ़िज़, मुतकिन और कलीलुल ख़ता थे। (अस्सिक्कात 6/339)

7. हसन बिन ज़ियाद: मोहदिस, मुजतहिद, फ़कीह, इमामे आजम के खास शागिर्दों में से थे। तबये ताबेईन में से थे। इब्ने जुरैह से रिवायते हदीस किया करते थे। (किताबुस्सिक्कात लेइब्ने हिब्बान 8/168) आप का कौल है के हम ने इब्ने जुरैह से बारह हज़ार अहादीस ऐसी लिखी हैं जिन की फ़ुक़हा को ज़रूरत है।

8. मुसइर बिन कुदाम अबू सलमा: इमामे ज़हबी ने फ़रमाया है के वह इबादत गुज़ार और खुशू व खुजू वाले बन्दों में से थे। इमामे इब्ने हजर असक़लानी ने फ़रमाया: सिक्ह, सबत (मज़बूत हाफ़िज़ा वाले) फ़ाज़िल थे। (अलकाशिफ़ त 5395, अत्तक़रीब 7443) सिहाहे सित्ता में आप की रिवायात हैं। 153 हि0 में वफ़ात पाई।

9. मक्की बिन इब्राहीम: विलादत 126 हि0, वफ़ात 215 हि0: इमामे बुख़ारी की सुलासियात के उस्ताज़ हैं। सहीह बुख़ारी में उनसे रिवायात मौजूद हैं। यह इमामे अबू हनीफ़ा के शागिर्द थे। इमामे ज़हबी ने उनके तरजमे में तहरीर फ़रमाया है "मक्की इब्ने इब्राहीम ने जाफ़रे सादिक और अबू हनीफ़ा से हदीस ली और उनसे बुख़ारी व अहमद ने ली है" (तज़किरये हुफ़ाज़ 1/365) मालूम हुआ के इमामे अबू हनीफ़ा इमामे बुख़ारी के दादा उस्ताज़ हैं।

10. कासिम बिन मअन: इमामे आजम के उन शागिर्दों में से थे जिन्हें इमामे आजम {तुम सब मेरे दिल के सुरूर और मेरे ग़म का मदार हो} कहा करते थे। इमामे इब्ने हजर असकलानी ने फ़रमाया: फ़ाज़िल थे। इमामे ज़हबी ने फ़रमाया के इमामे अहमद ने उनको सिक्ह कहा और यह भी कहा गया है के वह अपने ज़माने में आमिर शाबी की तरह थे। (अत्तक़रीब त 6175 , अलकाशिफ़ त 4533)

इमामे अबू हनीफ़ा नाक़ेदीने हदीस की नज़र में

1. इमामे बुख़ारी व मुसलिम के उस्ताज़ यहया इब्ने मईन ने फ़रमाया: इमामे हदीस अबू हनीफ़ा सिक्ह थे। (तहज़ीबुत्तहज़ीब 1/150) अबू हनीफ़ा में जरहो तादील की रू से कोई ऐब नहीं, उन पर कभी बुराई की तुहमत नहीं रखी गई। (तज़किरतु हुप्फ़ाज़ 1/152)

2. इमामे अबू दाऊद साहिबे सुनन ने फ़रमाया: इबू हनीफ़ा इमामे शरीअत थे। (तज़किरतुल हुप्फ़ाज़ 1/152)

3. इमामे अली मदीनी ने फ़रमाया: अबू हनीफ़ा से सुफ़ियाने सौरी, इब्ने मुबारक, हम्माद बिन ज़ैद, हिशाम, वकी, अब्बाद बिन अब्बाम और जाफ़र बिन औन ने हदीसों ली हैं। उनमें कोई ऐब नहीं है। (अलख़ैरातुल हिस्सान फ़0 48 प्र0 13)

4. इमामे सुफ़ियाने सौरी ने फ़रमाया: इबू हनीफ़ा हदीसों फ़िक्ह दोनों में सिक्ह और सदूक़ (सच्चे) हैं। (अलख़ैरातुल प्र0 13)

5. यहया बिन मईन ने फ़रमाया: अबू हनीफ़ा सिक्ह हैं, मैंने नहीं सुना कि किसी ने उनको ज़ईफ़ कहा हो। (बिनाया ख0 1 प्र0 79)

मज़क़ूरा बाला शवाहिद से मालूम हुआ कि इमामे अबू हनीफ़ा ताबेई, हदीसों फ़िक्ह के इमामों के इमाम थे। सिद्दाहे सित्ता के मुसन्नेफीन इमामे बुख़ारी, मुसलिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई और इब्ने माजा के बिलवास्ता उस्ताज़ हैं। आप की सिकाहत, तक्वा, अदल और हिफ़ज़ो इत्क़ान पर आपके हासेदीन या ग़लत फ़हमी के शिकार लोगों के अलावा किसी ने उंगली नहीं उठाई। इमामे अबू हनीफ़ा अपने ज़माने के इमामुल मुहद्देसीन भी थे और इमामुल फ़ुक्हा भी। आप के ज़िक़र करदा मसाइल और मरवियात को आपके शागिर्द इमामे अबू यूसुफ़ व इमामे मोहम्मद ने

जमा किया है। इमामे मोहम्मद की किताब 'अलआसार' जो दर हकीकत इमामे अबू हनीफा की मरवि्यात हैं वह चालीस हजार अहादीस से मुत्तखब करके लिखी गई है। (मनाकिबुल इमामे अबी हनीफा लिलअल्लामा अलमुवपिफक अल मक्की ख0 1 प्र0 95, हैदराबाद दकन 1321 हि0)

नाकेदीने हदीस इमामे जहबी, यहया बिन मईन, सुफियाने सौरी और इब्ने मुबारक वगैरुहुम का मुत्तफेका फैसला है कि इमामे आजम अबू हनीफा रहतुल्लाह अलैह हदीस की रिवायत में सिकह और काबिले एतिमाद थे। वह हाफिजुल हदीस थे और हुप्फाजे हदीस व सिकह रावी ही से रिवायात लेते थे। इमामे आजम ने खुद फरमाया कि जब सही हदीस मुझे मिल जाती है तो मैं उसे अपना मज़हब बनाता हूँ।

हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो के दूसरे रावी

हम्माद बिन अबी सुलैमान रहमतुल्लाहे अलैह मौत 120 हि0:

कुन्नियत अबू इस्माईल है। अपने दौर में इराक में सबसे बड़े फकीह थे। विला के लिहाज से अशअरी और कूफी कहलाते थे। (किताबुस्सिकात लेइब्ने हिब्बान 4/159)

सहाबये किराम में से हज़रते अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहो अन्हो से हदीस सुनी है और ताबेईन में से इब्राहीमे नखई से इल्मे फ़िक्ह हासिल किया और दर्ज जैल ताबेईन से इल्मे हदीस हासिल किया है।

1. इमामे अबू वाइल 2. इमामे जैद बिन वहब 3. इमामे सईद बिन मुसय्यब 4. इमामे सईद बिन जुबैर 5. इमामे आमिर शाबी 6. इमामे इकरमा 7. इमामे हसन इब्ने यसार बसरी 8. इमामे अब्दुल्लाह इब्ने यज़ीद 9. इमामे अब्दुर्रहमान इब्ने साद मौला आले उमर रहेमाहुमुल्लाहो तआला (सियरे आलामुन्नुब्ला ख0 5 प्र0 231)

2. इमामे हम्माद ने इब्राहीमे नखई से इल्मे फ़िक्ह हासिल किया। इमामे नखई के शागिर्दों में से आप सबसे ज़्यादा ज़हीन थे। सबसे बड़े फकीह, सबसे बेहतर क़यास वाले और मुनाज़रा व बहस में सबसे ज़्यादा बसीरत रखने वाले और सबसे बड़े अहले राय (फकीह) थे। (सियरे आलामुन्नुब्ला ख0 5 प्र0 231)

इमामे अबू हनीफ़ा ने आपकी शागिर्दी में अट्ठरह साल गुज़ारे हैं। इमामे अबू हनीफ़ा अपने उस्ताज़ हम्माद के बारे में खुद फ़रमाते हैं:

“ मैं बसरा में पहुँचा, मुझे अन्दाज़ा हुआ कि मुझसे जो मसअला भी पूछा जायेगा मैं उसका जवाब दे दूंगा। लोगों ने मुझ से कुछ ऐसे मसाइल पूछे जिनका जवाब मेरे पास न था उसी वक़्त मैंने दिल में ठान लिया कि हम्माद से उनकी हयात में जुदा न होंगा। चुनौचे मैंने अट्ठरह साल उनकी शागिर्दी में गुज़ारे।

इमामे हम्माद ताबेईन और मुहद्दिसीन की नज़र में

1. इमामे शोबा (मौत: 160 हि0) ने फ़रमया: हम्माद मेरे नज़दीक मुगीरा से ज़्यादा पसन्दीदा हैं। (मुसनदे इब्ने जअद 1/66, सियरे आलामुनुब्ला 5/233)
2. इब्राहीमे नखई (मौत: 96 हि0) की नज़र में:
इमामे अब्दुल मलिक इब्ने अयास अश्शैबानी ने इब्राहीमे नखई से पूछा: हम आपके बाद किससे मसाइल पूछें? तो इब्राहीमे नखई ने जवाब दिया: हम्माद से मसाइल पूछना। (मुसनदे इब्ने जअद ख 1 प्र0 65)
3. इमामे मअमर (मौत: 154 हि0) की नज़र में: मैंने उन (मुहद्देसीनो फुक्हा) में से जुहरी, हम्माद और क़तादा से बड़ा कोई फ़कीह नहीं देखा।
4. इमामे हक़म (मौत : 115 हि0) ने फ़रमाया: लोगों में यानी फुक्हाए अहले कूफ़ा में हम्माद की तरह कौन है? (अल जरहो वत्तादील लेइब्ने अबी हातिम 3/146)
5. इमामे जहबी की नज़र में: हम्माद काबिले एतेमाद, इमामे, मुजतहिद, बाकरामत और सखी थे। (अलकाशिफ़ तरजमा 1221)
6. इमामे बुख़ारी व असहाबे सिहाहे सित्ता की नज़र में:

इमामे बुख़ारी ने अपनी किताब '*अल अदबुलमुफ़रद*' में, इमामे मुसलिम ने मुसलिम शरीफ़ में और इमामे तिरमिज़ी ने तिरमिज़ी शरीफ़ में, अबू दाऊद ने अपनी सुनन में और निसई व इब्ने माजा ने भी इमामे हम्माद से रिवायात ली हैं। जलीलुलक़द्र ताबेईनो

मुहद्देसीन व नाक़ेदीन के मुताबिक़ इमामे हम्माद बड़े हाफ़िज़े हदीस, फ़कीह, सिक़ह, मुजतहिद थे और सिहाहे सित्ता के इमामों के असातिज़ा में से थे। उन्होंने अपनी किताबों में उनसे अहादीस रिवायत की हैं। लिहाज़ा हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के दूसरे रावी के काबिले एतेबार, मज़बूत और काबिले कबूल हाने में कोई शक़ नहीं।

हदीसे इब्ने मसऊद रज़िल्लाहो अन्हो के तीसरे रावी
इब्राहीम बिन यज़ीद बिन अम्र अन्नख़ई मौत 95 हि० या 96 हि०

1. इमामे इब्ने हज़र असक़लानी ने फ़रमया: इब्राहीम सिक़ह थे मगर बहुत ज़्यादा इरसाल करने वाले थे। (अत्तक़रीब, तरजमा 301)
2. इमामे ज़हबी ने फ़रमया: इब्राहीमे नख़ई फ़कीह थे, नेकी व तक्वा में उनका अजीब हाल था। बुराई से बहुत बचते थे और इल्म के सरदार थे। (अल काशिफ़, तरजमा 221)
3. इमामे आमश ने फ़रमाया: इब्राहीमे नख़ई हदीस के सराफ़ (ख़ूब जांच परख करने वाले) थे (अल हज़ीस लिलक़ज़वीनी ख० 2 प्र० 655)
4. इस्माईल इब्ने अबी ख़ालिद ने फ़रमाया: इमामे शाबी, इब्राहीम और अबुदुहा मस्जिद में बैठ कर अहादीस का मुज़ाकरा किया करते थे। उनके पास कोई मसअला आता तो वह इब्राहीमे नख़ई की जानिब आंख से इशारा करते थे। (इनके पास ज़रूर कोई हदीस होगी)

इमामे शाबी ने फ़रमाया: इब्राहीमे नख़ई ने अपने से ज़्यादा साहिबे इल्म अपने बाद किसी को न छोड़ा, न हसन न इब्ने सीरीन न कोई अहले कूफ़ा न कोई अहले बसरा न अहले हिजाज़ और न ही अहले शाम में से। (तबकातुल हुफ़ाज़ लिस्सुयूती 1/4)

5. इमामे अबू ज़रआ ने फ़रमाया: इब्राहीमे नख़ई मुसलमानों के उलमा में एक अज़ीम इल्म का पहाड़ और उनके फ़ुक्हा में से एक अज़ीम फ़कीह थे। (किताबुल जरह लेअबी हातिम अर्राज़ी तबए अब्वल दायरतुल मआरिफ़ अन्नोमानिया हैदराबाद दकन 1371 हि० 1952 ई०)
6. इमामे अहमद इब्ने हम्बल ने फ़रमाया: इब्राहीमे नख़ई ज़की, हाफ़िज़ और साहिबे सुन्नत थे। (तारीखुल इस्लाम, ज़हबी ख० 2 प्र० 1052)

हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के चौथे रावी

इमामे अलक़मा बिन कैस कूफ़ी (मौत: 62 हि0)

1. इमामे इब्ने हिब्बान ने तहरीर फ़रमाया: अलक़मा इब्ने कैस ताबेई थे। इबादत, इल्मो फज़ल और फ़िक्ह में अहले कूफ़ा के सरदार थे। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़िल्लाहो अन्हो की तरह हुस्ने सीरत वाले थे। वह असवद इब्ने यज़ीद के चचा और इब्राहीमे नख़ई के मामूं हैं। 60 हि0 में वफ़ात हुई।
2. इमामे इब्ने हज़र असक़लानी ने फ़रमाया: अलक़मा काबिले एतेमाद, कामिल हाफ़िज़े वाले, फ़कीह और आबिद थे। (अत्तक़रीब तरजमा: 5260)
3. इमामे ज़हबी ने फ़रमाया: अलक़मा फ़कीह थे, अबू मअमर ने कहा कि हमें उस आदमी के पास ले चलो जो आदतो अतवार और हुस्ने सीरत में लोगों के अन्दर अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद के सबसे ज़्यादा मुशाबेह है तो हम अलक़मा के पास जाते थे।

असवद इब्ने यज़ीद इब्ने कैस मौत: (74 या 75 हि0)

1. इमामे अलक़मा इब्ने कैस के भतीजे थे। इमामे इब्ने हिब्बान ने लिखा: असवद इब्ने यज़ीद ताबेई थे। कसरत से रोज़ा रखने वाले, इबादत में शब बेदारी करने वाले, फ़कीह और ज़ाहिद थे। स0 74 या 75 हि0 में वफ़ात हुई। (अस्सिकात 4/31)

इमामे ज़हबी ने फ़रमाया: असवद इब्ने यज़ीद ने 80 हज व उमरा किए थे। इतने ज़्यादा रोज़े रखते थे कि नकाहत की वजह से उनके जिस्म का रंग सब्ज़ हो गया था। दो रात में एक ख़त्मे क़ुरआन पढ़ते थे। (अलकाशिफ़ तरजमा: 427)

हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो
(मौत: 32 हि0)

अल्लामा इब्ने हज़र असक़लानी ने फ़रमाया: हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो पहले इस्लाम लाने वाले सहाबा में से थे और सिहाबये किराम में बड़े उलमा में से थे। आपके मनाकिब बहुत हैं। (अत्तक़रीब तरजमा: 4001)

इमामे ज़हबी ने फ़रमाया: हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो पहले इस्लाम लाने वाले सहाबये किराम में से थे। (अलकाशिफ़ तरजमा:2979)

मुहद्दिस मुल्ला अली कारी (मौत: 1014 हि0) ने तहरीर फ़रमाया: हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो खुलफ़ाए अरबआ के बाद तमाम सहाबा से ज़्यादा कुरआनो हदीस को समझने वाले थे। (मिरकातुल मफ़ातीह ख0 1 प्र0 272 बाबुल एतेसाम बिल किताब वस्सुन्नह)

सनदे हदीस: हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो की हदीस की सनद के तमाम रावी आला दरजे के सिक़ह और हाफ़िज़ुल हदीस हैं।

हुक्मे हदीस: यह हदीस आला दरजे की सहीह है।

मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम से रफ़ेयदैन का अमल दाइमी तौर पर मनकूल नहीं। बल्कि आपने रफ़ेयदैन तर्क फ़रमा दिया था।

हदीसे इब्ने मसऊद की दूसरी सनद

इमामे बुख़ारी के उस्ताज़ मुहद्दिस इब्ने अबी शैबा ने फ़रमाया: हमसे हदीस बयान की वकी ने उन्होंने सुफ़ियान से उन्होंने आसिम इब्ने कुलैब से उन्होंने अब्दुर्रहमान इब्ने अलअसवद से उन्होंने अलक़मा से उन्होंने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो से। आख़ीर तक।

(मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 1/213, हदीस न0 2441, तहकीक़ कमाल यूसुफ़ अलहूत मक़तबतुरशीद अर्रियाज़ 1409, सुनने अबू दाऊद 1/99 तहकीक़ मुहय्युद्दीन अब्दुल हमीद मक़तबा असरियह बैरुत हदीस न0 747, सुनने निसई 2/182 हदीस 1026, 1058 तहकीक़ अब्दुल फ़त्ताह अबू ग़दह 1406 हि0, मुसन्नफ़े अब्दुर्रज़ाक़ 2/71 हदीस 2533 तहकीक़ हबीबुर्रहमान आज़मी अलमक़तबुल इस्लामी बैरुत 1403 हि0, मुसनदे अहमद 6/203 हदीस 3681, 7/260 हदीस 4211 सुनने कुबरा बैहकी 2/112 हदीस 2531)

अहले हदीस का एतेराज़

ग़ैर मुक़ल्लिद हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई ने लिखा है: यह हदीस इल्लते कादिहा के साथ मालूल हैं। और सनद व मतन दोनों तरह से ज़ईफ़ है। (नूरुलऐन प्र0 130)

एतेराज़ का जवाब: “यह हदीस सनद और मतन दोनों तरह ज़र्फ़ है” यह महज़ दावा है जिस पर कोई मज़बूत दलील नहीं। अगर होती तो जुबैर अली ज़ई ज़रूर पेश करते।

हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की तीसरी सनद:

3. हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्ला तआला अन्हो दोनों हाथों को सिर्फ़ तकबीरे इफ़तेताह के वक़्त उठाते थे फिर कहीं नहीं उठाते थे।

हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो की चौथी सनद

इमामे अबू दाऊद ने फ़रमाया: हमसे हदीस बयान की उसमान बिन अबी शैबा ने उन्होंने कहा महसे हदीस बयान की वकी ने वह सुफ़ियान से वह आसिम बिन कुलैब से वह अब्दुर्रहमान बिन असवद से वह अलक़मा से, उन्होंने कहा कि हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने सहाबये किराम से फ़रमाया: क्या मैं तुम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ पढ़ कर न बताऊँ? फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ कर बताई तो सिर्फ़ एक मरतबा (पहली तकबीर कहते वक़्त) रफ़ेयदैन् किया। (तहकीक़ मुहय्युद्दीन अब्दुल हमीद मक़तबा मियरियह बैरुत)

शैख़ अलबानी के नज़दीक़ रफ़ेयदैन् न करने की हदीस सहीह है।

ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम शैख़ अल बानी ने इस हदीस को सहीह लिखा है। अबू दाऊद ने यह लिखा है कि इन अलफ़ाज़ के साथ यह हदीस सहीह नहीं। यह उनके नज़दीक़ है लेकिन इमामे आज़म रहमतुल्लाहे अलैहे के नज़दीक़ यह सहीह है। तफ़सील आगे आयेगी।

हदीसे इब्ने मसऊद की पांचवीं सनद:

5. हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो ने फ़रमाया: किया मैं तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ पढ़कर न बताऊँ? फिर उन्होंने नमाज़ पढ़कर बताया तो सिर्फ़ पहली मरतबा दोनों हाथों को उठाया।

हदीसे इब्ने मसऊद के बारे में इमामे तिरमिज़ी का मौक़फ़

हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो हदीसे हसन है। यही (रफ़ेयदैन् न करना) बहुत से अहले इल्म सहाबा, ताबेईन् और सुफ़ियाने सौरी व अहले कूफ़ा का मज़हब है।

हदीसे इब्ने मसऊद की छटी सनद

इमामे निसई ने फरमाया: हमसे हदीस बयान की सुवैद बिन नस्र ने उन्होंने कहा हमें ख़बर दी अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने उन्होंने सुफ़ियाने सौरी से, उन्होंने आसिम बिन कुलैब से, उन्होंने अब्दुर्रहमान इब्ने अल असवद से, उन्होंने अलक़मा से उन्होंने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से, उन्होंने फरमाया क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ न बताऊँ? फिर वह खड़े हुए तो दोनों हाथों को पहली बार उठाया फिर दोबारा नहीं उठाया। (अस्सुननुस्सुगरा लिन्नसई ख0 2 प्र0 182 हदीस न0 1026 तहकीक़ अब्दुल फ़त्ताह अबू ग़दा नाशिर मकतबुल मतबूआ अल स्लामिया हल्ब तबये सानी 1406)

गैर मुक़ल्लिद आलिम शैख़ अलबानी ने इसको हाशिये नसई में सही लिखा है।

हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो की सातवीं सनद

इमामे निसई ने फरमाया: हमसे महमूद बिन गैलान अलमरूज़ी ने हदीस बयान की उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की वकी ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की सुफ़ियाने ने वह आसिम इब्ने कुलैब से वह अब्दुर्रहमान इब्ने असवद से वह अलक़मा से वह अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से, उन्होंने फरमाया: क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ पढ़कर न बताऊँ? फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो सिर्फ़ एक बार (तकबीरे तहरीमा में) हाथों को उठाया। (अस्सुननुलकुबरा लिन्नसई ख02 प्र0 195 हदीस 1058)

अहले हदीस आलिम शैख़ अलबानी ने इस सनद को भी सहीह लिखा है।

हदीसे इब्ने मसऊद की आठवीं सनद

इमामे बुख़ारी के उस्ताज़ के उस्ताज़ मुहदिस अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने फरमाया: सुफ़ियाने सौरी से मरवी है उन्होंने हुसैन से उन्होंने इब्राहीमे नख़ई से उन्होंने इब्ने मसऊद से रिवायत की है कि वह सिर्फ़ नमाज़ के शुरू (तकबीरे तहरीमा) में दोनों हाथों को उठाते थे फिर उसके बाद नहीं उठाते थे। (मुसन्नफ़े अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ख0 2 प्र0 71 हदीस 2533 तहकीक़ हबीबुर्रहमान अल आजमी नाशिर अलमकतबुल इस्लामी बैरुत तबये सानी 1402 हि0)

हदीसे इब्ने मसऊद की नवीं सनद

अबदुर्रज्जाक से, उन्होंने इब्ने ओऐना से, उन्होंने हुसैन से, उन्होंने इब्राहीमे नखई से, उन्होंने इब्ने मसऊद रजियल्लाहो अन्हो से इसी तरह रिवायत की है कि हजरते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजियल्लाहो अन्हो पहली मरतबा (तकबीरे तहरीमा में) रफेयदैन् करते थे उसके बाद नहीं करते थे। दोनों सनद के रावी सिक्ह मोतबर हैं।

हदीसे इब्ने मसऊद की दसवीं सनद

हमसे हदीस बयान की वकी ने, वह सुफियान से वह आसिम से, वह अब्दुर्रहमान इब्ने असवद से, वह अलकमा से वह इब्ने मसऊद से, उन्होंने फरमाया: क्या मैं तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ पढ़ाऊँ? फिर उन्होंने (पूरी नमाज़ में) सिर्फ एक बार दोनों हाथों को उठाया। (मुसन्नफे इब्ने अबी शैबा ख0 1 प्र0 391 हदीस 323 तहकीक आदिल बिन यूसुफ अल अज़ाज़ी, अहमद बिन फरीद अलमज़ीद नाशिर दारुल वहन अरियाज़ तबये अव्वल 1997 ई0)

हदीसे इब्ने मसऊद की ग्यारहवीं सनद:

इब्ने अबी शैबा ने फरमाया: हमसे वकी ने हदीस बयान की उन्होंने मुसइर से, उन्होंने अबू माशर से, उन्होंने इब्राहीमे नखई से, उन्होंने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से कि अबदुल्लाह इब्ने मसऊद नमाज़ के शुरू में दोनों हाथों को उठाते थे।

(मुसन्नफे इब्ने अबी शैबा ख0 1 प्र0 213 तहकीक कमाल यूसुफ अलहूत नाशिर मकतबा अर्रुशद अरियाज़ तबये अव्वल 1409 हि0)

हदीसे इब्ने मसऊद की बारहवीं सनद:

इमामे अहमद बिन हम्बल ने फरमाया: हमसे हदीस बयान की वकी ने, उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की सुफियान ने, वह आसिम बिन कुलैब से, वह अब्दुर्रहमान इब्ने अलअसवद से, वह अलकमा से, उन्होंने कहा कि इब्ने मसऊद रजियल्लाहो अन्हो ने फरमाया: क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ न पढ़ाऊँ? फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो दोनों हाथों को सिर्फ एक बार उठाया। इस सनद के सारे रावी सिक्ह हैं।

(मुसनदे अहमद तखरीज शुदा ख0 6 प्र0 203 तहकीक शोऐब अरनऊत, आदिल, मुरशिद वगैरहुम नाशिर मुअस्सेसतुरिसाला तबये अब्ल 1429 हि0)

हदीसे इब्ने मसऊद की तेरहवीं सनद

इमामे अहमद इब्ने हम्बल ने फरमाया: हमसे हदीस बयान की वकी ने उन्होंने सुफयान से उन्होंने आसिम बिन कुलैब से उन्होंने अबदुर्रहमान इब्ने अल असवद से उन्होंने अलकमा से उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ने फरमाया: मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज मढ़ाता हूं। फिर उन्होंने पहली मरतबा (तकबीरे तहरीमा में) दोनों हाथों को उठाया। (मुसनदे अहमद ख0 7 प्र0 260 हदीस 4211)

हदीसे इब्ने मसऊद की चौदहवीं सनद

इमामे निसई ने फरमाया: हमें खबर दी महमूद बिन गैलान अलमरुजी ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की सुफयान ने वह आसिम बिन कुलैब से वह अब्दुर्रहमान इब्ने अल असवद से वह अलकमा से वह अब्दुल्लाह से उन्होंने फरमाया: क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज न मढ़ाऊँ? फिर उन्होंने नमाज पढ़ी तो सिर्फ एक बार हाथ उठाया। (अस्सुननुल कुबरा लिन्नसई ख0 1 प्र0 332 तहकीक हसन अब्दुल्लाह अल मुनइम अशलबी नाशिर मुअस्ससतुरिसाला बैरुत तबये अब्ल 1421 हि0)

हदीसे इब्ने मसऊद की पंदरहवीं सनद

इमामे निसई ने फरमाया: हमसे हदीस बयान की सुवैद बिन नस्र ने, उन्होंने कहा हमें खबर दी अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने, वह सुफयान से वह आसिम बिन कुलैब से, वह अब्दुर्रहमान इब्ने अल असवद से, वह अलकमा से, वह अब्दुल्लाह से, उन्होंने फरमाया: क्या मैं तुम्हें बताऊँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज? फिर वह खड़े हुए और दोनों हाथों को सिर्फ पहली बार उठाया। (अस्सुननुल कुबरा लिन्नसई ख0 2 प्र0 31 हदीस 1100)

हदीसे इब्ने मसऊद की सोलहवीं सनद

हाफिजुल हदीस अबू याला अल मूसली (मौत : 307 हि0) ने फरमाया: हमसे हदीस बयान की इसहाक बिन अबी इस्राईल ने, उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की मोहम्मद बिन जाबिर ने, उन्होंने हम्माद से, उन्होंने इब्राहीम से, उन्होंने अलकमा से, उन्होंने अब्दुल्लाह से, उन्होंने फरमाया:

मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम, अबूबक्र और उमरे फारुक के साथ नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने सिर्फ़ नमाज़ के शुरू में रफ़ेय़दैन किया।

(मुसनदे अबूयाला अलमूसली ख0 8 प्र0 453 हदीस 5039 तहकीक़ हुसैन सलीम असद नाशिर दारुलमामून लित्तुरास दिमश्क तबये अब्वल 1404 हि0)

सनदे मज़कूर में मोहम्मद बिन जाबिर रावी सदूक़ सिक्कह हैं। इमामे ज़हबी ने इब्ने अबू हातिम के हवाले से लिखा: वह मेरे नज़दीक़ इब्ने लहया से ज़्यादा महबूब हैं। (अलकाशिफ़ 2/61) इब्ने अबू हातिम ने कहा है कि उनकी वह मुतफ़रिद रिवायात जिनमें उनके इख़्तेलाफ़ होने पर दलीद मौजूद है वह नामकबूल है। उन्होंने कहा: उनके मरविyaत के उसूल सहीह हैं। (अल जरह वत्तादील 7/219) इब्ने अदी ने कहा उनसे अय्यूब, औन वग़ैरा मुहद्देसीन ने रिवायात ली हैं। अगर वह इस लाइक़ न होते तो यह अकाबिर उनसे अहादीस क्यों लेते? हाँ कुछ अहादीस में उनकी मुख़ालफ़त है। उन पर बाज़ लोगों का कलाम होने के बावजूद उनकी हदीस लिखी जाती है। (अलकवाकेबुन्य्येरात फ़ी मारेफ़ते मिनरूवातिस्सिक्कात लेइब्निलकय्याल 1/495) इमामे ज़हबी ने लिखा कि वह इब्ने लहया की तरह हुज्जत नहीं, उनकी कुछ रिवायात मुनकर हैं। यानी मुताबेआत व शवाहिद से उनकी रिवायत दरजये हसन की है। (सियरुल आलामिन्नुब्ला 8/238) अबुल वलीद अत्तयालिसी ने कहा हम मोहम्मद बिन जाबिर से हदीस लेने को मना करके उन पर जुल्म करते हैं। (अलजर्ह वत्तादील 7/220)

मोहम्मद बिन जाबिर कूफ़ी के सदूक़ व सिक्कह आदिल होने में कलाम नहीं अलबत्ता उनकी किताबों के मदफून् होने के बाद वह हाफ़िज़ा पर एतेमाद करके रिवायत करते थे इसलिए इख़्तिलात वाक़े होता था। लिहाज़ा उनकी वही मुतफ़रिद रिवायत नामकबूल है जो इख़्तिलात के बाद हो। इस पर कोई दलील नहीं कि हदीसे मज़कूर बादे इख़्तिलाफ़ात की है। नीज़ हम्माद से हदीसे मज़कूर रिवायत करने में मोहम्मद बिन जाबिर तनहा नहीं बल्कि उसको हम्माद बिन इब्राहीम की सनद से मुतअद्दिद रावियों ने रिवायत किया है अगरचे बाज़ मुरसल मौकूफ़ हैं लेकिन हदीसे मौकूफ़ में ग़ैर कयासी कौल या फ़ेल हो तो वह हदीस मरफू के हुक्म में है इसके अलावा इब्ने मसरूद की दोसरी रिवायाते मर्फूआ सहीहा उसकी ताईद करती हैं लेहाज़ा

सनदे मज़कूर के साथ हदीसे मज़कूर को नामकबूल नहीं कह सकते बल्कि दरजये हसन को पहुँची हुई है।

इमामे आजम की सनद से यह हदीस सहीह है। इमामे आजम की सनद में मोहम्मद बिन जाबिर नहीं। आप ने इस को हम्माद से रिवायत किया है। (मुसनदे अबू हनीफ़ बशरहिल कारी प्र0 90, ह 97, मुसनदे अबू हनीफ़ा बरिवायतुल हारिस ह 394)

हदीसे इब्ने मसऊद की सतरहवीं सनद

इमामे बैहकी ने फ़रमाया: अबू अली अरूदबारी ने कहा, हमसे हदीस बयान की अबूबक्र बिन दासह ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की अबू दाऊद ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की उसमान बिन अबी शैबा ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की वकी ने उन्होंने सुफ़यान से उन्होंने आसिम बिन कुलैब से उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन अलअसवद से उन्होंने अलक़मा से उन्होंने कहा: अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने कहा: मैं तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ न पढ़ाऊँ? फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी और दोनों हाथों को सिर्फ़ एक बार उठाया।

(मारेफ़तुस्सुनन वल आसार लिलबैहकी ख0 2 प्र0 422 हदीस 328 तहकीक़ अब्दुल मुअत्ता जामेअतुदिरासातिल इस्लामिया कराची पाकिस्तान तबये अब्बल 1412 हि0)

हदीसे इब्ने मसऊद की अठारहवीं सनद

इमामे तहावी ने फ़रमाया: हमसे हदीस बयान की मोहम्मद बिन असक़ती ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की यहया बिन यहया अन्नीसापुरी ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की वकी ने वह सुफ़यान से वह आसिम बिन कुलैब से वह अब्दुर्रहमान बिन अलअसवद से वह अलक़मा से वह अब्दुल्लाह बिन मसऊद से वह नबी सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम से कि आप पहली तकबीर में दोनों हाथों को उठाते थे फिर दोबारा नहीं उठाते थे।

(शरहे मुश्किलुल आसार लित्तहावी ख0 10 प्र0 35 हदीस 5826, तहकीक़ शुऐब अल अरनऊत)

हदीसे इब्ने मसऊद की उन्नीसवीं सनद

इमामे तिबरानी ने फरमाया: हमसे हदीस बयान की इस्हाक बिन इब्राहीम ने उन्होंने अब्दुर्रज्जाक से उन्होंने हुसैन से उन्होंने इब्राहीम से कि अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो इब्तिदाये नमाज़ में दोनों हाथों को उठाते थे फिर उसके बाद नहीं उठाते थे। (अलमूजमुल कबीर लित्तिबरानी ख0 9 प्र0 361 हदीस 9298, तहकीक अहमद इब्ने अब्दुल मजीद अस्सलफी मकतबा इब्ने तैमिया अलकाहिरा)

हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो की बीसवीं सनद

इमामे तिबरानी ने फरमाया: हमसे हदीस बयान की मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अलहज़रमी ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की अहमद इब्ने यूसुफ़ ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की अबुल अहवस ने वह हुसैन से वह इब्राहीम से उन्होंने कहा: अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो नमाज़ में तकबीरे तहरीमा के सिवा किसी और जगह रफ़ेय़दैन नहीं करते थे। (अल मुजमुल कबीर लित्तिबरानी ख0 9 प्र0 361 हदीस न0 9299)

हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो की इक्कसवीं सनद

इमामे तिबरानी ने फरमाया: हमसे हदीस बयान की अली बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की हज्जाज बिन अल मिनहाल ने वह हम्माद इब्ने सलमा से वह हम्माद से वह इब्राहीम से वह अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से कि जब वह नमाज़ शुरू करते तो दोनों हाथों को उठाते फिर उसके बाद नहीं उठाते।

अहले हदीस का एतेराज़: मज़कूरा तीनों सनदें इब्राहीमे नख़ई की मुरसल हैं, लिहाज़ा ज़र्ईफ़ हैं।

इतेराज़ का जवाब: अहनाफ़ के नज़दीक मुरसले सहीह हुज्जत है। बिलखुसूस इब्राहीमे नख़ई की मुरसल रिवायात को मोहद्देसीन ने सही कहा है और आमिर शाबी की मुरसल रिवायात ज़्यादा सहीह हैं। अल्लामा इब्ने हजर असकलानी ने आजुरी के हवाले से इमामे अबू दाऊद का यह कौल नक़ल किया है: मेरे नज़दीक शाबी की मुरसल नख़ई की मुरसल से ज़्यादा महबूब है। मालूम हुआ कि नख़ई की

मुरसल भी महबूब है। (तहज़ीबुलतहज़ीब 5/58) इमामे आमश से इब्राहीमे नखई ने फरमाया था: जब मैं आप से कहूँ: अब्दुल्लाह ने कहा तो जान लें मैंने उस वक्त तक नहीं कहा जब तक उनसे एक जमाअत ने मुझसे हदीस बयान नहीं की और जब मैं कहूँ: मुझसे फुलां ने हदीस बयान की तो उसका मतलब है उसी खास फुलां ने अब्दुल्लाह से वह हदीस मुझे सुनाई है। सनदे मज़कूर में इब्राहीमे नखई ने किसी खास फर्द का नाम नहीं लिया है इसका मतलब यह है कि हदीसे इब्ने मसऊद को उन्होंने किसी एक आदमी से नहीं बल्कि एक जमाअत से सुना है। (शरहे अबू दाऊद, ऐनी 3/98) इमामे नखई के इस कौल से इमामे तहावी के कौल को ताईद हासिल हो गई कि हदीस इब्ने मसऊद इमामे नखई के नज़दीक मोतबर है। इमामे तहावी ने फरमाया: अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद की इसी रिवायत को इब्राहीमे नखई मुरसल रिवायत करते थे जो उनके नज़दीक सहीह होती और उनसे तवातुर से मरवी होती थी। (ऐज़न) इससे मालूम हुआ कि हदीसे इब्ने मसऊद इब्राहीम की बाज़ सनद से मुरसल होने के बावजूद सहीह मुतवातिर है। लिहाज़ा तरके रफ़ेयदेन पर यह बहुत मज़बूत दलील है।

हदीसे इब्ने मसऊद पर अहले हदीस का दूसरा एतेराज़:

इमामे अबूदाऊ ने हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को सही नहीं कहा। इमामे तिरमिज़ी के अलावा सब मुतक़द्देमीन का इस हदीस के ज़ईफ़ होने पर इत्तिफ़ाक़ है। (नूरुल ऐनैन प्र0 132)

एतेराज़ का जवाब: मैंने हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की 23 सनदें ज़िक्र की हैं। उनमें एक सनद है " आसिम बिन कुलैब से वह अब्दुरहमान बिन अलअसवद से वह अलक़मा से वह इब्ने मसऊद से" इस सनद को इमामे तिरमिज़ी ने हसन कहा है। " सब मुतक़द्देमीन का इस हदीस के ज़ईफ़ होने पर इत्तेफ़ाक़ है " यह हाफ़िज़ जुबैर अली साहब का महज़ दावा है, इस पर उन्होंने कोई दलील पेश नहीं की।

"इमामे दाऊद और बाज़ मोहद्देसीन ने इसको सही नहीं कहा।" हाफ़िज़ जुबैर अली साहब भी यह आसान बात जानते होंगे कि हदीस

सही न हो तो उसका जर्इफ़ होना ज़रूरी नहीं। फिर जुबैर अली साहब यह भी जानते होंगे कि बाज़ मोहद्वेसीन के नजदीक कोई हदीस सही न हो तो ज़रूरी नहीं वह हदीस सारे मोहद्वेसीन के नजदीक सही न हो। क्योंकि हदीस की सेहत व जोफ़ के शराइत मोहद्वेसीन ने अलग अलग मुकर्रर किये हैं। खुद सहीहैन को लीजिए, सही मुसलिम की बहुत सी अहदीस इमामे बुख़ारी की शर्त पर न होने की वजह से सही नहीं लेकिन क्या इन सब अहदीस को जर्इफ़ व नामकबूल कहा जाएगा? खुद जुबैर अली साहब इसके काइल नहीं होंगे। तो क्या वजह है कि हदीसे इब्ने मसऊद को इमामे दाऊद एक ख़ास सनद से ख़ास अलफ़ाज़ के साथ सही नहीं मानते तो हाज़िफ़ जुबैर अली साहब अपनी ज़िद पर अड़े हुये हैं कि सारे के सारे मोहद्वेसीन को यह मान लेना लाज़िम है कि हदीस इब्ने मसऊद सही नहीं। इमामे अबू दाऊद ने हदीसे इब्ने मसऊद को मख़सूस अलफ़ाज़ के साथ "सही नहीं" कहा है। वह फ़रमाते हैं कि यह हदीस मुख़्तसर है लम्बी हदीस से और उन अलफ़ाज़ के साथ यह सही नहीं। एक तो इमामे अबू दाऊद ने यह ज़िक्र नहीं किया कि वह लम्बी हदीस कौनसी है और किन अलफ़ाज़ के साथ सही है? और यह मुख़्तसर हदीस उन अलफ़ाज़ के साथ सही नहीं है तो क्यों? महज़ किसी हदीस को सही नहीं कह देने से वह ग़ैर सही या जर्इफ़ नहीं होती। जब तक उसके सही न होने या जर्इफ़ होने की दलील न ज़िक्र की जाये। हाफ़िज़ जुबैर अली साहब ने लिखा कि इमामे तिरमिज़ी के अलावा सब मुतक़द्वेमीन का हदीस इब्ने मसऊद के जर्इफ़ होने पर इत्तेफ़ाक़ है। हालांकि बहुत से मुतक़द्वेमीन मोहद्वेसीन और फ़ुक्हा ने हदीस इब्ने मसऊद को सही कहा है।

1. इब्राहीमे नख़ई (मौत: 95/96 हि0) जलीलुल क़द्र इमामे आमश ने इब्राहीमे नख़ई को इल्मे हदीस का सर्राफ़ कहा है। उन्होंने हदीसे इब्ने मसऊद को मुसनदन भी ज़िक्र किया है और मुरसलन भी। बहर हाल इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से उनकी रिवायत सही बल्कि मुतवातिर होती है।

चुनॉचे इमामे तहावी (मौत: 321 हि0) ने फ़रमाया:

इब्राहीमे नखई हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से वही हदीस मुरसलन रिवायत करते थे जो उनके नज़दीक सही और मुतवातिर होती थी। (शरहे अबू दाऊद लिलऐनी 3/298)

मोहदिस इमामे आमश ने फरमाया कि उनसे इमामे नखई ने फरमाया: जब मैं आपसे कहूँ कि अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ने कहा तो जान लीजिए कि मैंने आपसे वह बात उस वक़्त तक नहीं कही जब तक कि एक जमाअत ने मुझसे नहीं कही। और जब मैं कहूँ कि फुलां ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से मुझे यह हदीस सुनाई तो उसी ख़ास आदमी ने सुनाई। (शरहे अबूदाऊद लिलऐनी 3/298)

2. यहया बिन सईद क़त्तान (मौत: 191/200 हि0) जलीलुल क़द्र नाकेदीने हदीस यहया बिन मईन, अली बिन मदीनी, अब्दुर्रहमान बिन मेंहदी वग़ैरह के उस्ताज़ थे। वह इमामे आज़म की शगिर्दी पर फ़ख़ किया करते थे। वह फ़रमाते हैं कि हम अल्लाह पर झूट नहीं बोलते, हमने अबू हनीफ़ा के निकाले हुए मसअले से बेहतर नहीं सुना। हमने उनके अकसर अक़वाल को क़बूल किया है। (तारीख़े इस्लाम 3/990)

इससे पता चलता है कि यहया बिन सईद क़त्तान इमामे आज़म की तरह रफ़ेय़दैन न करने का फ़त्वा देते थे और रफ़ेय़दैन न करने की हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाह तआला अन्हो उनके नज़दीक सही थी।

3. हम्माद बिन अबी सुलैमान (मौत: 120 हि0) इमामे नखई के जलीलुल क़द्र शागिर्द और इमामे आज़म अबू हनीफ़ा के उस्ताज़ थे। हज़रते इब्ने मसऊद की हदीस के रावी सिकह, हाफ़िज़ुल हदीस, फ़कीह, मुजतहिद थे। इमामे नखई के बाद कूफ़ा के मुपती थे।

इब्ने आबिस ने कहा: मैंने हम्माद बिन सलमा को कहते हुए सुना कि इब्राहीमे नखई की वफ़ात के बाद फ़िक्ह में लोगों के मन्ज़ूरे नज़र और कूफ़ा के मुपती हम्माद बिन अबी सुलैमान थे। लोग उनकी वजह से दूसरों से बेनियाज़ थे। (अख़बारे इब्ने अबी हनीफ़ा लिस्सैमरी 1/21)

हम्माद बिन अबी सुलेमान ने हदीसे इब्ने मसऊद को अपना मज़हब बनाया है जो इस बात की दलील है कि उनके नज़दीक यह हदीस सही है।

4. इमामे अबू हनीफ़ा (मौत: 150 हि0) इमामुल मोहद्वेसीन वल फ़ुक्हा थे। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, यहया बिन सईद क़त्तान, वकी बिन ज़रीह, मुसइर बिन कुदाम, मक्की बिन इब्राहीम, कासिम बिन मअन वगैरह मोहद्वेसीन जिनमें बहुत से हज़रात इमामे बुख़ारी व मुसलिम के उस्ताज़ या उस्ताज़ के उस्ताज़ हैं, उन्होंने इमामे अबू हनीफ़ा को सिक्ह, हाफ़िज़ुल हदीस और सिकात से रिवायत लेने वाला कहा है।

सिहाहे सित्ता के रावी इस्माईल ने कहा है:

नोमान (अबू हनीफ़ा) कितने अच्छे आदमी हैं! वह हर उस हदीस को बहुत उम्दा तरीक़े से रखने वाले थे जिसमें कोई शरई मसअला होता। ऐसी हदीस की वह बहुत ज़्यादा छानबीन करने वाले हैं। उन्होंने हम्माद से ऐसी अहादीस को बहुत अच्छी तरह महफूज़ रखा है। खुलफ़ा व उमरा का बहुत इकराम करते थे। कोई आदमी फ़िक्ह में उनसे मुनाज़रा करता तो उसे पशेमानी का सामना करना पड़ता था। (अख़बारे इब्ने अबी हनीफ़ा लिस्सैमरी 1/21)

सुफ़याने सौरी ने इमामे आज़म का यह कौल नक्ल किया है:

मैं (शरई मसाइल में) किताबुल्लाह से दलील पकड़ता हूँ। अगर उसमें नहीं पाता हूँ तो अहादीसे रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम और सही आसार से दलील पकड़ता हूँ जिनके बारे में यह मशहूर हो कि उन्हें सिक्ह रावियों ने सिक्ह रावियों से रिवायत की है। अगर सुन्नते रसूल में भी नहीं पाता (और सहाबा के अक़वाल मुख्तलिफ़ होते हैं) तो बाज़ के अक़वाल (जिसको कवी पाता हूँ) लेता हूँ और बाज़ के अक़वाल को तर्क कर देता हूँ। लेकिन सहाबा के कौल को छोड़ कर दूसरे के कौल को नहीं लेता। और मुआमला जब इब्राहीमे नखई, शाबी, बसरी, इब्ने सीरीन और सईद बिन मुसय्यब वगैरह मुजतहेदीन के कौल का होता है तो जिस तरह उन्होंने इजतेहाद किया है मैं भी इजतिहाद करता हूँ। (अख़बार इब्ने अबी हनीफ़ा लिस्सैमरी 1/21)

इमामे आज़म ने हदीसे इब्ने मसऊद को अपना मज़हब बनाया है। इमामे आज़म के कौल से मालूम हुआ कि उनके नज़दीक यह हदीस सही मशहूर है।

5. इमामे अबू यूसुफ़ (मौत: 182 हि०) मोहदिस, हाफ़िजुल हदीस, फ़कीह मुजतहिद थे। मोहदिस इब्ने अब्दुल बर्र करतबी मालेकी (मौत: 463 हि०) ने मोहदिस, मुफ़र्रिसर, फ़कीह मोअर्रिख़ इब्ने जरीर तिबरी (मौत: 310 हि०) का यह कौल नक़ल किया है:

अबू यूसुफ़ याकूब बिन इब्राहीम काज़ी फ़कीह आलिम और हाफ़िजुल हदीस थे। इब्ने जरीर ने कहा कि वह हाफ़िजुल हदीस से मशहूर थे। वह किसी मोहदिस के पास बैठते तो उसी वक़्त पचास साठ हदीसों याद कर लेते थे और वहां से उठकर लोगों को इमला करा देते थे। वह कसीरुल हदीस थे। (अल इन्तिफ़ा 1/172)

इब्ने हिब्बान ने लिखा:

अबू यूसुफ़ याकूब बिन इब्राहीम बिन हबीब बिन सअद बिन हबता कूफी ने यहया बिन सईद अन्सारी से रिवायत ली है। उनसे बशर बिन वलीद और अहले इराक़ ने हदीस रिवायत की है। वह साहिबे इतक़ान शैख़ थे। सिर्फ़ फ़ुरु (मसाइले इजतेहादिया) में इमामे अबू हनीफ़ा और इमामे मोहम्मद के मसलक पर चलते थे। (अस्सिकात 7/645)

जिन लोगों ने इमामे अबू यूसुफ़ पर जरह की उनकी जरह ग़लत फ़हमी पर मबनी है। यही वजह है कि बाज़ लोगों ने ग़लत फ़हमी दूर होने और हक़ीक़ते हाल ज़ाहिर होने के बाद इमामे अबू यूसुफ़ की तौसीक़ की है।

चुनौचे इब्ने अबू हातिम बयान करते हैं:

हमने जुफ़र और अबू यूसुफ़ को सिकात में दाख़िल कर लिया बज हमारे सामने ज़ाहिर हो गया कि दोनों अह़ादीस के मुआमले में आदिल हैं। (अस्सिकात लेइब्ने हिब्बान 7/646)

इमामे अबू दाऊद व इब्ने माजा के उस्ताज़ मोहम्मद बिन अस्सबाह (मौत: 240 हि०) ने कहा:

मैंने अबू यूसुफ़ को लाज़िम पकड़ा। वह नेक आदमी थे। मुसलसल रोज़ा रखा करते थे। (अस्सिकात 7/664)

यहया बिन मईन ने कहा:

अबू यूसुफ़ ज़्यादा तर मोहद्वेसीन की तरफ़ माइल रहते थे। हमने उनसे अहदीस लिखी हैं। हमेशा से मोहद्वेसीन उनसे अहदीस लिखते रहें हैं। (अल जरह वत्तादील 9/201)

6. इसहाक़ बिन अबी इस्राईल (मौत: 245 हि0) इमाम, मोहद्विस, हाफ़िज़ुल हदीस, सिक़ह, मुतकिन, साहिबे वरा व तक्वा मुजतहिद फ़कीह थे। (सियरो आलामिनुब्ला 11/476)

उन्होंने हदीसे इब्ने मसऊद के तअल्लुक़ से फ़रमाया है:

हम पूरी नमाज़ में इसी को इख़्तियार करते हैं। (तकबीरे तहरीमा के सिवा पूरी नमाज़ में रफ़ेय़दैन नहीं करते)

7. इमामे तिरमिज़ी ने हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को हसन कहा। इन तमाम मोहद्वेसीन व फ़ुक्हा के नज़दीक़ हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो की तर्कें रफ़ेय़दैन वाली हदीस सही है। फिर भी शैख़ जुबैर अली को ज़िद है कि उसे वह ज़ईफ़ ही कहेंगे तो ज़िद का आख़िर क्या इलाज़? हालांकि खुद ग़ैर मुक़ल्लेदीन के इमाम शैख़ अलबानी ने भी उसको सही कहा है।

हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हों की बाइसवीं सनद

इमामे दारकुतनी ने फ़रमाया: अब्दुल्लाह से मरवी है कि उन्होंने फ़रमाया: मैंने नबी सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम और अबूबक्र और उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा के साथ नमाज़ पढ़ी है उन हज़रात ने अपने हाथों को नमाज़ के शुरू में सिर्फ़ पहली तकबीर के वक़्त उठाया। (सुनने दार कुत्नी ख0 2 प्र 52 बाबो ज़िक़्रित्तकबीर व रफ़इलय़दैन हदीस 1133 तहकीक़ शुऐब अलअरनऊत व असहाबे मुअस्ससतुर्रिसाला बैरूत 1424 हि0)

दार कुत्नी के रीमार्क का जवाब: दार कुत्नी ने इस हदीस को नक़ल करने के बाद लिखा कि इस हदीस की सनद में रावी मोहम्मद बिन जाबिर ज़ईफ़ हैं और उन्होंने तन्हा हम्माद से यह रिवायत ज़िक़्र की है। हम्माद के सिवा दूसरों ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के फ़ेल को मुरसलन रिवायत किया है मरफूअन नहीं।

पहली बात तो यह है कि हदीसे इब्ने मसऊद को हम्माद से मरफूअन रिवायत करने में मोहम्मद बिन जाबिर तन्हा नहीं बल्कि इमामुल मुहद्वेसीन

वलफुद्दा, इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैह (मौत : 150 हि०) ने भी हम्माद से रिवायत की है। और इमामे अबू हनीफ़ा की रिवायत सही बल्कि ज़्यादा सही है। नीज़ हदीसे इब्ने मसऊद को हम्माद से हम्माद बिन सलमा ने भी रिवायत किया है और हम्माद बिन सलमा सिकह इमाम, शैखुल इस्लाम थे। बुख़ारी व मुसलिम के रावी थे। (सियरे आलामुन्नुब्ला 7/444)

दूसरी बात यह है कि मोहम्मद बिन जाबिर बिन सय्यार अलकूफ़ी (मौत : 170 हि०) को अगरचे बाज़ मोहददीसीन ने ज़ईफ़ लिखा है लेकिन इब्ने हजर ने उन्हें सदूक़ लिखा है और यह लिखा है कि उनकी किताबें जाये होने की वजह से हाफ़िज़ा पर एतेमाद करके अहादीस बयान करते थे लिहाज़ा इख़िलात वाक़े होता था। लेकिन अबू हातिम राजी ने उन्हें इब्ने लहया पर तरज़ीह दी है। इमामे अहमद इब्ने हम्बल ने कहा: उनकी हदीस अहले सिदक़ की हदीस के मुशाबेह है। फ़ल्लास ने कहा: सालेह हैं। (सियरुल आलाम वन्नुबला 8/236) अलार्ई ने कहा कि निसई ने उन्हें ज़ईफ़ कहा लेकिन सुफ़यान सौरी और सुफ़ियान बिन उऐना जैसे जलीलुल क़द्र मुहददीसीन ने उनसे रिवायात ली हैं। (अलमुख्तलेतीन, अलार्ई 1/108) ज़हबी ने मोहम्मद बिन जाबिर अन् हम्माद अन् इब्राहीम की सनद से बाज़ सही अहादीस ज़िक्र की हैं उनमें मोहम्मद बिन जाबिर की यह हदीस भी है। (मीज़ानुल एतेदाल 3/496)

मोहम्मद बिन जाबिर, अबूदारूद व इब्ने माजा के रावियों में से है। अगर मोहम्मद बिन जाबिर की यह रिवायत सिकह मुतकिन रावी के ख़िलाफ़ होती तो वह तन्हा नाकाबिले हुज्जत होती लेकिन इतनी कसीर तादाद में सिकह रावियों ने हदीसे इब्ने मसऊद को मरफूअन ज़िक्र किया है लेहाज़ा मोहम्मद बिन जाबिर की रिवायते मजकूरह काबिले हुज्जत है।

हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो मरफू सही है और मौकूफ़ सही भी लेहाज़ा इससे रफ़ेयदैन् न करने पर इस्तिदलाल बहरहाल दुरुस्त है।

हदीसे इब्ने मसऊद की तेईसवीं सनद

इमामे बैहकी ने फ़रमाया: हमें ख़बर दी अबूताहिर अलफ़कीह ने, उन्होंने कहा हमें ख़बर दी अबू हामिद बिन बिलाल ने, उन्होंने कहा हमें ख़बर दी मोहम्मद बिन इस्माईल अर्रहमी ने, वह कहते हैं हमसे हदीस

बयान की वकी ने, वह सुफ़यान से, वह आसिम यानी इब्ने कुलैब से, वह अब्दुर्रहमान बिन अलअसवद से, वह अलक़मा से, उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की अब्दुल्लाह यानी इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने कि मैं जरूर तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ाता हूँ कहा कि आप ने नमाज़ पढ़ी तो सिर्फ़ एक मरतबा अपने हाथों को उठाया।

इस हदीस के तमाम रावी सिक्कह हैं।

(अस्सुननुल कुबरा लिलबैहेकी ख0 2 प्र0 112 बाब मल्लम यज़कुरिरफ़अ इल्ला इन्दा इफ़तिताहिस्सलात हदीस 2531)

हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हों जिसमें रसलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ का तरीक़ा बयान किया गया है कि आप सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ैयदैन् करते थे, सिर्फ़ इमामे अबू हनीफ़ा ने इसकी रिवायत नहीं की है मैंने मुख़तलिफ़ कुतुबे अहदीस के हवाले से इसकी 23 सनदें ज़िक्र कीं जो सहीह और मोतबर हैं। लिहाज़ा यह कहना कि हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो जिसमें रफ़ैयदैन् न करने का ज़िक्र है वह सिर्फ़ अबू हनीफ़ा ने रिवायत की है, ग़लत है।

रफ़ैयदैन् न करने की दूसरी हदीस

हदीसे बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्ला तआला अन्हो (मौत 72 हि0)

हज़रते अबू हनीफ़ा फ़रमाते हैं कि इमामे शाबी यह फ़रमाते थे कि मैंने बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो अन्हो को यह फ़रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम जब नमाज़ शुरू करते थे तो दोनों हाथों को उठाकर अपने दोनों कांधों के मुक़ाबिल ले जाते थे और सलाम फेरने तक दोबारा अपने हाथों को नहीं उठाते थे।

(इसकी तख़रीज अबू नुऐम ने अपनी मुसनद प्र0 156 में की है, मुसनदे अहमद 4/301, निसई 2/195, अबू दारुद 1/281 हदीस 750, मुसनफ़े इब्ने अबी शैबा 1/264, मुसनदे अबू याला 4/295 हदीस 1653)

फ़ायदा: सुनने अबूदारुद के हाशिये मे अहले हदीस आलिम शैख़ अलबानी ने इसे सही करार दिया है और अहमद शाकिर ने हाशिये

तिरमिजी में इसे सही लिखा। निसई के हाशिये में शैख गद्दा ने इसे सही लिखा।

हदीसे मज़कूर से साफ़ साफ़ मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त दोनों हाथों को उठाते थे और पूरी नमाज़ में फिर कहीं दोनों हाथों को नहीं उठाते थे।

हदीसे बरा इब्ने अज़िब रज़ियल्लाहो अन्हो की इसनादी हैसियत इस हदीस के रावी आला दर्जे के सिक़ह, फ़कीह, मोहदिस, हाफ़िज़ुल हदीस, आदिल और कामिल हाफ़िज़े वाले थे। लिहाज़ा इस हदीस की सनद के सही होने बल्कि रफ़ेय़दैन् के सुबूत वाली तमाम रिवायात से ज़्यादा सही हाने में शक़ नहीं।

रावियों के हालात मुलाहज़ा करें:—

हदीसे बरा इब्ने अज़िब रज़ियल्ला तआला अन्हो के पहले रावी इमामुल मुहद्देसीन वलफ़ुक़हा इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैह (मौत: 150 हि०):

आपके हालात पिछले सफ़हात में हदीस न० 1 के तहत तफ़सील के साथ मुलाहज़ा फ़रमाये। आप बइत्तिफ़ाके मोहद्देसीन व नाक़ेदीने हदीस, इमामुल मुहद्देसीन वलफ़ुक़हा, हाफ़िज़ुलहदीस, और सिक़ह थे और सिक़ह व हाफ़िज़ुल हदीस से हदीसें रिवायत करने वाले ताबेईन् में से थे।

हदीसे बरा इब्ने अज़िब के दूसरे रावी

आमिर बिन अब्दुश्शाबी अबू अम्र (मौत 109 हि०):

इमामे इब्ने हिब्बान ने तहरीर फ़रमाया: आमिर बिन शराहील अहले कूफ़ा में से थे, उन्होंने डेढ़ सौ सहाबये किराम से अहादीस सुनी हैं। फ़कीह व शाइर थे, 109 हि० में वफ़ात हुई और एक कौल के मुताबिक़ 105 हि० और बाज़ कौल के मुताबिक़ 104 हि० में वफ़ात हुई। (अस्सिकात 5/185) इमामे बुख़ारी ने फ़रमाया: पाँच सौ या उससे ज़्यादा सहाबा का ज़माना पाया। (अत्तारीख़ुल कबीर, इक़माल तहज़ीबु कमाल ख० 7 प्र० 173)

इमामे इब्ने हज़र असक़लानी ने फ़रमाया: इमामे शाबी सिक़ह, मशहूर फ़कीह, फ़ाज़िल थे। (अत्तक़रीब तरजमा: 3417)

इमामे ज़हबी की नज़र में: इमामे ज़हबी ने इमामे शाबी का यह कौल नक़ल किया है "मैंने पांच सौ सहाबये किराम से मुलाक़ात की है और बयाज़ में जो कुछ भी मैंने लिखा और जो हदीस भी सुनी उसे अपने हाफ़िज़ा में महफूज़ कर लिया" (अलकाशिफ़ तरजमा:2531)

इमामे मकहूल ताबेई ने फ़रमाया: मैं (इमामे मकहूल) ने आमिर शाबी से बड़ा फ़कीह नहीं देखा और एक (ताबेई) ने कहा कि आमिर शाबी अपने ज़माने में ऐसे फ़कीह थे जैसे सहाबीये रसूल हज़तरे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हो अपने ज़माने में फ़कीह थे। (अलकाशिफ़ तरजमा:2531)

हज़रते बरा इब्ने अज़िब रज़ियल्लाहो अन्हो (वफ़ात: 72 हि0)

आप रसूले पाक सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के चहीते सहाबी थे। जौके जिहाद का यह हाल था कि ग़ज़वये बद्र के मौक़े पर नौउम्र होते हुए जिहाद में शरीक होने के लिए मुजाहिदीन के लश्कर में शरीक हो गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने उनकी कमसनी की बुनियाद पर उन्हें वापस फ़रमा दिया था, लेकिन ग़ज़वये उहद में शरीक थे।

कारेईने किराम! मुलाहज़ा फ़रमाया आपने कि हज़रते बरा इब्ने अज़िब रज़ियल्लाहो अन्हो की हदीस में साफ़ लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम नमाज़ में सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथों को उठाते थे और पूरी नमाज़ में कहीं भी हाथों को नहीं उठाते थे।

रफ़ेय़दैन् न करने की यह हदीस सनद के एतेबार से बहुत आला है।

मोह़देसीने किराम सनद की तक्वियत की वज़ूह में यह भी ज़िक्र करते हैं कि अगर किसी हदीस में रावियों की तादाद दूसरी हदीस के रावियों के मुक़ाबले में कम हो तो कम रावियों वाली हदीस को बुलन्द इसनाद की बुनियाद पर ज़्यादा क़वी और ज़्यादा सही कहा जाता है। हज़रते बरा इब्ने अज़िब रज़ियल्लाहो अन्हो की हदीसे मज़कूर जिसमें रफ़ेय़दैन् न करने का ज़िक्र है वह सनद के एतेबार से बहुत आली (बुलन्द) है। क्योंकि नबीये करीम सल्लल्लाहो

अलैहे वसल्लम की यह हदीस इमामे अबू हनीफ़ा तक सिर्फ़ दो वास्तों से चहुंती है। एक वास्ता जलीलुलक़दर ताबेई, फ़कीहे ज़माना, “अपने वक़्त के इब्ने अब्बास” इमामे आमिर शाबी की सूरत में है और दूसरा वास्ता जलीलुलक़दर सहाबीये रसूल, सितारये रुशदो हिदायत हज़रते बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो अन्हो का नामे नामी है। लिहाज़ा बुलन्द इसनाद के एतेबार से यह हदीस सिर्फ़ दो वास्तों से इमामे अबू हनीफ़ा तक पहुंचने की वजह से रफ़ेयदैन् करने की जुम्ला अहादीस जो अहादीस की किताबों में हैं, सबसे आला दर्जे की है और तरजीह की दूसरी वजह का लिहाज़ किया जाए यानी रावियों के ‘तफ़क्कोह फ़िद्दीन्’ का तो इस एतेबार से भी इमामे अबू हनीफ़ा की यह रिवायत बहुत क़वी (मज़बूत) है। क्योंकि इमामे अबू हनीफ़ा की इमामत व तफ़क्कोह पर सब का इत्तेफ़ाक़ है और आमिर शाबी को तो इजतिहाद व तफ़क्कोह में अपने ज़माने का ‘इब्ने अब्बास’ माना गया है। मालूम हुआ कि तकबीरे तहरीमा के सिवा नमाज़ में कहीं भी रफ़ेयदैन् न करने की अहादीस ज़्यादा आला दर्जे की और ज़्यादा क़वी हैं।

रफ़ेयदैन् न करने की तीसरी हदीस

मुसनदे इमामे अबू हनीफ़ा (लेअबी नुऐम) के हवाले से हज़रते बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो अन्हो की हदीस गुज़री, जिससे साबित होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम नमाज़ में सिर्फ़ तकबीरे इफ़तेताह के वक़्त रफ़ेयदैन् करते थे। अब ज़ैल में मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा के हवाले से हदीसे बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो अन्हो को ज़िक्र कर रहे हैं। हदीस के अल्फ़ाज़ यह हैं:-

हज़रते बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि नबीय करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम जब नमाज़ शुरू करते थे तो दोनों हाथों को उठाते थे फिर नमाज़ से फ़ारिग़ होने तक हाथों को नहीं उठाते थे। (मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 1/213, बाबो मन काना यरफ़ओ यदैहे फ़ी अव्वले तकबीरतिन् सुम्मा ला यरूद, हदीस 2440, सुनने अबू दाऊद हदीस 749,750)

इस हदीस की सनद यह है:-

“हमसे हदीस बयान की वकी ने वह इब्ने अबी लैला से वह हक़म से वह ईसा से वह अब्दुर्रहमान इब्ने अबी लैला से वह बरा इब्ने आज़िब से”

इस सनद के तमाम रावी सिक्कह हैं।

रफ़ेयदैन न करने की चौथी हदीस

हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहो अन्हो ने बयान फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को देखा है कि आप तकबीरे इफ़तेताह (तकबीरे तहरीमह) के सिवा नमाज़ में कहीं रफ़ेयदैन नहीं करते थे।

यह हदीस मुस्तख़रजे अबू अवाना में इस सनद के साथ मरवी है: "हमसे हदीस बयान की अब्दुल्लाह इब्ने अय्यूब अल-मख़रमी व सादान बिन नस्र व शुऐब बिन अम्र आख़ेरीन ने उन सभी ने कहा: हमसे हदीस बयान की सुफ़यान बिन उऐना ने, वह जुहरी से, वह सालिम से, वह अपने वालिद से, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को देखा, जब आप नमाज़ शुरू करते थे तो दोनों हाथों को उठाकर अपने कंधों के मुक़ाबिल ले जाते थे और जब रुकू में जाते या रुकू से उठते तो दोनों हाथों को नहीं उठाते थे। (मुस्तख़रजे अबू अवाना बयाने रफ़ेयदैन फी इफ़तेताहिस्सलात 3/446, हदीस 1251,1263)

हदीसे मज़कूर की सनद सही है। इसको इमामे अबू अवाना ने सुफ़यान इब्ने उऐना तक दर्ज ज़ैल चार असानीद के साथ ज़िक्र किया है।

पहली सनद: जो ऊपर लिखी गई (सही अबू अवाना ख0 2 प्र0 90 मुस्तख़रज अबू अवाना हदीस 1251,1263)

दूसरी सनद: मुसनदे हुमैदी में इमामे बुख़ारी के उस्ताज़ इमामे अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर इब्ने ईसा अल-क़रशी अल-हुमैदी मौत 219 हि0 की है। (मुसनदे हुमैदी 1/515 हदीस 626)

मुसनदे हुमैदी की रिवायत सनद के साथ यह है:—

"हुमैदी ने कहा हमसे हदीस बयान की जुहरी ने उन्होंने कहा मुझे ख़बर दी सालिम बिन अब्दुल्लाह ने वह अपने वालिद से उन्होंने कह: मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को देखा जब आपने नमाज़ शुरू की तो अपने दोनों हाथों को अपने दोनों शानों के बराबर उठाया और जब रुकू में जाने का इरादा किया और रुकू से अपने सर को उठाने का इरादा किया

तो आपने (हाथों को) नहीं उठाया और दोनों सजदों के दरमियान (नहीं उठाया)। (मुसनदे हुमैदी 1/515, हदीस 626)

मालूम हुआ कि इमामे बुखारी के उस्ताज़ इमामे हुमैदी के नज़दीक रफ़ेयदैन् न करने की हदीस सही मोतबर है।

तीसरी सनद: इब्ने वहब और अबुल कासिम ने मालिक से उन्होंने इब्ने शहाब से उन्होंने सालिम से उन्होंने अपने वालिद से (रिवायत की) कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कांधों के बराबर उठाते थे। (अल—मुदव्वनतुल कुबरा)

इस हदीस में भी सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक्त हाथ उठाने का ज़िक्र है, बाकी जगहों में नहीं।

चौथी सनद: इमामे बुखारी ने जुज़र रफ़ेयदैन् में बैहकी, हाकिम, तिबरानी और इब्ने अबी शैबा ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लहो अन्हुमा दोनों से रिवायत किया है। बाज़ ने मरफूअन और बाज़ ने मौकूफ़न, फ़रमाया:

“सिर्फ़ सात जगहों में (बतौर इबादत) हाथ बुलन्द किये जायंगे। नमाज़ शुरू करते वक्त, बैतुल्लाह शरीफ़ सामने देखते वक्त, सफ़ा व मरवा पर, अरफ़ात में, मुज़दलेफ़ा में और रमिये जिमार के वक्त।

(अल—आसार लेअबी यूसुफ़ बाबो इफ़तेताहिस्सलात 1/21, मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा ख0 1 प्र0 214 बाबो मन काना यरफ़ओ यदैहे फ़ी अब्वले तकबीरतिन हदीस 2450, नसबुर्राया 1/390)

मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा, सही इब्ने अवाना और मुसनदे हुमैदी की हदीसे मज़कूर से मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम और आपके फ़कीह सहाबी हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने उमर और हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लहो अन्हुमा नमाज़ में सिर्फ़ तकबीरे इफ़तेताह के वक्त रफ़ेयदैन् करते थे और हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लहो अन्हो से रफ़ेयदैन् के सुबूत पर जो हदीसें मनकूल हैं वह रफ़ेयदैन् के सुन्नते दायमा, लाज़िमा होने पर दलालत नहीं करतीं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने पहले कुछ दिनों

तक रफ़ेयदैन किया था बाद में छोड़ दिया। जैसा कि हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने सहाबये किराम के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ का तरीका बयान करने के लिये नमाज़ पढ़कर दिखाया तो सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा में रफ़ेयदैन किया और रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन नहीं किया।

रफ़ेयदैन न करने की पांचवीं हदीस

इमामे अबूदाऊद ने सुनने अबूदाऊद में एक उनवान यह कायम फ़रमाया है: " उसका बयान जिसने हदीस में रुकू के वक़्त रफ़ेयदैन का ज़िक्र नहीं किया" इमामे अबू दाऊद ने इस उनवान के तहत यह हदीस शरीफ़ ज़िक्र की है:

हज़रते अबूहुरैरह रज़ियल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम जब नमाज़ शुरू करते थे तो दोनों हाथों को ऊपर उठाते थे। इमामे अबूदाऊद के नज़दीक यह हदीस सही है। उन्होंने इसकी सनद में कोई कलाम नहीं किया है। इस हदीस में रफ़ेयदैन का ज़िक्र सिर्फ़ तकबीर तहरीमा के वक़्त है। (अबू दाऊद 1/126, तिरमिज़ी 1/33)

रफ़ेयदैन न करने की छठी हदीस

इमामे अबूदाऊद व तिरमिज़ी ने तख़रीज की है: हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो ने फ़रमाया कि किया मैं तुम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़कर न बताऊँ? फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी और सिर्फ़ एक मरतबा (तकबीरे तहरीमा के वक़्त) दोनों हाथों को उठाया। (सुनने अबू दाऊद हदीस 794, जामेये, तिरमिज़ी हदीस 257, निसई हदीस 1026)

रफ़ेयदैन न करने की सातवीं हदीस

इमामे निसई ने तख़रीज की है: हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है उन्होंने फ़रमाया: क्या मैं तुमको नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ पढ़कर न बताऊँ, फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो सिर्फ़ एक बार दोनों हाथों को उठाया। यह

हदीस आला दर्जे की सही है क्योंकि इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैहे को जिस सनद के साथ मिली है वह आला दर्जे की सही है और इमामे निसई की सनद के साथ यह हदीस हसन है। (अस्सुनुल कुबरा लिन्सई 1/132 हदीस न० 645)

रफ़ेयदैन न करने की आठवीं हदीस

मुसनदे अबू याला की रिवायत सनद के साथ दर्ज है:

हज़रते बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो अन्हो ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो दोनों हाथों को सर की तरफ़ उठाते थे फिर दोबारा नहीं उठाते थे। (मुसनदे अबू याला अल-मूसली 4/259 हदीस न० 1654)

मुसनदे अबू याला में हदीसे मज़कूर दर्ज ज़ैल सनदों के साथ भी मरवी है।

रफ़ेयदैन न करने की नवीं हदीस

हज़रते बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो अन्हो से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को देखा जब आपने नमाज़ के लिए तकबीरे इफ़तेताह कही तो दोनों हाथों को दोनों कानों के मुकाबिल ले गये फिर दोबारा पूरी नमाज़ में ऐसा नहीं किया। (मुसनदे अबू याला अल-मूसली हदीस न० 1655)

रफ़ै सदैन न करने की दसवीं हदीस

हज़रते बरा इब्ने आज़िब ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को देखा आपने नमाज़ शुरू करते वक़्त दोनों हाथों को उठाया यहां तक कि मैंने देखा आपके दोनों अंगूठे कानों के करीब थे फिर दोबारा हाथों को नहीं उठाया। (मुसनदे अबू याला हदीस न० 1656, कन्जुल उम्माल हदीस न० 36408)

रफ़ै सदैन न करने की ग्यारहवीं हदीस

यही हदीस सुनने अबू दाऊद में इस तरह है: हमसे हदीस बयान की मोहम्मद बिन सबाह अल-बज़्ज़ाज़ ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की शुरैक ने वह यज़ीद बिन अबी ज़ियाद से वह अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से

वह बरा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम जब नमाज़ शुरू फरमाते थे तो अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कानों के करीब तक उठाते थे फिर नहीं उठाते थे। (सुनने अबू दाऊद, उन लोगों का बयान जिन्होंने रुकू के वक़्त रफ़ेयदैन का ज़िक्र नहीं किया ख0 1 प्र0 191, हदीस न0 749)

रफ़ेयदैन न करने की बारहवीं हदीस

यही हदीस सुनने दारे कुत्नी में इस तरह है:

हमसे हदीस बयान की अहमद इब्ने अली इब्ने अला ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की अबुल अशअस ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की मोहम्मद बिन बक्र ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की शोबा ने वह यज़ीद इब्ने अबी ज़ियाद से उन्होंने कहा कि मैंने अब्दुर्रहमान इब्ने अबी लैला को यह कहते हुए सुना कि बरा इब्ने अज़िब रज़ियल्लाहो अन्हो ने इस मजलिस में एक जमाअत के सामने हदीस बयान की, वहां हज़रते कअब बिन अज़रा भी थे उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को देखा कि आपने नमाज़ शुरू करते वक़्त पहली तकबीर में दोनों हाथों को उठाया।

मुसनदे अबू याला, अबू दाऊद और दार कुत्नी की सनद के साथ हदीसे बरा इब्ने अज़िब रज़ियल्लाहो अन्हो हसन है और हज़रते इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैहे की सनद के साथ आला दर्जे की सही है। इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैहे को हज़रते बरा इब्ने अज़िब रज़ियल्लाहो अन्हो की हदीस सिर्फ़ एक वास्ते यानी हज़रते अमिर शाबी से मिली है और अमिर शाबी के सिक्कह और हाफ़िज़ुल हदीस होने में किसी को कुछ कलाम नहीं। उन्होंने डेढ़ सौ सहाबये किराम से अहदीस सुनी थीं। लिहाज़ा हज़रते बरा इब्ने अज़िब रज़ियल्लाहो अन्हो की हदीस इमामे आजम के नज़दीक आला दर्जे की सही है।

रफ़ेयदैन न करने की तेरहवीं हदीस

दारे कुत्नी ने हदीसे बरा इब्ने अज़िब रज़ियल्लाहो तअाला अन्हो को इस तरह ज़िक्र किया है:

हमसे हदीस बयान की यहया बिन मोहम्मद बिन साइद ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की मोहम्मद बिन सुलैमान बिन लोई ने उन्होंने कहा हमसे

हदीस बयान की इस्माईल बिन ज़करिया ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ने वह अब्दुर्रहमान इब्ने अबी लैला से वह बरा से कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को देखा जब आपने नमाज़ शुरू की तो दोनों हाथों को ऊपर उठाकर दोनों कांधों के मुकाबिल ले आए फिर पूरी नमाज़ में कहीं पर दोबारा ऐसा नहीं किया, यहां तक कि नमाज़ से फ़ारिग हो गये । (सुनेने दार कुली 3/353 हदीस न० 1139)

रफ़ेयदैन् न करने की चौधवीं हदीस

हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो को मुसनदे इमामे अबू हनीफ़ा में एक और सनद से ज़िक्र किया है, वह यह है: अबू हनीफ़ा ने हम्माद से उन्होंने इब्राहीम और असवद से रिवायत की कि हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो सिर्फ़ पहली तकबीर में दोनों हाथ उठाते थे और इसके सिवा नमाज़ में कहीं हाथ नहीं उठाते थे और इस फ़ेल को वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के हवाले से बयान फ़रमाते थे । (मुसनदे इमामे अबू हनीफ़ा बरिवायते अबू नुऐम 355)

रफ़ेयदैन् न करने की पंदरहवीं हदीस

हज़रते अब्बाद इब्ने जुबैर की सही मुरसल हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम जब नमाज़ शुरू फ़रमाते थे तो नमाज़ के शुरू में दोनों हाथ उठाते थे फिर कहीं नहीं उठाते थे, यहां तक कि नमाज़ से फ़ारिग हो जाते थे। यह हदीस अगरचे मुरसल है लेकिन सही मोतबर है, दूसरी अहादीस इसकी ताईद भी करती हैं । (नसबुर्राया इमामे ज़ैलई 1/404)

रफ़ेयदैन् न करने का सुबूत सिहाहे सित्ता की अहादीस से

सही मुसलिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और निसई की हदीसों में साफ़ लफ़्ज़ों के साथ नमाज़ में सकून से रहने का हुक्म दिया गया है। यानी तकबीरे तहरीमा के सिवा दूसरे मक़ामात मसलन रुकू में जाते, रुकू से उठते, सजदे में जाते और सजदे से उठते वक़्त यानी जहां-जहां अल्लाहु अकबर कहा जाता है वहां दोनों हाथों को उठाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने मना फ़रमाया है।

जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने अपने सहाबा को नमाज़ में रफ़ेय़दैन् करने से मना नहीं फ़रमाया था उस वक़्त तक वह रफ़ेय़दैन् करते थे। जैसा कि मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा की रिवायत 2432 में हज़रते हसन बसरी की रिवायत से है कि नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के असहाब अपनी नमाज़ों में रुकू करते वक़्त इस तरह अपने हाथों को उठाते गोया वह पंखे हों। इससे इशारह मिलता है कि जब आपने हाथों को घोड़ों की दुम की तरह हिलाने से मना फ़रमाया और नमाज़ में सुकून से रहने का हुक्म दिया तो सहाबये किराम ने रफ़े सदैन् तर्क कर दिया।

रफ़ेय़दैन् न करने की सोलहवीं हदीस

सही मुस्लिम में हज़रते जाबिर बिन समुरह रज़ियल्लाहो अन्हो की रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं: हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम आये (और हम रफ़ेय़दैन् करके नमाज़ पढ़ रहे थे) तो आपने फ़रमाया: क्या बात है? मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम अपने हाथों को ऐसे उठाते हो जैसे वह बेकरार घोड़ों की दुम हों, नमाज़ में सुकून इख़्तियार करो। (सही मुसलिम बाबुल अम्र बिस्सकून फ़िस्सलात, बाब 72, हदीस न0 996)

रफ़ेय़दैन् न करने की सतरहवीं हदीस

यही रिवायत हज़रते जाबिर बिन समुरह रज़ियल्लाहो अन्हो से अबूदाऊद में इन अल्फ़ाज़ के साथ है: हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम आये , और लोग अपने हाथों को उठाये हुए थे, जुहैर कहते हैं कि मेरा ख़्याल यह है कि आमश ने यह कहा कि नमाज़ की हालत में लोग अपने हाथ उठाये हुए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया: क्या वजह है? मैं देख रहा हूँ कि तुम बेकरार घोड़ों की दुम की तरह अपने हाथों को उठाते हो, नमाज़ में सुकून से रहो। (सुनने अबूदाऊद बाब फ़िस्सलाम हदीस न0 1002, निसई हदीस न0 1193)

सिहाहे सित्ता की हदीसे मज़कूर से साफ़ मालूम हुआ कि नमाज़ में सुकून से रहना चाहिए और तकबीरे तहरीमा के सिवा किसी और जगह हाथों को न उठाना चाहिए, क्योंकि इससे नमाज़ में सुकून बरकरार नहीं रहता। सलाम के वक़्त रफ़ेय़दैन् से हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम

का मना फ़रमाना सही हदीस से साबित है और इसकी वजह नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने खुद “सुकून इख़्तियार करो” कह कर बयान फ़रमाई। इससे उन अह्दादीस को ताईद हासिल होती है जिनमें तकबीरे इपतेताह के सिवा दूसरी जगह रफ़ेयदैन् से मना किया गया है क्योंकि यहाँ भी सुकून की वजह ही मकसूद है, जो बार-बार रफ़ेयदैन् करने से फ़ौत हो जाता है।

हज़रते जाबिर बिन समुरह रज़ियल्लाहो अन्हो की हदीसे मज़कूर में इपतेताह के अलावह नमाज़ में किसी भी हालत में रफ़ेयदैन् न करने और नमाज़ में सुकून बरक़रार रखने का हुक्म है। चुनौचे हदीसे जाबिर बिन समुरह रज़ियल्लाह अन्हो के अलफ़ाज़ में ग़ौर किया जाए तो मालूम होता है कि किसी मौक़े पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने बाज़ सहबा को सलाम के वक़्त रफ़ेयदैन् करते हुए देखा तो उससे मना फ़रमाया और फ़रमाया कि सलाम के वक़्त हाथ न उठाओ, बल्कि अपने साथी की तरफ़ मुड़कर सलाम कह दो, हाथ से इशारह न करो।

इसकी वज़ाहत हदीस के इस टुकड़े से हाती है: जब कोई सलाम फ़ेरे तो अपने असहाब की तरफ़ रुख़ करे और हाथ से इशारह न करे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लहो अन्हो की रिवायत के अलफ़ाज़ यह भी हैं: तुममें से हर एक को काफ़ी है कि अपने हाथ अपनी रानों पर रखे फिर अपने दाएं और बाएं तरफ़ वाले भाई पर सलाम करे।

हदीसे मज़कूर के यह दोनों टुकड़े वाज़ेह कर रहे हैं कि नमाज़ में सलाम के वक़्त हाथों से इशारह नहीं करना है।

**नमाज़ में रफ़ेयदैन् न करने बल्कि सुकून
इख़्तियार करने का हुक्म**

अब ज़रा हज़रते जाबिर बिन समुरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की उन रिवायात के अलफ़ाज़ में ग़ौर करें जिनमें सलाम का ज़िक्र नहीं बल्कि तकबीरे इपतेताह के सिवा कहीं रफ़ेयदैन् न करने और नमाज़ में सुकून से रहने का हुक्म दिया गया है।

हज़रते जाबिर रज़ियल्लाहो अन्हो की रिवायात रफ़ेयदैन् न करने की अटठारहवीं हदीस

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया: क्या वजह है मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम अपने हाथों को उठाते हो ऐसे जैसे बेकरार घोड़े दुम हिलाते हैं, नमाज़ में सुकून से रहो। (मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 2/370)

रफ़ेयदैन् न करने की उन्नीसवीं हदीस

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम मस्जिद में दाख़िल हुए तो देखा कि लोग नमाज़ में रफ़ेयदैन् कर रहे हैं तो आपने फ़रमाया: इन्हें क्या हुआ है! कि अपने हाथों को ऐसे उठाते हैं जैसे वह बेकरार घोड़ों की दुम हों, नमाज़ में सुकून इस्तिथार करो। (मुसन्नफ़े अब्दुर्रज़ाक 2/252, हदीस न0 3252)

रफ़ेयदैन् न करने की बीसवीं हदीस

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम हमारे (हज़रते जाबिर और सहाबये किराम रज़ियल्लाहो अन्हुम के) पास तशरीफ़ लाए और हम नमाज़ में रफ़ेयदैन् कर रहे थे, आपने फ़रमाया: इन्हें क्या हुआ है, नमाज़ में हाथों को ऐसे उठाते हैं जैसे वह बेकरार घोड़ों की दुम हों, नमाज़ में सुकून रखो। (अस्सुननुल कुबरा लिन्नसई 1/197, बाबुल अम्र बिस्सुकून फ़िस्सलात)

इमामे निसई ने इस हदीस के बाद “नमाज़ में कलाम की रुख़सत” का बाब कायम फ़रमाया है। इससे पहले “नमाज़ में सुकून के हुक्म का” बाब कायम फ़रमाया है। इससे इशारा मिलता है कि जिस तरह इब्तिदा में नमाज़ के अन्दर कलाम की रुख़सत थी बाद में नमाज़ में कलाम से मना कर दिया गया इसी तरह आंहुज़रत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने इब्तेदाअन नमाज़ में तकबीरे इफ़तेताह के अलावह बाज़ जगहों पर रफ़ेयदैन् फ़रमाया था लेकिन बाद में इससे मना फ़रमा दिया था।

रफ़ेयदैन् न करने की इक्कीसवीं हदीस

नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम मस्जिद में दाख़िल हुए लोगों को रफ़ेयदैन् करते हुए देखा तो फ़रमाया: इन्हें क्या हुआ है कि

नमाज़ में अपने हाथों को बे करार घोड़ों की दुम की तरह उठा रहे हैं, नमाज़ में सुकून से रहो। (अलमोजम लिस्तिबरानी 2/284, हदीस 1709, 1797)

जैल में हम एक इजमाली फ़ेहरिस्त दर्ज करते हैं कि कितनी कुतुबे अहादीस में सलाम के वक़्त रफ़ेयदैन न करने और कितनी कुतुबे अहादीस में तकबीरे तहरीमा के सिवा मुतलक़न नमाज़ में रफ़ेयदैन न करने बल्कि सुकून के साथ नमाज़ अदा करने का ज़िक्र है। मुलाहज़ा फ़रमाये :-

वह कुतुबे अहादीस जिनमें तकबीरे तहरीमा के सिवा मुतलक़न नमाज़ में रफ़ेयदैन से मना फ़रमाया है।

1. मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा ख0 2 प्र0 370
2. मुसन्नफ़े अब्दुर्रज़ाक़ ख0 6 प्र0 252 हदीस न0 3252
3. अस्सुननुल कुबरा लिन्नसई ख0 प्र0 197 हदीस न0 552, 1107
4. अलमोज़मुल कबीर लिस्तिबरानी ख0 2 प्र0 284 हदीस न0 1795, 1797, 1798, 1800, 1801, 1822
5. मुस्तख़रज अबी अवाना ख0 3 प्र0 425 हदीस 1233, 1825, 1826, 1827, 1828
6. मुसनदे अबी याला ख0 15 प्र0 280 हदीस न0 7306, 7314
7. सही इब्ने हिब्बान ख0 8 प्र0 246 बाब सिफ़तिस्सलात हदीस न0 1878, 1879, 1910, 1911
8. मुसनदे अत्तयालसी ख0 2 प्र0 362 हदीस न0 815
9. मुश्किलुल आसार लिस्तिहावी ख0 13 प्र 137 हदीस न0 5178
10. जामेउल अहादीस ख0 19 हदीस न0 20281
11. अस्सुननुल कुबरा लिलबैहकी ख0 2 प्र0 362 बाबुल खुशू फ़िस्सलात हदीस न0 3335, 3336, 3661, 3663
12. सहीह मुस्लिम बाबुल अम्र बिस्सकून फ़िस्सलात हदीस न0 996, 119,
13. सुनने अबू दाऊद ख0 3 प्र0 333 हदीस न0 1002
14. मुसनदे अहमद हदीस न0 21447, 21550, 21554, 21619

वह कुतुबे अहादीस जिनमें सलाम के वक्त रफ़ यदैन् से मना किया गया है।

1. अस्सुननुल कुबरा लिन्नसई ख01 प्र0 354 हदीस न0 1108

2. सहीह इब्ने हिब्बान ख0 5 प्र0 198 हदीस न0 119

मैंने कुतुबे अहादीस में हज़रते जाबिर बिन समुरह रज़ियल्लाहों तआला अनहो की हदीसे मज़कूर को तलाश किया तो 14 कुतुबे अहादीस में हदीसे मज़कूर में तकबीरे तहरीमा के सिवा मुतलकन नमाज़ में रफ़ेयदैन् न करने और सकून इख्तियार करने का ज़िक्र है। लेकिन सलाम के वक्त की कैद के साथ रफ़ेयदैन् न करने की सराहत दो किताबों में मुझे मिली।

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहो अन्हो की हदीस में रफ़ेयदैन् न करने और नमाज़ में सुकून से रहने का हुक्म यह इशारह कर रहा है कि रफ़ेयदैन् करने का हुक्म मन्सूख़ हो चुका है। इमामे आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैहे के नज़दीक वह तमाम अहादीस जिनमें रफ़ेयदैन् करने का ज़िक्र है अगरचे उनमें कुछ अहादीस सहीह हैं फिर भी इसलिए काबिले अमल नहीं कि वह रफ़ेयदैन् न करने की अहादीस के मुकाबले में मन्सूख़ व मरजूह हैं। इसलिए उन्होंने रफ़ेयदैन् करने की अहादीस को काबिले अमल नहीं समझा। बरख़िलाफ़ इमामे शाफ़ई रहमतुल्लाहे अलैहे के कि उनके नज़दीक रफ़ेयदैन् करने की अहादीस ज़्यादा राजेह हैं वह मरजूह या मन्सूख़ नहीं। इसलिए उन्होंने रफ़ेयदैन् वाली अहादीस पर अमल किया। लेकिन इमामे शाफ़ई ने रफ़ेयदैन् न करने पर इमामे आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैह पर मुख़ालफ़ते हदीस का इलज़ाम नहीं लगाया, न ही रफ़ेयदैन् करने वालों को बुरा भला कहा। लेकिन फिरक़ये ग़ैर मुक़ल्लेदीन (वहाबियह) जो खुद को अहले हदीस कहता है वह न जाने क्यों इमामे आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैह को लान-तान करता है और उनपर सहीह हदीस की मुख़ालफ़त करने का इलज़ाम लगाता है। हालांकि इमामे अबू हनीफ़ा ताबेई हैं। उनका मुत्तबेये सुन्नत होना और उनका जुहदो तक़्वा मुसल्लम है। उन्हें जम्हूरे मुहद्देसीन ने सिक़ह हाफ़िज़ुल हदीस कहा है। आप इमामे बुख़ारी के उस्ताज़ के उस्ताज़ इमामे इब्ने मुबारक के उस्ताज़ हैं। आपके

नज़दीक रफ़ेय़दैन न करने के सुबूत पर सहीह अहादीस मौजूद हैं। लिहाज़ा आप पर मुख़ालफ़ते हदीस का इलज़ाम लगाना या तो जिहालत है या इनादो हटधरमी। अल्लाह तआला फिरक़ये वहाबिया ख़वारिजे ज़माना को हिदायत नसीब फ़रमाये । अमीन।

रफ़ेय़दैन न करने की बाइसवीं हदीस

मोहम्मद बिन अम्र इब्ने अता सहाबये किराम की एक जमाअत के साथ बैठे हुए थे वहां नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ का तज़क़िरा हुआ तो सहाबिये रसूल हज़रते अबू हुमैद साइदी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने फ़रमाया कि मैं तुममें सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ को याद रखने वाला हूँ। फिर अबू हुमैद साइदी रज़ियल्लाहो अन्हो ने फ़रमाया कि मैंने आंहुज़रत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा आप तकबीरे तहरीमा कहते वक़्त दोनों हाथों को दोनों शानों के मुक़ाबिल ले गये और जब रुकू किया तो दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर जमा दिया फिर अपनी पुश्त को झुका दिया, रुकू से सर उठाया तो सीधे खड़े हो गये और हड्डी का हर जोड़ अपनी जगह आ गया। फिर सजदा किया तो दोनों हाथों को ज़मीन पर रखा, हाथों को बिछाया नहीं, दोनों हाथों को पहलू से अलग रखा, दोनों क़दमों की उंगलियों को क़िबला की तरफ़ रखा, फिर जब दो रकअत पर बैठे तो बाये पैर पर बैठे और दाहिने को खड़ा किया। (बुख़ारी बाबो सुन्नतिल जुलूस फ़ित्शहहद ख0 1 प्र0 165 हदीस न0 828)

सहाबीये रसूल हज़रते अबू हुमैद साइदी रज़ियल्लाहो अन्हो ने एक जमाअते सहाबये किराम को मुतवज्जेह करते हुए पूरे एहतेमाम के साथ रसूले अकरम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ का तरीक़ा बताया कि आंहुज़रत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथों को उठाया। रुकू में जाते वक़्त रुकू से उठते वक़्त हाथों के उठाने का ज़िक़्र नहीं फ़रमाया। एक जमाअते सहाबह के सामने हज़रते अबू हुमैद साइदी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो का यह फ़रमाना कि मैं तुममें सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ को याद रखने वाला हूँ और फिर उनका सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के रफ़ेय़दैन को ज़िक़्र करना

और सहाबये किराम की जमाअत का उस वक़्त ख़ामोश रहना क्या इस बात की मज़बूत दलील नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ का तरीक़ा यही था कि आप सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेयदैन् फ़रमाते थे?

रफ़ेयदैन् न करने की तेइसवीं हदीस

इब्ने अबी शैबा ने फ़रमाया: हमसे हदीस बयान की इब्ने इदरीस ने उन्होंने आसिम बिन कुलैब से उन्होंने अपने वालिद से उन्होंने हज़रते वाइल बिन हज़र रज़ियल्लाहो अन्हो से उन्होंने फ़रमाया: मैं मदीना आया तो मैंने कहा मैं ज़रूर नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ देखूंगा, उन्होंने फ़रमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने तकबीर कही और दोनों हाथों को उठया मैंने आपके अंगूठे को आपके दोनों कानों के करीब देखा। (मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 1/1214, हदीस न0 2410) सुनने अबू दाऊद में भी हज़रत वाइल की रिवायत है, उसमें नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ का तरीक़ा ज़िक्र करते हुए सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेयदैन् का ज़िक्र है। (अबू दाऊद 1/193)

हज़रते वाइल इब्ने हज़र रज़ियल्लाहो अन्हो की इस हदीस में सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने रफ़ेयदैन् फ़रमाया। इसके अलावा कहीं रफ़ेयदैन् करना साबित होता तो हज़रत वाइल बिन हज़र रज़ियल्लाहो तअाला अन्हो ज़रूर बयान करते। क्योंकि वह आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के रफ़ेयदैन् को एहतेमाम के साथ बयान कर रहे हैं, और उसूल यह है कि किसी चीज़ को बयान करने की जगह पर बयान न करना उसके न होने की दलील है। लिहाज़ा इस हदीस में तकबीरे इफ़तेताह के सिवा नमाज़ के दूसरे मक़ामात में रफ़ेयदैन् का ज़िक्र न करना रफ़ेयदैन् के साबित न होने की दलील है।

रफ़ेयदैन् न करने की चौबीसवीं हदीस

हमसे हदीस बयान की अबूबक्र बिन अबी शैबा ने, उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की अब्दह इब्ने सुलैमान ने, उन्होंने हारिसा इब्ने अबिर्जाल से, उन्होंने अमरह से, उन्होंने फ़रमाया कि मैंने हज़रते आइशा रज़ियल्लाहो अन्हा से

पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम नमाज़ किस तरह पढ़ते थे? उन्होंने जवाब दिया: जब आप वुजू फ़रमाते तो अपना हाथ बरतन में डालते, बिस्मिल्लाह पढ़ते और पूरा वुजू फ़रमाते, फिर क़िबला की तरफ़ मुंह करके खड़े होते, तकबीरे तहरीमा कहते वक़्त कंधों तक दोनों हाथ उठाते, फिर रुकू करते वक़्त अपने हाथों को घुठने पर रखते और हाथों को फैलाते, फिर सर उठाते तो पीठ अपनी जगह पर आ जाती। तुम्हारे इस क़ियाम से कुछ लम्बा क़ियाम होता था, फिर सजदा करते। (सुनने इब्ने माजा 1/75)

हज़रते आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहो तआला अन्हा से हुजूर नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ का तरीका पूछे जाने पर आपने नमाज़ का तरीका बताया तो सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेयदैन् का ज़िक्र फ़रमाया। अगर ग़ैर मुक़ल्लेदीन् के कहने के मुताबिक़ रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन् ज़रूरी होता तो हज़रते आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहो तआला अन्हा उसको ज़रूर बयान फ़रमातीं।

सनदे हदीस:

हदीसे मज़कूर की सनद हसन है। इसके तमाम रावी सिक़ह सदूक़ हैं। इब्ने इबी शैबा बुख़ारी, मुल्सिम के उस्ताज़ हैं, अबदह इब्ने सुलैमान सिहाहे सित्ता के रावी हैं, हारिसा इब्ने अबिर्रज़ाल के सदूक़ व आदिल होने में किसी का इख़िलाफ़ नहीं, बाज़ नाक़ेदीने हदीस ने उनके हाफ़िज़ा में कलाम किया है। हाकिम ने फ़रमाया कि इमामे मालिक हारिसा से राज़ी नहीं थे लेकिन उनके मुआसिरीन् अइम्मये हदीस उनसे राज़ी थे।

इब्ने सअद ने लिखा है:

“हारिसा इबादत गुज़ार और साहिबे रिवायत थे। मदीने में 148 हि0 में वफ़ात पाई, क़लीलुलहदीस थे लेकिन सबत (मज़बूत) थे।

इमामे तिरमिज़ी और अबू अली तोसी ने उनकी हदीस तख़रीज करने के बाद लिखा है: उनके हाफ़िज़ा में कलाम किया गया है।

इजली ने कहा: उनमें कोई ऐब नहीं। (इक़माल तहज़ीबुलक़माल 3/334)

इमामे बुखारी और बाज़ मोहद्वेसीन ने उन्हें मुनकिरुल हदीस लिखा है। इसका यह मतलब नहीं कि हारिसा इब्ने अबिर्जाल की कोई रिवायत मकबूल नहीं। उनकी बाज़ रिवायात मुनकर हैं और किसी रावी की बाज़ रिवायात मुनकर होने से उसकी हर रिवायत का नामकबूल होना लाज़िम नहीं।

अमरह बिनते अब्दुर्रहमान इब्ने साद अंसारियह (वफ़ात: 98 या 106 हि०) हज़रते आइशा रज़ियल्लाह तआला अन्हा की परवरदह और उनकी तिलमीज़ थीं, मदनी फ़कीह ख़ातून थीं। उनके वालिद सहाबी और दादा अकाबिरे सहबा में से थे। इमामे ज़हबी ने फ़रमाया: "सिक्ह, हुज्जत, कसीरुल इल्म और ख़ैर वाली थीं।

रफ़ेयदैन् न करने की पच्चीसवीं हदीस

इमामे अहमद इब्ने हम्बल ने फ़रमाया: हमसे हदीस बयान की अबुन्नज़्ज़ ने, उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की अब्दुल हमीद इब्ने बहराम फ़ज़ारी ने, उन्होंने शहर बिन हौशब से, उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की अब्दुर्रहमान इब्ने ग़नम ने कि अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहो अन्हो ने अपनी कौम (अशअरी) को जमा करके फ़रमाया: अशअरियो! जमा हो जाओ और अपनी औरतों और बच्चों को भी जमा कर लो ताकि मैं तुम्हें नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ बताऊँ जो आहज़रत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम हमें मदीनये मुनव्वरह में पढ़ाया करते थे। सबसे पहले मरदों ने सफ़ बांधी, फिर बच्चों ने, फिर ओरतों ने, फिर किसी नमाज़ के लिए इक़ामत कही गई। आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेयदैन् किया, फिर सूरये फ़ातेहा और एक सूरत आहिस्ता पढ़ी, फिर तकबीर कहकर रुकू किया और 'सुबहान व बेहमदिही' तीन बार कहा, फिर 'समेअल्लाहो लेमन हमेदह' कहकर सीधे खड़े हो गये। फिर तकबीर कहकर सजदा किया, फिर तकबीर कहकर खड़े हुए। आपकी तकबीरें पहली रकअत में छः हो गईं। जब दूसरी रकअत के लिए खड़े हुए तो तकबीर कही। जब नमाज़ पढ़ चुके तो लोगों की तरफ़ मुंह करके फ़रमाया: मेरी तकबीरों को याद कर लो और मेरे रुकू व सुजूद को सीख लो। यह हज़रते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे

वसल्लम की दिन की नमाज़ है जो आपने हमें पढ़ाई थी। (मुसनदे अहमद 5/112)

हज़रते अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाह तआला अन्हो ने अपनी कोम को जमा करके पूरे एहतेमाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ का तरीका बयान फ़रमाया। अगर आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ के तरीके में रफ़ेयदेन बतौर दाइमी सुन्नत साबित होता तो हज़रते अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाह तआला अन्हो उसको ज़रूर करके दिखाते।

सनदे हदीस: हदीसे मज़कूर की सनद सहीह है।

हदीसे मज़कूर के रावियों के हालात

अबुन्नज़र इसहाक बिन इब्राहीम (वफ़ात: 237 हि0): बुख़ारी, अबूदाऊद और निसई के रावी हैं। सिक़ह सदूक हैं। अब्दुल हमीद इब्ने बहराम फ़ज़ारी मदाइनी, शहर बिन हौशब के शागिर्द हैं। इमामे दाऊद वग़ैरह ने इन्हें सिक़ह कहा। यहया बिन मईन ने सिक़ह कहा। निसई ने कहा: इनमें कोई ऐब नहीं। अबूहातिम ने कहा: शहर बिन हौशब से उनकी अहादीस सही हैं। इमामे अहमद इब्ने हम्बल ने फ़रमाया: शहर बिन हौशब की रिवायत में वह मुकारेबुल हदीस (मक़बूल) हैं। ज़हबी ने कहा: शहर बिन हौशब ने एक उम्दह नुस्ख़ये अहादीस का सिमा किया है। (सियरे आलामुन्नुबला 7/334)

शहर बिन हौशब: (वफ़ात: 112 हि0): अकाबिरे ताबेईन में से थे। हज़रते अबूहुरैरह, अबूसईद खुदरी, जुन्दुब इब्ने अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह इब्ने अम्र से सिमा किया है और हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से कुरआन पढ़ा है। जम्हूरे मोहद्देसीन के नज़दीक सिक़ह, सबत हैं। (सियरे आलामुन्नुबला 4/372)

अब्दुर्रहमान इब्ने ग़नम अशअरी (वफ़ात: 78 हि0): बइत्तेफ़ाके अकाबिर ताबेईन में से थे। इनके सहाबी होने में इख़्तिलाफ़ है। सादिक, फ़ाज़िल और अज़ीमुल मरतबत थे। उनसे शाम के फ़ुक्हाये ताबेईन ने इल्मे फ़िक्ह हासिल किया है। हज़रते मआज़ इब्ने जबल, उमर इब्ने ख़त्ताब, अबूज़र ग़िफ़ारी, अबू मालिक अशअरी और अबुद्दरदा वग़ैरहुम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम से सिमाये हदीस किया है। (सियरे आलामुन्नुबला 4/45)

मालूम हुआ कि हज़रते अबू मालिक अशअरी की यह हदीस सही है। इसमें हुजुरे अकरम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ को एहतेमाम के साथ ज़िक्र किया है और इसमें सिर्फ़ तकबीरे इफ़तेताह के वक़्त रफ़ेयदैन् करने का ज़िक्र है जो तरके रफ़ेयदैन् के सुन्नत होने की दलील है।

रफ़ेयदैन् न करने की छब्बीसवीं हदीस

सालिम अल-बर्बाद ने कहा: हम हज़रते अबू मसऊद अन्सारी रज़ियल्लहो तआला अन्हो के पास आए, हमने उनसे नमाज़ के बारे में सवाल किया, आपने फ़रमाया: क्या तुम्हें वह नमाज़ न पढ़ाऊँ जो रसूलुल्लाह सल्लाहो अलैहे वसल्लम पढ़ा करते थे? फिर हज़रते अबू मसऊद रज़ियल्लाहों तआला अन्हो खड़े हुए तकबीरे तहरीमा कहते वक़्त रफ़ेयदैन् किया, फिर रुकू किया, रुकू में दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखा, अपने बाजुओं को पहलू से अलग रखा, फिर इस तरह खड़े हुए कि हर जोड़ अपनी जगह पर आ गया। इसी तरह आपने चार रकअत पूरी फ़रमाई। (मुसनदे अहमद 4/105)

हज़रते अबू मसऊद अन्सारी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रसूलुल्लाह सल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ का तरीका पूछा गया तो आपने नमाज़ पढ़कर दिखाई और सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेयदैन् किया। अगर रफ़ेयदैन् आपकी सुन्नते दाइमा होती तो उसको ज़रूर ज़िक्र फ़रमाते।

रफ़ेयदैन् न करने की सत्ताइसवीं हदीस

हज़रते अब्बाद बिन जुबैर रज़ियल्लहो तआला अन्हो की हदीस ख़िलाफ़ियाते बैहकी में है:—

हज़रते अब्बाद इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लह सल्लाहो अलैहे वसल्लम जब नमाज़ शुरू करते थे तो दोनों हाथों को नमाज़ के शुरू में उठाते थे फिर नमाज़ से फ़ारिग़ होने तक कहीं हाथों को न उठाते थे। (ख़िलाफ़ियाते बैहकी बहवालये अदिराया 1/152)

रफ़ेयदैन् न करने पर आसारे सहाबये किराम
 (खुलफ़ाये राशेदीन् के अमल से रफ़ेयदैन् न करने का सुबूत)
 हज़रते अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रफ़ेयदैन् नहीं
 करते थे

ख़लीफ़ये अब्बल हज़रते अबूबक्र सिददीक़ रज़ियल्लाहो तआला
 अन्हो के पीछे हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो
 ने नमाज़ पढ़ी तो हज़रते अबूबक्र सिददीक़ ने सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के
 वक़्त रफ़ेयदैन् किया। (सुनने दारे कुल्ती प्र० 111, हदीस न० 1144)

एतेराज़: इस हदीस की रिवायत में मोहम्मद बिन जाबिर तन्हा हैं और वह
 ज़ईफ़ हैं।

जवाब: मोहम्मद बिन जाबिर सद्क़ हैं। उनकी यह रिवायत सिक्कह
 रावियों के ख़िलाफ़ नहीं।

उनके बारे में इब्ने अदी ने कहा: मोहम्मद बिन जाबिर से अकाबिर
 मोहद्देसीन् ने अहादीस रिवायत की हैं। अगर मोहम्मद बिन जाबिर इस
 मरतबे में न होते तो वह मोहद्देसीन् उनसे रिवायत न करते। बावुजूद
 इसके कि बाज़ लोगों ने उनकी बाज़ अहादीस की मुख़ालफ़त की है
 और उनपर कलाम किया है, उनकी हदीस लिखी जाती है।
 (अलकौक़बुन्नय्येरात लेइब्निल कय्याल ख० 1 प्र० 495)

इब्ने अबी हातिम ने कहा: मेरे वालिद अबू हातिम से मोहम्मद बिन
 जाबिर और इब्ने लहया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि
 मोहम्मद बिन जाबिर मेरे नज़दीक़ इब्ने लहया से ज़्यादा महबूब हैं।
 (अल-जरह वत्तादील ख० 7 प्र० 219)

मोहम्मद बिन जाबिर की यह रिवायत सिक्कह रावियों के ख़िलाफ़ न
 होने की वजह से मक़बूल है। इसकी ताईद में मरफू और मौकूफ़
 अहादीस होने की वजह से यह हदीस हसन के दर्जे में है।

हज़रते उमर रफ़ेयदैन् नहीं करते थे

हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने हज़रते
 उमरे फ़ारुक़ रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के पीछे नमाज़ पढ़ी तो हज़रते

उमरे फ़ारुक़ रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त दोनों हाथों को उठाया।

रिवायत के अलफ़ाज़ यह हैं: हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है फ़रमाया कि मैंने नबीये करीम सल्लाहो अलैहे वसल्लम, अबूबक्र और उमर रज़ियल्लहो तआला अन्हुमा के पीछे नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने सिर्फ़ तकबीरे इफ़तेताह (तकबीरे तहरीमह) के वक़्त दोनों हाथों को उठाया। (दार कुत्नी ख0 1 प्र0 111, हदीस न0 1144)

हज़रते असवद का बयान है कि मैंने हज़रते उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को देखा उन्होंने पहली तकबीर के वक़्त हाथों को उठाया फिर दोबारा नहीं उठाया।

रिवायत के अलफ़ाज़ यह हैं:

मैंने (हज़रते असवद ने)हज़रते उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को देखा उन्होंने पहली तकबीर के वक़्त दोनों हाथों को उठाया फिर दोबारा नहीं उठाया।

(शरहे मअनियुल आसार लिलइमामित्तहावी किताबुस्सलात बाबुत्तकबीरात)

इमामे तहावी ने इसकी सनद यह पेश की है:

हमसे हदीस बयान की हमानी ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की यहया इब्ने आदम ने उनहोंने हसन इब्ने अय्याश से वह अब्दुल मलिक इब्ने अबहर से वह जुबैर इब्ने अदी से वह इब्राहीम से वह असवद से असवद ने कहा कि मैंने हज़रते उमर रज़ियल्लाहो अन्हो को देखा उन्होंने तकबीर के वक़्त रफ़ेयदैन किया फिर (पूरी नमाज़ में)दोबारा रफ़ेयदैन नहीं करते थे।

इस हदीस के बारे में इमामे तहावी ने फ़रमाया: यह सही हदीस है। (शरहे मअनियु आसार 1 / 227)

हाफ़िज़ इब्ने हजर असक़लानी ने फ़रमाया: इस हदीस के सब रावी सिक़ह हैं। (अदिराया प्र0 152)

अल्लामा इब्ने अत्तुरकमानी ने लिखा: यह सनद भी सही शर्तें मुसलिम पर है। (अलजौहरुन्नी ख0 2 प्र0 75)

अहले हदीस का एतेराज: शैख मुबारकपुरी ने "अबकारुल मिनन" में इस हदीस पर यह एतेराज किया है कि इस सनद में इब्राहीमे नखई मुदल्लिस रावी हैं और उन्होंने "अन" से रिवायत की है। और मुदल्लिस की रिवायत अन के साथ मकबूल नहीं।

एतेराज का जवाब: गैर मुकल्लेदीन अहनाफ़ पर एतेराज करते वक्त जोश में अपना होश खो बैठते हैं। मुबारकपुरी साहब को एतेराज करते वक्त यह ख्याल नहीं रहा कि इब्राहीमे नखई सही बुखारी के रावी हैं। बुखारी में उनकी अहादीस डेढ़ सै से जायद अहादीस लफ़्जे "अन" के साथ हैं। क्या इब्राहीमे नखई की वह सारी अहादीस बुखारी शरीफ़ में जईफ़ हैं? अगर नहीं तो इब्राहीमे नखई की यह रिवायत "अन" के साथ जईफ़ क्यों? इसलिए कि इससे अहनाफ़ का मौकिफ़ साबित होता है? जो तुम्हारा जवाब होगा वही हमारा जवाब होगा।

इब्ने अबी शैबा ने इस हदीस को अपनी सनद के साथ यूँ ज़िक्र किया है:

हमसे यहया इब्ने आदम ने हदीस बयान की उन्होंने हसन इब्ने अय्याश से उन्होंने अब्दुल मलिक इब्ने अबहर से उन्होंने जुबैर इब्ने अदी से उन्होंने इब्राहीम से उन्होंने असवद से उन्होंने कहा मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के साथ नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने नमाज़ में तकबीरे इफ़तेताह के सिवा कहीं पे रफ़ेयदैन् नहीं किया। (मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 1/237)

हज़रते अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रफ़ेयदैन् नहीं करते थे

कुलैब अलजरमी जो हज़रते अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के असहाब में से थे उनका बयान है कि हज़रते अली रज़ियल्लाहो तआला अनहो सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक्त हाथों को उठाते थे और पूरी नमाज़ में कहीं ऐसा नहीं करते थे।

इमामे मोहम्मद ने फ़रमाया: हमें ख़बर दी अबूबक्र इब्ने अब्दुल्लाह नहशली ने उन्होंने आसिम बिन कुलैब अल जरमी से उन्होंने अपने वालिद से और वह हज़रते अली बिन अबूतालिब के असहाब में से थे, वह नमाज़ शुरू करते वक्त पहली तकबीर में दोनों हाथ उठाते थे फिर

नमाज़ के किसी हिस्से में नहीं उठाते थे। (मोअत्ता इमामे मोहम्मद 1/118, बाब 33 हदीस न० 109)

हुक्मे हदीस: यह हदीस सही है।

इमामे इब्ने अबी शैबा इसकी रिवायत यूँ बयान करते हैं:

आसिम बिन कुलैब अलजरमी अपने वालिद से रिवायत करते हैं और उनके वालिद हज़रते अली के असहाब में से थे। उनके वालिद का बयान है कि हज़रते अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो सिर्फ़ नमाज़ शुरू करते वक़्त दोनों हाथों को उठाते थे फिर पूरी नमाज़ में कहीं रफ़ेय़दैन् नहीं करते थे। (प्र० 95)

इस हदीस की सनद के तमाम रावी सही बुख़ारी व मुसलिम के हैं। लिहाज़ा इसके सही होने में अहले हदीस को भी कलाम नहीं होना चाहिए। (मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 1/213, हदीस न० 2440)

वकी: बुख़ारी व मुसलिम के रावी हैं। उनके हालात गुज़र चुके।

अबूबक्र बिन अब्दुल्लाह नहशली: सही मुसलिम के रावी हैं। उन्हें इमामे अहमद, यहया इब्ने मईन और अजली ने सिक्कह कहा है।

इमामे जहबी ने कहा: वह हसनुल हदीस सद्क़ हैं। (मीज़ानुल एतेदाल ख० 4 प्र० 996)

हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रफ़ेय़दैन् नहीं करते थे

मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा हदीस 2452 में हज़रते मुजाहिद से मरवी है कि हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो तकबीरे इफ़तेताह के सिवा नमाज़ में कहीं रफ़ेय़दैन् नहीं करते थे। इमामे तहावी (मौत: 321 हि०) ने फ़रमाया कि हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो का रफ़ेय़दैन् न करना इस बात की दलील है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को देखा था कि आपने रफ़ेय़दैन् तर्क़ फ़रमा दिया था। लिहाज़ा यह उसके उन्सूख़ होने की दलील है। (शरहे मिश्कातुल आसार 10/35)

इमामुल मोहदेसीन इमामे तहावी ने अपनी सनद के साथ ज़िक्र किया:

हमसे हदीस बयान की इब्ने अबू दाऊद ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की अबूबक्र इब्ने अय्याश ने उन्होंने हुसैन से उन्होंने मुजाहिद से, मुजाहिद ने कहा : मैंने इब्ने उमर रजियल्लाहो अन्हो के पीछे नमाज़ मढ़ी, आप सिर्फ़ नमाज़ के तकबीरे ऊला में रफ़ेयदैन् करते थे। (शरहे मज़ानिल आसार 1/163)

इब्ने अबी दाऊद के सिवा इस सनद के सब रावी सही बुख़ारी के हैं। और इब्ने अबी दाऊद को इब्ने हज़र असक़लानी ने हुपफ़ाज़े हदीस में शुमार किया है। (लिसानुल मीज़ान 1/276)

हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजियल्लाहो तआला

अन्हो के नज़दीक़ रफ़ेयदैन् की अहादीस मन्सूख़ हैं

शारेहे बुख़ारी, मोहदिसो फ़कीह अल्लामह बदरुद्दीन ऐनी ने हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजियल्लाहो तआला अन्हो की यह रिवायत नक़ल की है:

हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने एक आदमी को रुकू करते और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन् करते हुए देखा तो उससे फ़रमाया कि तुम यह न करो क्योंकि इस चीज़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने किया था फिर उसे तर्क कर दिया। (उम्दतुल कारी 2/7)

ग़ैर मुक़ल्लिद सिद्दीक़ हसन के बकौल रफ़ेयदैन् मन्सूख़ है

ग़ैर मुक़ल्लेदीन के इमाम नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ां भोपाली ने लिखा: रफ़ेयदैन् करने और न करने में आख़री फ़ैल रफ़ेयदैन् न करना है और तर्क का ज़माना मालूम नहीं। हो सकता है कि आप सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने मर्जे वफ़ात के ज़माने में तर्क किया हो। (अरौज़तुन्नदियह मुलख़्ख़सन प्र0 95)

हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहो तआला

अन्हो रफ़ेयदैन् नहीं करते थे

मोहदिस इब्ने अबी शैबा ने यह रिवायत ज़िक़्र की है: हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहो तआला अन्हो ने फ़रमाया कि सिर्फ़ सात जगहों में

हाथ बुलन्द किए जायेंगे। नमाज़ शुरू करते वक़्त, बैतुल्लाह शरीफ़ देखते वक़्त, सफ़ा व मरवह पर, अरफ़ात में, मुज़दलेफ़ा और रमिये जिमार के वक़्त। (मुसन्फ़े इब्ने अबी शैबा 1/214, हदीस न० 2450)

अशरये मुबश्शरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम रफ़ेयदैन् नहीं करते थे

अशरये मुबश्शरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम यानी वह दस सहाबये किराम जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने दुनिया ही में जन्मत की खुशख़बरी दी है वह भी नमाज़ में सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेयदैन् करते थे। वह दस सहाबये किराम यह हैं। हज़रते अबूबक्र सिद्दीक़, हज़रते उमरे फ़ारूक़, हज़रते उसमाने ग़नी, हज़रते अली मुरतज़ा, हज़रते तलहा इब्ने उबैदुल्लह, हज़रते जुबैर इब्ने अब्बाम, हज़रते अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़, हज़रते सअद बिन अबी वक्कास, हज़रते सईद इब्ने जैद और हज़रते अबूउबैदह इब्ने अलजर्राह रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम।

शारेहे बुख़ारी अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाहे अलैहे ने फ़रमाया: वह दस हज़रात जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने जन्मत की खुशख़बरी सुनाई है वह नमाज़ में सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथों को उठाते थे। (उम्दतुलक़ारी 5/272, बदाये अस्सनाये 1/207)

हज़रते अबूहुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रफ़ेयदैन् नहीं करते थे

इमामे मालिक फ़रमाते हैं कि मुझे नुऐम मुजमर क़ारी ने ख़बर दी कि हज़रते अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो उन्हें नमाज़ पढ़ाते थे तो हर बार उठते और झुकते वक़्त तकबीर कहते और हाथों को तकबीरे इफ़तेताह के वक़्त उठाते थे। (मोअत्ता इमामे मोहम्मद 90, किताबुल हज्ज अला अहलिल मदीना 1/95)

उनके अलावह कसीर सहाबये किराम से रफ़ेयदैन् न करना साबित है।

इमामे तिरमिजी ने फ़रमाया: रफ़ेयदैन न करने के कायल नबीये करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम् के कसीर अहले इल्म सहाबये किराम हैं। (सुननुत्तिरमिजी 2/240, हदीस 257)

वह ताबेईन किराम जो रफ़ेयदैन नहीं करते थे

इब्राहीम इब्ने यज़ीद इब्ने उमर व नख़ई (मौत: 95 या 96 हि0) रफ़ेयदैन नहीं करते थे।

इमामे ज़हबी ने फ़रमाया कि वह जलीलुल क़द्र ताबेई, फ़कीह, सिक्ह, मोहदिस और उलमा के सरदार थे। (अलकाशिफ़ तरजमा 22)

इमामे नख़ई खुद नमाज़ में रफ़ेयदैन नहीं करते थे और दूसरों को उससे मना फ़रमाते थे।

मोहदिस इमामे इब्ने अबी शैबा ने यह रिवायत ज़िक्र की है: हज़रते इब्राहीमे नख़ई फ़रमाते थे कि जब तुम नमाज़ में तकबीरे तहरीमा कहो तो दोनों हाथों को उठाओ फिर बाकी नमाज़ में हाथों को न उठाओ। (मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 1/264)

रावियों के हालात

हज़रते हैसुम: बुख़ारी व मुसलिम के रावी हैं।

इमामे इब्ने हिब्बान ने उन्हें सिक्कात में ज़िक्र करते हुए तहरीर फ़रमाया है कि हैसुम इब्ने अबी सासान अबू अली कूफी तबये ताबेईन में से थे। (अस्सिक्कात 7/569)

हज़रते हुसैन: बुख़ारी व मुसलिम के रावी हैं, तबये ताबेईन में से थे, उनका शुमार अहले कूफ़ा में होता था, इमामे इब्ने हिब्बान ने उन्हें सिक्कात में ज़िक्र किया है और इमामे ज़हबी ने फ़रमाया कि वह जाइजुल हदीस हैं। (अस्सिक्कात 9/169, अलकाशिफ़ तरजमा 5584)

इमामे आमश ने उन्हें इल्मे हदीस का सर्राफ़ (ख़ूब जानने वाला) कहा। (तबकातुल हुफ़ाज़)

हज़रते इब्राहमे नख़ई की रिवायते मज़कूरह के सब रावी सिक्ह मोतबर हैं। सब बुख़ारी व मुसलिम के रावी हैं। अलावह अज़ी इमामे इब्ने

शेबा ने रिवायते मज़कूरह को दर्ज जैल असनाद के साथ भी ज़िक्र किया है:

अबूबक्र इब्ने अय्याश हुसैन व मुगीरह से वह इब्राहीम से (रिवायत करते हैं कि) उन्होंने कहा तुम अपने दोनों हाथों को नमाज़ में सिर्फ़ पहली तकबीर, तकबीरे इफ़तेताह के वक़्त उठाओ।

हज़रते अबूबक्र इब्ने अय्याश:

इमामे इब्ने हिब्वान ने लिखा कि अबूबक्र इब्ने अय्याश तबये ताबेईन और कूफ़ा के इबादत गुज़ार लोगों में से थे। 192 हि0 में वफ़ात हुई (अस्सिकात 7/668)

अबू हातिम राजी ने फ़रमाया कि अबूबक्र इब्ने अय्याश और शुरैक नख़ई का हाफ़िज़ा बराबर था। (अल-काशिफ़ 6553)

अबूबक्र इब्ने अय्याश भी बुख़ारी के रावी हैं। शुरैक आख़िरी उम्र में सूए हिफ़ज़ का शिकार हुए थे। यही हाल अबूबक्र इब्ने अय्याश का था। लेकिन अबूबक्र इब्ने अय्याश शुरैक की तरह सद्क़, सिक़ह थे और इमामे अहमद इब्ने हम्बल ने फ़रमाया कि इमामे इब्ने हज़र असक़लानी ने फ़रमाया कि अबूबक्र इब्ने अय्याश सच्चे, काबिले एतेमाद और जाहिद थे। बुढ़ापे में उनका हाफ़िज़ा बिगड़ गया था और उस हाल में कभी-कभी ग़लती करते थे लेकिन उनकी कुतुबे अहादीस सही हैं। ऐसे रावी की रिवायत हसन बल्कि मुतअद्दिद तुरुक़ की बुनियाद पर 'सही लेग़ैरेही' भी हो जाती है। बाकी रावी हुसैन, मुगीरह और इब्राहीम के हालात गुज़िश्ता सफ़हात में मुलाहज़ा फ़रमा लें।

हज़रते ख़ैसुमा रफ़ेयदैन नहीं करते थे

हज़रते ख़ुसैमह और इब्राहीमे नख़ई सिर्फ़ नमाज़ की इब्तिदा में अपने दोनों हाथों को उठाते थे। (मुसन्नफ़े इब्ने अबी शेबा 1/214, हदीस न0 2448)

अबूबक्र इब्ने अय्याश: सिक़ह, आबिद और जाहिद थे। हालात पिछले सफ़हात में देखें।

हज्जाज बिन आसिम: तबये ताबेईन, अहले कूफ़ा में से मोहदिस, फ़कीह और कूफ़ा के काज़ी थे। (अस्सिकात 6/105)

इब्ने हज़र असक़लानी व ज़हबी ने कहा कि उनकी अहादीस लेने में कोई हरज नहीं। (अत्तक़रीब तरजमा 1249, अल-काशिफ़ तरजमा)

तलहा: अबू हम्माद कूफ़ी तबये ताबेईन में से थे।

इमामे इब्ने हिब्बान ने उन्हें सिकात में ज़िक्र किया है। (अस्सिकात 6/489)

ख़ैसुमा जोफ़ी कूफ़ी: ताबेईन में से थे। इमामे ज़हबी ने उन्हें इमामे सिक़ह लिखा। फ़य्याज़ और उलमा नवाज़ थे। वरासत में दो हज़ार दीनार मिले थे, सबको उलमा पर खर्च कर दिया था। (अल-काशिफ़ तरजमा: 1428)

इमामे इब्ने अबी शैबा ने हज़रते इब्राहीमे नख़ई की रिवायत को चार सनदों के साथ ज़िक्र फ़रमाया है, जिन पर कोई कलाम नहीं और सारे रावी सिक़ह, सद्क़ मोतबर हैं।

हज़रते कैस (मौत: 84 या 86 हि०) रफ़ेयदैन नहीं करते थे

कैस इब्ने अबी हाज़िम औफ़ बिन हारिस कूफ़ी ताबेईन में से थे। इमामे इब्ने हज़र ने उन्हें सिक़ह लिखा। इमामे ज़हबी ने लिखा कि अकाबिरे ताबेईन में से थे। सिर्फ़ छः दिनों के फ़ासले ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की ज़ियारत से शरफ़याब होने का मौक़ा न दिया। (अल-काशिफ़ तरजमा 4856)

इब्ने मईन ने उन्हें सिक़ह कहा। इस्माईल इब्ने ख़ालिद ने सबत कहा। मुआविया इब्ने सालेह ने लिखा कि कैस जुहरी से ज़्यादा सिक़ह थे। ज़हबी ने कहा कि उनके काबिले हुज्जत होने पर इजमा है। जिसने उन पर कलाम किया है खुद को मुसीबत में डाला। (अल-इग़तिबात, लेमन रमा मिनरूवात बिलइख़ोलात)

हज़रते कैस भी सिर्फ़ तकबीरे इपतेताह के वक़्त रफ़ेयदैन करते थे, उसके सिवा पूरी नमाज़ में कहीं रफ़ेयदैन नहीं करते थे।

इमामे इब्ने अबी शैबा ने उनकी रिवायत को दर्ज जैल सनद के साथ जिक्र किया है:

हमसे हदीस बयान की यहया इब्ने सईद ने वह रिवायत करते इस्माईल से उन्होंने कहा कि हज़रते कैस (जलीलुल क़द्र ताबेई) नमाज़ शुरू करते वक़्त रफ़ेयदैन् करते थे फिर पूरी नमाज़ में रफ़ेयदैन् नहीं करते थे। (मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 1/214, उल लोगों का बाब जो अपने दोनों हाथों को अब्बले तकबीर में उठाते थे फिर नहीं उठाते थे, हदीस न० 2449)

रावियों के हालात

यहया इब्ने सईद: यहया इब्ने सईद क़त्तान (वफ़ात: 198 हि०)

शुयूख़: सलमाने तैमी, हिशाम इब्ने उरवह, आमश और इस्माईल इब्ने अबी ख़ालिद वग़ैरह।

तलामिज़ह: सुफ़यान, शोबा, अब्दुर्रहमान इब्ने मेहदी, मुसद्द और अबूबक्र बिन अबी शैबा वग़ैरह। (सियरो आलामिन्नुबला 9/176)

ज़हबी ने उन्हें अमीरुल मोमेनीन फ़िल हदीस कहा।

इमामे अहमद इब्ने हम्बल ने कहा कि मेरी आंखों ने यहया बिन सईद क़त्तान की तरह किसी को नहीं देखा।

यहया बिन मईन ने कहा कि मुझसे अब्दुर्रहमान बिन मेहदी ने कहा कि तुम्हारी आंखों ने यहया बिन सईद की तरह किसी को नहीं देखा होगा।

अली बिन मदीनी ने कहा कि मैंने यहया बिन सईद से बढ़कर रिजाल का आलिम नहीं देखा।

इब्ने खुज़ैमा ने कहा कि मैंने बुन्दार को कहते हुए सुना कि मैंने यहया बिन सईद के पास बीस साल आना जाना किया, मैं नहीं समझता कि उन्होंने कभी किसी चीज़ में अल्लाह की नाफ़रमानी की हो।

इब्ने अवाना ने कहा कि अगर तुम हदीस का इल्म हासिल करना चाहते हो तो यहया क़त्तान को लाज़िम पकड़ लो।

इब्ने सईद ने कहा कि यहया सिक्ह, मामून, बुलन्द रुतबा और हदीस में हुज्जत थे। (सियरे आलामुन्नुबला 9/180)

तमाम नाक़ेदीने हदीस के नज़दीक यहया बिन सईद क़त्तान सिक्ह, आदिल और हुज्जत फ़िल हदीस थे, किसी ने उनपर जिरह नहीं की है।

इस्माईल बिन अबी ख़ालिद: वालिद का नाम हिरमुज़ या सअद था।
(वफ़ात: 146 हि०)

शुयूख़: इस्माईल बिन अब्दुर्रहमान सुदी, अशअस बिन अबी ख़ालिद, हकीम बिन जाबिर अहमसी, जुबैर बिन अदी और कैस बिन अबी हाज़िम वग़ैरह।

तलामिज़ा: इब्राहीम बिन हमीद रवासी, जरीर बिन अब्दुल हमीद, जाफ़र बिन औन, हफ़स बिन गयास, हक़म बिन उतैबा, सुफ़याने सौरी, सुफ़यान बिन उयैना, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक और अबू मुआविया मोहम्मद बिन ख़ाज़िम अज़्ज़रीर वग़ैरह।

जरह व तादील: अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने कहा कि हुपफ़ाज़े हदीस तीन हैं 1. इस्माईल बिन अबी ख़ालिद 2. अब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान 3. यहया बिन सईद अन्सारी। वह शाबी की रिवायत को सबसे ज़्यादा जानने वाले और उनकी रिवायत में सबसे ज़्यादा मज़बूत थे।
(तहज़ीबुल कमाल 3/73)

मरवान बिन मुआविया ने कहा: इस्माईल को इल्मे हदीस की मीज़ान कहा जाता था।

अहमद इब्ने हम्बल ने कहा कि शाबी की सबसे ज़्यादा सही अह्दादीस इब्ने अबी ख़ालिद के पास थीं

अब्दुर्रहमान बिन मेहदी, इब्ने मईन और निसई ने सिक्ह कहा।

याकूब बिन शैबा ने सिक्ह सबत कहा। (सियरो आलामिन्नुबला 3/74)

साबित हुआ कि यह रिवायत सही है। जलीलुल क़द्र ताबेई हज़रते कैस बिन अबू हाज़िम नमाज़ में तकबीरे तहरीमा के सिवा कहीं रफ़ेय़दैन नहीं करते थे।

हज़रते आमिर शाबी रफ़ेयदैन नहीं करते थे

हज़रते आमिर इब्ने शरहबील इब्ने अब्दुशशाबी (मौत: 109 हि0) कूफ़ा के रहने वाले जलीलुल क़द्र ताबेई थे। एक सौ पचास सहाबये किराम से अहादीस सुनीं। अज़ीम फ़कीह और शायर थे।

इमामे हज़र असकलानी ने फ़रमाया कि वह सिकह, मशहूर फ़कीह और फ़ाज़िल थे।

इमामे ज़हबी ने फ़रमाया कि शाबी का कौल है कि मैंने पांच सौ सहाबये किराम से मुलाकात की है, मैंने अपनी बयाज़ में जो कुछ लिखा और जो हदीस भी सुनी है उसे महफूज़ रखा है।

मकहूल फ़रमाते हैं कि मैंने शाबी से बड़ा फ़कीह किसी को नहीं देखा।

और एक ने कहा कि आमिर शाबी अपने ज़माने में हज़रते इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की तरह थे। (अस्सिकात 5/185, अत्तक़रीब तरजमा: 3417, अलकाशिफ़ तरजमा 2531)

कारइने किराम! ग़ौर फ़रमायें अगर रफ़ेयदैन न करना सुन्नते रसूल और सुन्नते सहाबा के ख़िलाफ़ होता तो इमामे आमिर शाबी रहमतुल्लाहे अलैहे जो अपने ज़माने में हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की तरह मुजतहिद, फ़कीह थे उन्होंने 500 सहाबये किराम से मुलाकात की थी और 150 सहाबये किराम से अहादीस सुनी थीं जिनमें से चन्द हज़रात के नाम यह हैं:

उसामा इब्ने ज़ैद इब्ने हारिसा, अशअस इब्ने केस कन्दी, अनस इब्ने मालिक, बरा इब्ने आज़िब, बुरैदा इब्ने हुसैन असलमी, जाबिर बिन समुरह, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-बिजली, हारिस बिन अब्दुल्लाह आवर, हारिस बिन मालिक बिन बरसा, हबशी बिन जनादा, हसन बिन अली बिन अबी तालिब, खारिजा बिन सलत बरजमी, रबी बिन खैसुम, ज़र बिन हुबैश, ज़्याद बिन अय्याश अशअरी, ज़ैद बिन अरक़म, ज़ैद बिन साबित, सअद बिन अबी वक्कास, सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल, समुरह बिन जुन्दुब, सुवैद बिन ग़फ़ला, उबादा बिन सामित, अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास,

अब्दुल्लाह बिन उमर, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम अजमईन।

क्या यह मुमकिन है कि इन सहाबये किराम ने उनसे नमाज़ में रफ़ेय़दैन करने की अहादीस ज़िक्र की थीं और उन्होंने उनकी ज़िक्र करदा अहादीस को नहीं माना था? ऐसा हर गिज़ नहीं हो सकता। बल्कि सही यह है कि जिन सहाबये किराम से उन्होंने अहादीस सुनीं थीं उनसे यही सुना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने नमाज़ में पहले रफ़ेय़दैन किया था बाद में आप ने तर्क कर दिया था। लिहाज़ा इन सहाबये किराम के तरीक़े पर चलते हुए हज़रते आमिर शाबी रफ़ेय़दैन नहीं करते थे।

मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा में है कि शाबी नमाज़ की पहली तकबीर में हाथों को उठाते थे। फिर नहीं उठाते थे। (उन लोगों का बाब जो पहली तकबीर में हाथ उठाते थे 1/213, हदीस 2424)

हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद और हज़रते अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा के असहाब रफ़ेय़दैन नहीं करते थे
इमामे इब्ने अबी शैबा ने यह रिवायत ज़िक्र की है:

हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद और हज़रते अली रज़ियल्लाहो अन्हुमा के असहाब सिर्फ़ नमाज़ शुरू करते वक़्त रफ़ेय़दैन करते थे। वकी ने फ़रमाया कि फिर यह हज़रत दोबारा रफ़ेय़दैन नहीं करते थे। (मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 1/214: हदीस 2426)

रावियों के हालात

वकी: उनके हालात गुज़र चुके। वह सिक़ह, हाफ़िज़ुल हदीस थे।

अबू उमामा: हम्माद बिन उसामा बिन ज़ैद कूफ़ी (विलादत: हुदूद 120 हि0 वफ़ात 201 हि0)

शुयूख़: हिशाम बिन अरवा, आमश, इब्ने अबी ख़ालिद, बहज़ बिन हकीम, शोबा, सुफ़यान वग़ैरह।

तलामिजा: अब्दुरहमान बिन मेंहदी, शाफई, हुमैदी, अबू खैसुमा, अबूबक्र इब्ने अबी शैबा, उसमान बिन अबी शैबा और इसहक अल-कौसज वगैरह। बुखारी व समेत सिहाहे सित्ता के रावी हैं।

इमामे अहमद बिन हम्बल ने उन्हें सिक्ह, सबत और आलमुन्नास कहा।

इमामे जहबी ने उन्हें हाफिजुल हदीस और इमाम कहा। (सियरो आलामिन्नुबला 9/278)

अबू इसहाक सबीई: अजिल्लये ताबेईन में से थे। उनका कौल है कि मैंने हजरते अली रजियल्लाह तआला अन्हो को खुत्वा देते देखा है। उनहोंने दर्ज जैल सहाबये किराम से अहादीस ली हैं:

मुआवियह, अदी बिन हातिम, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, बरा बिन आज़िब, जैद बिन अरकरम, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस और अबू जुहैफ़ा अस्सिवाई वगैरहुम रजियल्लहो अन्हुम। (सियरो आलामिन्नुबला 5/394)

इतने जलीलुल क़द्र सहाबा से अहादीस सुनने वाले ताबेई के बारे में यह गुमान किया जा सकता है कि वह सहाबये किराम से रफ़ेय़दैन न करने की अहदीस सुनने के बावजूद रफ़ेय़दैन पर आमिल थे?

अब्दुरहमान बिन अबी लैला (वफ़ात: 83 हि0) रफ़ेय़दैन नहीं करते थे

हजरते अब्दुरहमान इब्ने अबी लैला ताबेई सिक्ह थे। उनके असहाब उनकी ऐसी ताज़ीम करते थे जैसे अमीरुल मोमेनीन की ताज़ीम की जाती थी। (किताबुस्सिफ़ात 5/101, अत्तकरीब तरजमा 4456, अलकाशिफ़ 3400)

हजरते अब्दुरहमान इब्ने अबी लैला नमाज़ में सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेय़दैन करते थे। उसके सिवा नमाज़ में कहीं रफ़ेय़दैन नहीं करते थे।

मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा की रिवायत में है कि हजरते अब्दुरहमान इब्ने अबी लैला नमाज़ में पहली तकबीर (तकबीरे तहरीमह) के वक़्त हाथों को उठाते थे। (मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 1/214 हदीस 2451)

मुआविया इब्ने हिशाम (मौत: 204 या 205 हि0) रफ़ेयदैन नहीं करते थे

अबुलहसन मुआविया इब्ने हिशाम तबये ताबेईन और अहले कूफ़ा में से थे।

इब्ने हजर असकलानी ने उन्हें सद्कू (सच्चा) लिखा और यह कहा कि उनसे कुछ वहम भी सादिर हुए हैं।

जहबी ने लिखा कि मुआविया इब्ने हिशाम सिक्क़ थे।

इब्ने हिब्बान ने उन्हें सिक्क़ में ज़िक्र किया है और लिखा कि उनसे कभी ख़ता भी हुई है। वह रफ़ेयदैन नहीं करते थे। (अस्सिक्कात 9/166, अत्तक़रीब तरजमा 628, अलकाशिफ़ तरजमा 5535)

तन्बीह:

कभी वहम का सुदूर होना या ख़ता होना रावी को मजरूह नहीं करता जैसा कि अहले इल्म पर पोशीदा नहीं।

इमामे मालिक रहमतुल्लाहे अलैहे के नज़दीक रफ़ेयदैन नहीं।

इमामे दारुल हिजरा, इमामे मालिक रहमतुल्लाहे अलैहे मस्जिदे नबवी में दर्स दिया करते थे। अपने दौर में अहले मदीना के उलूम के वारिस थे। यकीनन उनके सामने रफ़ेयदैन की अहादीस मौजूद थीं फिर भी वह फ़रमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि नमाज़ की तकबीरे इफ़तेताह के सिवा किसी तकबीर के साथ झुकते या उठते वक़्त रफ़ेयदैन किया जाएगा। इब्नुलकासिम ने कहा कि रफ़ेयदैन का हुक्म इमामे मालिक के नज़दीक ज़ईफ़ था। (अलमदूनतुल कुबरा 1/28)

अब्दुल्लाह इब्ने रशद मालेकी इमामे मालिक का मौक़फ़ बयान करते हुए लिखते हैं:

उनमें से वह हज़रात हैं जिन्होंने रफ़ेयदैन सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा तक ही मुनसिर किया है क्योंकि उनके नज़दीक हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसरूद और बरा इब्ने अज़िब रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा की रिवायत राजेह है। यही इमामे मालिक का मज़हब है क्योंकि अहले मदीना के अमल के मुवाफ़िक़ भी है। (बिदायतुल मुजतहिद 1/144)

इमामे अहले मदीना हज़रते इमामे मालिक रज़ियल्लाहो तआला अन्हो का रफ़ेयदैन् तर्क करना और यह कहना कि हम नहीं जानते कि रफ़ेयदैन् अहले मदीना में से कोई करता हो यह इस बात की दलील है कि उनके दौर में अहले मदीना रफ़ेयदैन् नहीं करते थे क्योंकि उनको यह मालूम हो चुका था कि रफ़ेयदैन् हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का दाइमी अमल नहीं था बल्कि कभी करके आपने उसे तर्क फ़रमा दिया था।

अलावह अर्जी इमामे आजम के दौर में कूफ़ा इल्म का मरकज़ था। आपकी हयात में भी बहुत से सहाबा वहां मौजूद थे और ख़िलाफ़ते फ़ारुकी में तो कूफ़ा फौजी छाउनी था जिसमें डेढ़ हज़ार या चार हज़ार सहाबये किराम जल्वा फ़रमा थे। उनमें तीन सौ असहाब बैयते रिज़वान और सत्तरह बदरी सहाबी भी थे। अहदे उसमानी के आख़िर तक हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो कूफ़ा के मुअल्लिम रहे। हज़रते मौला अली के दौरे ख़िलाफ़त में कूफ़ा दारुलख़िलाफ़त था। दौरे फ़ारुकी से लेकर हज़रते इमामे आजम अबू हनीफ़ा के ज़माने तक फ़ुक्हाए सहाबा व ताबेईन् का रफ़ेयदैन् न करना क्या इस बात की वाज़ेह दलील नहीं कि सहाबा व ताबेईन् किराम यह जानते थे कि रफ़ेयदैन् का हुक्म मन्सूख़ हो चुका है?

अलबत्ता जिन हज़रात को उसके मन्सूख़ होने का इल्मे यकीन हासिल न हो सका वह रफ़ेयदैन् करते रहे लेकिन ऐसे हज़रात की तादाद कम थी। चनुांचे इमामे तिरमिज़ी ने मुतसल्लिब शाफ़ेई मुहद्दिस होने के बावजूद हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को नक्ल करने के बाद यह तहरीर फ़रमाया है कि इब्ने मसऊद की (रफ़ेयदैन् न करने की) हदीस हसन है और यही कौल बहुत से अहले इल्म सहाबये किराम व ताबेईन् का है और सुफ़याने सौरी और अहले कूफ़ा का भी यही मौकिफ़ है। (तिरमिज़ी 1/35)

वाज़ेह रहे कि इमामे तिरमिज़ी को जिस सनद के साथ हदीसे इब्ने मसऊद मिली है उसे उन्होंने हसन लिखा और न हज़रते इमामे आजम अबू हनीफ़ा को जिस सनद के साथ मिली वह हसन बल्कि सहीतर है। जैसा कि पिछले सफ़हात में गुज़रा।

फुक्हाए किराम रफ़ेयदैन् नहीं करते थे

हज़रते अबूबक्र बिन अय्याश रहमतुल्लाहे अलैहे का बयान:

जलीलुल क़द्र मोहदिस व फ़कीह, सुफ़याने सौरी, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक इमामे अहमद इब्ने हम्बल के शैख़ और इमामे बुख़ारी के रावी शैख़ हज़रते अबूबक्र बिन अय्याश तबये ताबेईन् में से थे। इमामे इब्ने मुबारक फ़रमाते हैं कि मैंने अबूबक्र बिन अय्याश से बड़ा सुन्नतों का आमिल नहीं देखा। वह फ़रमाते हैं कि मैंने किसी फ़कीह को नहीं देखा कि उसने नमाज़ में तकबीरे ऊला के सिवा कहीं रफ़ेयदैन् किया हो। (शरहे मआनिल आसार 1/112)

क्या रफ़ेयदैन् पचास सहाबा से मरवी है?

बाज़ हज़रात ने यह कहना शुरू किया कि रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठने के बाद रफ़ेयदैन् करना पचास सहाबये किराम से बल्कि उससे भी ज़्यादा से मरवी है। यह बात ग़लत है, तकबीरे तहरीमा के अलावा दीगर मक़ामात पर रफ़ेयदैन् करना जिस सहाबी से भी मरवी है वह तआरुज़, जोफ़ या इख़िलाफ़ से ख़ाली नहीं। लिहाज़ा तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेयदैन् वाली रिवायात के मुक़ाबले में इख़िलाफी रफ़ेयदैन् वाली रिवायात पेश करना बहर हाल महल्ले नज़र है।

हज़रते हसन बसरी रहमतुल्लाहे अलैहे के एक कौल *“रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के असहाब नमाज़ में रफ़ेयदैन् करते थे।”* का ग़लत मफ़हूम बावर कराया गया। अगर हसन बसरी के कौल का यह मतलब है कि सहाबा रुकू करते और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन् करते थे तो क्या बिला इस्तिस्ना सारे सहाबये किराम ऐसा करते थे? अगर हाँ कहा जाए तो ग़लत होगा क्योंकि कसीर आसारे सहाबा और मरफू अहदीस रफ़ेयदैन् की नफ़ी करती हैं। हज़रते हसन बसरी ने मुतलक़ फ़रमाया कि सहाबये किराम नमाज़ में हाथों को उठाते थे। यहां मुराद यह है कि तमाम सहाबा तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथों को उठाते थे क्योंकि यह रफ़ेयदैन् मुत्तफ़क़ अलैह है और रुकू करते और रुकू से उठते वक़्त बल्कि दो सजदों के दरमियान और तीसरी रकअत

के लिए उठते वक्त, सजदे में जाते वक्त और हर तकबीर के वक्त रफ़ेयदैन करना इख़्तिलाफी है। इमामे आजम अबू हनीफ़ा ने फ़रमाया कि तकबीरे तहरीमा के सिवा कहीं रफ़ेयदैन नहीं करना है। क्योंकि वह रफ़ेयदैन खुद सहाबये किराम में इख़्तिलाफी था और तकबीरे तहरीमा वाला रफ़ेयदैन सहाबा का इत्तेफ़ाकी था। अलावा अर्जी कुव्वते अस्नाद के लिहाज़ से रफ़ेयदैन न करने की रिवायात ज़्यादा क़वी हैं। नीज़ कुरआन के फ़रमान “अल्लाह के लिए खाकसारी से साथ क़याम करो” (अल-बक़रह आयत न० 238) और हदीसे सहीह “अपनी नमाज़ में सुकून इख़्तियार करो” भी रफ़ेयदैन न करने की ताईद करती हैं। और इख़्तिलाफ़े अह़दीस व आसार के वक्त उन अह़दीस व आसार को तरजीह दी जाएगी जो नस्से कुरआनी की मुवाफ़क़त करते हों। लिहाज़ा रफ़ेयदैन न करने की रिवायात को नस्से कुरआनी के मुवाफ़िक़ होने की वजह से मुख़ालिफ़ रिवायात पर तरजीह हासिल होगी।

क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने जिन्दगी भर रफ़ेयदैन किया?

रफ़ेयदैन के कायेलीन एक रिवायत को बड़े ज़ोर-शोर के साथ पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने ता वफ़ात रफ़ेयदैन फ़रमाया है। वह हज़रात बैहकी की रिवायत पेश करते हैं कि हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम जब नमाज़ शुरू फ़रमाते थे तो दोनों हाथों को उठाते थे और जब रुकू से सर उठाते वक्त और सजदे में ऐसा नहीं करते थे। आपकी यह नमाज़ हमेशा रही यहां तक कि आपने अल्लाह से मुलाक़ात की (वफ़ात पाई)।

तकबीरे तहरीमा के सिवा कहीं रफ़ेयदैन न करने की अह़दीसे सहीहा हज़रते इब्ने मसऊद, हज़रते बरा इब्ने आज़िब, हज़रते इब्ने उमर और हज़रते अबू हु़रैरह वग़ैरहुम और सहाबये किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम के आसारे सहीहा पहले ज़िक्र किए गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम, हज़रते अबूबक्र सिद्दीक़, हज़रते उमर, हज़रते अली, खुलफ़ाए राशेदीन व दीगर सहाबा सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा

में रफ़ेयदैन करते थे। नीज़ हदीसे सही मुसलिम के हवाले से पहले गुज़री कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया कि नमाज़ में हाथों को बेकरार घोड़ों की दुम की तरह न उठाओ बल्कि सुकून से नमाज़ अदा करो। यह अह़ादीस साबित करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने तकबीरे तहरीमा वाले रफ़ेयदैन के सिवा नमाज़ में हर रफ़ेयदैन को तर्क फ़रमा दिया था और सहाबये किराम को भी हुक्म फ़रमा दिया था। हज़रते इब्ने मसऊद व हज़रते बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा की अह़ादीसे सहीहा नीज़ सही मुसलिम की हदीस के मुक़ाबले में बैहकी की यह रिवायत मरजूह है। अलावह अज़ीं खुद हज़रते इब्ने उमर का अमल इस हदीस के खिलाफ़ था जैसाकि सही रिवायत से साबित है। नीज़ अल्लामा नैवी ने इस रिवायत को जर्इफ़ बल्कि मौजू करार दिया है। वह लिखते हैं कि इसके दो रावी अब्दुरहमान इब्ने कुरैश इब्ने खुज़ैमा हरवी और असमा इब्ने मोहम्मद अल-अन्सारी को वज़्जाए हदीस (हदीस गढ़ने वालों) में शुमार किया गया है। (मीज़ानुल एतेदाल)

रफ़ेयदैन करने की चार सौ रिवायात— एक किरस्सा

कायेलीने रफ़ेयदैन में से शैख़ मजदुद्दीन फ़ीरोज़ाबादी ने तो हद ही कर दी। बाज़ बुजुर्गाँ ने लिखा था कि रफ़ेयदैन करने की रिवायात 50 सहाबये किराम से मरवी है। फ़ीरोज़ाबादी साहब ने बड़ी ऊँची उड़ान दिखाई और रुकू में जाते वक़्त और उठते वक़्त के रफ़ेयदैन को तकबीरे तहरीमा वाले रफ़ेयदैन में शामिल करके यह लिख मारा:

“तीन जगहों में रफ़ेयदैन साबित है और रावियों की कसरत की वजह से मुतवातिर के मुशाबेह है। इस मसअले में चार सौ सही हदीसों और आसार आए हैं और अशरये मुबशशरह ने रिवायत किया। आहज़रत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का अमल हमेशा इसी कैफ़ियत पर रहा। यहाँ तक कि इस दुनिया से रेहलत फ़रमा गये । इसके अलावह कोई चीज़ साबित नहीं। (सफ़रुस्सआदह प्र0 13 शरह प्र0 64)

फ़ीरोज़ाबादी साहब ने यहां पांच बुलन्द बांग दावे किये हैं जिनका हम ज़ैल में तहकीकी जायज़ा पेश करते हैं।

पहला दावा: इन तीन जगहों (तकबीरे तहरीमह, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त) रफ़ेयदैन साबित है।

दावे का तहकीकी का जायज़ा: अगर तीन जगहों में रफ़ेयदैन साबित है तो उन अहादीसे सहीहा मरफूअह और आसार का क्या जवाब होगा जिनसे यह साबित होता है कि तकबीरे तहरीमा के सिवा कहीं रफ़ेयदैन साबित नहीं? हदीसे हज़रते इब्ने मसऊद, बरा इब्ने आज़िब, इब्ने उमर, अबू हु़रैरह और आसारे खुलफ़ाए राशेदीन का क्या जवाब होगा कि रफ़ेयदैन सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा में साबित है? मैंने गुज़िश्ता सफ़हात में 27 मरफू अहादीस कसीर आसारे सहाबा व ताबेईन से साबित किया कि तकबीरे तहरीमा के सिवा नमाज़ में कहीं रफ़ेयदैन नहीं। नीज़ हदीसे इब्ने मसऊद व हदीसे बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा जिनमें रफ़ेयदैन न करने का जिक्र है वह रफ़ेयदैन के सुबूत की अहादीस से ज़्यादा क़वी हैं। कोई शख्स किसी सही महफूज़, मुआरज़ा से ख़ाली रिवायत से साबित करके दिखाए कि तकबीरे तहरीमा के सिवा नमाज़ में किसी और जगह भी रफ़ेयदैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने हमेशा किया है? हरगिज़ साबित नहीं कर सकता। सिर्फ़ यह कह देना काफ़ी नहीं कि इन तीन जगहों में रफ़ेयदैन साबित है। फिर सही हदीस से तीन जगहों में रफ़ेयदैन साबित है कहना ग़लत है क्योंकि सही हदीस से दो सजदों के दरमियान और दो रकअत से उठते वक्त भी रफ़ेयदैन करना साबित है तो मुनकिरीन इन जगहों में रफ़ेयदैन को लाज़िम क्यों नहीं कहते?

दूसरा दावा: फ़ीरोज़ाबादी साहिब ने दूसरा दावा यह किया है कि रफ़ेयदैन में चार सौ अहादीस व आसार आए हैं।

दावा का तहकीकी जाइज़ा: यह दावा भी महज़ दावा है जो इन्तिहाई दर्जा मुबालगा पर मबनी है। हज़ार कोशिशों के बावजूद आज तक कायलीने रफ़ेयदैन चार सौ क्या मुआरज़ा से महफूज़ चार सही रिवायात भी न ला सके। इमामे बुखारी व मुसलिम को अपनी शर्त के मुताबिक़ जो अहादीस मिलीं वह भी अमल के लिहाज़ से मुज़तरिब और हदीसे इब्ने मसऊद व बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा के मुक़ाबिले में मरजूह हैं। अगर चार सौ सही आसार व अहादीस रफ़ेयदैन

के सुबूत पर मौजूद हैं तो इमामे बुखारी व मुसलिम ने तआरुज़ व इख़्तिलाफ़ से ख़ाली दस बीस अहादीस ही नक़ल क्यों नहीं कीं और फ़ीरोज़ाबादी साहब ने भी सिर्फ़ दावा क्यों किया? उन्हें तो कम से कम वचास अहादीस ज़िक्र करना चाहिए था। हकीकत यह है कि महज़ ऊँचे ऊँचे दावे हैं कि रफ़ेयदैन् के सुबूत पर चार सौ अहादीस व आसार हैं, पचास सहाबा से रिवायात है, इन दावों के पीछे कोई मज़बूत दलील नहीं।

तीसरा दावा: रावियों की कसरत की वजह से मुतवातिर के मुशाबेह है।

दावे का तहकीकी जायज़ा: फ़ीरोज़ाबादी साहब के नज़दीक चार सौ अहादीस व आसार मिल जाने के बावजूद रफ़ेयदैन् की रिवायत मुतवातिर न हो सकी, मुतवातिर के मुशाबेह ही रही। आख़िर उनके नज़दीक मुतवातिर है क्या? और रावियों की कसरत के क्या माना?

जब चार सौ रिवायात की बात ही बातिल है तो मुतवातिर के मुशाबेह होने की बुनियाद ही हिल गई। फिर फ़ीरोज़ाबादी साहब किस बुनियाद पर कहेंगे कि रफ़ेयदैन् की रिवायत मुतवातिर के मुशाबेह है?

चौथा दावा: अशरये मुबश्शरह ने बयान किया है कि ऑहज़रत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम हमेशा रफ़ेयदैन् करते रहे यहां तक कि दुनिया से रुख़सत हुए।

दावे का तहकीकी जायज़ा: यह दावा भी ग़लत है कि अशरये मुबश्शरह ने यह बयान किया है। सिर्फ़ इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की रिवायत जिसमें यह बात है और भी मुज़तरिब व ज़ईफ़ है बल्कि अल्लामह नैमवी के मुताबिक़ मौजू है। क्योंकि हज़रते इब्ने उमर का अमल खुद उसके ख़िलाफ़ था। जैसा कि सही सनद के साथ उनका हवाला गुज़िश्ता सफ़हात में गुज़रा।

फिर यह कि अगर अशरये मुबश्शरह यह बयान फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का दाइमी अमल रफ़ेयदैन् रहा तो सवाल यह है कि यह जानते हुए हज़रते अबूबक्र सिदीक़, हज़रते उमर, हज़रते अली और दीगर अशरये मुबश्शरह तकबीरे तहरीमा के अलावा पूरी

नमाज़ में रफ़ेय़देन क्यों नहीं करते थे? क्या फ़ीराज़ाबादी साहब इन हज़रात के क़ौल व अमल में तज़ाद मानेंगे? और उन्हें तारिके सुन्नत करार देंगे?

सही यह है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने जो रफ़ेय़देन ता उम्र किया है वह तकबीरे तहरीमा वाला रफ़ेय़देन है न कि कोई और रफ़ेय़देन।

पांचवां दावा: इसके अलावह कोई चीज़ साबित नहीं।

दावे का तहकीकी जायज़ा: इसके अलावह यानी रफ़ेय़देन के अलावा कुछ साबित नहीं। अगर इस बात को मान लिया जाए तो उन अह्दादीसे सहीहा मरफूअह व आसारे सहीहा का क्या जवाब है जिन से साबित होता है कि सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेय़देन करना है?

पिछले सफ़हात में हमने सही मरफू अह्दादीस व आसार नक़ल किए जो रफ़ेय़देन न करने के बारे में वाजेह और बहुत मज़बूत हैं, उन रिवायात के होते हुए यह दावा करना कि रफ़ेय़देन के ख़िलाफ़ कोई रिवायत साबित नहीं, सूरज की रौशनी का इनकार करना है।

इमामे मोहम्मद रहमतुल्लाहे अलैहे पर इल्ज़ाम

एक ग़ैर मुक़ल्लिद अ़लिम ने किबात लिखी और उसमें इमामे मोहम्मद रहमतुल्लह अलैह के बारे में यह लिखा कि “रफ़ेय़देन उनके नज़दीक सुन्नते सहीहा से साबित है तो बरादराने अहनाफ़ को भी यह सुन्नत अपना लेनी चाहिए।” (सलातुरसूल प्र० 242)

इमामे मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह पर यह इल्ज़ाम है। आपने रफ़ेय़देन को कहीं भी सुन्नत नहीं लिखा। देखिए आप क्या फ़रमाते हैं:

“ सुन्नत यह है कि आदमी अपनी नमाज़ में उठते बैठते अल्लाहो अकबर कहे। जब पहले सजदे में जाए तो अल्लाहो अकबर कहे, जब दूसरे सजदे में जाए तो अल्लाहो अकबर कहे और नमाज़ में दोनों हाथों के उठाने का मसअला यह है कि एक बार शुरू करते वक़्त दोनों हाथों को कानों की लौ तक उठाए फिर उसके बाद नमाज़ में कहीं दोनों हाथों को न उठाए। यही इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है और इस सिलसिले में कसीर आसार मौजूद हैं।” (मोअत्ता इमामे मोहम्मद प्र० 90)

इमामे मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इख़्तिलाफी रफ़ेयदैन को सुन्नत नहीं लिखा बल्कि सराहत के साथ यह लिखा कि एक बार तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ेयदैन किया जाएगा, फिर पूरी नमाज़ में रफ़ेयदैन नहीं किया जायेगा।

हज़रते गोसे आजम के नाम का ग़लत इस्तेमाल

एक ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम अहनाफ़ को धोका में डालने के लिए यह लिखा कि *गुनियतुत्तालेबीन* में है कि शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी नमाज़ में रफ़ेयदैन करते थे। इस बात से कतये नज़र कि *गुनियतुत्तालेबीन* की इसनादी हैसियत क्या है, यहां यह बात बताना ज़रूरी है कि गोसे आजम जीलानी रहमतुल्लाह अलैह हम्बली मजहब के मुजतहिद और फ़कीह थे और हम्बलियों के नज़दीक रफ़ेयदैन साबित है। लेकिन आजतक किसी हम्बली ने किसी हनफी को रफ़ेयदैन न करने की वजह से तारिके सुन्नत नहीं कहा, न ही किसी हनफी मजहब वाले ने कियी शाफ़ेई या हम्बली को रफ़ेयदैन करने की वजह से तारिके सुन्नत करार दिया बल्कि चारों अइम्मा के मानने वाले बरहक़ हैं कोई किसी पर ताना व तशनी नहीं करता। लेकिन ग़ैर मुक़ल्लेदीन जो चारों अइम्मा की तक़लीद को शिर्क कहते हैं, वह किसी इमामे की तक़लीद को शिर्क समझने की वजह से खुद से मसाइल निकालने की काशिश करते हैं और अपनी फ़हमे नाक़िस के मुताबिक़ अहादीस व कुरआनी आयात के जाहिर को देखकर जो समझ में आता है वही अपना मौक़िफ़ बना लेते हैं फिरकये जाहरिया की शुऊरी या लाशुऊरी तौर पर तक़लीद करते हैं, वह अपने सिवा चारों अइम्मा के मानने वालों को मुशरिक ठहराते हैं और खुद अइम्मये अरबआ के सिवा बेशुमार वहाबी शुयूख़ की अन्धी तक़लीद करके अपने बनाये हुए उसूल के मुताबिक़ एक नहीं बेशुमार शिर्क के दलदल में फंसे हुए हैं। उनके नज़दीक शैख़ इब्ने अब्दुल वहहाब नजदी, काज़ी शौक़ानी, शैख़ अलबानी, इब्ने बाज़ और शैख़ सालेह उसैमीन वग़ैरह इमाम व मुजतहिदे अस्म हैं उनका हर कौल व अमल गिरोहे अहले हदीस के लिए नाक़ाबिले तरदीद सनद है। फिर वह अन्धी तक़लीद वाले नहीं और ग़रीब हनफी, शाफ़ेई, मालिकी और हम्बली ग़ैर मन्सूस फ़िक़ही मसाइल में चार अइम्मये मजाहिब की तक़लीद करने की वजह से मुशरिक हैं, आख़िर क्यों? इसलिए न कि अइम्मये अरबआ की तक़लीद करने वाले वहाबी नहीं। अगर यह वजह

नहीं तो फिर वजह क्या है। फिरकये अहले हदीस का अइम्मये अरबआ के मुकल्लेदीन को खुसूसन अहनाफ को अपने तन्ज व तान बल्कि इनाद का निशाना बनाना और उन्हें रफ़ेयदैन करने की वजह से तारिके सुन्नत व मुख़ालिफ़ कहना उनका जुल्मे अजीम नहीं तो और क्या है?

एक ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम ने ग़ौसे आजम का हवाला पेश करते हुए जो लिखा है कि रफ़ेयदैन करते थे तो क्या वह यह कह सकते हैं कि इमामे आजम अबू हनीफ़ा बल्कि कसीर सहाबा व ताबेईन रफ़ेयदैन न करके सुन्नत तर्क करते थे? और ग़ौसे आजम के मुताबिक़ वह सबके सब तारिके सुन्नत थे? ग़ौसे आजम का नाम इस्तेमाल करके दर अस्ल लोगों को धोके में डालना है। वरना ग़ैर मुक़ल्लेदीन ग़ौसे आजम बल्कि तमाम औलियाये किराम के गुस्ताख़ हैं और "या ग़ौस" कहने को शिर्क कहते हैं। बल्कि लफ़्ज़े ग़ौस इस्तेमाल करने को भी शिर्क कहते हैं। अब अन्दाज़ा लगायें कि ग़ौसे आजम से उनकी महबूबत व अकीदत का क्या हाल है?

दुर्रें मुख़्तार की इबारत से धोका

ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम ने अपनी किताब "सलातुरसूल" में दुर्रें मुख़्तार व शामी के हवाले से लिखा कि "रफ़ेयदैन से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती" इस इबारत से यह धोका देना चाहते हैं कि बाज़ हनफ़ी फ़ुक़हा के नज़दीक नमाज़ में रफ़ेयदैन साबित है। हालांकि साहिबे दुर्रें मुख़्तार व शामी ने यह कब लिखा है कि नमाज़ में रफ़ेयदैन करना चाहिए? उनका मौक़िफ़ तो वही है जो इमामे अबू हनीफ़ा का है कि नमाज़ में रफ़ेयदैन नहीं करना चाहिए। अब रही बात यह कि इससे नमाज़ फ़ासिद होगी या नहीं तो ज़ाहिर है कि नमाज़ में मुफ़सिदाते नमाज़ में से कोई पाया जाए तो नमाज़ फ़ासिद होगी और इमामे आजम के नज़दीक रफ़ेयदैन करना मुफ़सिदाते नमाज़ में से नहीं इमामे शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रफ़ेयदैन करना चाहिए और रफ़ेयदैन न करना मुफ़सिदाते नमाज़ में से नहीं। जैसा कि इमामे मुसलिम ने बाब कायम फ़रमाया है "रफ़ेयदैन का मुसतहब होना" मालूम हुआ कि रफ़ेयदैन में अइम्मा के दरमियान इख़िलाफ़ इस्तेहबाब में है। लेकिन मुक़ल्लेदीने मज़हब के लिए बिला दलील अपनी तबीअत से तकलीदे इमामे से हटना दुरुस्त नहीं। क्योंकि यह गुमराही और नफ़स परस्ती में गिरने का सबब है।

जैसा कि गैर मुकल्लेदीन तर्क तक्लीद की बुनियाद पर ज़लालत में फंसे हुए हैं और तमाम अइम्मये मज़ाहिब पर तान व तशनी करते हैं। तमाम अइम्मये दीन से अलग हटकर गैर मुकल्लेदीन रफ़ेयदैन को वाजिब या फ़र्ज के दर्जे में रखते हैं और रफ़ेयदैन न करने वालों को तानो तशनी का निशाना बनाते हैं और उन्हें गुमराह, मुख़ालिफ़े सुन्नत कहते हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फ़रमाये ।

हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तअ़ाला
अन्हो पर निसयान (भूलने) का इलज़ाम

बाज़ लोगों ने तअ़स्सुब की बिना पर रफ़ेयदैन न करने की सही अह़ादीस पर बेजा तान किया है। रफ़ेयदैन करने वाले वह लोग जो रफ़ेयदैन न करने वालों को मुनकिरीने सुन्नत के ख़ाने में डालते हैं उनके ख़िलाफ़ हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो अन्हो की रिवायत नाकाबिले तरदीद हुज्जत है। उनसे इस हदीस का कोई जवाब नहीं बनता तो इधर उधर की हांकने लगते हैं और हद यह है कि हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तअ़ाला अन्हो पर भूल और निसयान का इलज़ाम रखने में भी ख़ौफ़ महसूस नहीं करते।

उन्होंने यहां तक लिख दिया कि हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तअ़ाला अन्हो को निसयान (भूलने का मरज़) हो गया। उन्होंने भूल से यह रिवायत ज़िक्र कर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथों को उठाते थे और फिर पूरी नमाज़ में दोबारा कहीं रफ़ेयदैन नहीं करते थे। जहाँ तक निसयान का तअ़ल्लुक है तो किसी के लिए यह दावा नहीं किया जा सकता कि उससे निसयान नहीं हुआ। लेकिन बिला दलील किसी पर किसी मुआमले में निसयान का इलज़ाम रखना जुर्म है। हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तअ़ाला अन्हो रसूले अकरम सल्लल्लाहो तअ़ाला अलैहे वसल्लम के चहीते सहाबी, ख़ास ख़ादिम, सफ़र व हज़र में आप के साथ रहने वाले, हमेशा रसूले अकरम صلی اللہ علیہ وسلم के साथ नमाज़ नमाज़ पढ़ने वाले, नमाज़ में पहली सफ़ में रहने वाले, साबेकीने अव्वलीन और ग़ज़वये बद्र में शरीक

होन वाले सहाबये किराम में से थे। आप उन ख़ास फुक्हाये सहाबा में से थे जिनकी मौजूदगी में दूसरे सहाबा फ़त्वा नहीं दिया करते थे। खुलफ़ाये राशेदीन के बाद सहाबये किराम में आपसे बड़ा कोई फ़कीह नहीं था। ऐसे फ़कीह मुजतहिद सहाबीये रसूल ही हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की नमाज़ भूल जायेंगे तो फिर कौन याद रखेगा? फिर हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रसूले पाक صلی اللہ علیہ وسلم की नमाज़ कोई सरसरी अंदाज़ में नहीं बता रहे हैं बल्कि पहले सहाबये किराम को अपनी तरफ़ मुतवज्जेह करने के लिए फ़रमाते हैं कि “क्या मैं आप लोगों के सामने हुज़ुर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तरह नमाज़ पढ़कर न दिखाऊँ?” फिर नमाज़ पढ़ने में तकबीरे तहरीमा के सिवा कहीं दोनों हाथों को न उठाना बल्कि हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो का वाज़ेह लफ़्ज़ों में यह फ़रमाना कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथों को उठाते थे और दोबारा नहीं उठाते थे, यह साबित नहीं करता कि हुज़ूर अकरम صلی اللہ علیہ وسلم की नमाज़ यही थी कि आप सिर्फ़ तकबीरे तहरीमक के वक़्त हाथों को उठाते थे? इमामे तिरमिज़ी ने फ़रमाया कि रफ़ेसदैन न करना बहुत से सहाबा का मज़हब है तो क्या बकौल फिरकये अहले हदीस उन तमाम सहाबा ने भूल कर रफ़ेयदैन तर्क किया था? बाज़ रिवायात में यह जो मिलता है कि आप صلی اللہ علیہ وسلم रुकू करते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन करते थे तो यह अमल हमेशा आप ने नहीं किया बल्कि कभी किया और फिर तर्क कर दिया। हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो जैसे फ़कीह मुजतहिद सहाबी पर बिला दलील निसयान का इल्ज़ाम रख देना बड़ी ज़ुरअत की बात है। फिर यह इल्ज़ाम सिर्फ़ हज़रते इब्ने मसऊद पर ही नहीं आता बल्कि रफ़ेयदैन न करने वाले सहाबा हज़रते अबूबक्र सिद्दीक, हज़रते उमर फ़ारूक़े आज़म, हज़रते अली, हज़रते अबू हु़रैरह और हज़रते बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो तआला अल्हुम पर आयद होगा और महज़ ज़न्नो इहतेमाल की बुनियाद पर अजिल्लये सहाबये किराम पर इस तरह का गुमान रखा जाये तो फिर शरई अहक़ाम का खुदा ही

हाफ़िज़! बल्कि सिर से दीन से एतेमाद ही उठ जायेगा। “अल्लाह की पनाह”

फ़िरक़ये अहले हदीस के एतेराज़ात के जवाबात

एतेराज़: एक हदीस शरीफ़ जिसको इमामे बुख़ारी ने अपनी किताब जुज़्ज़ रफ़ेयदैन में ज़िक्र किया है उससे यह साबित होता है कि हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो जब किसी आदमी को बग़ैर रफ़ेसदैन के नमाज़ पढ़ते हुए देखते थे तो उसे कंकरी फेंककर रफ़ेयदैन करने को कहते थे। मालूम हुआ कि हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रफ़ेयदैन करते थे।

जवाब: मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा में है कि हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो सिर्फ़ तकबीरे इफ़तेताह के वक़्त हाथ उठाते थे।

रिवायत सनद के साथ यह है:

हमसे हदीस बयान की अबूबक्र बिन अय्याश ने वह रिवायत करते करते हैं हुसैन से वह मुजाहिद से कि उन्होंने फ़रमाया कि मैंने हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को नमाज़ में तकबीरे इफ़तेताह के से सिवा कहीं रफ़ेयदैन करते हुए नहीं देखा। (मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 1/214, हदीस 2452)

रिवायते मज़कूरा के तमाम रावी सिक़ह हैं। यह रिवायत यह साबित करती है कि हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो तकबीरे इफ़तेताह के सिवा कहीं रफ़ेयदैन नहीं करते थे और दार कुत्नी की रिवायत से मालूम हुआ कि आप रफ़ेयदैन का हुक्म देते थे। तो इस तज़ाद को ख़त्म करने की सूरत यही है कि जब तक हज़रते इब्ने उमर को मालूम नहीं हुआ था कि अल्लाह के रसूल ने पहले रफ़ेयदैन किया था फिर बाद में तर्क फ़रमा दिया था उस वक़्त तक हज़रते इब्ने उमर रफ़ेयदैन का सख़्ती से हुक्म देते रहे और जब उन्हें मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने रफ़ेयदैन तर्क फ़रमा दिया था (जैसा कि हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की सही हदीस से मालूम हुआ और हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की रिवायत उम्दतुल कारी के हवाले से पहले गुज़री नीज़ सही मुसलिम, अबूदाऊद वग़ैरह की रिवायत से मालूम हुआ कि

रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने नमाज़ में रफ़ेय़दैन् करने से मना फ़रमा दिया और सुकून से नमाज़ अदा करने का हुक्म दिया) जब हज़रते इब्ने उमर को रफ़ेय़दैन् के मन्सूख़ होने का इल्म हुआ तो उन्होंने भी रफ़ेय़दैन् तर्क फ़रमा दिया।

एक हैरान कुन बात

इमामे बुख़ारी की किताब “ कुर्तुलऐनेन बेरफ़इलयदैन् फ़िस्सलात” [नाशिर दारुल अरक़म लिन्नशर वत्तौज़ी कोयत तबये अव्वल 1404 हि०]में है कि मुजाहिद ने जो यह फ़रमाया कि मैंने इब्ने उमर को तकबीरे इफ़तेताह के सिवा नमाज़ में कहीं रफ़ेय़दैन् करते हुए नहीं देखा तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने भूल कर रफ़ेय़दैन् नहीं किया था। जैसा कि हज़रते उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो नमाज़ में क़िरअत भूल गए थे। क्या तुम नहीं देखते कि हज़रते इब्ने उमर रफ़ेय़दैन् न करने वाले को पत्थर फेंकते थे तो यह कैसे हो सकता है कि हज़रत इब्ने उमर जिसका हुक्म दूसरे को देते थे वह खुद न करते और जिसे रसूलुल्लाह ﷺ को करते हुए देखा वह खुद छोड़ देते।

लीजिए अब क़िस्सा ही तमाम हो गया। अभी सहाबीये रसूल हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो पर निसयान का इल्ज़ाम था अब तो हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की जानिब भी ख़ता मन्सूब हो गई। अब मुख़ालेफ़ीन को बड़ी मज़बूत दलील हाथ आ गई कि जिन सहाबा व ताबेईन ने सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेय़दैन् किया और उसके अलावा रफ़ैय़दैन् करने से मना किया उन सब ने ख़ता व निसयान से ऐसा किया था। लिहाज़ा इमामे तिरमिज़ी का यह कहना ही लगव (बेकार) हो गया कि सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेय़दैन् करना बहुत से सहाबा व ताबेईन का मज़हब है! इफ़रातो तफ़रीत की ऐसी मिसालें जब सामने आती हैं तो सख़्त अफ़सोस भी होता है और तअज्जुब भी। क़तए नज़र इससे कि ‘निसयान वाले दावे’ में कितनी मज़बूती है, इतनी बात तो ज़रूर साबित हो गई कि इमामे बुख़ारी के नज़दीक मुजाहिद की यह रिवायत सही है। क्योंकि उन्होंने उसकी सनद में कोई कलाम नहीं किया।

एतेराजात व जवाबात

एतेराजः हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की इस हदीस (सात जगहों में रफ़ेयदैन करने) को हज़रते नाफ़े ने रिवायत किया है और हज़रते इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की रिवायत को मकसिम ने रिवायत किया है। शोबा ने कहा है कि मकसिम से इस हदीस को हक़म ने रिवायत किया है और हक़म ने मकसिम से सिर्फ़ चार अहदादीस सुनी हैं जिन में यह हदीस नहीं और इब्ने उमर से नाफ़े ने इस तरह से रिवायत किया है हालांकि नाफ़े के असहाब ने इस के खिलाफ़ रिवायत किया है।

जवाबः अगरचे हक़म के वास्ते से हज़रते इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की रिवायत मुरसल है लेकिन यह मुरसल सही है। अलावा अर्जी हज़रते इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की रिवायत को मोहदिस इब्ने अबी शैबा ने जिस सनद के साथ ज़िक्र किया है वह मुरसल नहीं बल्कि मुत्तसिल है। मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा की रिवायत सनद के साथ यह है:

“हमसे हदीस इब्ने फुज़ैल ने वह रिवायत करते हैं अता से वह सईद इब्ने जुबैर से वह अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से उन्होंने फ़रमाया कि हाथों को सिर्फ़ सात जगहों में उठाया जायेगा, जब नमाज़ के लिये खड़ा हो, और जब ख़ानये काबा को देखे, सफ़ा व मरवा पर, अरफ़ात में, जमा में, ज़िमार के वक़्त।”

हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की रिवायत जो नाफ़े ने ज़िक्र की है वह इसलिए मोतबर है कि खुद हज़रते इब्ने उमर का भी यही अमल था कि वह नमाज़ में सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेयदैन करते थे। जैसाकि मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा में हज़रते मुजाहिद से मरवी है उन्होंने फ़रमाया कि मैंने हज़रते इब्ने उमर को सिर्फ़ तकबीरे इफ़तेताह करते हुए देखा। (मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा 1/214 हदीस 2452)

एतेराजः हदीसे इब्ने मसरूद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को ग़ैर मोतबर करार देते हुए बाज़ लोग हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक का एक कौल पेश करते हैं कि उन्होंने इस हदीस के बारे में फ़रमाया कि

यह हदीस साबित नहीं। लिहाज़ा उसको रफ़ेय़दैन् न करने की दलील नहीं बना सकते।

जवाब: सबसे पहली बात तो यह है कि हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने खुद हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तअ़ाला अन्हो की जिसमें रफ़ेय़दैन् न करने की सराहत है। (हवाला छटी सनद से साथ गुज़रा, वहाँ मुलाहज़ा कीजिए)

इसके अलावा फ़न्ने हदीस के तलबा को यह बात मालूम है कि कोई हदीस किसी मोह़दिस के पास साबित नहीं होती लेकिन वही हदीस दूसरे मोह़दिस के पास साबित सही बल्कि ज़्यादा सही होती है। अगर हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तअ़ाला अन्हो की हदीसे मज़कूर के बारे में इब्नुलमुबारक रज़ियल्लाहो तअ़ाला अन्हो ने फ़रमाया है कि "यह साबित नहीं" तो हो सकता है कि यह कौल अस वक़्त का हो जब उन्हें यह हदीस नहीं पहुँची थी वरना इसका क्या जवाब होगा कि खुद इब्नुल मुबारक की रिवायत से हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तअ़ाला अन्हो इमामे निसई की 'अस्सननुस्सुगरा' में मौजूद है और उसके सारे रावी सिक़ह हैं। इमामे अबूहनीफ़ा रज़ियल्लाहो तअ़ाला अन्हो जिनके शागिर्दों में इमामे अब्दुल्लाह इब्नुलमुबारक हैं उनके नज़दीक तो हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तअ़ालाहद अन्हो की हदीस साबित सही बल्कि सहीतर है। फिर अगर किसी मोह़दिस को कोई हदीस उसके मुतअय्यन किये हुए मेयार के मुताबिक़ न मिली और उसने उसके बारे में यह कहा कि साबित नहीं तो इससे हदीसे मज़कूर का ग़ैर मोतबर होना साबित नहीं होता और उससे यह साबित नहीं होता कि वह हदीस किसी मोह़दिस व फ़कीह के नज़दीक साबित नहीं।

अगर इमामे इब्नुल मुबारक के कौल का यह मतलब लिया जाए कि हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तअ़ाला अन्हो किसी सनद के साथ किसी के नज़दीक साबित नहीं तो इस सवाल का क्या जवाब होगा कि इमामे तिरमिज़ी ने इस हदीस को ज़िक्र करने के बाद उसे हसन लिखा है और उन्होंने हदीसे मज़कूर के एक 'मुतकल्लम फ़ीह' रावी आसिम बिन कुलैब की वजह से उसे दरजये हसन में रखा है हालांकि आसिम बिन कुलैब से खुद

इमामे बुखारी ने 'जुज्जल किराअत' में रिवायत ली है और मुसलिम ने अपनी सही में उनसे रिवायत ली है नीज़ असहाबे सुनन ने उनसे रिवायत की है। इमामे दारकुतनी ने 'सुनने दार कुतनी' में जिक्रे नसखुत्ततबीक में आसिम बिन कुलैब की रिवायत जिक्र करने के बाद लिखा कि यह इसनाद साबित सही है, आसिम बिन कुलैब की रिवायत वहां सही है और तर्क रफेयदैन में सही क्यों नहीं? हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो इमामे अबूदाऊद, इमामे निसई, इमामे अब्दुर्रज़ाक, इमामे इब्ने अबी शैबा, इमामे अहमद इब्ने हम्बल इमामे अबुल याला अलमूसली, इमामे तहावी, इमामे तिबरानी, इमामे दार कुतनी, इमामे बैहकी, इमामे उकैली, इमामे इब्ने हजर असकलानी और सुफ़याने सौरी के नज़दीक साबित है अगरचे बाज़ मोहद्देसीन ने अपने उसूल व जवाबित के मुताबिक उसे अपना मुसतदल्ल करार नहीं दिया। किसी मोहद्दिस के नज़दीक किसी सनद के लिहाज़ से हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ग़ैर सही हो सकती है लेकिन इससे यह लाज़िम नहीं आता कि तमाम मोहद्देसीन के नज़दीक हदीस इब्ने मसऊद रज़िल्लाहो तअला अन्हो ग़ैर सही है। अगर आसिम बिन कुलैब की वजह से इस हदीस को ग़ैर सही कहा जाए तो इससे अहनाफ़ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हज़रते इमामे अबूहनीफ़ा को यह हदीस जिस सनद के साथ पहुँची है उसमें आसिम बिन कुलैब रावी मौजूद नहीं। इमामे आजम तक हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तअला अन्हो के जुमला रावी सिकाहत, अदालत और हिफ़ज व फ़िक़ह में बहुत आला दर्जे के हैं। यही वजह है कि इस सनद की तक़वियत की दलील के सामने औज़ाई जैसे मोहद्दिस व फ़कीह ने ख़ामोशी इख़्तियार की थी।

इमामे अबू हनीफ़ा और इमामे औज़ाई का मुबाहसा

हज़रते सुफ़यान बिन उऐना का बयान है कि एक मौक़े पर मक्कये मुकर्रमा में "दारे हनातीन" में अबूहनीफ़ा और औज़ाई की मुलाक़ात हो गई तो दर्ज ज़ैल गुप्तगू हुई:

औज़ाई: क्या वजह है कि आप लोग रुकू करते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त हाथों को नहीं उठाते?

अबू हनीफ़ा: इस लिए कि रफ़ेयदैन करने पर कोई सही हदीस मौजूद नहीं।

औज़ाई: कैसे मौजूद नहीं? मुझसे जुहरी ने रिवायत की, उन्होंने सालिम से, उन्होंने अपने वालिद (अब्दुल्लाह इब्ने उमर) से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम से कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम नमाज़ शुरू करते वक़्त, रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त हाथों को उठाते थे।

अबू हनीफ़ा: हमसे हदीस बयान की हम्माद ने, उन्होंने इब्राहीमे नख़ई से, उन्होंने अलक़मा और असवद से और उन्होंने हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम सिर्फ़ नमाज़ शुरू करते वक़्त हाथों को उठाते थे और पूरी नमाज़ में दोबारा नहीं उठाते थे।

औज़ाई: मैं आपके सामने (मज़बूत) सनद पेश कर रहा हूँ, जुहरी, सालिम, अब्दुल्लाह इब्ने उमर और आप उसके मुक़ाबिल में यह सनद पेया कर रहे हैं। हम्माद, इब्राहीम मेरी सनद के मुक़ाबले में आपकी सनद मज़बूत कहां?

अबू हनीफ़ा: मेरी सनद आपकी सनद से ज़्यादा मज़बूत है। मेरी सनद में हम्माद आपकी सनद के जुहरी से ज़्यादा हदीस की फ़िक़ह व समझ रखने वाले हैं। मेरी सनद में इब्राहीमे नख़ई आपकी सनद के सालिम से बड़े फ़कीह हैं। मेरी सनद में अलक़मा और असवद वह भी फ़िक़ह में कम रुतबा रखने वाले नहीं और मेरी सनद में हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो तो फिर अब्दुल्लाह ही हैं (उनके रुतबे को हज़रते इब्ने उमर कहां पहुँच सकते?)

औज़ाई: ख़ामोश।

इमामे अबू हनीफ़ा और इमामे औज़ाई रहमतुल्लाहे अलैहिमा के मुबाहसे को यहां ज़िक्र करने का मक़सद यह है कि हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो हज़रते इमामे औज़ाई के नज़दीक सनद के लिहाज़ से हदीसे इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के मुक़ाबले में

मजबूत नहीं थी लेकिन इमामे अबूहनीफ़ा ने दलाइल से साबित किया हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो जिसमे रफ़ेयदैन् न करने का हुक्म है वह हदीसे इब्ने उमर से कहीं ज़्यादा क़वी और मजबूत है। तो मालूम हुआ कि जिस मोहदिस व फ़कीह को जो हदीस मिलती है वह अपने उसूल व ज़वाबित के मेयार पर उसे जांचने के बाद क़बूल करता है और अपनी फ़िक्र व फ़हम के मुताबिक़ हदीस से मसाइल का इस्तिखराज करता है। चुनांचे इमामे औज़ाई ने अपनी सनद को बुलन्द इसनाद की बुनियाद पर क़वी करार दिया और इमामे अबू हनीफ़ा ने रावियों के तफ़क्कुह की ज़्यादती की वजह से ज़्यादा क़वी करार दिया। अपने अपने मेयार के मुताबिक़ दोनों दुरुस्तगी पर हैं।

अगर मान लिया जाए कि हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो हज़रते इब्ने मुबारक के नज़दीक़ साबित नहीं तो इससे लाज़िम नहीं आता इमामे अबू हनीफ़ा व दीगर मोहद्वेसीन के नज़दीक़ भी साबित नहीं। इब्ने हज़्म के नज़दीक़ हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो सही है। तिरमिज़ी पर तहकीक़ व तालीक़ लिखने वाले अहमद शाकिर साहब लिखते हैं:

“इस हदीस को इब्ने हज़्म वगैरह हुप्फ़ाज़े हदीस ने सही कहा है। यह सही हदीस है और इसके ज़ईफ़ होने की जो इल्लत बाज़ ने ज़िक्र की है वह कोई मोतबर नहीं। (तिरमिज़ी तहकीक़ व तालीक़ अहमद शाकिर 2/41)

इसके अलावा इमामे अहमद इब्ने हम्बल, दार कुल्नी, इब्ने कत्तान, इब्ने दकीकुलईद मालिकी, इब्ने तैमिया हम्बली और इमामे निसई के नज़दीक़ भी यह हदीस सही है यहां तक कि ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम शैख़ अलबानी के नज़दीक़ भी सही है। (कश्फ़ुल मोज़लात प्र० 179)

एतराज़: हदीसे बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की सनद में एक रावी यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ज़ईफ़ हैं इस लिए यह हदीस नाक़ाबिले इस्तिदलाल है।

जवाब: इसके जवाब में यह कहा जायेगा कि यज़ीद इब्ने अबी ज़ियाद मुख़तलफ़ फ़ीह रावी हैं। बाज़ नाक़ेदीने हदीस ने उन्हें हाफ़िज़ा

के लिहाज से ज़ईफ़ कहा है और बाज़ ने उन्हें सिक्कह, सबत, जाइजुल हदीस कहा है।

इमामे अजली ने फ़रमाया: यज़ीद बिन अबी ज़ियाद कूफी सिक्कह जाइजुल हदीस हैं। (मारेफ़तुस्सिकात लिलअजली 2/342)

इब्ने शाहीन ने उन्हें सिकात में ज़िक्र किया है। (अस्सिकात रकम 1561)

अहमद इब्ने सालेह ने उन्हें सिक्कह कहा।

अली इब्ने आसिम कहते हैं कि इमामे शोबा ने मुझे कहा कि जब मैं यज़ीद बिन अबी ज़ियाद से हदीस लिख लूं और किसी और से न लिखूं तो मुझे कोई परवाह नहीं। (रिजालुल मुज़िरी मअत्तरगीब 4/362)

अबू दाऊद ने उन्हें सबत फ़रमाया।

इब्ने खुज़ैमा ने उनसे अपनी सही में रिवायत ली।

इमामे मुसलिम ने उनकी रिवायत को अपनी सही में ज़िक्र किया।

इमामे बुख़ारी ने शवाहिद में ज़िक्र किया। (अलबिनाया 2/296)

और बाज़ मोहदेसीन के बकौल इस सनद को ज़ईफ़ मान भी लिया जाए तो अहनाफ़ के लिए कुछ नुक़सान देय नहीं। क्योंकि इमामे अबूहनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैह को जिस सनद के साथ यह रिवायत मिली है उसमें यज़ीद बिन अबी ज़ियाद मौजूद नहीं। इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैह ने इसको आमिर शाबी से रिवायत किया है और आमिर शाबी जमहूर मोहदेसीन के नज़दीक सिक्कह फ़कीह हैं। इमामे मकहूल ने उन्हें अपने ज़माने का इब्ने अब्बास करार दिया है। उन्होंने डेढ़ सौ सहाबये किराम से मुलाकात की थी लिहाज़ा हदीसे बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो तअला अन्हो इमामे अबूहनीफ़ा के आला दरजे की सही है।

एतेराज़: अहले हदीस हज़रात अहनाफ़ पर एतेराज़ करते हुए यह कहते हैं कि हदीसे जाबिर इब्ने समुरह रज़ियल्लाहे तअला अन्हो रुकू में जाते और रुकू से उठते वक़्त रफ़ैयदन करने से मना की दलील नहीं बल्कि इसमें सलाम के वक़्त हाथ उठाने से मना किया गया है। जैसा कि हज़रते जाबिर बिन समुरह रज़ियल्लाहो तअला अन्हो की बाज़ रिवायात में साफ़

अलफ़ाज़ में मौजूद है कि हम नमाज़ में जब सलाम फेरते थे तो हाथों को उठाकर अस्सलामो अलैकुम कहा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने हमें ऐसा करते हुए देखा तो उससे मना फ़रमाया और कहा कि क्या बात है तुम सलाम के वक़्त अपने हाथों को इस तरह उठाते हो कि वह बेकरार घोड़ों की दुम हों। मालूम हुआ कि हदीसे मज़कूर को अहनाफ़ रुकू से पहले और रुकू के बाद रफ़ेयदैन् न करने के सुबूत में पेश नहीं करते।

जवाब: कारेईने किराम को मालूम हो कि कभी कोई हदीस एक ही रावी से मुख्तलिफ़ अलफ़ाज़ के साथ मरवी होती है और कभी कुछ अलफ़ाज़ के इत्तेहाद के साथ मुतअद्दिद कुतुबे अहादीस में मुख्तलिफ़ अबवाब के तहत मज़कूर होती है। कभी ऐसा होता है कि एक ही रावी की रिवायत की हुई दो हदीसों कुछ लफ़ज़ी इश्तिराक की बुनियाद पर सरसरी नज़र में एक ही मौक़ा और महल की मालूम होती हैं हालांकि वह मुतअद्दिद मवाक़े की होती हैं इसकी कई मिसालें कुतुबे अहादीस में मिल जायेंगी। हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की हदीस 'लैलतुलजिन्न' इसकी एक मिसाल है।

हदीसे जाबिर बिन समुरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की हालत भी ऐसी ही है। मोहदिस इमामे अली क़ारी फ़रमाते हैं कि ज़ाहिर यह है कि हज़रते जाबिर बिन समुरह की हदीस दो मौक़ों से मुतअल्लिक है। (मिरकात 1/498) सलाम के मौक़े पर रफ़ेयदैन् न करना और तहरीमा के सिवा तमाम मवाक़े पर रफ़ेयदैन् न करना बल्कि सुकून इख्तियार करना जैसा कि "अपनी नमाज़ों में सुकून इख्तियार करो" के अलफ़ाज़ यह बताते हैं। हदीसे जाबिर बिन समुरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो सलाम की क़ैद के बग़ैर 14 कुतुबे अहादीस में और सलाम की क़ैद के साथ दो कुतुबे अहदीस में है। जैसा कि गुज़िश्ता सफ़हात में इसकी तफ़सील ज़िक्र की गई।

एतेराज़: हज़रते अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के असर पर यह एतेराज़ किया जाता है कि यह ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी सनद में मोहम्मद बिन जाबिर ज़ईफ़ हैं और उन्होंने ही इस असर को

हम्माद से मरफूअन रिवायत किया है और हम्माद के अलावा दीगर लोगों ने इसे इब्राहीमे नखई से रिवायत किया है तो हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से मौकूफन रिवायत किया है। लिहाज़ा इस असर को रफ़ेयदैन् न करने पर दलील नहीं बना सकते।

जवाब: इमामे दार कुल्ती ने इसकी सनद यह ज़िक्र की है: “मोहम्मद बिन जाबिर हम्माद से वह इब्राहीम से वह अलकमा से वह अब्दुल्लाह से (उन्होंने) कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी आखिर हदीस तक”

पहली बात तो यह कि इस असर की रिवायत में मोहम्मद बिन जाबिर तन्हा नहीं अल्कि हम्माद अन् इब्राहीम की सनद से इमामे अबू हनीफ़ा ने भी रिवायत किया है। (किताबुल आसार इमामे मोहम्मद)

दूसरी बात यह है कि अगर मोहम्मद बिन जाबिर को इस रिवायत में तन्हा मान भी लिया जाए तो उसकी वजह से रफ़ेयदैन् न करने में यह नाक़ाबिले हुज्जत न होगी क्योंकि उनकी रिवायत सिक्ह रावी के ख़िलाफ़ नहीं। इसके अलावा हदीसे इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो इमामे अबू हनीफ़ा के नज़दीक बहुत सही है यहां तक कि माज़ी करीब के अहले हदीस के आलिम शैख़ अलबानी के नज़दीक भी सही है। हवाला पहले गुज़रा।

अगर मोहम्मद बिन जाबिर की वजह से इस सनद को जईफ़ माना जाए तो भी नाक़ाबिले हुज्जत नहीं क्योंकि कोई सिक्ह रावी मोहम्मद बिन जाबिर के ख़िलाफ़ रफ़ेयदैन् करने का ज़िक्र करते तो सिक्ह की मुख़ालफ़त की वजह से यह रिवायत नाक़ाबिले हुज्जत होती और अगर मान लिया जाए कि यह रिवायत हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो पर मौकूफ़ मुरसल सही है तो भी हदीस मौकूफ़ मुरसल सही हुज्जत होती है और जब मौकूफ़ हदीस में जो हुक्म मज़कूर हो वह ग़ैर माकूल व ग़ैर क़यासी हो तो वह हदीसे मरफू के हुक्म में होती है। कोई सहाबीये रसूल अपनी राय से रफ़ेयदैन् तर्क नहीं कर सकते थे क्योंकि रफ़ेयदैन् के सुबूत पर अहादीस भी मौजूद हैं। तो मालूम हुआ कि हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद को यह रिवायत मिल चुकी थी कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने पहले नमाज़ में रफ़य़दैन् किया लेकिन बाद में छोड़ दिया जैसा कि दूसरी सही रिवायत में सराहत है कि हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने बयान फ़रमाया कि अल्लाहे के रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ में तकबीरे तहरीमा के सिवा कहीं रफ़य़दैन् नहीं होता था। हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने सहाबये किराम से यह फ़रमाया कि मैं तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ पढ़कर बता रहा हूँ। इससे यह पता चला कि हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम को एक बार नहीं बल्कि बारहा रफ़य़दैन् न करते हुए देखा था। वरना यह कैसे कहा जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने आखिरी उम्र तक नमाज़ में रफ़य़दैन् किया लेकिन हज़रते इब्ने मसऊद और कसीर सहाबये किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम ने अपनी राय से इसे छोड़ दिया।

अहले हदीस के कहने के मुताबिक़ अगर रफ़य़दैन् न करना हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो का अपना फेल हो तो यह कहना दुरुस्त होगा कि उन्होंने नमाज़ में रफ़य़दैन् न करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के फेल की मुख़ालफ़त की थी। और यही नहीं बल्कि इस फेल के मुतकिब हज़रते अबूबक्र सिद्दीक़, हज़रते फ़ारुक् आज़म, हज़रते अली और हज़रते अब्बाद इब्ने जुबैर वग़ैरह सहाबये किराम भी थे और उन्होंने इस फेल से उन्हें रोका। क्या अहले हदीस के नज़दीक़ यह सहाबये किराम नमाज़ में रफ़य़दैन् न करके रसूलुल्लाहो अलैहे वसल्लम की सुन्नत के मुख़ालिफ़ हुए।

एतेराज: हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के बारे में अहनाफ़ यह जो कहते हैं कि वह रफ़य़दैन् नहीं करते थे वह ग़लत है। क्योंकि सही बुख़ारी में है कि हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रुकू में जाते और रुकू से उठते वक़्त रफ़य़दैन् करते थे।

जवाब: हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से तीन किस्म की रिवायात मनकूल हैं। (1) तकबीरे तहरीमा के अलावा रुकू में जाते

और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन करना (2) रुकू में जाते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त और दो रकअत पूरी करके उठते वक़्त रफ़ेयदैन करना (3) सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेयदैन करना।

सही बुख़ारी हदीस 735 में रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन करना मनकूल है और सही बुख़ारी हदीस 739 में रुकू में जाते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त और दो रकअत से खड़े होते वक़्त रफ़ेयदैन करना मनकूल है।

मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा हदीस 2452 में हज़रते मुजाहिद से मरवी है कि हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो तकबीरे तहरीमा के सिवा पूरी नमाज़ में रफ़ेयदैन नहीं करते थे।

अहादीस से इस्तिखराजे मसाइल का एक उसूल यह भी है कि अगर किसी रावी से किसी मसअले में रिवायात मुख्तलिफ़ मनकूल हों तो एक रिवायत को दूसरी रिवायत पर तरजीह देने की एक सूरत यह भी है कि रावी का अपना अमल देखा जायेगा, उसके अमल की बुनियाद पर उसकी किसी रिवायत को तरजीह दी जायेगी। हम यह देखते हैं कि हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रफ़ेयदैन के तअल्लुक से मुख्तलिफ़ रिवायात मनकूल हैं।

एक रिवायत में है कि रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन करना और दूसरी रिवायत में है दो रकअत पर उठते वक़्त भी रफ़ेयदैन करना, इन दोनों रिवायतों को उन्होंने हुज़ूर नबीये करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की तरफ़ मन्सूब किया है लेकिन खुद उनका अमल यह था कि वह सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेयदैन करते थे। जैसा कि इमामे बुख़ारी ने 'ज़ुज़र रफ़ेयदैन' में इसको नक़ल फ़रमाया है और उसकी सनद पर कोई कलाम नहीं किया है। हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो का खुद रफ़ेयदैन न करना इस बात की दलील है कि उनके नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की वह हदीस जिसमें रफ़ेयदैन न करने का ज़िक्र है राजेह है।

मोहदिसो मुजतहिद इमामे तहावी [मौत: 321 हि0] ने फरमाया कि हजरते इब्ने उमर रजियल्लाहो तआला अन्हो का रफ़ेयदैन् न करना इस बात की दलील है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को देखा था कि आपने रफ़ेयदैन् छोड़ दिया था लिहाज़ा यह रफ़ेयदैन् के मन्सूख होने की दलील है। (मुश्किलुल आसार 10/35)

मोहदिसो फ़कीह इमामे मोहम्मद [मौत: 189 हि0] ने अपनी मोतबर सनद के साथ हजरते इब्ने उमर का अमल नक़ल फरमाया:

हजरते अब्दुल अजीज़ इब्ने हकीम ने फरमाया कि मैंने हजरते इब्ने उमर रजियल्लाहो तआला अन्हो को देखा आप नमाज़ में सिर्फ़ तकबीरे इफ़तेताह के वक़्त दोनों हाथों को कानों की लौ तक उठाते थे और उसके अलावा नमाज़ में कहीं नहीं उठाते थे। (अलहुज्जत अला अहलिल मदीना 1/96)

एतेराज़: तेईसवीं हदीस से यह जो साबित किया गया कि अबू हुमैद साइदी रजियल्लाहो तआला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ का तरीका सहाबये किराम की एक जमाअत के सामने बयान किया तो उसमें रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन् का ज़िक्र नहीं किया, इससे रफ़ेयदैन् न करना साबित नहीं हो सकता, क्योंकि अबू हुमैद साइदी की यही हदीस सही इब्ने हिब्बान में है तो उसमें रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन् करने का ज़िक्र है।

जवाब: हजरते अबू हुमैद साइदी रजियल्लाहो तआला अन्हो की हदीस जो सही बुख़ारी में है उसमें रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन् का ज़िक्र नहीं लेकिन सही इब्ने हिब्बान में रफ़ेयदैन् का ज़िक्र है। अब हम अहले हदीस के उलमा से पूछते हैं कि सही इब्ने हिब्बान और सही बुख़ारी का तकाबुल हो तो बुख़ारी की हदीस को तरजीह दी जायेगी या सही इब्ने हिब्बान की हदीस को। जब अपने मतलब की बात सही बुख़ारी में मिलती है तो पूरी अहले हदीस बरादरी गले फाड़-फाड़ कर कहती है कि अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही किताब बुख़ारी है और जब मतलब के खिलाफ़ कोई चीज़

हो तो उसे बिल्कुल नज़र अन्दाज़ कर देते हैं, सही बुख़ारी के तअल्लुक से यह दोहरा मेयार क्यों?

एतेराज़: इमामे बुख़ारी ने रफ़ेयदैन् को सही अह़दीस से साबित किया है लिहाज़ा उसको मानना ज़रूरी है। उसको न मानना सही हदीस का इनकार करना है।

जवाब: यह सवाल ग़ैर इल्मी है। इसका एक जवाब इल्ज़ामी है और दूसरा जवाब तहकीकी। इल्ज़ामी जवाब यह है कि अगर इमामे बुख़ारी के नज़दीक रफ़ेयदैन् सही अह़दीस से साबित है इसलिए रफ़ेयदैन् करना हर शख्स के लिए ज़रूरी है तो इमामे बुख़ारी के उस्ताज़ इमामे हुमैदी ने भी रफ़ेयदैन् न करने की हदीस को हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की सही सनद के साथ मुसनदे हुमैदी में ज़िक्र किया है। क्या वजह है कि एक बात पर सही हदीस इमामे बुख़ारी के उस्ताज़ इमामे हुमैदी पेश करें तो मानना ज़रूरी न हो और उसके खिलाफ़ पर इमामे बुख़ारी सही हदीस पेश करें तो उसको मानना ज़रूरी हो? हालांकि खुद ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं कि इमामे बुख़ारी जब कोई हदीस अपने उस्ताज़ इमामे हुमैदी से पाते थे तो इधर उधर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। (तोहफ़तुल अहवज़ी 3/269)

तहकीकी जवाब यह है कि इमामे बुख़ारी को सही सनद के साथ रफ़ेयदैन् की हदीस मिली इसलिए वह रफ़ेयदैन् के कायल हुए लेकिन इमामे अबू हनीफ़ा को इमामे बुख़ारी की सनद से ज़्यादा सही सनद के साथ रफ़ेयदैन् न करने हदीस मिली इसलिए उन्होंने रफ़ेयदैन् न करने का कौल किया। फिर इमामे बुख़ारी न ताबेई थे न तबये ताबेई। आपकी वफ़ात 256 में हुई। इमामे अबूहनीफ़ा ताबेई थे उनकी वफ़ात 150 हि0 में हुई। इमामे बुख़ारी 194 हि0 में पैदा हुए और इमामे अबूहनीफ़ा 80 हि0 में पैदा हुए। इमामे बुख़ारी इमामे अबूहनीफ़ा के 44 साल के बाद पैदा हुए। इमामे अबू हनीफ़ा ने रफ़ेयदैन् न करने की हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम से सिर्फ़ एक वास्ता सहाबीये रसूल हज़रते बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से सुनी और इमामे बुख़ारी

की कोई हदीस रफ़ेयदैन् की ऐसी नहीं जो उन्होंने सिर्फ़ एक वास्ते से किसी सहाबी से सुनी हो। लिहाज़ा इमामे अबू हनीफ़ा की हदीस ज़्यादा सही है उसके मुकाबले में कम दर्जे की सही हदीस पर अमल करवाने की जिद करना कौनसा उसूल है?

एतेराज: हज़रते वाइल इब्ने हजर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की हदीस में है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो आपने रुकू करते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन् किया।

जवाब: सबसे पहली बात तो यह है कि हज़रते वाइल इब्ने हजर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के मुकाबिले में हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की हदीस राजेह है। क्योंकि इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो फुकहाये सहाबा में से थे और हज़रते वाइल इब्ने हजर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से ज़्यादा हज़रते इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने नबीये करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की नमाज़ का मुशाहदा फ़रमाया था। आप सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम के साथ ज़्यादा नमाज़ें अदा फ़रमाई थीं।

दूसरी बात यह है कि अगर हज़रते वाइल इब्ने हजर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की रिवायत की बुनियाद पर मुख़तलफ़ फ़ीह रफ़ेयदैन् को ज़रूरी मान लिया जाए तो वह सहाबये किराम जिनमें खुल्फ़ाये राशेदीन भी हैं जिन्होंने रफ़ेयदैन् नहीं किया वह सब बकौले अहले हदीस मुख़ालिफ़े सुन्नत थे। जो इल्ज़ाम फ़िरक़ये अहले हदीस का अहनाफ़ पर है उसकी ज़द में तो फुकहाए किराम आ जाते हैं। इसका उनके पास क्या जवाब है? कुछ बर्इद नहीं कि वह यह कह दें कि हम उन सहाबा की बात नहीं मानते। फ़कीर राकिम का अपना मुशाहदा है कि कई ऐसे अहले हदीस अंग्रेज़ीदां नौजवान मिले जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ यह कह दिया कि शैख़! उन सहाबा का यह अमल सुन्नत के खिलाफ़ है इसलिए हम उसको नहीं मानते। दर अस्ल यह बोल उन नादान नौ जवानों का नहीं बल्कि उन शूयूख़े वहाबिया का है जिनकी गुमराही के जाल में यह नौ जवान फंसे हुए होते हैं और जिनकी खुफ़िया पिलानिंग

हदीस की आड़ में मुनकिरीने हदीस की एक टोली तय्यार करना है ताकि इस्लाम के खिलाफ मगरिबी साजिश को कामयाब बनाया जा सके।

एतेराज: हज़रते अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम जब फ़र्ज़ नमाज़ के लिए खड़े हुए तो तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेयदैन् किया और रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन् किया।

जवाब: अहनाफ़ ने कभी यह नहीं कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम से रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन् की कोई रिवायत मनकूल नहीं, अहनाफ़ का कहना यह है कि हुजुरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की यह सुन्नते दायमा मोहकमा नहीं रही क्योंकि जिन सहाबये किराम से रफ़ेयदैन् की रिवायत मनकूल है उनसे रफ़ेयदैन् न करने की रिवायत भी मनकूल है। बल्कि बाज़ सहाबा से सिर्फ़ तर्क रफ़ेयदैन् की रिवायत मनकूल है। अहनाफ़ के नज़दीक तकबीरे तहरीमा वाला रफ़ेयदैन् इत्तेफ़ाकी है और उसके अलावा रफ़ेयदैन् इख़्तेलाफी है। सिर्फ़ रुकू करते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन् करने पर सही हदीस नहीं आई है बल्कि बाज़ सही हदीस में हर तकबीर के वक़्त बाज़ में दो सजदों के दरमियान और बाज़ में दो रकअत से उठते वक़्त भी रफ़ेयदैन् करना साबित है। तो क्या दो सजदों के दरमियान भी रफ़ेयदैन् करना सुन्नत है? अगर है तो अहले हदीस इस पर अमल क्यों नहीं करते? अगर हज़रते अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की इस रिवायत से रफ़ेयदैन् को हुजूर सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की सुन्नते दाइमा माना जाए तो इसका क्या जवाब है कि खुद हज़रते अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो और आपके असहाब तकबीरे तहरीमा के सिवा कहीं रफ़ेयदैन् नहीं करते थे? जैसा कि गुज़िश्ता सफ़हात में मुसन्नफ़े इब्ने अबी शैबा, इमामे मालिक और मोअत्ता इमामे मोहम्मद के हवाले से गुज़रा। यह कैसे हो सकता है कि हज़रते अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रफ़ेयदैन् को हुजूर सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की सुन्नते दाइमा समझते हों और फिर खुद ही उसके खिलाफ़ अमल किया हो? हज़रते अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो का अपनी रिवायत के खिलाफ़ खुद अमल करना इस रिवायत के मरजूह व मन्सूख़ होने को साबित करता है।

ग़लत फ़हमियों का इज़ाला

पहली ग़लत फ़हमी: इमामे आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे तआला अलैहे का कौल है *“जब सही हदीस मेरे मज़हब के खिलाफ़ हो तो मेरे मज़हब को छोड़ दो और सही हदीस पर अमल करो”* इससे मालूम हुआ कि इमामे अबू हनीफ़ा के जो अक़वाल सही हदीस के खिलाफ़ हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। जैसाकि नमाज़ में रुकू में जाते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त और तीसरी रकअत के लिए उठने के बाद दोनों हाथों को उठाना सही हदीस से साबित है, और इमामे अबू हनीफ़ा का कौल है कि सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा के वक़्त दोनों हाथों को उठाया जाए और पूरी नमाज़ में कहीं पर न उठाया जाए। यह कौल सही हदीस के खिलाफ़ है लिहाज़ा उसको छोड़ देना चाहिए और सही हदीस पर अमल करते हुए रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त दोनों हाथों को उठाना चाहिए।

ग़लत फ़हमी का इज़ाला: *“जब सही हदीस मेरे मज़हब के खिलाफ़ मिल जाए तो सही हदीस पर अमल करो”* यह कौल सिर्फ़ इमामे अबूहनीफ़ा का नहीं बल्कि सारे अइम्मये मुजतहेदीन इमामे मालिक व इमामे अहमद इब्ने हम्बल का भी है। बल्कि हर मुसलमान यही कहेगा कि चाहे कोई कितना बड़ आदमी क्यों न हो अगर उसकी बात सही हदीस के खिलाफ़ हो तो वह नामकबूल होगी और सही हदीस पर अमल होगा। लेकिन किसी इमामे मुजतहिद फ़कीह के तअल्लुक़ से यह बात कहना कि फुलां मुजतहिद की बात सही हदीस के खिलाफ़ है किसका हक़ है? क्या हर कसो नाकस हर पढ़ा लिखा और अनपढ़ को यह हक़ हासिल है कि वह किसी इमामे व मुजतहिद की किसी बात को सही हदीस के खिलाफ़ पाकर उसे रद्द कर दे और यह कहता फ़िरे कि फुलां इमामे की फुलां बात सही हदीस के खिलाफ़ है लिहाज़ा इसकी बात न मानो बल्कि सही हदीस मानो और अहले हदीस (वहाबी ग़ैर मुक़ल्लिद) बन जाओ? आजकल ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अहले हदीस के ग़िरोह का हर ऐसा ग़ैरा यह कहता हुआ नज़र आता है कि रुकू में जाते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त और तीसरी रकअत के लिए उठने

के बाद रफ़ेयदैन करना बुख़ारी की सही हदीस से साबित है और इमामे अबू हनीफ़ा कहते हैं रफ़ेयदैन नहीं करना है, उनका कौल सही हदीस के खिलाफ़ है लिहाज़ा उसको छोड़ना ज़रूरी है।

जब किसी इमामे का कौल सही हदीस के खिलाफ़ नज़र आए तो आमी ग़ैर मुजतहिद का यह यकीन कर लेना ग़लत है कि वह वाक़ेअतन सही सही हदीस के खिलाफ़ और नाकाबिले अमल है। यह मन्सब इमामे मुजतहिद फ़कीह का है, यह वही कह सकता है कि फुलां इमामे का कौल सही हदीस के खिलाफ़ है, लिहाज़ा वह नाकाबिले क़बूल है। क्योंकि कोई कौल किसी एक सही हदीस के खिलाफ़ हो तो इससे यह लाज़िम नहीं आता कि कोई दूसरी सही हदीस उस कौल की ताईद में मौजूद नहीं। फिर यह ज़रूरी नहीं कि हर सही हदीस काबिले अमल हो। क्योंकि किसी सही हदीस की कोई दूसरी सही हदीस मुआरिज़ हो और दूसरी सही हदीस इमामे मुजतहिद के नज़दीक अमल के लिहाज़ से राजेह हो या कोई सही हदीस उसके लिए नासिख़ हो। या किसी ही हदीस में कोई इल्लते ख़फ़िय्या (पोशीदा वजह) हो जिसकी वजह से वह काबिले अमल न हो और इमामे मुजतहिद ने उस सही हदीस के खिलाफ़ कौल किया हो तो ऐसी सूरत में कौले इमाम बज़ाहिर एक सही हदीस के खिलाफ़ होता है लेकिन दर हकीकत वह दूसरी राजेह सही हदीस के मुवाफ़िक़ होता है या कौले इमाम के मुकाबिले में कोई मुआरिज़ हदीसे सही गो सनदन सही होती है लेकिन कर्ने अव्वल ही से वह मामूलबेही नहीं होती। यानी शूरु ज़माने ही से उस पर अमल जारी नहीं। इसकी बहुत सी मिसालें कुतुबे फ़िक़हो उसूल में मौजूद हैं।

इमामे अबू हनीफ़ा का तर्क रफ़ेयदैन का कौल सही और राजेह अह़ादीस व आसार पर मबनी है। चुनांचे हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है जिसकी तख़रीज इमामे अबू दाऊद ने की है: हमसे हदीस बयान की उसमान इब्ने अबी शैबा ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की वकी ने वह सुफ़यान से वह आसिम यानी इब्ने कुलैब से वह अब्दुर्रहमान बिन असवद से वह अलक़मा से उन्होंने (अलक़मा) ने कहा कि हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद

रजियल्लाहो तआला अन्हो ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की नमाज़ न पढ़ाऊँ? फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो हाथों को सिर्फ एक मरतबा उठाया। (सुनने अबी दाऊद, उन लोगों का बाब जिन्होंने रुकू के वक़्त रफ़ेयदैन का ज़िक्र नहीं किया हदीस 748) यह हदीस मुसनदे अबू हनीफ़ा, अस्सुननुल कुबरा लिलबैहकी, अस्सुननुल कुबरा लिन्नसई, मुसनदे अबुल याला अलमूसली, सुनने तिरमिज़ी, अस्सुननुस्सुगरा लिन्नसई, मुख़तसुर अहक़ाम लि़त्तूसी, मुसनदे अहमद इब्ने हम्बल और मुसन्फ़े इब्ने अबी शैबा में भी मौजूद है। इस हदीस की तख़रीज दर्ज ज़ैल कुतुब में भी की गई है।

1. इतहाफ़ुल ख़ैरुतिल मेहरा बेज़वायदिल मसानीदिल अशरह लिलकनानी अश्शाफ़ेई (मौत: 840 हि०)
2. इतहाफ़ुल मेहरा लेइब्ने हजर, अतराफ़ुल मुसनद अलमुतअल्ली बेअतराफ़िल मुसनद अलहम्बली लेइब्ने हजर।
3. अल बदरुल मुनीर फ़ी तख़रीजिल अहादीस वल आसार अलावाक़ेअते फ़ी शरहिल कबीर लेइब्निल मुलक्कन।
4. अत्तहकीक़ फ़ी मसाइलिल ख़िलाफ़ लेइब्ने जौज़ी।
5. अत्तलख़ीसुल ख़बीर लेइब्ने हजर।
6. अलजौहरुन्नकी अला सुननुल बैहकी लेइब्ने अत्तुरकमानी।
7. अदिराया फ़ी तख़रीजे अहादीसिदिराया।
8. अमतालेबुल आलिया बेज़वायेदिल मसानीदिस्समानिया लेइब्ने हजर।
9. तोहफ़तुल अशराफ़ बेमारेफ़तिल अतराफ़ लिलमुज़ी।
10. तख़रीजे अहादीसे एहयाइल उलूम लिज़्जुबैदी।
11. तनकीहुत्तहकीक़ फ़ी अहादीसित्तालीक़ लेइब्ने अब्दिल हादी अलहम्बली।
12. तनकीहुत्तहकीक़ लिज़्जहबी।
13. ज़ैलुलकौलिल मुसद्द फ़िज़्जब्ब अनिलमुसनद अहमद लिलकाज़ी फ़िलमुलकिल मदरासी अलहिन्दी अश्शाफ़ेई।
14. कन्जुल उम्माल लेअली मुत्तकी अलहिन्द।
15. नसबुरीया लिलवैलई।

हुक्मे हदीस: इमामे अबूहनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैहे के नज़दीक यह हदीस आला दर्जे की सही है। इसके तमाम रावी सिक़ह, आदिल, हिफ़ज़ो इतक़ान वाले हैं इब्ने हज़म ने भी इस हदीस को सही कहा और इमामे तिरमिज़ी ने अपनी सनद के साथ इसे हसन कहा, इब्ने दक्कीकुलईद, ज़ैलई और इब्ने अत्तरकमानी ने हदीसे मज़कूर को क़वी कहा है और ग़ैर मुक़ल्लेदीन के इमामे शैख़ नासिरुद्दीन अलबानी ने भी इसको हाशिये अबूदाऊद व तिरमिज़ी में लिखा है कि *“हक़ यह कि वह हदीसे सही है”* ग़ैर मुक़ल्लेदीने ज़माना इस पर एतेराज़ात करते हैं इंशा अल्लाह अगले सफ़हात में उसके जवाबात दिये जायेंगे।

कारेईने किराम! मिसाले मज़कूर को ज़िक़्र करने क मक़सद यह है कि कभी ऐसा होता है कि इमामे मुजतहिद का मज़हब बज़ाहिर किसी हदीस के ख़िलाफ़ मालूम होता है लेकिन दर हकीक़त उस कौल की पुश्त पर दूसरी राज़ेह व क़वी हदीस मौजूद होती है। लेकिन उसको आम आलिम या मामूली पढ़ा लिखा आदमी समझ नहीं पाता। यही वजह है कि हर ऐरे ग़ैरे ग़ैर मुजतहिद आलिम को यह हक़ नहीं पहुंचता कि वह अइम्मये दीन व फ़ुक़हाए उम्मत के अक़वाल को अह़ादीसे सहीहा के ख़िलाफ़ क़रार दे।

मोहक्किक् शैख़ अव्वामा अपना एक वाक़ेआ तहरीर करते हैं जो दौरे हाज़िर के ग़ैर मुक़ल्लेदीन के लिए दर्से इबरत व चश्म कुशा है:

“मेरे पास एक नौजवान आया। वह हमारे शहर ‘हल्ब’ के किसी कपड़े के कारख़ाने में मैकेनिक था। वह जाड़े की लम्बी रात में बाद नमाज़े इशा आया और बारह बजे तक रहा, वह सरदी से कौंप रहा था, और मुझसे बात कर रहा था। उसके साथ इतनी लम्बी गुप्तगू करने के बाद भी मैं उसे किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा सका। क्योंकि वह एक जाहिल आदमी था। कोई इल्मी जाब्ता उसकी समझ से बाहर था। अगर अल्लाह तआला की बारगाह में अपनी ज़िम्मेदारी से मुतअल्लिक् जवाबदेही का एहसास न होता तो मैं उससे इतनी लम्बी देर तक गुप्तगू नहीं करता।”

उस आदमी के हाथ में एक कागज़ था जिस पर सही मुसलिम की एक हदीस लिखी हुई थी। वह हदीस थी ऊँट का गोशत खाकर वुजू के वाजिब होने के सिलसिले में। नीज़ उसमें इमामे नौवी के हवाले से यह लिखा था कि सही हदीस अगर मज़हब के खिलाफ़ हो तो उस पर अमल किया जायेगा और यही बात इब्नुल हुमाम और अब्दुल हय्य लखनवी के हवाले से लिखी हुई थी।

फ़ैक्टरी का वह 'मुलाज़िम आलिम' इमामे अबू हनीफ़ा और इमामे शाफ़ेई पर यह इल्ज़ाम रख रहा था कि जब दोनों इमामों ने यह फ़रमाया है कि सही हदीस मिल जाए तो वही हमारा मज़हब है तो सही हदीस से साबित है कि ऊँट का गोशत खाकर वुजू करना ज़रूरी है, लिहाज़ा इमामे अबू हनीफ़ा और इमामे शाफ़ेई का मज़हब यह होना चाहिए कि ऊँट का गोशत खाकर वुजू करना वाजिब है क्योंकि सही हदीस से साबित है। हालांकि उस मुलाज़िम के मबलगे इल्म का हाल यह था कि वह मेरे सामने इब्नुलहुमाम को इब्नुलहमाम और लखनवी को लकनवी पढ़ रहा था।

कारेईने किराम! खुदा के वास्ते ज़रा बताएं कि क्या इस तरह के जाहिल लोग जो अपने आप को मुजतहिद समझने की कोशिश करते हैं और नौजवानों को रौशन ख़याली के नाम पर गुमराह करते हैं और उन्हें धोका देते हैं वह हक़ पर हैं या वह अइम्मये मुजतहेदीन व फुक़हा जो किताब व सुन्नत से अपने इजतिहाद के ज़रिये दीनी अहक़ाम मुस्तख़्ज करते हैं और दीन को सही तौर पर समझते हैं, वह हक़ पर हैं?

(असरुल हदीसिशरीफ़ फ़ी इख़्तेलाफ़िल अइम्मतिल फुक़हा प्र० ९)

आज ग़ैर मक़ल्लेदीने ज़माना हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई जैसे मौलवी और उनके जाहिल अवाम बड़ी ज़ुरअत के साथ अइम्मये दीन पर तानो तश्नी करते हुए यह कहते हैं कि फुलां फुलां इमाम का कौल सही हदीस के खिलाफ़ है लिहाज़ा उनको ना मानो, सही हदीस को मानो। इस तरह की धोका देही से दर अस्ल उनका मक़सद यह है कि आम मुसल्मानों को अइम्मये दीन व मुजतहेदीने उम्मत से बेज़ार कर दिया जाए। उनसे एतेमाद का रिश्ता काट दिया जाए। फिर दीन की ताबीर व

तशरीह में खूब मनमानी की जाए और यहूदो नसारा की तरह दीन व अहकामे दीन की तशरीह तज़ादात व मुग़ालतात का मजमूआ बनकर रह जाए। वल अयाज़ बिल्लाहिल अज़ीम। यह यहूदी व ईसाई साज़िश जिसके लिए वहाबियत व ग़ैर मुक़ल्लदियत सबसे बेहतर हथियार हैं।

दूसरी ग़लत फ़हमी: आज कल के वहाबी ग़ैर मुक़ल्लेदन आम लोगों में यह बात फैलाते हैं कि हनफी लोग बुख़ारी व मुसलिम की बहुत सी सही अह़ादीस पर अमल नहीं करते। हालांकि शाह वलीउल्लाह मोहदिस देहलवी ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालेगा में लिखा है कि जो इन (सहीहैन यानी बुख़ारी व मुसलिम) की अज़मत न करे वह बिदअती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ राह चलता है। (हुज्जतुल्लाहिल बालेगा प्र० 242) चुनांचे हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई ग़ैर मुक़ल्लिद वहाबी, अइम्मये अहनाफ़ व मुक़ल्लेदीने इमामे आजम पर तीर चलाते हुए लिखते हैं कि *“मगर किसे मालूम था कि एक ऐसा दौर आने वाला है जब मुसलमानों की राह के ख़िलाफ़ चलने वाले बिदअती सहीहैन (बुख़ारी व मुसलिम) की अह़ादीस और रावियों पर अंधाधुंध हमले करेंगे।”* (नूरुल ऐन फी इसबाते रफ़ेयदैन प्र० 32)

ग़लत फ़हमी का इज़ाला: शाह वलीउल्लाह मोहदिस देहलवी की बात दुरुस्त है। यकीनन जो सहीहैन की अज़मत न करे वह बिदअती है। लेकिन क्या हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई वहाबी मुक़ल्लिद और हम ख़यालों के नज़दीक सहीहैन के सिवा बाकी कुतुबे अह़ादीस मसलन सुनने अबूदाऊद, सुनने निसई, सुनने इब्ने माजा, जामे तिरमिज़ी, सही इब्ने खुज़ैमा, मुस्तदरक लिलहाकिम वग़ैरह की तौहीन करने वाला पक्का अहले सुन्नत और वहाबी तशरीह के मुताबिक़ ख़ालिस ‘अहले हदीस’ है? सही बुख़ारी व मुसलिम की अज़मत उनमें मौजूद सही अह़ादीसे रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की बुनियाद पर है तो क्या इस अज़मत से दीगर कुतुबे अह़ादीस ख़ाली हैं? सही अह़ादीस की तादाद व सनद के लिहाज़ से कुतुबे अह़ादीस में तफ़ावुत होना अलग बात है लेकिन तमाम कुतुबे अह़ादीस हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई ग़ैर मुक़ल्लिद वहाबी के नज़दीक अज़मत वाली है या नहीं? और उनकी अज़मत को न मानने

वाला बिदअती, मुसलमानों की राह के खिलाफ चलने वाला है या नहीं? उनके हामी इस सवाल का जवाब दें तो फिर इंशा अल्लाह उन्हें आईना दिख जाएगा।

तीसरी ग़लत फ़हमी: हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई साहब ने इमामे अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन याकूब हारेसी बुख़ारी अलमारुफ़ ब 'अब्दुल्लाह उस्ताज़' को (जो इमामे अबू हनीफ़ा लिलख़ारज़मी के रावी हैं) बाज़ नाक़ेदीने हदीस के हवाले से ज़ईफ़ बल्कि 'मुत्तहिम बिल वज़ा' लिखा है। वह लिखते हैं कि उस शख्स की तौसीक किसी ने नहीं की। (नूरुल ऐनैने प्र0 230)

ग़लत फ़हमी का इज़ाला: शैख़ अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह बिन याकूब हारेसी बुख़ारी को माहेरीने हदीस मसलन यहया इब्ने मईन, अबू हतिम राजी, अली बिन मदयनी वगैरहु ने मुत्तहिम करार नहीं दिया है। ज़ैल में हम माहेरीन को अक़वाल नक़ल करते हैं।

अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह बिन याकूब हारेसी बुख़ारी पर अक़वाले
जरह का तनकीदी जायज़ा

- अबू ज़रआ अहमद बिन हुसैन ने उन्हें 'ज़ईफ़' कहा मगर यह जरह मुबहम है जो ग़ैर मोतबर है।
- हाकिम ने कहा कि वह साहिबुल अजाइब अनिस्सकात हैं मगर किसी रावी को 'साहिबे अजाइब' या 'इन्दहू अजाइब' कहने से उसका मजरुह होना लाज़िम नहीं आता जब तक कि दलील से उसका ग़ैर सिक़ह होना साबित न हो जाए। (तहरीरे उलूमिल हदीस 1/205, लेअब्दिल्लाह इब्ने यूसुफ़ अलजदी बैरुत 1424 हि0)

मसलन उस्मान बिन अब्दुर्रहमान तराइफ़ी (मौत: 202 हि0) अबू दाऊद, निसई, इब्ने माजा के रावी हैं। उनको इब्नुलजौज़ी ने अबू अरुबा के हवाले से 'इन्दहू अजाइब' लिखा उनके यहां कुछ अजीब रिवायात हैं इब्ने नुमैर ने तो 'कज्ज़ाब' तक कह डाला (अज्ज़ोअफ़ा वल मतरुकून 2/169) मगर बावजूद इसके इमामे ज़हबी ने उन्हें सिक़ह कहा, यहया बिन मईन ने सदूक़ कहा, अबू अरुबा ने कहा कि उनमें कोई ऐब नहीं।

वह कुछ मजहूल लोगों से कुछ अजाइब रिवायात करते हैं। इब्ने अबी हातिम ने कहा कि मेरे वालिद ने कहा कि बुखारी ने उन्हे किताबुज्जोअफा में जिक्र किया है। लेकिन मुझे यह बात पसन्द नहीं, अहमद इब्ने अम्र इब्ने अबी आसिम नुबैल ने कहा कि उसमान बिन अब्दुर्रहमान लोगों के नजदीक सच्चे थे। इब्ने शाहीन ने उनके तअल्लुक से किताबुस्सिकात में लिखा कि वह सिकह हैं मगर कवी व जईफ रावियों से रिवायत लेते हैं।

(सियरो आलामिनुबला 9/426, तारीखुल इस्लाम लिज्जहबी 5/120, इकमाल तहजीबुल कमाल 9/465)

कारेईन मुलाहजा फरमायें कि उसमान बिन अब्दुर्रहमान तराइफी सिहाहे सित्ताके रावियों में हैं जिन्हें बाज़ मोहदेसीन ने साहिबे अजाइब कहा बावजूद इसके जम्हूरे मोहदेसीन ने उन्हें 'सदूक, सिकह और उनमें कोई ऐब नहीं' कहा है और जम्हूर के मुकाबिले में इब्ने नुमैर का कौल कि वह कज्जाब हैं रद्द कर दिया गया। इसी तरह अबू मोहम्मद हारेसी बुखारी पर वज़्र हदीस का इल्जाम बे दलील और जम्हूरे मोहदेसीन के खिलाफ है। अगरचे उन्हें बाज़ ने साहिबे अजाइब कहा लेकिन इससे उनके सिकह व सदूक होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

● खतीब ने कहा 'ला योहतज्जो बिही' (सियरो आलामिनुबला 15/424) यह भी जरह मुबहम है।

नाक़ेदीन के यहां असबाबे जरह मुखतलिफ़ हैं। बाज़ असबाब से रावी काबिले हुज्जत होता है ओर बाज़ असबाब से काबिले हुज्जत नहीं होता। इसलिए उलमा ने फरमाया है कि जब तक जरह मुफ़स्सर न हो मक़बूल नहीं।

इब्ने दक्कीकुल ईद लिखते हैं कि लोगों के यहां असबाबे जरह मुखतलिफ़ हैं इसीलिए माहेरीन ने फरमाया है कि सिर्फ़ जरहे मुफ़स्सर ही मक़बूल है। (अल इक़तिराह फी बयानिल इस्तिलाह 1/57)

अबू मोहम्मद हारिस बुखारी की हैसियत

मुसनदे अबू हनीफ़ा के रावी अबू मोहम्मद हारेसी बुखारी का मजरूह होना साबित नहीं। जिन लोगों ने उन पर जरह की है वह जरह मुबहम

और बिला दलील है, लिहाजा मकबूल नहीं। यही वजह है कि इमामे ज़हबी ने अक़्वाले जिरह को नक़ल करने के बावजूद उनके तअल्लुक से लिखा है कि “शैख, इमाम, फ़कीह, अल्लामा, मोहदिस, आलिमे मावराउन्नहर अबू मोहम्मद उस्ताज़ अब्दुल्लाह इब्ने मोहम्मद बिन याकूब बिन हारिस बिन ख़लील हारेसी बुख़ारी उन्होंने अब्दुल्लाह इब्ने वासिल, अब्दुस्समद इब्ने फ़ज़ल, हमदान बिन जिन्नून, अबू माशर हमदोया इब्ने ख़त्ताब, मोहम्मद बिन लैस सरख़सी, इमरान बिन फ़रीनाम, अबुल मोजह मोहम्मद बिन अम्र मरुज़ी, फ़ज़ल बिन मोहम्मद शारानी, मोहम्मद बिन अली अस्साइग, अबू हुमाम मोहम्मद बिन ख़लफ़ नसफ़ी, मूसा बिन हारुन हम्माल, अहमद इब्नुज्जौ और एक जमाअत से रिवायात ली हैं और उनसे रिवायात लेने वालों में अबुत्तथ्यिब अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद, मोहम्मद बिन हसन बिन मन्सूर नीसापुरी, अहमद बिन मोहम्मद बिन याकूब फारसी, अबू अब्दुल्लाह बिन मन्दा और दूसरे हैं।

ज़हबी उनकी मज़ीद तारीफ़ व तहसीन करते हुए लिखते हैं कि मशाइख़ में से अबुलअब्बास बिन उक़दा ने उनसे हदीस ली है और इब्ने मन्दा (जिनको ज़हबी ने इल्म का खाज़ाना कहा है) उनके बारे में अच्छी बात कहते थे। (सियरे आलामुन्नुबला 15/424)

हाफ़िज़ जुबैर अली साहिब ने लिखा है कि इस पर शदीद जरहों के लिए देखिए मीज़ानुल एतेदाल, लिसानुल मीज़ान और अलकशफ़ुल हसीस। (नूरुल ऐनैन प्रो 230)

हाफ़िज़ जुबैर अली साहिब के मशवरे पर अमल करते हुए कारेईन ज़रा मीज़ानुल एतेदाल, लिसानुल मीज़ान और अल कशफ़ुल हसीस देख लें।

मीज़ानुल एतेदाल 2/496, रक़म 4571 में अल्लामा ज़हबी ने लिखा है:

“अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन याकूब अलहारेसी अलबुख़ारी अलफ़कीह (उस्ताज़ से मशहूर) अबू अब्दुल्लाह बिन मन्दा ने अकसर उनसे रिवायत ली हैं और उतकी कुछ तसानीफ़ भी हैं।”

ज़हबी की पूरी इबारत में हारेसी पर किसी जरह की तरफ़ हल्का सा इशारा भी नहीं बल्कि सियरो आलामिन्नुबला में ज़हबी ने उन्हें इमाम, शैख़, मोहदिस, फ़कीह, अल्लामा, आलिमे मावराउन्नहर लिख कर उनकी

मदह की है। अलबत्ता इब्नुलजौजी का कौल नक्ल किया है कि अबूसईद अर्रव्वास ने उन्हें मुत्तहिम बेवज़इल हदीस कहा अबू सईद अर्रव्वास के हवाले से इब्नुल जौजी ने यही बात 'अज्ज़ोफ़ाओ वल मतरुकून' में इब्ने अजमी ने 'अलकशफ़ुल हसीस' में और अल्लामा इब्ने हजर असकलानी ने उन्हीं के हवाले से 'लिसानुल मीज़ान' में भी लिखा है और अहमद सुलैमानी के हवाले से भी यही नक्ल किया गया है।

खुलासा यह है कि अब्दुल्लाह हारेसी को मुत्तहिम कहने वाले सिर्फ़ दो आदमी हैं: 1. अबूसईद अर्रव्वास 2. अहमद सुलैमानी।

अबूसईद अर्रव्वास: अबूसईद अर्रव्वास कौन हैं? उनकी सिकाहत व अदमे सिकाहत का क्या हाल है? इसके ज़िक्र से कुतुबे तबकात और तराजिम के सफ़हात ख़ाली हैं। यह शख्स मजहूलुल ऐन भी है और मजहूलुल हाल भी। लिहाज़ा ऐसे की बात किसी कि तअल्लुक से खुसूसन वज़्र हदीस के इल्ज़ाम में क्योंकिर मोतबर हो सकती है?

दूसरे शख्स अहमद सुलैमानी भी ग़ैर मुतअय्यन हैं। क्योंकि इस नाम के कई अशखास हैं। मसलन (1) अहमद बिन अलकासिम बिन सुलैमान बिन मोहम्मद अलआयुन सुलैमान से मशहूर, उनकी मौत 391 या 300 हि० में है। अगर अहमद सुलैमान से यह शख्स मुराद है तो एक तो उसकी तौसीक मालूम नहीं इसके अलावा यह हारेसी के मुआसेरीन में से हैं। इसलिए बिला दलील उनकी बात ग़ैर मोतबर होगी जब तक कि उसे जम्हूरे मुआसेरीन की तसदीक हासिल न हो जाए। महज़ अहमद अस्सुलैमानी की बात पर एतेमाद करते हुए इमाम, मुहद्दिस, फ़कीह, अल्लामा अब्दुल्लाह हारेसी बुख़ारी पर वज़्र हदीस का इल्ज़ाम ग़ैर मसमू व नामकबूल होगा।

अहमद सुलैमानी: यह अहमद बिन अली बिनउमर अल हाफ़िज़ अबुल फ़ज़ल सुलैमानी बेकन्दी बुख़ारी हैं। इनकी वफ़ात 440 हि० में है। अगर अहमद सुलैमानी से मुराद यह हैं तो जलीलुल क़द्र मोहद्दिस और साहेबे तसानीफ़ होने के बावजूद मुतकद्देमीन पर उनकी जरह उस वक़्त तक मकबूल नहीं होगी जब तक उस पर कोई दलील व बुरहान मौजूद न हो। अब्दुल्लाह हारेसी की वफ़ात 340 हि० में हुई है, अहदम सुलैमानी की उम्र 93 साल थी। इससे पता चलता है कि अहमद सुलैमानी को अब्दुल्लाह अल हारेसी की मुआसरत हासिल है।

मुआसिर की जरूर उस वक्त तक मकबूल नहीं जब तक कि उस पर मजबूत दलील न हो। फिर अहमद सुलैमानी खुद नाक़ाबिले एतेमाद थे तो उनकी बात क्योंकर मोतबर होगी?

अल्लामा ज़हबी ने उनके तअल्लुक से लिखा है कि मैंने सुलैमान की एक किताब देखी जिसमें उन्होंने अकाबिर की शान में तनकीस की है। लिहाज़ा उनकी वह बात ग़ैर मसमू है जिसमें वह तनहा हों। (सयरो आलामिन्नुबला 17/202)

अब्दुल्लाह अलहारेसी पर वज़ह हदीस का इल्ज़ाम रखने में सुलैमानी तनहा हैं इसलिए उनकी बात इमामे ज़हबी के फ़रमान के मुताबिक़ नामकबूल और ग़ैर मसमू है और यह समझना कि इब्नुल जोज़ी ने उनको मुत्तहिम कहा है ग़लत है। इब्नुल जोज़ी ने रव्वास और सुलैमानी का कौल नक्ल किया है। रव्वास तो मजहूलुलऐन और मजहूलुलहाल हैं क्योंकि रव्वास लक़ब के मुतअद्दिद अश्खास हैं जिनमें बाज़ पर वज़ह हदीस का भी इल्ज़ाम है। मसलन अलअला इब्ने मुसलेमा अर्रव्वास इमामे तिरमिज़ी के शैख़ है उनके तअल्लुक से इमामे ज़हबी ने लिखा है कि उन पर हदीस गढ़ने की तोहमत है। (अलमुग़नी फ़िज़्ज़ोफ़ा 2/440)

उनके तअल्लुक से इब्ने हिब्बान ने कहा कि रव्वास इराक़ियों से उलट पलट की गई रिवायात बयान करते हैं और सिकात से मौजू रिवायात नक्ल करते हैं। किसी हाल में उनसे एहतियाज दुरुस्त नहीं। (अलमजरूहीन लेइब्ने हिब्बान 2/185)

अहमद सुलैमानी बुख़ारी (मौत: 404 हि0) इमामे ज़हबी के कौल के मुताबिक़ अकाबिर की तनकीसे शान के मुस्तकिब थे। उनकी बात ग़ैर मोतबर है। मालूम हुआ कि अब्दुल्लाह हारेसी पर अहमद सुलैमानी का लगाया हुआ वज़ह हदीस का इल्ज़ाम ग़ैर मसमू व ना मोतबर है। बाकी ख़तीब का उनके तअल्लुक से 'ला योह़तज्ज़ो बिही' हाकिम का 'अज़ाइब' और अबू ज़रआ अहमद बिन हुसैन का 'ज़ईफ़' कहना और ख़लील का 'लीन' कहना जरूरे ग़ैर मुफ़स्सर है। अगर इन जरहों को बिला दलील तसलीम कर लिया जाए और उसकी बुनियाद पर अब्दुल्लाह हारेसी को नामकबूल व ज़ईफ़ क़रार दिया जाए तो बहुत से

सिकह मकबूल रावियों बल्कि सहीहैन के बाज़ रावियों को भी नामकबूल ठहराना लाज़िम आयेगा। क्योंकि सहीहैन के बाज़ रावियों के तअल्लुक से भी माहेरीन व नाकेदीने हदीस की जरहे नामकबूल हैं। मसलन:

(1) बशीर बिन अलमुहाजिर अलगनवी अल कूफी: सही मुसलिम के रावी हैं। हालांकि उनको इब्ने हिब्बान ने कसीरुलख़ता कहा है। साजी ने मुनकिरुल हदीस कहा है। उकैली और इमामे अहमद इब्ने हम्बल ने मुत्तहिम, मुरजेई और मुनकेरुल हदीस कहा। (इकमाल तहज़ीबुल कमाल 8/317) क्या इन जरहों का एतेबार करते हुए यह कहना दुरुस्त होगा कि सही मुसलिम के रावी बशीर बिन अलमुहाजिर मोत्तहिम, मुनकिरुल हदीस हैं इसलिए सही मुसलिम में उनकी रिवायत मुनकर व न मकबूल है?

(2) अब्दुल मलिक बिन उमैर बिन सुवैद हारेसा अलकरशी:

यह सही बुखारी के रावी हैं। इन्हें यहया इब्ने मईन ने मुख़ल्लित (रिवायत में खलत मलत करने वाला) कहा। अबू हातिम ने कहा कि उनका हाफ़िज़ा बिगड़ गया था। इमामे अहमद इब्ने हम्बल ने कहा कि वह मुनकिरुल हदीस हैं। मैंने पांच सौ अहदीस उनके पास पाई जिनमें से अकसर में उन्होंने ग़लती की है। इसहाक अलकौसज ने इमामे अहमद के हवाले से लिखा कि वह बहुत ज़्यादा जईफ़ थे। हुफ़ाज़े हदीस उनकी रिवायत में इख़्तेलाफ़ करते थे। (सियरो आलामुन्नुबला लिज़्जहबी 5/440) क्या इन माहेरीने हदीस की शदीद जरहों को मोतबर करार देते हुए यह कहना दुरुस्त होगा कि सही बुखारी की वह रिवायत जो अब्दुल मलिक बिन उमैर से मरवी हैं वह सही नहीं बल्कि मुनकर व नामकबूल हैं।

(3) अब्दुल मलिक इब्ने अरस्सबाह मुस्मेई अबू मोहम्मद सनअनी बसरी: यह बुखारी, मुसलिम, निसई और इब्ने माजा के रावी हैं। लेकिन खलीली ने उनके तअल्लुक से कहा कि उन पर अहदीस चोरी करने की तुहमत लगाई गई है। (इकमाल तहज़ीबुल कमाल लिलमुग़ल्लताई 8/317)

क्या ख़लीली के कौल की बुनियाद पर अब्दुल मलिक इब्ने अस्सबाह जो बुख़ारी व मुसलिम और निसई व इब्ने माजा के रावी हैं उनको नामकबूल व मजरूह करार दिया जायेगा?

हाफ़िज़ जुबैर अली जई और उनके हामी बरादरान अहले हदीस को यह फ़न्नी उसूल फ़रामोश नहीं करना चाहिए कि किसी रावी पर अगर नाक़ेदीने हदीस की जरहें मौजूद हैं तो उसका यह मतलब नहीं कि यकीनी तौर पर वह रावी मजरूह है। क्योंकि यह चीज़ ज़न्न पर मबनी है। एक ही रावी बाज़ नाक़ेदीन के नज़दीक मुत्तहम होता है और दूसरे बाज़ के नज़दीक सदूक़ सिक़ह होता है। जैसा कि माक़बल की तीन मिसालों से ज़ाहिर है।

इमामे तिलमिसानी फ़रमाते हैं कि कितने ऐसे हैं जिन पर तुहमत रखी गई है और किसी को ऐब का जामा पहनाया गया है हालांकि वह उससे बरी और ख़ाली होते हैं। (अज़हारुर्रियाज़ फ़ी अख़बारे काज़ी अयाज़ 1/85)

कभी ऐसा होता है कि किसी मोहदिस को किसी मोहदिस से बुग़ज़ होता है या उसकी मालूमात में वह मोहदिस मजरूह होता है या उसके नज़दीक कोई अम्र जिरह का सबब होता है लेकिन दीगर मोहदिसीन के नज़दीक वह जिरह का सबब नहीं होता तो वह मोहदिस उस पर जिरह कर देता है। हालांकि दूसरों के नज़दीक वह मजरूह नहीं होता। मसलन नबीज़े तमर पीना बाज़ मोहदिसीन के नज़दीक हराम है और बाज़ के नज़दीक हराम नहीं। जिनके नज़दीक हराम है उनके यहाँ नबीज़े तमर पीने वाला फ़ासिको मजरूह है और जिनके नज़दीक उसका पीना मुबाह है उनके नज़दीक यह जिरह का सबब नहीं। यहया इब्ने मईन का कौल है कि "नबीज़ को हराम कहना सही है। लेकिन मैं उसमें तवक्कुफ़ करता हूँ, उसे हराम नहीं कहता। क्योंकि एक सालेह कौम ने उसको पिया है सही अह़ादीस की बुनियाद पर, और सालेह कौम ने उसे हराम करार दिया है सही अह़ादीस की बुनियाद पर। (सियारो आलाम 11/88)

इसकी एक मिसाल यह है कि अहमद इब्ने सालेह जम्हूरे नाक़ेदीने हदीस के नज़दीक हाफ़िज़ुल हदीस मुतकिन सबत हैं लेकिन उन्हें मशहूर नाकिद यहया इब्ने मईन ने हाफ़िज़ुल हदीस कहने के बावजूद

मजरुह करार दिया और कहा कि उनमें तकब्बुर था। नीज़ उन्हें इमामे निसई ने कहा कि वह सिकह नहीं हैं क्योंकि अहमद इब्ने सालेह ने इमामे निसई को अपनी मजलिस से निकाल दिया था जिससे उन्हें तकलीफ पहुँची थी। लेहाज़ा उन्होंने उन पर जिरह कर दी है। (सियरो आलामिन्नुबला 9/120)

हासिले कलाम यह है कि माहेरीने हदीस मसलन यहया इब्ने मईन, अली बिन मदयनी, अबू हातिम राजी वगैरह ने अब्दुल्लाह अल हारेसी पर जरह नहीं की है। इमामे ज़हबी ने उनकी तारीफ़ में शैख, इमामे, मोहदिस, फ़कीह, अल्लामा और मावराउन्नहर जैसे अलफ़ाज़ स्तेमाल किये हैं और इब्ने मन्दा ने उन्हें अच्छा कहा है। उन पर जरह करने वाला अबू सईद अर्रव्वास मजहूल व नामकबूल शख्स है। अहमद सुलैमानी गैर मुअय्यन है। अगर अहमद सुलैमानी बुखारी (मौत: 440) मुराद हैं तो इमामे ज़हबी के बकौल वह अकाबिर की शान में तनकीस करने वाले हैं उनकी कोई मुनफ़रिद बात नामकबूल है। ख़तीब ने कहा कि हारेसी नाकाबिले हुज्जत हैं लेकिन उसकी वजह ज़िक्र नहीं की। अबू ज़रआ ने जईफ़ कहा लेकिन उसका कोई सबब बयान नहीं किया। यह मुबहम जरह नामकबूल है। लिहाज़ा साबित हुआ कि मुसनदे इमामे अबू हनीफ़ा अलहारेसी के रावी अब्दुल्लाह हारेसी मुत्तहम, मजरुह और नामकबूल नहीं। अगर उनसे बाज़ अज़ाइब सिकात के ख़िलाफ़ मनकूल हैं तो ख़ास तौर से वह अज़ाइब ना मकबूल होंगे न कि उनकी तमाम रिवायात नामकबूल व मरदूद होंगी जैसाकि यह बात अहले इल्म से मख़फ़ी नहीं।

हसन इब्ने ज़ियाद लोलुई पर जरह का जवाब

माहेरीने फन्न इस हकीकत से बाख़बर हैं कि बाज़ मोहदेसीन फुकहा बिलखुसूस फुकहाए अहनाफ़ से हद दर्जा तअस्सुब रखते थे। यहाँतक कि उनका तअस्सुब बुग़ज़ व इनाद तक पहुँचा हुआ था। इसकी वजह वह ग़लत फ़हमी थी जो फुकहाए अहनाफ़ बिलखुसूस इमामे आजम के तलामिज़ा और उनके तलामिज़ा के तलामिज़ा के तअल्लुक से मुतअस्सेबीन व मुतशद्देदीन ने फैला रखी थी कि उलमाए कूफ़ा (फुकहाए अहनाफ़) अहादीस को छोड़ कर क़यास व राय को तरजीह देते हैं और

अह्दादीस के खिलाफ़ क़यास व राय पर अमल करते हैं। इस ग़लत फ़हमी के शिकार बाज़ अच्छे भले मोह़देसीन भी हो चुके थे। जिनमें कितने ऐसे थे जो इसी ग़लत फ़हमी के बोझ तले दबे हुए दुनिया से गुज़र गए और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हकीकते हाल मालूम होने के बाद अपने मनफ़ी ख़यालात व अक़वाल से रुजू कर लिया और उन्हें यकीन हो गया कि जिस इमामे अबू हनीफ़ा का यह कौल हो कि "हदीसे सही जब आ जाए तो वहीं मेरा मज़हब है" और जिस इमाम के नज़दीक ज़ईफ़ हदीस के मुक़ाबिले में क़यास को छोड़ दिया जायेगा वह और उसके तलामिज़ा अह्दादीसे सहीहा के मुक़ाबिले में हर गिज़ अपनी राय और क़यास को तरज़ीह नहीं दे सकते। इसी तअस्सुब व ग़लत फ़हमी का शाख़साना है कि बाज़ नाक़ेदीने हदीस ने इमामे आज़म के अजिल्ला तलामिज़ा मसलन इमामे मोहम्मद, इमामे जुफ़र और हसन इब्ने ज़ियाद वग़ैरह हत्ता कि खुद इमामे आज़म पर भी जिरह कर दी है। जम्हूरे उम्मत ने ऐसे लोगों की मनफ़ी ज़हनियत को कभी तवज्जोह के क़ाबिल नहीं समझा क्योंकि इमामे आज़म अबू हनीफ़ा और आपके मशहूर तलामिज़ा मुजतहेदीने उम्मत जलीलुल क़द्र मोह़देसीन और फ़ुक़हा की फ़ेहरिस्त में शामिल हैं। उनको मज़रूह व नामक़बूल ठहराना दिन में सूरज की रौशनी के इनकार के मुतरादिफ़ है।

दौरे माक़बल मे सिर्फ़ इतना ही था कि बाज़ लोगों ने बिला तहकीको तफ़तीश अइम्मये अहनाफ़ के तअल्लुक़ से मुवाफ़िक़ो मुख़ालिफ़ दोनों किस्म के अक़वाल जमा कर दिए। इस खुसूस में ख़तीबे बग़दादी का नाम मारुफ़ है। लेकिन उन्होंने उन अइम्मये किराम पर ज़बाने लान तना को दराज़ नहीं किया। मगर माज़ीये करीब के और दौरे हाज़िर के वहाबी ग़ैर मुक़ल्लेदीन जो कभी अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, कभी सलफ़ी कहते हैं और कभी मोहम्मदी कहते हैं, इमामे आज़म और आपके तलामिज़ा को हदफ़े मलामत बनाते हैं और उन पर जरह व क़दह करने में हर किस्म के रत्बो याबिस को अपनी किताबों में नक़ल करते हैं। इसी को वह दीन की सबसे बड़ी ख़िदमत तसव्वुर करते हैं। "और अज़क़रीब ज़ालिम जान लेंगे कि वह किस करवट पलटा खाये गे?" वहाबी ग़ैर मुक़ल्लेदीन के जुल्मो सितम की इन्हीं मिसालों में से एक

मिसाल यह है कि उन्होंने इमामे आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहे अलैहे के जलीलुल क़द्र तिलमीज़ इमामे हसन इब्ने ज़ियाद लोलुई पर रद्दे क़दह के आरे चलाए हैं। और बाज़ नाक़ेदीने हदीस के हवाले से उन पर जरहे नक़ल की हैं। ज़ैल में हम उसका एक तहकीकी व तनकीदी जायज़ा कारेईने किराम की नज़्र कर रहे हैं। व बिल्लाहिलत्तौफीक़।

मशहूर अहले हदीस वहाबी आलिम हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई ने इमामे हसन बिन ज़ियाद लोलुई के तअल्लुक़ से लिखा कि इब्ने मईन ने उन्हें कज़्ज़ाब कहा है। इस पर राकिम कहता है कि यहया इब्ने मईन का यह कौल एक तो बिला सनद है दूसरे यहया इब्ने मईन ने इस कौल में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्ने नुमैर पर इतेमाद किया है और उन्हीं से नक़ल किया है। इमामे अहमद इब्ने हम्बल और यहया इब्ने मईन दोनों कूफी शूयूख़ के तअल्लुक़ से मोहम्मद बिन नुमैर पर एतेमाद किया करते थे। (मौसूअतो अक़वालिल इमामे अहमद इब्ने हम्बल 3/282)

मोहम्मद बिन नुमैर की वफ़ात 234 हि० और हसन इब्ने ज़ियाद लोलुई की वफ़ात 204 हि० है। हसन इब्ने ज़ियाद कूफी शूयूख़ में थे और यहया इब्ने मईन कूफी शूयूख़ के मुआमले में इब्ने नुमैर पर एतेमाद किया करते थे लिहाज़ा इब्ने नुमैर ने हसन इब्ने ज़ियाद पर किज़्ब का इल्ज़ाम रखा तो यहया इब्ने मईन ने उनपर एतेमाद करते हुए उन्हें कज़्ज़ाब कह दिया। अबू दारुद ने भी कज़्ज़ाब कहा लेकिन इब्ने नुमैर के ही हवाले से। (मीज़ानुल एतेदाल 1/491)

दार कुल्नी ने मतरूक कहा तो यहया इब्ने मईन पर एतेमाद करते हुए। मजीद यह कि यह कौल बिला दलील है। हसन इब्ने ज़ियाद पर इल्ज़ामे किज़्ब का मदार मोहम्मद बिन नुमैर का कौल है और मोहम्मद बिन नुमैर हसन बिन ज़ियाद के मुआसेरीन में से हैं। मुआसिर अपने किसी मुआसिर को कज़्ज़ाब कहे या उस पर जिरह करे तो उसकी बुनियाद मुआसराना चश्मक भी हो सकती है। लिहाज़ा जब तक जम्हूरे नाक़ेदीने हदीस के अक़वाल से उसकी जरह की तसदीक़ हासिल न हो कबूल नहीं की जायेगी। लिहाज़ा इब्ने नुमैर की जरह हसन इब्ने ज़ियाद पर नामकबूल है क्योंकि जम्हूरे नाक़ेदीन ने उन्हें कज़्ज़ाब नहीं कहा।

अली इब्ने मदयनी ने कहा कि “उनकी हदीस नहीं लिखी जायेगी” तो इस कौल की बुनियाद भी हसन इब्ने जियाद का मुत्तहम बिलकिज़्ब होना है और यह बुनियाद मज़बूत नहीं क्योंकि एक मुआसिर ने उन पर किज़्ब का इल्जाम रखा है जो बिला दलील ना मोतबर है। अबू हातिम ने कहा “वह न सिक़ह हैं न मामून है” यह कौल भी बिला दलील है इसलिए नामक़बूल है। (मीज़ानुल एतेदाल 1/491)

हसन इब्ने ज़ियाद लोलुई के तअल्लुक से एक मन गढ़त किरसा

वाजेह रहे कि यह किरसा मीज़ानुल एतेदाल में बे सनद मज़कूर है। बुवैती ने कहा कि मैंने शाफ़ेई को यह कहते सुना कि मुझसे फ़ज़ल बिन रबी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपका और हसन इब्ने ज़ियाद लोलुई का मुनाज़रा देखूँ तो मैं (शाफ़ेई) ने कहा कि हसन बिन ज़ियाद इस मक़ाम पर नहीं तो फ़ज़ल इब्ने रबी ने कहा कि मेरी ख़्वाहिश है। मेरी ख़्वाहिश है। फ़ज़ल कहते हैं कि फिर हमारे सामने खाना हाज़िर किया गया, हमने खाना खाया फिर हमारे एक साथी ने हसन इब्ने ज़ियाद से कहा कि आप उस आदमी के बारे में क्या कहते हैं जिसने हालते नमाज़ में किसी पारसा औरत पर तुहमत लगाई? तो हसन इब्ने ज़ियाद ने कहा उसकी नमाज़ बातिल हो गई। मेरे साथी ने कहा और वजू? कहा वुजू अपने हाल पर रहा। मेरे साथी ने कहा फिर तो हालते नमाज़ में बेगुनाह औरत पर तुहमत लगाना हालते नमाज़ में कहकहा लगाने से आसान है। यह बात सुनकर हसन इब्ने ज़ियाद ने अपनी जूती बग़ल में दबा ली और भाग खड़े हुए। मैं (शाफ़ेई) ने फ़ज़ल से कहा मैंने तुमसे कहा था कि वह इस मक़ाम पर नहीं हैं। (मीज़ानुल एतेदाल 1/491)

हर शुऊर वाला ग़ैर जानिबदार साहिबे इल्म जिसके इल्म को फ़िक्ह व हदीस से वास्ता है बाआसानी यह फ़ैसला कर सकता है कि यह वाक़ेया मनगढ़त और झूट है। इसके झूट होने के चन्द शवाहिद मौजूद हैं।

(1) बुवैती अगरचे इमामे शाफ़ेई के सिक़ह शागिर्द हैं लेकिन बुवैती से इस वाक़ेये को किसने नक़ल किया है? अल्लमा ज़हबी (मौत: 748

हि०) से बुवैती (मौत: 231 हि०) तक दरमियान में पांच सौ सत्तरह (517) साल का वक्फ़ा है। इस फ़ासले में जो रावी हैं उनके नाम व अहवाल मालूम नहीं कि उनकी सिकाहत व सदाक़त का पता लगाया जाये और इस वाक़ेये की सेहत का हुक्म लगाया जाए।

(2) इस वाक़ेये के रावी फ़ज़ल बिन रबी के बारे में इमामे ज़हबी ने फ़रमाया है कि उनकी हदीस मुनकर है। (दीवानुज्ज़ोफ़ा लिज्ज़हबी 1/319) उक़ैली ने कहा कि उनकी हदीस की कोई मुताबे नहीं मिलती। यानी उनकी हदीस ना मक़बूल होती है। (लिसानुल मीज़ान 6/339) माहेरीने हदीस में से उनकी तौसीक़ मक़बूल नहीं। लिहाज़ा इस वाक़ेये की सेहत बहर हाल मश्कूक़ है।

(3) फ़ज़ल बिन रबी ने कहा कि मेरा साथी एक आदमी था, उसने हसन इब्ने ज़ियाद से सवाल किया। फ़ज़ल बिन रबी के साथ वह कौन आदमी था जो हसन बिन ज़ियाद से मुनाज़रा के लिए तय्यार हुआ? इसका कुछ ज़िक़्र नहीं हसन बिन ज़ियाद जैसे फ़कीह से मुनाज़रा करने वाला कोई मामूली आदमी नहीं होगा। लेकिन एक आम मजहूल आदमी का ज़िक़्र यह बता रहा है कि वाक़ेया में सदाक़त नहीं।

(4) इमामे शाफ़ेई रहमतुल्लाहे अलैह, इमामे आज़म और आपके मशहूर तलामिज़ा की जलालत व तफ़क्कुह और हाज़िर जवाबी व बेदार दिमागी का हाल अच्छी तरह जानते थे। क्योंकि इमामे आज़म के शागिर्दों से उनका बड़ा कुर्ब था। इमामे मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह तो उनके उस्ताज़ ही थे। हसन इब्ने ज़ियाद इमामे आज़म के उन तलामिज़ा में थे जो अपनी हाज़िर जवाबी और तफ़क्कुह में मशहूर थे। इमामे शाफ़ेई ने जिसका बारहा मुशाहदा किया था। फिर यह क्योंकर मुमकिन है कि इमामे शाफ़ेई फ़ज़ल बिन रबी की ख़्वाहिश पर कि वह इमामे शाफ़ेई और हसन इब्ने ज़ियाद के दरमियान मुनाज़रा देखना चाहते हैं, यह जवाब दें कि हसन इब्ने ज़ियाद “मुनाज़रा के लाइक़ नहीं” यह जवाब इमामे शाफ़ेई की रिफ़अते शान और इल्मी वक़ार के भी ख़िलाफ़ है। लिहाज़ा इमामे शाफ़ेई की जानिब इसकी निसबत सही नहीं।

इस जवाब का इमामे शाफ़ेई की शख्सियत से मेल न खाना खुद इस वाक़ये की सदाक़त का मुंह चिढ़ाता नज़र आता है।

(5) अलावा अर्जी 'मुनाज़िरे मजहूल' के 'एतेराज़े बेमिसाल' पर हसन बिन ज़ियाद का अपनी जूती बग़ल में दबा का भाग खड़ा होना वाक़या का यह जुज़ पूरे वाक़ये को जाली साबित करने के लिए काफ़ी है।

कारेईन एक बार फिर मुनाज़िरे मजहूल का एतेराज़ और उसका जवाब मुलाहज़ा कर ले। "हसन इब्ने ज़ियाद ने मुनाज़िरे मजहूल के सवाल पर जवाब दिया था कि नमाज़ में कहक़हा लगाने वाले की नमाज़ भी बातिल हो गई और वजू भी टूट गया। ज़ाहिर है यह जवाब कोई कयासी राय पर मबनी न था। बल्कि इसकी बुनियाद वह हदीसे पाक थी जिसको दार कुतनी ने अपनी सुनन में और इब्ने अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ़ में, इमामे अबू हनीफ़ा ने अपनी मुसनद (बरिवायते अबू नुएम) में, इमामे मोहम्मद ने अल आसार में, इमामे अबू यूसुफ़ ने किताबुल आसार में और इबनुल आराबी ने अपनी मोज़म में रिवायत किया है कि नबीये करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने इरशाद फ़रमया कि जिन लोगों ने हालते नमाज़ में कहक़हा लगाया वह वजू और नमाज़ दोबारा लौटायें।

यह बात इल्मे फ़िक़ह का तालिबे इल्म जानता है कि कोई फ़िक़ही मसअला अगर ख़िलाफ़े कयास हदीस से साबित हो तो हदीस को उसी मौरिदो महल में ख़ास रखा जायेगा। उसकी नज़ीर दूसरे मसअला को उस पर कयास नहीं किया जायेगा। हालते नमाज़ में कहक़हा लगाकर हंसने से नमाज़ का टूट जाना मुवाफ़िक़े हदीस भी है और मुवाफ़िक़े कयास भी। क्योंकि कहक़हा लगाकर हंसना मुनाफ़िये सलात है लिहाज़ा नमाज़ का टूट जाना कयास के मुताबिक़ है लेकिन उससे वुजू का टूट जाना ख़िलाफ़े कयास हदीस से साबित है। लिहाज़ा उसको उसके मौरिद (रुकू व सुजूद वाली नमाज़) के साथ ख़ास माना जायेगा क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम का फ़रमान जिस नमाज़ से मुतअल्लिक़ है वह रुकू व सुजूद वाली थी। लिहाज़ा नमाज़े जनाज़ा में अगर कहक़हा लगाए तो नमाज़ बातिल होगी वुजू नहीं।

मुनाज़िरे मजहूल को एक इल्मे फ़िक्ह के तालिबे इल्म की समझ में आने वाली यह बात समझ में नहीं आई और उन्होंने हसन इब्ने ज़ियाद से सवाल कर दिया कि अगर हालते नमाज़ में कहकहा लगाने से वुजू टूट जाता है तो हालते नमाज़ में किसी पारसा औरत पर तुहमत लगाने से भी वुजू टूट जाना चाहिए क्योंकि हालते नमाज़ में किसी पारसा औरत पर तोहमत लगाना हालते नमाज़ में कहकहा लगाने से ज़्यादा बुरा है। जब मुनाज़िरे मजहूल की जिहालत का यह आलम हसन इब्ने ज़ियाद ने देखी तो वहां से उठ खड़े हुए। बशर्ते सिदके वाक़ेया हसन इब्ने ज़ियाद का मुनाज़िरे मजहूल को जवाब न देना इस आयत पर अमल करना था कि *“जब जाहिल उनसे मुख़ातिब होते हैं तो वह सलाम कहकर आगे बढ़ जाते हैं।”* लेकिन मुतअस्सिब हाथों ने यहां यह बात गढ़ ली कि हसन इब्ने ज़ियाद जूती बग़ल में दबाकर भाग खड़े हुए। यानी हसन इब्ने ज़ियाद लाजवाब हो गये। फिर उस पर रंग चढ़ाते हुए यह लिख मारा कि यह सब देखकर इमामे शाफ़ेई ने कहा कि क्या मैंने नहीं कहा था कि हसन इब्ने ज़ियाद मुनाज़रा के लाइक नहीं। यह सब तअस्सुब की कार फ़रमाइयां हैं। हालांकि तअस्सुब से हटकर कोई देखे तो इस मसअले तनाजुर में अहनाफ़ की अमल बिलहदीस पर सख़ती का सुबूत साफ़ झलकता है कि उनके यहां हदीस के मुक़ाबिले में ख़्वाह वह ज़ईफ़ ही क्यों न हो क़यास को तरजीह नहीं दी जायेगी। बल्कि हदीस पर अमल किया जायेगा। इंसाफ़ की नज़र में यह ख़ूबी की बात थी कि लेकिन बुरा हो तअस्सुब व तंग नज़री का कि यह ख़ूबी भी ऐब नज़र आने लगी और इमामे शाफ़ेई की तरफ़ मंसूब करके यह वाक़ेया भी गढ़ लिया गया और यह ख़्याल न रहा कि झूट चाहे कितना ही मुज़य्यन करके पेश किया जाये उसका पर्दा फ़ाश ज़रूर हो जाता है। हसन इब्ने ज़ियाद के तअल्लुक से मज़कूरा वाक़ेया के जाली व झूट साबित होने के बाद क़ारेईने किराम के लिए यह समझना आसान हो गया कि हसन इब्ने ज़ियाद को बाज़ हज़रात के कज़़ाब व मतरुकूल हदीस वग़ैरह कहने के पीछे क्या राज़ पिनहां हो सकता है? मुआसिराना चश्मक, फ़िक़ही इजतिहाद या इस तरह का और कोई सबब।

बहर हाल जो भी हो हसन इब्ने ज़ियाद पर जारेहीन की जरह ना मकबूल व मरदूद है। ज़ैल में हम मशहूर अइम्मये दीन व माहेरीने फ़न्न के अक़वाल से साबित करते हैं:

- अल्लामा ज़हबी ने नाक़ेदीन की जरह को ज़िक्र करने के बाद तहरीर फ़रमाया कि हसन इब्ने ज़ियाद के तअल्लुक़ से इन सब जरहों के बावुजूद अबू अब्बाना ने अपनी मुस्तख़रज में और हाकिम ने अपनी मुस्तदरक़ में उनकी हदीस ली है।

- मोहदिस मुसलिमा बिन कासिम ने फ़रमाया कि हसन इब्ने ज़ियाद सिक़ह थे। (लिसानुल मीज़ान 3/48)

- मोहम्मद बिन समाज़ा ने फ़रमाया कि हसन इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मैंने इब्ने जुरैह से बारह हज़ार अहादीस लिखी हैं जिनकी फ़ुक़हा को हाज़त थी। (अत्तबकातुस्सुन्निय्यह फ़ी तराजेमिल हनफ़िय्यह लेतकीइदिन अल ग़ज़्ज़ा अत्तमीमी मौत: 1010 हि0 1/225)

- अहमद अब्दुल हुमैद हारेसी ने कह कि मैंने हसन इब्ने ज़ियाद से ज़्यादा हुसने अख़लाक़ वाला, उनसे ज़्यादा कुर्ब से रहनुमाई करने वाला और उनसे ज़्यादा नर्म दिल किसी को नहीं देखा बावुजूद इसके कि वह अज़ीम फ़कीह, आलिम और जुहदो वरा के हामिल थे।

- अहमद बिन अब्दुल हुमैद हारेसी ने यह भी कह कि हसन इब्ने ज़ियाद खुद जो लिबास पहनते थे अपने गुलामों को भी पहनाया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम की इस हदीस पर अमल करते हुए कि तुम गुलामों को वही पहनाओ जो तुम पहनते हो। (अत्तबकातुस्सुन्निय्यह फ़ी तरजेमिल हनफ़िय्यह 1/225)

- इमामे समआनी ने फ़रमाया कि हसन इब्ने ज़ियाद अबू हनीफ़ा की रिवायात कि आलिम और हुस्ने खुलक़ वाले थे। (अत्तबकातुस्सुन्निय्यह फ़ी तरजेमिल हनफ़िय्यह 1/226)

- यहया इब्ने आदम ने फ़रमाया कि मैंने हसन इब्ने ज़ियाद से बड़ा फ़कीह नहीं देखा। (अत्तबकातुस्सुन्निय्यह फ़ी तरजेमिल हनफ़िय्यह 1/226)

● मेहम्मद बिन शजा अस्सलजी जो सिकह, आदिल, साहिबे वरा व तकवा, मोहदिस व फ़कीह थे वह फ़रमाते हैं कि मैंने हसन इब्ने ज़ियाद को यह कहते हुए सुना कि मेरे चार साल इस हाल में गुज़रे कि रात को कुतुबे अहादीसो फ़िकह और इबादत में गुज़ारने की वजह से चिराग़ मेरे सामने हुआ करता था।

● फ़िकह व हदीस के दर्स के दौरान तालिबे इल्म की ग़फ़लत को हरगिज़ बरदाश्त न करते थे। चुनांचे शैख़ इब्राहीम इब्नुल्लैस अदहक़ान ने अपने बाज़ असहाब से नक़ल किया है कि ख़लीफ़ा हारून रशीद ने हसन इब्ने ज़ियाद से कह था कि हर हफ़ता एक दिन मामून के साथ मुज़ाकिरये फ़िक्हो हदीस किया करें। यह उस ज़माने की बात है जब हसन इब्ने ज़ियाद रुका में थे। एक रात मुज़ाकिरये फ़िक्हो हदीस में मशगूल थे कि मामून को ओंघ आने लगी, हसन इब्ने ज़ियाद ने कहा आपने सुना ऐ! अमीर मामून ने चौक कर आंखें खोलीं मगर उसी वक़्त हसन इब्ने ज़ियाद ने उन्हें अपनी मजलिस से निकाल दिया। जब रशीद को यह ख़बर पहुँची तो उन्होंने यह शेर पढ़ा:—

तरजमा: ख़त्ती नेज़ा रगे दरख़्त की तरह गुथा हुआ ही होता है, खजूर का दरख़्त उगने की जगह ही लगाया जाता है।

(अख़बार अबी हनीफ़ा व असहाबेही 1/137)

इस वाक़ेया से हसन इब्ने ज़ियाद के इल्मी रोबो दाब का जहां सुबूत फ़राहम होता है वहीं इल्मे हदीसो फ़िक्ह के अदबो एहतेराम का अंदाज़ा होता है।

● मोहम्मद बिन यहया अलहज़री काज़ीये मदायन ने कहा कि हसन इब्ने ज़ियाद हाफ़िज़ुल हदीस थे। उन्हें कूफ़ा में उहदये कज़ा दिया गया लेकिन वह ज़िम्मे दारी न उठा सके और मुसताफ़ी हो गये। (अख़बाररुल कुज़ात लिइब्ने हिब्बान 3/188)

● इब्नुल असीर ने हसन इब्ने ज़ियाद की रिवायत से बाज़ अहादीस को ज़िक्र किया और उन पर कोई जरह नहीं की।

● हाफिज़ुल हदीस इब्ने अब्दुल बर्र ने हसन इब्ने ज़ियाद लोलुई की रिवायत से इमामे अबू हनीफ़ा की जानिब मन्सूब एक वाक़ेया नक़ल करके उस पर कोई जरह नहीं की है बल्कि उसको इमामे अबू हनीफ़ा के फ़ज़ाइल में मुसतदल्ल और काबिले एहतेजाज माना है। (अल इन्तिफ़ा फ़ी फ़ज़ाइलिससलासतिल अइम्मतिल फ़ुक़हा 1/153) मालूम हुआ कि हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर्र के नज़दीक हसन इब्ने ज़ियाद मुत्तहम नहीं और उनकी रिवायत मुनकर व नामकबूल नहीं।

● इब्ने हिब्बान ने सिकात में हसन इब्ने ज़ियाद की एक रिवायत अन जुर्ह की सनद से बिला जरह के ज़िक्र की है। मालूम हुआ कि उनके नज़दीक हसन इब्ने ज़ियाद मुत्तहम नहीं बल्कि सिक़ह हैं। (अस्सिकात 8/168 हदीस 12792)

● यहया इब्ने आदम का कौल है कि हसन इब्ने ज़ियाद सुन्नत को बहुत ज़्यादा पसंद करते और सुन्नत के पैरोकार को भी। (अल जवाहिरुल मज़िय्यह फ़ी तबकातिल हनफ़िय्यह 1/193)
यहया इब्ने आदम के तअल्लुक़ से ज़हबी ने लिखा कि सुफ़याने सौरी के बाद यहया इब्ने आदम सबसे बड़े मोहदिस थे। (सियरो आलामिन्नुबला 5/175)

● अबुल मआली अल हलबी ने हसन इब्ने ज़ियाद की बे नफ़सी ओर उनके ज़ब्बये इत्तेबाये हक़ की दलील में उनका यह कौल ज़िक्र किया है कि जिस ग़ैर मन्सूस मसअले में हमने क़यास से कहा है कि यह राय हसन है उसका मतलब यह है कि हमने हत्तलमक़दूर कोशिश की है तो यह राय सबसे अच्छी मालूम हुई है। अगर कोई इससे उम्दा राय ले आये तो वह हमारी राय से ज़्यादा दुरुस्त है। (बअलजवाहिरुल मज़िय्यह 1/472)

हसन इब्ने ज़ियाद के तक़वे का एक नादिर वाक़ेया

अल्लामा अज़्ज़ी ने नक़ल फ़रमाया है कि इमामे हसन इब्ने ज़ियाद की दीनदारी और वरा का यह हाल था कि एक मरतबा किसी साइल ने उनसे कोई मसअला दरयाप्त किया, उन्होंने जवाब में ख़ता की जब

साइल चला गया तो हसन इब्ने ज़ियाद के सामने हक़ जाहिर हुआ। साइल को तलाश किया गया मगर न मिला तो हसन इब्ने ज़ियाद ने एक मुनादी को किराये पर लिया और पूरी आबादी में निदा कराई कि हसन इब्ने ज़ियाद से फुलां मसअला पूछा गया था, उन्होंने जवाब में खता की है लिहाज़ा साइल दोबारा उनके पास जाकर सही जवाब हासिल कर ले। मुनादी यह एलान करता रहा यहां तक कि साइल आया और हसन इब्ने ज़ियाद ने उसको सही जवाब देकर वापस किया। इस वाक़ेया को सिकात की सनद के साथ अल्लामा सैमरी ने 'अख़बार अबू हनीफ़ा' में भी नक़ल किया है। (अत्तबक़क़तुस्सनिyyह 1/226)

कुछ हासेदीन व मुतअस्सेबीन, फुक़हाये अहनाफ़ को कय्यास (क्यास करने वाले) कहते थे और क्यास करने को ऐब समझते थे। हालांकि क्यासे शरई शरीअत के दलाइले अरबा में से एक दलील है जो किताबो सुन्नत और इजमा व सहाबा से मुस्तफ़ाद होता है। इससे एक नहीं हज़ारहा मसाइल मुस्तख़रज हुए हैं। इस लिहाज़ से कय्यास, मुजतहिद फ़कीह कहा जाता है। लेकिन हासेदीन व मुतअस्सेबीन इस को ग़लत माना में स्तेमाल करते थे। वह फुक़हाये मुजतहेदीन को कय्यास इस माना में कहते थे कि वह हदीसे रसूल पर अपनी राये व क्यास को तरजीह देने वाले हैं।

किसी आदमी ने आपको और आपके असहाब को कय्यास कहा तो आपने सख़्त बरहमी का इज़हार किया और फ़रमाया कि हमारे असहाब इल्मे हदीसो फ़िक्ह के ख़ज़ाने हैं। हम हदीस के ख़िलाफ़ करने वाले नहीं। (अत्तबक़ातुस्सनिyyह 1/277)

हसन इब्ने ज़ियाद फ़रमाते थे कि किताबुल्लाह या सुन्नते रसूल की कोई नरस या इजमा के होते हुए किसी मुजतहिद को यह हक़ नहीं पहुंचता कि वह अपनी राय से कुछ कहे। जब किसी मसअले में सहाबये किराम के अक़वाल मुख़तलिफ़ हों तो हम उनमें से उस कौल को इख़्तियार करते हैं जो किताबो सुन्नत के ज़्यादा क़रीब होता है क्योंकि फुक़हाये सहाबा ने भी इजतिहाद किया है इजतिहाद का हक़ फुक़हा को है। उसी को जो इख़्तिलाफ़े अक़वाल का इल्म रखता हो और अच्छा

क्यास कर सकता हो। सहाबये किराम इस तरीके पर थे। (अलजौहरुल मज़िय्यह 2/472)

हसन इब्ने जि़याद का ही कौल है कि जो अल्लाह व उसके रसूल की तरफ़ से हो हम उससे सरे मू इनहेराफ़ नहीं करते और जिस में सहाबये किराम का इख़्तिलाफ़ हो तो हम उनके कौले मुख़्तार को लेते हैं और जो कौल उनके सिवा ताबेईन वग़ैरह से मनकूल हो तो हम अहनाफ़ उसे बिला दलील नहीं लेते। (अलजौहरु मज़िय्यह 2/473)

कारेईने किराम! आपने मुलाहज़ा फ़रमाया कि अल्लामा ज़हबी, अबू अव्वाना, हाकिम, मुसलिमा बिन कासिम, अहमद बिन अब्दुल हमीद हारेसी, समआनी, यहया इब्ने आदम (इमामे बुख़ारी व मुसलिम के दादा उस्ताज़), मोहम्मद बिन शजा सलजी (इन्हें इमामे ज़हबी ने इल्म का समन्दर कह, साठ से ज़ायद जिलदों में किताबुल मनासिक लिखी है। इबादत गुज़ार और तिलावते कुरआन में मशगूल रहने वाले थे, सजदे की हालत में 266 हि० में वफ़ात हुई), इब्ने हिब्बान और इब्ने अब्दुल बर्र समेत एक दरजन से ज़ा़इद उलमाये हदीसो फ़िक्ह व रिजाल ने हसन इब्ने जि़याद की तारीफ़ व तोसीफ़ की और उनको साहिबे वरा व साहिबे तक्वा कहा है। साथ ही साथ उनके तक्वा व वरा का नादिरे रोज़गार वाक़ेया भी आपने मुलाहज़ा फ़रमाया और उनके अक़वाल भी पढ़ चुके कि वह शरीअत के अहक़ाम और इत्तेबाये सुन्नत में किस क़द्र मोहतात थे और किस क़द्र ख़ौफ़े खुदा उन पर ग़ालिब था कि एक फ़तवा ग़लत देने के नतीजे में अपने मन्सब को पसे पुश्त डालते हुए ख़ौफ़े खुदा के ज़ब्बे से मग़लूब होकर अपनी ग़लती का उस वक़्त तक एलान करते रहे जब तक कि फ़त्वा तलब करने वाला दोबारा आपकी ख़िदमत में हाज़िर होकर सही फ़त्वा लेकर वापस नहीं लौटा। एक तरफ़ आपके तक्वा व अदालत पर शवाहिदो दलाइल हैं और दूसरी तरफ़ जारेहीन की मुबहम व ग़ैर मुदल्लल जरहे हैं। क्या इन्साफ़ यही कहता है कि जारेहीन की ग़ैर मुदल्लल जरहों को मान लिया जाए और एक साहिबे तक्वा मोहदिस, मुजतहिद, फ़कीह को कज़़ाब हत्ताकि ग़ैर अख़लाकी अफ़आल का मुरतकिब करार दिया जाए? बल्कि उसके मुसलमान होने को मश्कूक ठहराया जाए?

अइममये अहनाफ़ के ख़िलाफ़ वहाबी ग़ैर मुक़ल्लेदीन को बुग़ज़ो इनाद पर मबनी क़बीह अक़वाल मिलते हैं तो वह उनहें अपने लिए रुहानी ग़िज़ा तसव्वुर करके बड़ी लहक के साथ क़बूल करते हैं फिर ख़ूब डंका पीट-पीट कर एलान करते हैं।

देखिए वहाबिया के मशहूर वकील हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई नाक़ेदीन के अक़वाल को आड़ बना कर हसन इब्ने ज़ियाद लोलुई जैसे मोहदिसो फ़कीह पर कैसी मुग़ल्लज़ात की छींटाकशी की है।

इब्ने मईन ने कहा है कि “वह कज़़ाब है”। राकिम ने माक़बल मे इसका तनकीदी जायज़ा पेश किया। इब्ने मईन का यह कौल ग़ैर मुसतनद है इसकी कोई मोतबर सनद मौजूद नहीं।

मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्ने नुमैर ने कहा कि “इब्ने जुरैह पर झूट बोलता है” इब्ने नुमैर का यह कौल जम्हूरे नाक़ेदीने हदीस के ख़िलाफ़ है। लिहाज़ा तनहा उनका यह कौल हुज्जत नहीं हो सकता।

अबू दाऊद ने ‘कज़़ाब’ कहा। अबू दाऊद का यह कौल एक तो बिला सनद है और दूसरे तनहा इब्ने नुमैर के कौल पर मबनी है। लिहाज़ा नामक़बूल है।

मोहम्मद बिन राफ़े नीसापुरी ने कहा कि यह शख्स इमाम से पहले सर उठाता था और इमाम से पहले सजदा करता था।

तबसरा: मोहम्मद बिन राफ़े नीसापुरी का यह कौल एक तो बिला सनद है दूसरे यह कि मोहम्मद बिन राफ़े नीसापुरी इब्ने नुमैर के शागिर्द हैं तो ज़ाहिर है कि इब्ने नुमैर का नज़रिया हसन बिन ज़ियाद के तअल्लुक से उसी किस्म का है तो क्या बर्इद कि शागिर्द का भी वही नज़रिया हो। इसके अलावा हसन इब्ने ज़ियाद मोहदिस फ़कीह मुजतहिद थे। ज़हबी ने भी उनकी तारीफ़ की है। इमाम से पहले सजदा करना, सर उठाना तो लाइल्मी की वजह से होगा। एक फ़कीह मुजतहिद से आदतन यह सूरत मुमकिन नहीं और जान बूझ कर ऐसा करना एक ऐसे फ़कीह मुजतहिद से क्योंकिर मुमकिन है जिसने एक ग़लत मसअला बयान करने पर अपनी ग़लती का उस वक़्त तक एलान करवाया जब तक कि साइल ने दोबारा हाज़िर होकर सही जवाब

हासिल न कर लिया। नीज़ जिसके जुहदो वरा की तारीफ़ जलीलुल क़द्र मोहद्देसीन मसलन यहया इब्ने आदम, इमामे ज़हबी, मुसलिमा बिन कासिम वगैरह ने की है और इब्ने अव्वामा और हाकिम ने उनकी हदीस की तख़रीज की है।

यह शवाहिद यह साबित कर रहे हैं कि इस कौल में सदाक़त नहीं मोहम्मद बिन राफ़े को या तो यह ग़लत बात पहुंची है या उनकी तरफ़ किसी ने ग़लत मन्सूब किया है। चूंकि यह कौल लिसानुल मीज़ान में मनकूल है और अल्लामा इब्ने हजर असक़लानी से मोहम्मद बिन राफ़े तक इसकी कोई सनद मज़कूर नहीं। अगर हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई साहिब के हमनवा अपनी इस बात में सच्चे हैं कि किसी की कोई बात बिला सनद मक़बूल नहीं तो वहाबी बरादरी मिलकर हसन इब्ने ज़ियाद की जानिब मन्सूब इस नाजाइज़ फ़ेल की कोई सही सनद पेश करें वरना एलान कर दें कि अइम्मये अहनाफ़ के ख़िलाफ़ किसी बात के सुबत के लिए उनके यहां सनद की ज़रूरत नहीं।

हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई ने मज़ीद लिखा:

“ हसन इब्ने हलवानी ने बताया कि मैंने उसे देखा कि उसने सजदे की हालत में एक लड़के का बोसा लिया। अबू सौर ने कहा कि मैंने उससे ज़्यादा झूटा नहीं देखा। नमाज़ की हालत में वह एक नौ उम्र लड़के जिसकी दाढ़ी मोंछ नहीं थी के रुख़सार पर हाथ फेरता था। यज़ीद बिन हारून ने तअज्जुब से कहा कि क्या यह मुसलमान है? उसामा उसे ख़बीस कहते थे। याकूब बिन सुफ़यान, उक़ैली और अस्साजी ने कहा ‘कज़़ाब’ है।” (मुलख़ख़सन मिन लिसानिल मीज़ान 1/208–209, नूरुल ऐनैन प्र0 39 जुबैर अली ज़ई)

यह सब लिखने के बाद हाफ़िज़ साहिब अपने दिल की भड़ास निकालते हुए लिखते हैं:

“ ऐसा गन्दा शख़्स डेरवी साहब (कोई देवबन्दी हनफी मोलवी है जिसने जुबैर अली ज़ई को मुखातब किया था) का ‘हज़रते इमामे’ है। (ऐज़न)

जुबैर अली ज़ई साहिब को हसन इब्ने ज़ियाद के तअल्लुक़ से कबीह अक़वाल तो नज़र आ गये और फ़ैसला भी सुना दिया कि हसन इब्ने ज़ियाद जो हनफ़ियों का हज़रते इमाम है ‘गन्दा शख़्स’ है लेकिन

यहां हाफिज़ जुबैर अली जई साहिब के हामियों के जज़्बे अदलो इंसाफ़ (अगर है) को दावते फ़िक्क़ देना चाहता हूँ कि हाफिज़ साहिब के जौके जुस्तुजू में आखिर वह कौन सी फ़िक्क़ कार फ़रमा थी कि एक दर्जन से ज़ायद उलमा व मोहद्देसीन के अक़वाल जिनसे हसन इब्ने ज़ियाद का जलीलुल क़द्र मोहद्दिस, फ़कीह और मुजतहिद होना, साहिबे हुस्ने खुल्क होना, साहिबे वरा व तक्वा होना और काबिले मदह होना साबित होता है, हाफिज़ साहिब की नज़र से ओझल क्यों रह गये ? क्या उन्हें नज़र नहीं आया कि हसन इब्ने ज़ियाद से इमामे बुख़ारी व मुसलिम के उस्ताज़ शैख़ अबू अवाना ने अपनी किताब 'मुसतख़रज' में हदीस ली है? क्या यह नज़र नहीं आया कि इमामे हाकिम ने 'मुसतदरक' में उनसे रिवायत ली है? क्या यह नज़र नहीं आया कि जलीलुल क़द्र मोहद्दिस मुसलिमा बिल कासिम ने हसन इब्ने ज़ियाद को सिक्क़ कह? (मुमकिन है कोई ग़ैर मुक़ल्लिद कह दे कि उन्हें अहले तशबीह में से कहा गया है तो उस पर अर्ज है कि यह कौल मरदूद है। इमामे ज़हबी ने फ़रमाया है कि यह जलीलु क़द्र आदमी हैं इन्हें इनके दुश्मनों ने अहले तशबीह कहा है। रज़ा 12)

क्या हाफिज़ जुबैर अली साहिब को नज़र नहीं आया कि इमामे बुख़ारी व मुसलिम के दादा उस्ताज़ यहया इब्ने आदम ने हसन इब्ने ज़ियाद की मदह करते हुए लिखा है कि मैंने उनसे बड़ा फ़कीह किसी को नहीं देखा। मज़ीद तअस्सुरात पिछले सफ़हात पर मुलाहज़ा करें। इतने सारे मोहद्देसीन व अइम्मा कि अक़वाल हसन इब्ने ज़ियाद की जलालते शान, तफ़क्को, इल्मे हदीस में महारत और उनके तक्वा व वरा पर मौजूद होने के बावजूद क्या अहनाफ़ को यह हक़ हासिल नहीं कि उन्हें अपना 'हज़रत इमाम' कहें? इमामे हसन इब्ने ज़ियाद के तअल्लुक़ से हाफिज़ जुबैर अली जई का इतने सारे अइम्मा व मोहद्देसीन व फ़ुक़हा के अच्छे अच्छे अक़वाल के पसे पुश्त डाल कर उनके ख़िलाफ़ मुआनेदीन के ग़ैर मुसतनद अक़वाल को क़बूल करके हसन इब्ने ज़ियाद को 'गन्दा शख्स' कहना यकीनन हाफिज़ जुबैर अली जई के खुबसे बातिन की दलील है। रह गये उनके तअल्लुक़ से बाज़ अइम्मा की

जरह के अक़वाल नक़ल करना तो नक़ले अक़वाल चूँकि महज़ बतौर नक़ल हैं जम्हूरे मोहदेसीन ने उन्हें कज़़ाब व मुत्तहम नहीं कहा है। बल्कि नक़ले अक़वाल के बाद अपनी हुस्ने राय का इज़हार किया है। इसलिए वह इस पर माखूज़ नहीं होंगे। इंशा अल्लाह तआला।

अब हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई के हामियों की ज़ियाफ़ते तबा के लिए हम हसन इब्ने ज़ियाद के ख़िलाफ़ ज़िक्र किए गए अक़वाले क़बीहा की इसनादी हैसियत का जायज़ा लेते हैं।

(1) हसन बिन अली हलवानी के हवाले से जो क़बीहा बात नक़ल की गई है उसके ग़ैर मोतबर व मरदूद होने की दलील के लिए यही काफ़ी है कि हसन बिन अली हलवानी उन लोगों में से थे जो मसअलये ख़ल्फ़े कुरआन के मुआमले में उन लोगों के सख़्त मुख़ालिफ़ थे जो कुरआन यानी मुसहफ़े कुरआन मसलन नुकूश, अलफ़ाज़ वग़ैरह के मख़लूक होने के लिहाज़ से कुरआन को मख़लूक कहते थे। हसन इब्ने ज़ियाद और इमामे आज़म अबू हनीफ़ा और आपके दीगर शागिर्दों को इसी बुनियाद पर हदफ़े मलामत बनाया गया है। हालांकि इन अइम्मा के नज़दीक भी कुरआन कलामुल्लाह ग़ैर मख़लूक है। यह एक लफ़्ज़ी इख़िलाफ़ था लेकिन इसने जो फ़िल्ता व फ़साद का बाज़ार गरम किया था उससे हर अहले इल्म बाख़बर है। कुरआन के नुकूश व अलफ़ाज़ को मख़लूक कहने वालों को फ़िरक़ये जहमिया में दाख़िल करके उन पर बिदअतो गुमरही की मुहर लगाई गई थी। यह एक अहम सबब था मुजतहेदीन व मोहदेसीने अहनाफ़ पर जरह क़दह के तीर बरसाने का। यही वजह है कि जिन हज़रात को हकीकते हाल मालूम हुई कि इमामे आज़म अबू हनीफ़ा और उनके असहाब कुरआन को ग़ैर मख़लूक मानते हैं और फ़िरक़ये जहमिया से कोई तअल्लुक नहीं तो उन्होंने इमामे आज़म और आपके असहाब की तरफ़ से सफ़ाई भी दी और उनकी ख़ूब मदह व सना की। हसन बिन अली अलहलवानी हसन इब्ने ज़ियाद के तअल्लुक से ऐसी ही ग़लत फ़हमी के शिकार थे। लिहाज़ा उनकी तरफ़ हसन इब्ने ज़ियाद के तअल्लुक से जो कौल मन्सूब है वह नामक़बूल है क्योंकि मुख़ालिफ़ का कौल अपने हरीफ़ के हक़ में बिला दलील नामक़बूल है।

इसके अलावा हसन बिन अली हलवानी के तअल्लुक से इमामे अहमद इब्ने हम्बल के साहिब जादे अब्दुल्लाह ने यह नक़ल किया है कि 'मेरे वालिद (इमामे अहमद इब्ने हम्बल) ने हसन बिन हलवानी को अच्छा नहीं कहा और कहा कि मुझे उनके बारे में कुछ नापसंद बातें पहुंची हैं, फिर कहा अहले सरहद उनसे राजी नहीं हैं। (अल इलल 1616 मोसूअतु अक़वालिल इमामे अहमद बिन हम्बल 1/260)

यहां पर कोई अहले हदीस यह कह कर धौंस जमाने की कोशिश न करे कि हलवानी साहब तो बुख़ारी व मुसलिम के रावी हैं फिर उन पर जरह कैसी? यह बात इसलिए नहीं चलेगी हम बरादराने अहले हदीस को यही समझाना चाहते हैं कि कोई रावी किसी नाकिदे हदीस के नज़दीक मजरूह हो तो यह लाज़िम नहीं आता सारे मोह़देसीन के नज़दीक मजरूह हो क्योंकि जरहो तादील के उसूल सबके यहां अलग अलग हैं। फिर उलमाये हदीस भी तो यह बात मानते हैं कि कभी सिक़ह रावी भी ग़लत बात नक़ल कर देता है। चुनांचे ग़ैर मुक़ल्लिद वहाबी मौलवी किफ़ायतुल्लाह सनाबिली ने लिखा है।

(2) रह गई यज़ीद बिन हारुन की जरह तो वह भी नामक़बूल है। क्योंकि तअज्जुब से यज़ीद बिन हारुन का यह कहना "क्या यह मुसलमान है"? इस बात का इशारह देता है कि वह हसन इब्ने ज़ियाद को या काफ़िर समझते थे या गुमराह व फ़ासिक और इस पर कोई शरई दलील नहीं। यज़ीद बिन हारुन, हलवानी के शैख़ हैं इसलिए ग़ालिबे गुमान यही है कि हलवानी की तरह यज़ीद बिन हारुन भी कुरआन कलामे लफ़ज़ी को मख़लूक कहने की वजह से हसन बिन ज़ियाद और उनके असहाब को जहमिया में से तसव्वुर करते थे लिहाज़ा यह कह दिया कि क्या वह मुसलमान है?

हालांकि हकीक़त यह है कि यह बात सरासर ग़लत फ़हमी पर मबनी है। हसन बिन ज़ियाद और उनके असहाब कुरआन कलामुल्लाह को मख़लूक नहीं कहते बल्कि अल्फ़ाज़ व नुक़्श को मख़लूक कहते हैं। जब जरह की बुनियाद ही बातिल है तो जरह भी बातिल व मरदूद ठहरी।

(3) अबू सौर हसन इब्ने ज़ियाद के मुआसिर थे और उनकी वफ़ात 240 हि० में है। लिहाज़ा अबू सौर की जरह हसन बिन ज़ियाद के तअल्लुक से बिला दलील ग़ैर मोतबर है।

(4) अबू उसामा की जरह भी ग़ैर मुफ़स्सर है किसी को कोई ख़बीस कहे तो उसकी तौजीह व सुबूत की शहादत के बग़ैर गाली तसव्वुर की जाती है। यह जरह मुबहम है लिहाज़ा मरदूद है।

(5) याकूब, उक़ैली और अस्साजी का कज़़ाब कहना बिला दलील व बिला शवाहिद है लिहाज़ा मरदूद है।

एक अरब मोहक्किक् मोहम्मद हसन इस्माईल, अल्लामा ऐनी की किताब *‘मआनियुल अख़्यार फ़ी शरहे उसामीये रिजाले मआनिल आसार’* के हाशिये में लिखते हैं:

“तबकातुल कारी में हसन बिन ज़ियाद को इस उम्मत के मुजद्दीन में शुमार किया गया है। ऐसा ही इब्नुल असीर की किताब *‘मुखतसर ग़रीब अहादासिल कूतुबिस्सित्ता’* में है। मैं कहता हूँ कि उम्मीद यही है कि हसन बिन ज़ियाद पर जरहें सही नहीं और हों भी तो अव्वले हाल में मुआमला ऐसा हो सकता है फिर रुजू हो गया होगा। ऐसे हज़रात के बारे में इस तरह की तावील ज़रूरी है, वरना अहले सुन्नत व जमाअत के सिक़ह व मज़बूत रावियों की एक बड़ी तादाद हमारे हाथ से निकल जायेगी।”

(6) हसन हलवानी की तरह मोहम्मद बिन हुमैद बिन हय्यान राज़ी (मौत: 248 हि०) का कौल “मैंने हसन बिन ज़ियाद से ज़्यादा बुरी नमाज़ पढ़ने वाला किसी को नहीं देखा” भी मरदूद व नामकबूल है। क्योंकि मोहम्मद बिन हुमैद राज़ी खुद मोहद्देसीन के यहां सख़्त मजरूह हैं।

ज़हबी ने उन्हें मुनकिरुल हदीस, साहिबे अजाइब कहा।

बुख़ारी ने कहा “इसमें नज़र है” यानी उनसे रिवायत लेना जाइज़ नहीं।

निसई ने कहा “सिक़ह नहीं हैं।” (सियरो आलामिन्नुबला 11/504-506)

अबू जरआ और इब्ने वारा ने कहा “हमारे नज़दीक सही यह है कि वह झूट बोलता था।”

याकूब इब्ने शैबा ने कहा "वह ज़्यादा मुनकर रिवायात लाने वाले हैं।" (मौसूअतो अक़वालिल इमामे अहमद फ़ी रिजालिल हदीस व इललेही 2/255)

कौसज ने कहा "मैं गवाही देता हूँ कि वह कज़्ज़ाब है।"

सालेह जज़्ज़ा ने कहा " मैंने उनसे ज़्यादा अल्लाह पर जरी नहीं देखा। लोगों की अह्दादीस लेता था और बाज़ को बाज़ पर उलट फेर कर देता था।"

इब्ने खर्राश ने कहा "हमसे हदीस बयान की इब्ने हुमैद ने और वल्लाह वह झूट बोलता था।" (मीज़ानुल एतेदाल 3/531, दीवानुज़्ज़ाफ़ा लिज़्ज़हबी 1/348)

सालेह बिन मोहम्मद ने कहा "मह इब्ने हुमैद को मुत्तहम कहते थे।"

अबुल अयास ने कहा: "मैंने 'फ़ज़लक' को यह कहते हुए सुना कि मैं इब्ने हुमैद के पास आया तो देखा कि वह असानीद को मुतून पर फिट कर रहा था।"

ज़हबी कहते हैं कि यही मतलब है हदीस चोरी करने का।

सालेह मोहम्मद अलअसदी ने कहा: "मैंने सुलैमान शाज़कोनी और मोहम्मद बिन हुमैद से ज़्यादा झूट का माहिर नहीं देखा।"

अबू अली नीसापुरी ने कहा: "इब्ने खुज़ैमा से कह गया कि अहमद बिन हम्बल तो इब्ने हुमैद की तारीफ़ करते थे तो इब्ने खुज़ैमा ने कह कि वह (अहमद इब्ने हम्बल) इब्ने हुमैद को नहीं जानते थे अगर जानते जैसा कि हम जानते हैं तो कभी उसकी तारीफ़ न करते।

अबू इसहाक जौज़जानी ने कहा: "वह सिक़ह नहीं।"

इतने मुहद्देसीन ने मोहम्मद बिन हुमैद राज़ी को मजरूह, मुनकिरुल हदीस, ग़ैर सिक़ह हत्ताकि कज़्ज़ाब और वज़्ज़ा कहा है तो हसन इब्ने ज़ियाद जैसे इमामे मुजतहिद मोहद्दिस के ख़िलाफ़ उनकी बात बिला दलील व सनद क्यों मोतबर होगी?

अरब मोहक्केकीन के नज़दीक हसन इब्ने ज़ियाद सिक़ह हैं

मशहूर अरब मोहक्किक्क़ शैख़ शुऐब अरनऊत की निगरीनी में मोहक्केकीन की एक टीम ने इमामे ज़हबी की किताब सियरो आलामिन्नुबला पर तहकीक़ व तहशिया का काम अंजाम दिया है जिसे

मोअस्ससतुर्रिसाला बैरुत ने 25 जिलदों में दूसरी बार 1405 हि०/1985 ई० में शाये किया है। इस किताब की जिल्द न० 9 प्र० 544 के हाशिया न० 9 में यह लिखा है:

“हसन इब्ने ज़ियाद की एक मारुफ़ मुसनद है जो अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैहे की मरवियात पर मुशतमिल है। यह मुसनद इमामे अबू हनीफ़ा की 17 मसानीद में से एक है। उन सब की असानीद हाफ़िज़ बिन तूलून की किताब ‘अलफ़हरस्तुल औसत’ में, हाफ़िज़ मोहम्मद बिन यूसुफ़ अस्सालिही की किताब ‘उक़दुल ज़मान’ में, शैख़ अय्यूब बिन अहमद अदिमशकी अलख़लूती की किताब ‘सबतुल मुसनद’ में और शैख़ सनदी की ‘हस्रुशशारिद फ़ी असानीदे मोहम्मद इब्ने आबिद’ में मज़कूर हैं। हसन इब्ने ज़ियाद की मुसनद की सनद को मोहदिस अली बिन अब्दे मोहसिन दुवैलिबी हम्बली ने अपने नुस्खे में ज़िक्र किया है जो दिमश्क के कुतुबख़ाने में फ़न्ने हदीस में 285 न० के तहत महफूज़ है फिर हाशिया न० 3 और प्र० न० 545 के हाशिये पर लिखा:

“इमामे ज़हबी ने तारीखुल इस्लाम मे साफ़ लिखा कि इब्ने कासा नख़ई ने कहा हमसे बयान किया अहमद बिन अब्दुल हुमैद हारिसी ने, उन्होंने कहा मैंने हसन इब्ने ज़ियाद से ज़्यादा हुस्ने खुल्क वाला, उनसे ज़्यादा तवाज़ो वाला और उनसे ज़्यादा नर्म दिल नहीं देखा। वह बहुत ज़्यादा इल्मो फ़िक्ह वाले और ज़ोहदो वरा वाले थे। अपने गुलामों को वही पहनाते थे जो खुद पहनते थे। अल्लामा सैमरी ने अपनी किताब ‘अख़बारे अबी हनीफ़ा व असहाबेही’ के प्र० 131 पर, ख़तीब बग़दादी ने अपनी तारीख़ के भाग न० 7 प्र० न० 314— 315 पर यही लिखा और यहया इब्ने आदम ने कहा मैंने हसन इब्ने ज़ियाद से ज़्यादा बड़ा फ़कीह किसी को नहीं देखा। जो शख्स यहया इब्ने आदम को जानता है और यह जानता है कि इल्म में उनका क्या मरतबा है? और फ़ुक़हा में से जिन्होंने उनको देखा है वह यह जानेंगे कि यहया इब्ने आदम की हसन इब्ने ज़ियाद के हक़ में गवाही की क्या अहमियत है? फिर यह कि अबू अव्वाना ने हसन इब्ने ज़ियाद की हदीस को अपनी मुसतख़रज अला सही मुसलिम में तखरीज की है और हाकिम ने भी अपनी मुसतदरक में।

दोनों का यह अमल हसन इब्ने ज़ियाद की तौसीक का शाहिद है और मुसलिमा बिन कासिम ने उनको सिकह कहा है। इब्ने हिब्बान ने सिकात में ज़िक्र किया जैसा कि साहिबे कशफुल अस्तार अन रिजाले मअानिल आसार ने ज़िक्र किया है। बावुजूद इसके कि यह इमामे हसन इब्ने ज़ियाद जलीलु कद्र आलिमे दीन, कसीरुर्रिवायत मोहदिस, इमामुल फ़िक्ह, आली नफ़स, बुलन्द किरदार और मुत्तबेये सुन्नत थे। बाज़ हासेदीन व मुतअस्सेबीन ने जुल्मो सरकशी की बुनियाद पर उन पर तान व तश्नी की ऐसी बातें चस्पां करने से गुरेज़ नहीं किया जिनके ज़िक्र करने से हया आती है। उन्होंने यह बातें ऐसी शख़्सियत पर गढ़ी हैं जो उनसे पाक है। हालांकि नोकेदीन पर लाज़िम था कि वह अपनी किताबों को तान की इन बातों से आलूदा करने से पाक रखते और अल्लाह तआला का ख़ौफ़ करते या कम से कम इतना करते कि उन्हें नक्ल करके उनके कमज़ोर और जाली होने को बयान कर देते ताकि नाकेदीन पर भरोसा करने की वजह से कारेईन धोके में न पड़ते। और ज़न्ने ग़ालिब यह है कि ज़हबी ने उन कबीह बातों के ज़िक्र से एराज़ किया है क्योंकि उन्हें पता था कि यह सब बातिल हैं जो हसदो तअस्सुब के पेट से पैदा हुई हैं। चुनांचे उन्होंने तारीखुल इस्लाम भाग 11 में हसन बिन ज़ियाद के तरजमें में लिखा है कि ख़तीब ने उनके तअल्लुक से ऐसी बातें नक्ल की हैं जिनका ज़िक्र करना मुनासिब नहीं। अल्लामा कौसरी ने अपनी किताब 'अलइमतिना' प्र0 36-50 में तारीख़े बग़दा, कामिल इब्ने अदी, उकैली की अज़्ज़ोफ़ा के हवाले से उन बातों को नक्ल करके उनका रद्द किया है और उनके बातिल व न मकबूल होने को वाज़ेह तौर पर बयान किया है।

उलमाये अहले हदीस जवाब दें

(1) बुख़ारी के रावी सालिम बिन अबिल जाद को मुदल्लेसीन में शुमार किया गया है।

- ज़हबी ने कहा: "वह मुदल्लिस थे। (अलमुदल्लेसीन लेइब्निल इराकी

● इब्ने हज़र असकलानी ने उनको 'तबकाते मुदल्लेसीन' में ज़िक्र किया है। (ऐज़न 1/31)

● सिब्ते इब्निल अजमी ने असमाये मुदल्लेसीन में ज़िक्र किया है। (अत्तबयीन लेअस्माये मुदल्लेसीन 1/25)

बुख़ारी में हदीस 266 बाब 'मन अफ़रग़ बियमीनिही अला शिमालिही फ़िलगुस्ल' में सालिम बिन अबिल जाद की सनद यूँ है:

"सालिम बिन अबी अलजाद से वह कुरैब मौला इब्ने अब्बास से वह इब्ने अब्बास से वह मैमूना बिनते हारिस से"

उलमाये अहले हदीस जवाब दें कि सालिम बिन अबी अल जअद मुदल्लिस हैं और उन्होंने कुरैब से रिवायत करने में सिमा की सराहत नहीं की है बल्कि लफ़्ज़े 'अन' से रिवायत किया है और मुदल्लिस की 'अन' वाली रिवायत सही नहीं जैसा कि हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई ने लिखा 'हदीसे मोअम्मल' मोअम्मिल की वजह से ज़ईफ़ नहीं बल्कि सुफ़याने सौरी की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है। (नमाज़ में हाथ बान्धने का हुक्म व मुक़ाम प्र0 20)

हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई साहिब सुफ़यान की तदलीस की वजह से हदीस को ज़ईफ़ कह रहे हैं तो सालिम बिन अबिल जअद की तदलीस की वजह से बुख़ारी की हदीस ज़ईफ़ क्यों नहीं?

(2) कुलैह बिन सुलैमान बुख़ारी व मुसलिम के रावी हैं। उनके तअल्लुक से नाक़ेदीन की आरा मुलाहज़ा करें।

● यहया इब्ने मईन ने कहा: "ज़ईफ़ है, क़वी नहीं न ही काबिले हुज्जत।"

● इमामे अहमद इब्ने हम्बल ने फ़रमाया कि यहया इब्ने मईन ने कहा: "तीन आदमियों की हदीस से परहेज़ किया जाए। मोहम्मद बिन तल्हा बिन मुसरिफ़, अय्यूब बिन उत्बा ओर कुलैह बिन सुलैमान।"

● अबूदाऊद ने फ़रमाया कि मुझे पता चला कि यहया बिन मईन कुलैह बिन सुलैमान की अहादीस सुनकर कॉप उठते थे। अबू दाऊद ने कहा कुलैह काबिले एहतेजाज नहीं।

- अबू उबैद अलआजुरी ने कहा कि मैंने अबूदाऊद से कहा कि यह्या बिन मईन ने कहा कि आसिम बिन उबैदुल्लाह, इब्ने अकील और कुलैह की हदीस काबिले एहतेजाज नहीं तो दाऊद ने कह हों सच है।
- निसई ने कहा कि कुलैह जईफ है।
- साजी ने कहा: “उन पर सबसे बड़ी तोहमत वह है जो इब्ने मईन ने अबू कामिल से जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हम कुलैह को मुत्तहम (बिलकिज़्ब) मानते थे क्योंकि सहाबा को गालियां देता था। (सियरो आलामिन्नुबला 7/354)
- दारकुत्ती ने कहा कि अहमद बिन शुऐब निसई ने कहा कि मोहम्मद बिन इस्माईल बुखारी ने सुहैल बिन अबू सालेह की हदीस को अपनी किताब (सही बुखारी) में जिक्र नहीं किया और इब्ने बक्र, अबू सुलैमान और कुलैह की हदीस को जिक्र किया। इसकी कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती और कोई उज्र समझ में आता है। (मौसूअतो अकवालिल इमामे अहमद इब्ने हम्बल 2/521)

उलमाए अहले हदीस जवाब दें कि कुलैह बिन सुलैमान को मज़कूरा बाला माहेरीने हदीस ने जईफ, गैर सिक्ह, नाकाबिले एहतेजाज और मुत्तहम कहा है फिर भी इमामे बुखारी ने सही बुखारी में एक नहीं 19 अहादीस कुलैह बिन सुलैमान की सनद से तखरीज की हैं। बुखारी की यह अहादीस सही हैं या नहीं? अगर सही हैं तो क्यों?

(3) असबग बिन अलफर्ज (मौत: 225 हि0) बुखारी के उसताज हैं। उनसे बुखारी ने अपनी सही में हदीस तखरीज की है। यह दयारे मिस्र के मुफ्ती थे। इमामे मालिक के कौल पर फ़त्वा देते थे।

जहबी ने लिखा कि यह मालिकी मुफ्ती थे।

यह्या बिन मईन ने कहा:

“असबग इमामे मालिक की राय के सब से बड़े आलिम थे। उनके एक एक मसअले का इल्म रखते थे कि इमामे मालिक ने वह मसअला कब बयान किया? और किस मसअले में इमामे मालिक की किसने मुख़ालफ़त की?

उनके सिक़ह होने के बावुजूद इमामे ज़हबी लिखते हैं कि असबग़ और अब्दुल हकीम दोनों के दरमियान ऐसी दूरी थी कि दानों एक दूसरी पर बुहतान तराशी किया करते थे। इब्नुल वज़ीर ने असबग़ को ख़बीसुल्लिसान कहा है। मुतरिफ़ बिन अब्दुल्लाह अलअसम ने कहा कि असबग़, अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल हकीम से बड़े फ़कीह थे लेकिन वह बदजुबान थे इन्हें कोई सलाम नहीं करता था। वह बिजली थे जिससे लोग डरते थे। (सियरो आलामिनुबला 10/657-658)

अहले हदीस ग़ैर मुक़ल्लेदीन उलमा जवाब दें कि बुख़ारी के रावी असबग़ पर उनके मुआसिर की जानिब से बुग़ज़ो अ़दावत की वजह से बुहतान तराशी हो सकती है बल्कि है तो इमामे हसन इब्ने ज़ियाद पर बुहतान तराशी की बुनियाद पर बुग़ज़ो इनाद व तअस्सुब क्यों नहीं हो सकता? और असबग़ बाज़ लोगों के नज़दीक 'बदजुबान' से मुत्तहम होने के बावुजूद बुख़ारी के सिक़ह रावियों में शुमार हो सकते हैं तो इमामे हसन इब्ने ज़ियाद बाज़ के नज़दीक मुत्तहम होने के बावुजूद इमामे आज़म के सिक़ह रावियों में क्यों नहीं हो सकते?

इमामे आज़म अबू हनीफ़ा पर एक संगीन इलज़ाम का जवाब

ख़वारिजे ज़माना (वहाबी ग़ैर मुक़ल्लेदीन) इमामे अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैह पर एक संगीन इलज़ाम का ख़ूब चर्चा करते हैं। वह यह है कि अबू हनीफ़ा को कूफ़ा में कुफ़्र से तौबा कराई गई "मआज़ल्लाह असतग़फ़िरुल्ला" यह एक झूटा इलज़ाम है। इसकी हकीकत क्या है? ज़ैल में हम उसको वाज़ेह करते हैं:

अबुलफ़ज़ल अलकिरमानी कहते हैं कि ख़वारिज कूफ़ा में दाख़िल हुए। उनका नज़रिया यह था कि गुनाहे कबीरा का मुरतकिब काफ़िर है और उसे जो काफ़िर न कहे वह भी काफ़िर है। जब उनको मालूम हुआ कि इमामे अबू हनीफ़ा मुरतकिबे कबीरा को काफ़िर न कहने वालों के शैख़ हैं तो उन्होंने इमाम का मुवाख़ज़ा किया और कहा कि आप मुरतकिबे कबीरा को काफ़िर न कहने की वजह से कुफ़्र के मुरतकिब हो

चुके हैं, इसलिए अपने कुफ़्र से तौबा कीजिए। इमाम ने पुर हिकमत जवाब देते हुए फ़रमाया कि मैं हर कुफ़्र से ताइब हूँ (हर कुफ़्र से अलग होकर अल्लाह की तरफ़ मुतवज्जेह हूँ)। आपकी यह पुर हिकमत बात हर एक की समझ में न आ सकी। किसी ने यह बात समझ ली और उनसे कहा कि यह शैख़ कहते हैं कि मैं तुम्हारे कुफ़्र से ताइब (अलग) हूँ। यह सुनकर फिर उन्होंने आप को पकड़ा और जवाब तलब किया तो आपने उनसे पूछा कि मुरतकिबे कबीरा को तुम लोग इल्मो यकीन (दलीले कतई) की बुनियाद पर काफ़िर कहते हो या ज़न्न (दलीले ज़न्नी) की बुनियाद पर। उन्होंने कहा कि ज़न्न की बुनियाद पर। आपने फ़रमाया कि कुरआन में है कि बेशक बाज़ ज़न्न असम्म (गुनाह) है। इसलिए तुम खुद मुरतकिबे गुनाहे कबीरा हो और मुरतकिबे गुनाहे कबीरा तुम्हारे तज़दीक़ मुरतकिबे कुफ़्र है लिहाज़ा तुम अपने कुफ़्र से तौबा करो। उन्होंने कहा: आप भी कुफ़्र से तौबा कीजिए। इमाम ने फ़रमाया: मैं हर कुफ़्र से ताइब (अलग) हूँ। इमामे किरमानी फ़रमाते हैं कि यही वाक़ेया है जिसको ग़लत अंदाज़ में मुख़ालेफीन ने फैलाया और कहा कि इमामे अबू हनीफ़ा को कुफ़्र से तौबा कराई गई। (अलजौहरुल मज़िय्यह फ़ी तबक़तिल हनफ़िय्यह 1/486)

इमामे अबू हनीफ़ा के मुतअल्लिक़ एक मनगढ़त वाक़ेया

अहले हदीस ग़ैर मुक़ल्लेदीन और इमामे आज़म अबूहनीफ़ा के मुआनेदीन एक झूटे वाक़ेये को इमामे बुख़ारी के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़िक़्र करते हैं। वह वाक़ेया यह है कि इमामे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक इमामे आज़म के पहलू में नमाज़ अदा कर रहे थे। जब दोनों नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो इमामे अबू हनीफ़ा ने इमामे इब्नुल मुबारक से फ़रमाया: क्या बात है मैंने देखा कि नमाज़ में तुम तकबीरे तहरीमा के अलावा बार-बार रफ़ेयदैन् करते रहे थे क्या तुम्हारा उड़ने का इरादा था? इसके जवाब में इब्नुल मुबारक ने कहा कि जब आपने तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ेयदैन् किया तो क्या उड़ने का इरादा था? इस पर इमामे आज़म लाजवाब हो गये ।

यह वाक़ेया सरासर मनगढ़त और झूट है। इसको दलाइल से हम साबित कर रहे हैं:

(1) इस वाक्ये के ग़लत होने की पहली दलील यह है कि इमामे बुख़ारी ने अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक के हवाल से इस वाक्ये को “जुज़र रफ़ेयदैन्” में ज़िक्र किया है लेकिन बे सनद। इमामे अबू हनीफ़ा जैसी अजीम शख़्सियत के तअल्लुक से ऐसी कमज़ोर बात का इन्तिसाब बिला सनद व बिला दलील हर गिज़ मोतबर नहीं हो सकती।

खुद हज़रते अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक ने फ़रमया:

इसनाद मेरे नज़दीक दीन से है। अगर इसनाद न होती तो जिसके जी में जो आता कह देता। (मुक़द्दमये सही मुसलिम)

हज़रते इब्नुल मुबारक के फ़रमान के मुताबिक़ उनकी तरफ़ मन्सूब यह वाक्येया बिला सनद नामकबूल है।

(2) मज़कूरा वाक्येया के बातिल होने की दूसरी दलील यह है कि एक तरफ़ इब्नुल मुबारक की जानिब मन्सूब यह वाक्येया है और दूसरी तरफ़ इब्नुल मुबारक के तअस्सुरात इमामे अबू हनीफ़ा के तअल्लुक से यह हैं:

(अलिफ़) इब्नुल मुबारक ने इमामे अबू हनीफ़ा के हुस्ने खुल्क, हिल्मो बुर्दबारी और वक़ार को यों बयान फ़रमाया:

“एक दिन हम जामे मस्जिद में थे, अचानक एक सांप ऊपर से अबू हनीफ़ा की गोद में गिर गया। यह देख कर लोग भाग खड़े हुए लेकिन अबूहनीफ़ा ने सिर्फ़ दामन को झाड़कर सांप को फेंक दिया और पुर वक़ार अंदाज़ में अपनी मजलिस में बैठे रहे।” (अख़बारे अबीहनीफ़ा वअसहाबिही लिस्सैमिरी 1/87, तारीख़े बग़दाद खतीब बग़दादी 15/459)

(ब) इब्नुल मुबारक से पूछा गया कि आदमी फ़त्वा देने और मन्सबे कज़ा के लाइक़ कब होता है? तो इब्नुल मुबारक ने फ़रमाया:

“मुप्ती और काजी बनने के लाइक़ उस वक़्त होता है जबकि हदीस का आलिम हो, साहिबुर्राय बाबसीरत हो। इमामे अबूहनीफ़ा के अक़वाल का आलिम हो और उनको महफूज़ रखने वाला हो। (अख़बारे अबूहनीफ़ा लिस्सैमिरी 1/87)

(जीम) कुछ लोगों ने इमामे इब्नुल मुबारक से कहा कि अबूहनीफ़ा हदीस का इल्म नहीं रखते तो उन्होंने जवाब दिया: तुम यह कैसे कह

सकते हो कि हव हदीस का इल्म नहीं रखते? उनसे पूछा गया कि रतब को तमर के बदले में बेचना जाइज़ है तो उन्होंने कहा कोई हरज नहीं। लोगों ने कहा कि हदीसे सअद तो उसके खिलाफ है, तो अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि हव हदीस शाज़ है। जैद अबी अय्याश की रिवायत के मुक़ाबिले में क़बूल नहीं की जायेगी जिसने कहा कि अबू हनीफ़ा को हदीस का इल्म नहीं तो उसे हदीस का इल्म नहीं। (अख़बारे अबी हनीफ़ा व असहाबिही लिस्सैमिरी 1/78)

(दाल) इब्नुल मुबारक ने इमामे अबू हनीफ़ा की हाज़िर दिमागी और हिकमत व दानाई की तारीफ़ करते हुए एक वाक़ेया बयान किया है:

हम मक्के के रास्ते में थे, लोगों ने क़ाफ़िले वालों के लिए एक ऊंटनी का बच्चा ज़िबह करके उसको भूना फिर उन्होंने चाहा कि उसको सिरका से खाएं, सिरका था लेकिन उसको डालने के लिए कोई बरतन वगैरह न था। अभी वह इसी फ़िक्र में थे कि फ़ौरन अबू हनीफ़ा ने रेत में एक गढ़ा खोदा और दसतर ख़्वान बिछा दिया और उस पर सिरका उंडेल दिया। इस हिकमत से लोगों ने सिरका के साथ भुना हुआ गोشت खाया। लोगों ने यह देखकर कहा आप हर चीज़ उम्दा तरीक़े से करते हैं। (अख़बारे अबीहनीफ़ा व असहाबिही लिस्सैमिरी 1/32)

(ह) अली बिन मुसहिर का बयान है कि हम अबूहनीफ़ा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के पास थे। उनके पास अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक आये। उन्होंने अबूहनीफ़ा से पूछा: आप क्या फ़रमाते हैं उस आदमी के बारे में जो हांडी में गोشت पका रहा था। एक चिड़िया उड़कर हांडी में गिर गई और मर गई? इमामे अबूहनीफ़ा ने अपने असहाब से उनकी राय दरयाप्त की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में तो हज़रते इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा की रिवायत है कि शोरबा फेंक दिया जाए और गोشت धोकर खाया जाए। इमामे अबूहनीफ़ा ने फ़रमाया मेरी भी यही राय है लेकिन इसमें एक शर्त भी है। वह यह है कि अगर चिड़िया हांडी में उस वक़्त गिरी है जब जोश में थी तो शोरबा भी फेंक दिया जायेगा और गोشت भी और अगर हांडी पकने के बाद चिड़िया गिरी थी तो शोरबा फेंका जायेगा और गोشت धोकर खाया जायेगा। इब्नुल मुबारक

ने पूछा कि आपने यह कहाँ से कहा? इमामे अबूहनीफ़ा ने कहा: जब चिड़िया हांडी के जोश मारने के वक़्त गिरी तो चिड़िया का असर सिरका की तरह शोरबा और गोश्त और हांडी को पहुँचा, और हांडी पकने के बाद चिड़िया गिरी तो उसके असर ने सिर्फ़ शोरबे में नुफ़ूज़ किया लिहाज़ा शोरबे को फेंक दिया जायेगा और गोश्त धोया जायेगा क्योंकि उसका असर उसमें दाख़िल नहीं हुआ। यह सुनकर इब्नुल मुबारक ने कहा: यह पुख़्ता राय वाले हैं। (अख़बारे अबीहनीफ़ा व असहाबिही लिस्सैमिरी 1/38)

(वाव) इब्ने मईन ने इब्नुल मुबारक के बारे में फ़रमाया:

“अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक अबूहनीफ़ा की जितनी ज़्यादा खूबियाँ बयान करते थे उतनी खूबियाँ बयान करते मैंने किसी को नहीं देखा।” (अख़बारे अबीहनीफ़ा व असहाबिही लिस्सैमिरी 1/41)

(ज़) इब्ने मुकातिल ने कहा कि मैंने इब्नुल मुबारक को यह कहते हुए सुना कि जब मैं सुनता हूँ कि कोई आदमी अबूहनीफ़ा पर ऐब लगाता है तो मैं उसको देखना ग़वारा नहीं करता और उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता, इस ख़ौफ़ से कि कहीं उसपर अल्लाह का क़हर नाज़िल न हो जाए और उसके साथ मैं भी उसकी ज़द में आ जाऊँ। (अख़बारे अबीहनीफ़ा व असहाबिही लिस्सैमिरी 1/44)

(ह) इब्नुल मुबारक ने हसन बिन अम्मारह की इस बात की तारीफ़ की:

“बख़ुदा हमने इल्मे फ़िक्ह में आप (अबूहनीफ़ा) से ज़्यादा बलीग़ कलाम करने वाला, ग़ैरों की ईज़ारसानियों पर आपसे ज़्यादा सन्न करने वाला और आपसे ज़्यादा हाज़िर जवाब किसी को नहीं पाया। आप पर ऐब लगाने वाले आपके हासिद हैं” (अख़बारे अबीहनीफ़ा व असहाबिही लिस्सैमिरी 1/65)

कारेईने किराम! ज़रा इंसाफ़ से फ़ैसला करें कि वह अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जो इमामे अबूहनीफ़ा के बारे में इतने उम्दा तअस्सुरात रखते थे और फ़रमाते थे जो अबूहनीफ़ा पर ऐबजोई करे मुझे उसका चेहरा देखना भी ग़वारा नहीं, वह फ़रमाते थे कि मैंने अबूहनीफ़ा जैसा हाज़िर

जवाब किसी को नहीं देखा, मैंने अबूहनीफ़ा जैसा फ़िक्हुल हदीस का आलिम किसी को नहीं देखा, वह इब्नुल मुबारक जो अबूफ़नीफ़ा के बारे में यह फ़रमायें कि जब तुम देख लो किसी कौल पर सुफ़याने सौरी और अबूहनीफ़ा का इत्तिफ़ाक़ है तो उसको इख़्तियार कर लो। (अलइत्क़ान , इब्ने अब्दुलबर 1/132) वह इब्नुल मुबारक जो हमेशा इमामे अबूहनीफ़ा का ज़िक्र ख़ैर के साथ करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे, उनका दिफ़ा करते थे हत्ताकि अबुल हसन फ़राज़ी जो इमामे अबूहनीफ़ा को दिल से नापसंद करते थे लेकिन जब वह इब्नुलमुबारक के सामने होते तो अबूहनीफ़ा का ज़िक्र ख़ैर ही से करते थे और बुराई करने की ज़ुरअत नहीं होती थी, वह इब्नुल मुबारक कि उनके सामने किसी ने इमामे अबू हनीफ़ा पर तान किया तो उन्होंने बरजस्ता फ़रमाया: चुप रह अगर तू अबूहनीफ़ा को देख लेता सरापा अक्लो ज़कावत को देख लेता। (इलइन्तिफ़ा 1/132)

वह इब्नुल मुबारक जिनका कौल है कि अगर अल्लाह तआला ने अबूहनीफ़ा और सुफ़याने सौरी के ज़रिये मेरी मदद न की होती तो मैं आम आदमियों की तरह होता। (तहज़ीबुत्तहज़ीब 10/450)

भला वह अपने ममदूह शेख़ इमामे अबूहनीफ़ा के बारे में ऐसा कैसे कह सकते थे कि रफ़ेय़दैन के तअल्लुक़ से मेरी बात पर वह लाजवाब हो गये । हाशा कल्ला ऐसा हरगिज़ नहीं। बल्कि इब्नुल मुबारक की जानिब मज़कूरा वाक़ेया गढ़कर मन्सूब किया गया है।

लगे हाथों इब्नुल मुबारक के चंद अरबी अशआर जो इब्नुल मुबारक ने इमामे आजम की मदह में कहे हैं का तरजमा नज़रे कारेईन कर रहा हूँ:

“ मैंने देखा अबू हनीफ़ा की ज़कावत और भलाई का चर्चा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। वह सही बात कहते और उसे मुन्तख़ब कर लेते जब कि दूसरे लोग दुरुस्तगी से परे रह जाते। उनका जो भी क़यास होता अक्ले ख़ालिस पर मबनी होता। कौन है वह जिसे तुम उनका नज़ीर में पेश कर सको? अबू हनीफ़ा ने हम्माद की जगह पुर कर दी हालांकि उनकी वफ़ात हमारे लिए बड़ी मुसीबत थी। मैंने देखा

अबूहनीफ़ा से कोई मसअला पूछा जाता तो वह इल्म का बहरे ज़ख्खार साबित होते थे। जब उलमा से इल्मी इश्कालात हल न होते थे तो अबूहनीफ़ा उनकी तह तक पहुँच जाया करते थे।” (अल इन्तिफ़ा 1/33)

अबू हनीफ़ा की शान में ऐसे अशआर कहने वाला खुद कहे कि अबू हनीफ़ा मेरी हाज़िर जवाबी के आगे लाजवाब हो गये, यह बात निहायत ग़ैर माकूल है। यकीनन इब्नुल मुबारक की जानिब इसका इन्तेसाब ग़लत किया गया है। इसी तरह उनके हवाले से जो भी अक़वाल उनके मज़क़ूरा बाला तअस्सुरात के ख़िलाफ़ पेश किये जायें वह ग़ैर मोतबर हैं और उनकी जानिब ग़लत मन्सूब हैं।

(3) मज़क़ूरा वाक़ेया के ग़लत होने की तीसरी दलील यह है कि इस वाक़ेया को वकी बिन ज़र्ज़ह के हवाले से पेश किया गया है हालांकि वकी बिन ज़र्ज़ह रफ़ेयदैन् के मसअले में इमामे अबू हनीफ़ा के कौल पर खुद अमल करने वाले थे और अबू हनीफ़ा के अक़वाल पर फ़त्वा दिया करते थे। किसी सही सनद से साबित नहीं कि वकी इब्ने ज़र्ज़ह मसअलये रफ़ेयदैन् में इमामे अबूहनीफ़ा के ख़िलाफ़ फ़त्वा दिया करते थे।

ख़तीब बग़दादी ने यहया बिन मईन का यह कौल नक़ल किया है:

“मैंने वकी से अफ़ज़ल किसी को नहीं देखा। वह किबला रू होकर हदीस याद करते थे, रात भर जागते थे, दिन में मुसलसल रोज़े रखते थे और कौले अबू हनीफ़ा पर फ़त्वा देते थे। उन्होंने अबू हनीफ़ा से बहुत सी चीज़ें सुनी हैं। (तारीख़े बग़दाद 15/647)

इब्ने मईन के इस कौल को इब्ने असाकर ने तरीख़े दिमश्क में, इमामे असक़लानी ने तहज़ीबुत्तहज़ीब में, मुज़ी ने तहज़ीबुल कमाल में, ज़हबी ने तरीखुल इसलाम और सियरो अलामिन्नुबला में, सुयूती ने तबकातुल हुफ़फ़ाज़ में और अल्लामा दाऊदी मालिकी ने तबकातुल मुफ़स्सेरीन में नक़ल किया है।

यह एक नाक़ाबिले तरदीद हकीक़त है कि इमामे वकी बिन ज़र्ज़ह इमामे अबूहनीफ़ा के कौल पर फ़त्वा देते थे। अगरचे मुजतहिद फ़िल मज़हब थे लेकिन उसूले इसतिबात में इमामे अबू हनीफ़ा की तकलीद

करने वाले थे इस लिहाज से उन्हें हनफी कहा जाता है। क्योंकि उसूल में मुकल्लिद थे अगरचे बाज़ फुरु में इमामे से इख़िलाफ़ भी करते थे। लेकिन ग़ैर मुकल्लेदीन इल्मे फ़िक्ह और उसूले फ़िक्ह से नाबलद होते हैं इसलिए यह बात एक ग़ैर मुकल्लिद शैख़ अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहिबे तोहफ़तुल ऐहवजी की समझ में नहीं आई और उन्होंने यह लिख मारा कि बाज़ हनफी यह कहते हैं कि वकी बिन ज़र्राह कौले इमामे अबू हनीफ़ा पर फ़त्वा देते थे और वह हनफी मुकल्लिद थे, यह बात ग़लत है। (तोहफ़तुल ऐहवजी 1/20)

बहर हाल यह बात तै शुदा है कि वकी बिन ज़र्राह इमामे आजम के खास तलामिज़ा में से थे और फ़िक्ह में उनके अक़वाल ही पर फ़त्वा देते थे। लिहाज़ा तर्क रफ़ैय़दैन् के मुआमले में भी वह इमामे आजम के कौल से मुत्तफ़िक़ थे। फिर कैसे हो सकता है कि वह यह कहें कि इब्नुल मुबारक के साथ रफ़ैय़दैन् के सुबूत पर मुबाहसा में इमामे आजम लाजवाब हो गये ? इससे भी अंदाज़ा होता है कि इस वाक़ये के रावी की हैसियत से वकी बिन अलज़र्राह का नाम ग़लत तौर पर जोड़ा गया है।

(4) मज़क़ूरा वाक़ये के ग़लत होने की चौथी दलील यह है कि इमामे बुख़ारी ने इसकी सनद ज़िक्र नहीं की लेकिन इमामे बैहिकी शाफ़ेई ने हाकिम के हवाले से जो सनद ज़िक्र की है वह तारीक़ व नामक़बूल है। ज़ैल में सनद का तनकीदी जायज़ा पेश किया जा रहा है:

“हमको ख़बर दी अब्दुल्लाह अल हाफ़िज़ ने उन्होंने कहा हमे बताया अल हसन बिन हलीम अस्साइग़ अम्र ने वह कहते हैं हमसे हदीस बयान की अबुल मूजह ने उन्होंने कहा मुझे ख़बर दी अबू नस्र मोहम्मद बिन अबिल ख़त्ताब अस्सुलमी ने और वह एक सालेह शख्स थे, उन्होंने कहा मुझे ख़बर दी अली बिन यूनुस ने उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान वकी ने” (अस्सुननुल कुबरा लिलबैहकी 2/117)

इस सनद का एक रावी जिसका नाम अलहसन बिन हलीम साइग़ लिया गया है, यह मज़हूलुल ऐन् भी है और मज़हूलुल हाल भी। कुतुबे तराजिमो तबक़ात इस नाम के ज़िक्र से ख़ाली नज़र आती हैं। बरादराने अहले हदीस में से कोई इस रावी के बारे में मालूमात फ़राहम करा दें

कि यह कौन है? और माहेरीने हदीस में से किस किस ने इसकी तौसीक की है? अबुल मोजह मोहम्मद बिन अम्र अलफज़ारी को इमामे जहबी और दीगर नाकेदीने हदीस ने सिर्फ़ इस हैसियत से ज़िक्र किया है कि वह मरो के इमामे मोहदिस हाफिज़ुल हदीस थे लेकिन उनकी सिकाहत व अदमे सिकाहत के तअल्लुक से सब माहेरीन खामोश हैं। माहेरीने हदीस के अक़्वाल से जबतक उनकी तादीलो तौसीक साबित नहीं कर दी जाती उनकी रिवायत में तवक्कुफ़ ज़रूरी है।

सनदे मज़कूर के चौथे रावी अबुन्नस्र अबिल ख़त्ताब भी मजहूल हैं। अबुल मोजह के *“वह एक सालेह शख्स थे”* कहने से उनकी तौसीक साबित नहीं होगी क्योंकि अबुल मोजह का सिक्कह होना खुद तिश्नये दलील है तो उनकी तौसीक किसी के तअल्लुक से कब मोतबर होगी? पहले यह तो साबित हो कि यह *“शख्स”* हैं कौन? और असमाये रिजाल में इस नाम के शख्स का पता नहीं तो फिर वह *“सालेह शख्स”* कहाँ से निकल आये?

यह थे सनदे मज़कूर के चौथे रावी जो मजहूलुलहाल बल्कि मजहूलुलऐन भी हैं। अब रहे अली बिन यूसुफ़ तो उनके तअल्लुक से उक़ैली ने कहा *“उनकी हदीस की मुताबे नहीं मिलती”* यानी उनकी हदीस शाज़ व मुनकर होती है। (लिसानुल मीज़ान 6/40)

कारेईने किराम! ज़रा गौर करें कि ऐसा वाक़ेया जिसकी सनद में पांच रावी ज़िक्र किये गये हैं उनमें तीन मजहूल हैं और चौथे ऐसे हैं जिनकी रिवायत शाज़ व मुनकर यानी नामकबूल होती है फिर भी इस वाक़ेये को इमामे अबूहनीफ़ा जैसी मुसल्लमुस्सुबूत शख्सियत की तनकीस में वहाबी अहले हदीस मुस्तनद व मोतबर मानते हैं आखिर इसकी वजह क्या है? इमामे बुख़ारी की किताब जुज़्ज़ रफ़येदैन में तो यह वाक़ेया बिला सनद नक्ल किया गया है और बैहकी की अस्सुननुल कुबरा में सनद के साथ नक्ल किया गया है लेकिन उसकी सनद का जो हाल है वह कारेईन के सामने है।

यह सनद मुज़लिम व तारीक और शाज़ व मुनकर है फिर भी एक ग़ैर मुक़ल्लिदे ज़माना अबू अब्दुर्रहमान मकील बिन हादी ने एक किताब

‘नशरुस्सहीफा फी जिक्रिस्सही मिन अक्वाले अइम्मतिल जरहे वत्तादील फी अबी हनीफा’ के नाम से लिखी है उसके प्र० 149 पर यह लिखा है:

“मैंने इस वाक्ये को बैहकी से नक्ल किया है इसलिए कि उन्होंने पूरे वाक्ये को बेहतर सनद के साथ जिक्र किया है।”

गैर मुकल्लिद आलिम इस सनद को बेहतर कह रहे हैं हालांकि सनदे मजकूर तारीक, मुनकर और शाज है। नीज मुसन्निफे किताब के खुस्से बातिनी की दलील है कि उसने किताब के शुरू में यह लिखा है:

“इमामे अबूहनीफा के मुत्तबेईन ने उनकी शान में गुलू किया है। चुनांचे वह लोग उन्हें इमामे आजम के लक़ब से याद करते हैं।” (नशरुस्सहीफा 1/9)

मुसन्निफे किताब के बुग़जो इनाद और खुस्से बातिनी की चुगली खाने वाला यह जुम्ला मुसन्निफे के मबलगे इल्म को भी जग जाहिर करने के लिए काफी है। मुसन्निफे मजकूर के नजदीक इमामे अबू हनीफा को अगर इमामे आजम कहना उनके मुत्तबेईन का गुलू है तो दर्ज जैल असलाफे उम्मत के बारे में क्या ख्याल है जिन्होंने इमामे अबूहनीफा को इमामे आजम तहरीर फरमाया है? क्या इन सब असलाफ़ ने इमामे अबू हनीफा को इमामे आजम लिखकर गुलू किया है? वहाबी गैर मुकल्लेदीन जवाब दें। इमामे अबू हनीफा को इमामे आजम के लक़ब से याद करने वाले उलमाये असलाफ़ के नाम यह हैं:

- 1) इमामे अबुल हसन अशअरी {मौत: 324 हि०} (अलइबाना फी उसूलिदयाना 1/90)
- 2) ख़तीब अबूबक्र बग़दादी 1) {मौत: 463 हि०} (तारीखे बग़दाद 22/148)
- 3) शैख़ अस्समआनी अलमरुज़ी {मौत: 562 हि०} (अल अन्साब 8/21/28)
- 4) हाफ़िज़ शमसुद्दीन काये माज़ ज़हबी {मौत: 748 हि०} (तज़किरतुल हुफ़ाज़ 1/126)
- 5) शैख़ इब्राहीम अत्तरतोसी {मौत: 758 हि०} (आयानुल अम्र व आवानुन्नस्र 1/102)
- 6) शैख़ सलाहुद्दीन अस्सफ़दी {मौत: 764 हि०} (अलवाफी बिल वफ़यात 13/129)

- 7) शैख अहमद बिन अली अलफज़ारी {मौत: 821 हि0} (सुबहुल आशा फी सनाअतिल इंशा 1/499)
- 8) शारेह बुखारी अल्लामा ऐनी {मौत: 855 हि0} (मगानियुल अखयार 3/504)
- 9) अल्लामा इब्नुल जज़ी {मौत: 832 हि0} (मनाकिबे असदिल्लहिल ग़ालिब 1/83)
- 10) अल्लामा इब्नुल असीर {मौत: 630 हि0} (अल उक़दुल्लोलुइया फी तारीख़िदौला 2/173)

यह नाम बतौर नमूना ज़िक्र किये गए वरना दो दर्जन से ज़ायद असलाफ़े उम्मत के असमा (नाम) मैंने अपने रिसाला '*लक़बे इमामे आज़म का सुबूत*' में ज़िक्र किये हैं। इन असलाफ़े उम्मत ने इमामे अबू हनीफ़ा को इमामे आज़म के लक़ब से याद किया है। ग़ैर मुक़ल्लेदीन से सवाल किया जाये कि क्या यह सब असलाफ़े उम्मत गुलू और ज़ियादती करने वाले थे?

अब ज़रा ग़ैर मुक़ल्लेदीने वहाबिया उनके घर तक पहुँचा दिया जाये और दिखा दिया जाए कि उनके घर वालों ने कहां कहां इमामे अबू हनीफ़ा को इमामे आज़म लिखा है। देखिए:

- शैख़ नासिरुद्दीन अलबानी ने अपनी किताब *अल आयातुल बय्येनात* में इमामे अबू हनीफ़ा को इमामे आज़म लिखा है।
- इब्नुल क़य्थिम अलजौज़िया ने *अलक़सीदतुन्नूनिया* में इमामे अबू हनीफ़ा को इमामे आज़म लिखा है।
- नवाब सिद्दीक़ हसन खां ने *अद्वररुल बहिय्यह, अबजदुल उलूम* और *अल हित्ता* में इमामे अबू हनीफ़ा को इमामे आज़म लिखा है।

यह सब ग़ैर मुक़ल्लेदीन के पेशवा हैं। क्या इन सबने इमामे अबू हनीफ़ा को इमामे आज़म लिखकर गुलू किया है? और क्या यह सब इमामे आज़म के मुत्तबेईन थे?

ज़रा और आगे बढ़िए! वहाबियों ने शैख़ इब्ने तैमिया को इमामे आज़म लिखा है। (अल उक़दुल्लुइयह फी मनाकिबे शैख़िल इसलाम इब्ने तैमियह लिशशैख़ अदकूकी 1/419)

वहाबी गैर मुक़ल्लेदीन से जवाब तलब किया जाये कि शैख़ इब्ने तैमियह और शैख़ नजदी को इमामे आज़म कहना दीन में गुलू है या नहीं?

इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहे अलैह को इमामे आज़म कहने पर पूरी अहले हदीस बरादरी के कैम्प में आग लग जाती है और किस्म किस्म के एतेराज़ात किये जाते हैं लेकिन इसी लक़ब को वह अपने इमामों के लिए स्तेमाल करें तो कोई एतेराज़ की बात नहीं राकिम ने बिहम्दिही तआला लक़बे इमाम के सुबूत पर निहायत तहकीकी रिसाला संजीदा और आम फहम उसलोब में तहरीर किया है इन्शा अल्लाह उसके मुतालआ से इन्साफ़ पसंद कारेईन के शुक्को शुबहात दूर हो जायेंगे। वल्लाहुल मुवफ़िफ़।

रफ़ेयदैन् के तअल्लुक़ से एक गढ़ी हुई रिवायत

इमामे बैहकी ने फ़रमाया: हमें ख़बर दी अबू अब्दुल्लाह अल हाफ़िज़ (अलहाकिम) ने, उन्होंने कहा मुझसे बयान किया अबू सईद अहमद बिन मोहम्मद बिन रुमैह ने, उन्होंने कहा हमसे बयान किया अबू नस्र अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लह मरोज़ी ने मरौ में। उन्होंने कहा हमसे बयान किया मोहम्मद बिन सईद तिबरी ने, उन्होंने कहा हमसे बयान किया मोहम्मद बिन सुलैमान बिन दाऊद शाज़ कूफी ने, उन्होंने कह मैंने सुफ़यान बिन उऐना को कहते हुए सुना औज़ाई और सौरी दोनों मिना में एक साथ थे। औज़ाई ने सुफ़याने सौरी से कहा कि आप रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ेयदैन् क्यों नहीं करते? तो सुफ़याने सौरी ने कहा (इसलिए कि) हमसे हदीस बयान की यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ने। उस पर औज़ाई ने कहा: मैं आपके सापने सनद बयान कर रहा हूँ जुहरी की सालिम से, उनकी उनके वालिद से वह नबीये करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम से और इस मुक़ाबिले में यज़ीद बिन अबी ज़ियाद को पेश कर रहे हैं हालांकि यज़ीद ज़ईफ़ुल हदीस हैं। उनकी हदीस सुन्नत के खिलाफ़ है। यह सुनकर सुफ़याने सौरी का चेहरा सुर्ख़ हो गया। तो औज़ाई ने कहा शायद आपको यह बात नागवार हुई? सौरी ने कहा हां। औज़ाई ने कहा कि चलिए उठिए और

मक़ामे इब्राहीम के पास चल कर हम एक दूसरे पर लानत भेजें कि कौन हक़ पर है? यह सुन कर औज़ाई मुसकुरा पड़े। क्योंकि देखा कि औज़ाई बड़े जोश में आ गये हैं। (अस्सुननुल कुबर लिलबैहकी 2/117)

इस रिवायत का तनकीदी जायज़ा लेने से पहले मालूम होता है कि यह रिवायत मौजू और मनगढ़त है।

यह रिवायत के लिहाज़ से भी बातिल है और दिरायत के लिहाज़ से भी।

सनद का तनकीदी जायज़ा

इस रिवायत की सनद में हाकिम के सिवा दर्ज जैल पांच रावी हैं:

(1) अबूसईद अहमद बिन मोहम्मद बिन रुमैह: इस रावी पर मोहदेसीन की जरहें मुलाहज़ा कीजिए:

- अबू नुऐम ने इन्हें ज़ईफ़ कहा।
- अबू ज़रआ कशी ने ज़ईफ़ कहा।
- इमामे इब्ने हजर असकलानी ने उन्हें ज़ईफ़ कहने की वजह यह बयान की है:

उसको ज़ईफ़ कहने की वजह यह है कि वह ज़ैदी मज़हब से तअल्लुक रखता था और अपनी बदमज़हबी का प्रचार भी करता था। (लिसानुल मीज़ान 1/600)

- इब्ने ताहिर ने कहा: वह रिवायत के मुआमले में ज़ईफ़ है। (लिसानुल मीज़ान 1/600)
- दार कुत्नी ने उसको ज़ईफ़ कहा। (लिसानुल मीज़ान 1/600)
- सहमी ने कहा:

“मैंने अबू ज़रआ मोहम्मद बिन यूसुफ़ से अहमद बिन मोहम्मद बिन रुमैह के बारे में पूछा तो उन्होंने इन्दिया दिया कि वह ज़ईफ़ है या कज़ाब है।” (अलमौसूअतो अक़वाले अबिल हसन अद्वार कुत्नी 1/84)

हाकिम और ख़तीब ने उन्हे सिक़ह कहा है लेकिन कसीर माहेरीने हदीस की जरह के मुक़ाबेले में उनकी तौसीक़ मरजूह व नामकबूल है।

(2) अबुन्नस्र अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अलमरुजी: यह रावी मजहूल है। राकिम ने हत्तलमकदूर कोशिश की लेकिन इस नाम के रावी के बारे में मालूमात हासिल न कर सका। अबुन्नस्र कुन्नियत के रावी सैकड़ों की तादाद में हैं। यहां पर मुताअय्यन नहीं कि यह अबुन्नस्र कौन हैं? अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नाम के सैकड़ों रावी हैं, यह कौन है? मालूम नहीं। अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नाम के एक रावी जिसकी कुन्नियत अबुन्नस्र मिली लेकिन वह अलमरुजी नहीं। तारीखे बगदाद में उसका ज़िक्र है लेकिन सिक्कह है कि गैर सिक्कह इसका कुछ ज़िक्र नहीं।

(3) मोहम्मद बिन सर्ईद बिन अत्तबरी: इस नाम के दो रावी हैं।

(अलिफ़) मोहम्मद बिन सर्ईद बिन हस्सान अलमसलूब (मौत: 141-150 हि० के दरमियान)

(ब) मोहम्मद बिन सर्ईद अत्तबरी अलअरज़क (मौत: 291-300 हि० के दरमियान)

नीचे दोनों का हाल मुलाहज़ा करें:

मोहम्मद बिन सर्ईद बिन तिबरी: वही मोहम्मद बिन अबुल कैस है, वही मोहम्मद बिन अत्तिबरी है, कुरैशी, उरदूनी, मशरिकी है। इब्नुत्तिबरी मारुफ़ है। कुन्नियत अबू अब्दुर्रहमान है।

मकहूल, उबादा बिन नसी, नाफ़े, जुहरी, रबीया बिन यज़ीद वगैरहुम से रिवायत ली है। इससे रिवायत लेने वालों में सुफ़याने सौरी, बक्र बिन खुनैस अबूबक्र बिन अय्याश वगैरहुम हैं। उनके तअल्लुक से माहेरीने हदीस की आरा यह है:

- इमामे अहमद इब्ने हम्बल वगैरहुम ने कहा: उसे अबू जाफ़र मन्सूर ने ज़िन्दीक़ हो जाने की वजह से क़त्ल किया है।

इमामे बुख़ारी ने फ़रमाया: ज़िन्दीक़ होने की वजह से उसको फांसी दी गई है।

- निसई ने कहा: वह गैर सिक्कह गैर मामून है और बारहा कहा कि वह कज़़ाब है।

- अबू हाकिम ने कहा: वह हदीस गढ़ता था।
- अबू ज़रआ दिमशकी ने मोहम्मद बिन ख़ालिद के हवाले से कहा कि मैंने मोहम्मद बिन सईद को यह कहते हुए सुना कि अगर बात अच्छी हो तो उसकी सनद गढ़ लेने में कोई गुनाह नहीं।
- ईसा बिन यूनुस ने कहा: सुफ़याने सौरी मोहम्मद बिन सईद के पास गये । कुछ देर बाद हमारे पास आए तो कहने लगे 'वह कज़़ाब है' ।
- इमामे अहमद इब्ने हम्बल ने कहा: मोहम्मद बिन सईद कज़़ाब था।
- दार कुत्नी वगैरह ने कहा: वह मतरुक है। (तारीख़ुल इस्लाम लिज़्ज़हबी 3/961)
मोहम्मद बिन सईद अत्तिबरी अलअरज़क के बारे में माहेरीने हदीस के अक़वाल:
- इब्ने अदी ने कहा: यह शख्स हदीस गढ़ता था। (तारीख़ुल इस्लाम 6/1028)
- दार कुत्नी ने मजहूल कहा (मौसूअतो अक़वाले अबिल हसन अद्वार कुत्नी 3/578)
- इब्ने अदी ने उसकी बाज़ मौजू रिवायात को ज़िक्र करने के बाद लिखा: उसकी मज़कूरा रिवायात के अलावा और भी मौजू रिवायात हैं। (अलकामिल फ़िज्ज़ोअफ़ाईरिजाल 7/556)
- ज़हबी ने लिखा: पता नहीं यह कौन है? (मीज़ानुल एतेदाल 3/565)
मालूम हुआ कि रिवायते मज़कूरा का तीसरा रावी मोहम्मद बिन सईद अत्तिबरी ख्वाह तिबरी 'अलअरज़क' हो या 'अलमसलूब' कज़़ाब व नामकबूल है।

(4) सुलैमान बिन दाऊद शाज़ कूफ़ी: इनके तअल्लुक से माहेरीने हदीस की आरा मुलाहज़ा करें:

- इमामे बुखारी ने कहा: वह मुत्तहम बिलकिज़्ब है। उससे हदीस लेना दुरुस्त नहीं।
- अबू हातिम ने कहा: वह मतरुकूल हदीस है।
- निसई ने कहा: वह सिकह नहीं।
- सालेह बिन मोहम्मद अलहाफिज़ ने कहा: वह हदीस के मुआमेले में झूट बोलता था।
- अहमद इब्ने हम्बल ने कहा: शाज़कोनी ने हम्माद बिन ज़ैद, बशीर बिन मुफ़ज़ज़ल और यज़ीद बिन जुरै की सुहबत इख्तियार की लेकिन अल्लाह ने उसे तीनों से कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचाया।
- बग़वी ने कहा: अइम्मा ने इसे मुत्तहम बिलकिज़्ब करार दिया है।
- यहया इब्ने मईन ने कहा: शाज़कोनी हदीस गढ़ता था।
- अबू ज़रआ ने कहा: शाज़कोनी ने उन्हें शरमिन्दा करने के लिए फ़ौरन एक हदीस गढ़ कर पेश कर दी और अबू ज़रआ को पता न चल सका। बाद में मालूम हुआ कि यह गढ़ी हुई हदीस है।
(लिसानुल मीज़ान 4/142)

मालूम हुआ कि वाक़ेये मज़क़ूरा का चौथा रावी माहेरीने हदीस के नज़दीक ग़ैर सिकह और कज़़ाब व ग़ैर मामून है। उसकी रिवायत नामक़बूल और मरदूद है।

वाक़ेये मज़क़ूरा का रिवायतन मौजू व मनगढ़त होना साबित हो गया। दिरायतन भी यह वाक़ेया मनगढ़त है। वह इसलिए कि इमामे औज़ाई जैसे फ़कीह मोहदिस से यह बात बर्द है कि वह सुफ़यान सौरी को रफ़ेयदैन् न करने की बुनियाद पर मक़ामे इब्राहीम में 'मुबाहला' की दावत दें। क्योंकि मुबाहला कुफ़्रो ईमान और हक़ो बातिल के दरमियान होता है। रफ़ेयदैन् करने वाले अइम्मये मोहदेसीन व मुजतहेदीन और उनके मुत्तबेईन भी अहले हक़ हैं और रफ़ेयदैन् न करने वाले मोहदेसीन व मुजतहेदीन और उनके मुत्तबेईन भी हक़ पर हैं तो फिर मुबाहला किस बात पर?

इमामे औज़ाई जैसे जलीलुलकदर मोहदिसो फ़कीह रफ़ेयदैन और तर्क रफ़ेयदैन पर अपने मुख़ालिफ़ को दावते मुबाहला दें वह भी मक़ामे इब्राहीम में, दिरायतन इस बात का मौजूब मनगढ़त होना ज़ाहिर है। इस वाक़ये को अगर सही मान लिया जाए तो क्या ग़ैर मुक़ल्लेदीन वहाबिया इस बात को दलील व बरहीने शरई से साबित कर सकेंगे कि रफ़ेयदैन करने वाले मुसलमान का रफ़ेयदैन न करने वाले मुसलमान पर लानत की बहुआ करना दुरुस्त है? जबकि वाक़ये मज़क़ूरा में लानत करने का ज़िक्र भी है।

बिला शुबह वाक़ये मज़क़ूरा सनदन भी बातिल और दिरायतन भी। इमामे सुफ़याने सौरी और इमामे औज़ाई की जानिब इसका इंतिसाब झूट है जो तअस्सुब व तन्ग नज़री और बुग़ज़ व इनाद का शाख़साना हो सकता है।

हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई की झूटी बातें

जुबैर अली ज़ई ने लिखा।

“इमामे अहमद अपनी मशहूर किताब ‘मुसनद’ में इमामे अबू हनीफ़ा का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे।”

फिर जुबैर अली ज़ई ने लिखा: “देखिए मुसनदे अहमद 5/357, हदीस 23415।” (नूरुलऐनैन प्र0 351)

हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई के झूट का पर्दा तो हम थोड़ी देर बाद फ़ाश करेंगे लेकिन अभी कारेईन को हम दिखाना चाहते हैं कि इमामे आजम अबू हनीफ़ा की शान में इस तरह की बात लिखने का मक़सद ही यह है कि उनसे लोगों को बदज़न्न किया जाये और लोगों के ज़हनों में यह ग़लत ख़याल बिठाया जाये कि इमामे अबू हनीफ़ा ऐसे नापसंदीदा आदमी का नाम है कि इमामे अहमद उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। अब आइए हम जुबैर अली ज़ई और उनकी तरह इमामे अबू हनीफ़ा से बुग़ज़ो अदावत रखने वालों को अइम्मये मोहद्वेसीन के सच्चे अक़वाल का एक आईना दिखा देते हैं।

● इमामे बुख़ारी के उस्ताज़ हफ़स बिन गयास जिनसे बुख़ारी में अहदीस मरवी हैं वह फ़रमाते हैं: इमामे अबूहनीफ़ा का कलाम फ़िक्ह में शेर से ज़्यादा दकीक़ है। उनपर ऐबजोई करने वाला जाहिल ही है।

● इमामे बुख़ारी के शैख़ के शैख़ अब्दुल्लाह बिन दाऊद अलख़रीबी ने कहा: इमामे अबू हनीफ़ा पर ऐब नहीं लगाता मगर वह जो हासिद है या जाहिल है। (तारीख़ुल इस्लाम लिज़्ज़हबी 3/990)

● इमामे बुख़ारी के उस्ताज़ के उस्ताज़ इब्नुल मुबारक ने कहा: जब यह सुनता हूँ कि कोई अबू हनीफ़ा पर ऐब लगाता है तो मैं उसका चेहरा भी देखना ग़वारा नहीं करता और उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता। इस ख़ौफ़ से कि कहीं उस पर अल्लाह का क़हर नाज़िल न हो जाये और मैं भी उसके साथ उसकी ज़द में न आ जाऊँ। (अख़बार अबी हनीफ़ा व असहाबिही लिस्सैमिरी 1/44)

हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई और उनके हामियों का चेहरा इमामे बुख़ारी के उस्ताज़ के उस्ताज़ के अक़वाल के आईने में साफ़ दिखाई दे रहा है। यह लोग या तो इमामे आजम अबू हनीफ़ा की जलालते शान से जाहिल हैं या फिर उनसे बुग़ज़ो हसद रखने वाले हैं।

हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई ने इमामे अहमद इब्ने हम्बल के हवाले से लिखा है कि इमामे अबू हनीफ़ा की हदीस और उनकी राय को ज़ईफ़ कहते थे। इसके सुबूत में उन्होंने यह कौल पेश किया है:

“अबूहनीफ़ा की हदीस ज़ईफ़ है और उनकी रिवायत ज़ईफ़ है और हवाले में उक़ैली की किताब ‘अज़्ज़ोफ़ा’ को पेश किया है और लिखा है कि “उनकी सनद सही है”।

इमामे अहमद इब्ने हम्बल की जानिब मन्सूब यह कौल झूट है। क्योंकि उक़ैली की किताब ‘अज़्ज़ोफ़ा’ या दीगर नाक़दीन की कुतुबे तराजिम में अबू हनीफ़ा नाम से मुतअल्लिक़ मुतआरिज़ अक़वाल मिलते हैं। बाज़ अक़वाल तौसीको तादील के और बाज़ तजरीहो तजज़ईफ़ के। बल्कि एक ही शख्स के मुतआरिज़ अक़वाल भी मौजूद हैं। इब्नुल मुबारक, सुफ़याने सौरी, यहया इब्ने मईन वगैरहुम के अक़वाल अबूहनीफ़ा से मुतअल्लिक़ तौसीक के भी हैं

और तजईफ़ के भी। इसकी वजह यह है कि अबू हनीफ़ा कुन्नियत के कई अफ़राद हैं बल्कि अबू हनीफ़ा कुन्नियत और नोमान नाम के कई अफ़राद हैं जिनमें बाज़ सख़्त ज़ईफ़ अल्कि कज़्ज़ाब भी हैं। मसलन:

(1) अबू हनीफ़ा मोहम्मद बिन हनाफ़िया बिन हामान अलकुसै अलवासेती (वफ़ात: 291-330 हि० के दरमियान)

इनके तअल्लुक से दारकुल्नी ने कहा: “क़वी नहीं।” (तारीख़ुल इस्लाम लिज़्ज़हबी 6/1022)

(2) अबू हनीफ़ा सलम बिन मुगीरह: इनको दारकुल्नी ने ज़ईफ़ कहा और इब्ने अबी हातिम ने कसीरुल वहम कहा। (मीज़ानुल एतेदाल 2/186, लिसानुल मीज़ान 4/111)

(3) अबू हनीफ़ा अहमद बिन दाऊद अदैनूरी (मौत: 28 या 29 हि०) नहव व लुगत के इमाम, किबारे अहनाफ़ में से थे, सद्दूक़ थे। (सियरो आलामिन्नुबला 13/422)

(4) अबू हनीफ़ा कसीर बिन अलवलीद अलहनफ़ी: यह मजहूल हैं। (अलइकमाल फ़ी रफ़इल इरतियाब लेइब्ने माकूला 22/463)

(5) अबू हनीफ़ा अलयमामी : इनके बारे में कुतुबे तरजिम में कुछ नहीं मिला अलबत्ता उनके लड़के इब्राहीम को इब्ने हिब्बान ने सिकात में ज़िक्र किया है लेकिन अज़दी ने मुनकिरुल हदीस कहा है।

अस्सिकात लेइब्ने हिब्बान में है: बहुत कम रिवायत में ख़ता करते थे। (7/545, लिसानुल मीज़ान 1/269)

(6) अबू हनीफ़ा अन्नोमान बिन इस्माईल अस्सिमाली: इन्हें फ़कीह सालेह कहा गया है। (अत्तबहीर फ़िलमोज़मिल कबीर लिस्समआनी 2/346)

(7) अबू हनीफ़ा अहमद बिन अल मुसदक़ बिन मोहम्मद नीसापुरी। (अलजवाहिरुल मुज़ीया 1/126)

(8) अबू हनीफ़ा जाफ़र बिन अहमद बिन बहराम अलबाहिली अलफ़कीह अस्सतरबादी मारुफ़ बशहीद। (अलजवाहिरुल मुज़ीया 1/178)

(9) अबू हनीफ़ा अब्दुल मोमिन अत्तैमी अलहनफ़ी। (अलजवाहिरुल मुज़ीया 1/332)

(10) अबू हनीफ़ा कैस बिन असरम अशशैबानी। (अलजवाहिरुल मुज़ीया 1/414)

अल्लामा सफ़दी ने इनके अलावा मुतअद्दिद नाम शुमार कराये हैं, वह लिखते हैं: “अबूहनीफ़ा लक़ब की एक जमाअत है जिनमें साहिबे मज़हब इमामे आज़म नोमान हैं।”

फिर उन्होंने दर्ज ज़ैल नाम ज़िक्र किये हैं।

अबू हनीफ़ा अस्सगीर अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह।

अबू हनीफ़ा अन्नोमान अलकाज़ी अल मग़रेबी अलमालिकी: इनका नाम नोमान बिन मोहम्मद बिन मन्सूर है।

अबू हनीफ़ा ख़तीबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मोहम्मद बिन उसमान।

अबू हनीफ़ा अस्सालबी अशशाइर, अबू हनीफ़ा क़हदम अल असवानी।

अबू हनीफ़ा मोहम्मद बिन अब्दुल ग़नी। (अलवाफ़ी बिल वफ़यात 13/129)

इनमें से अबू हनीफ़ा नोमान बिन मोहम्मद अलमग़रिबी (मौत: 363 हि0) के तअल्लुक से इमामे इब्ने हजर असक़ालानी और ज़हबी ने लिखा है:

मुसबेही ने कहा: दीनदार बुलन्द रुत्बा फ़कीह थे।

मुसबिही के अलावा दूसरों ने कहा: वह मालेकी थे। फिर रियासत के लालच में शीआ हो बये थे और बनू उबैद के मज़हब में दाख़िल हो गये थे। अइम्मा के रद्द में किताबें लिखी हैं। उनकी तसानीफ़ से मालूम होता है कि वह जिन्दीक़ हो गये थे और दीन से निकल गये थे या मुनाफ़िक़ थे। (तारीख़ुल इस्लाम, लिसानुल मीज़ान 8/286)

हासिले कलाम यह है कि बाज़ मोहद़ेसीन ने अबू हनीफ़ा नाम के मज़रूह लोगों की मज़म्मत में जो अक़वाल ज़िक्र किये हैं उन्हें ख़लत मलत करके इमामे आज़म अबू हनीफ़ा पर चस्पाँ कर दिये गये हैं। इसके अलावा हासेदीन व मुआनेदीन की तरफ़ से भी यह साज़िश हुई है कि उन्होंने मुसतनद मोहद़ेसीन के हवाले से इमामे आज़म के तअल्लुक से झूटे अक़वाल गढ़कर किताबों में नक्ल कर दिये हैं। ज़्यादा तर खवारिजो रवाफ़िज़ की तरफ़ से ऐसी साज़िश हुई है। क्योंकि इमामे आज़म के सबसे बड़े दुश्मन खवारिज व रवाफ़िज़ थे। कूफ़ा में जिस ज़माने में खवारिज का ग़लबा था उस ज़माने में इमामे आज़म के

खिलाफ़ बहुत ज़्यादा झूटी अफ़वाहें और गलत पिरोंपैगंडे फैलाये गये। मसलन यह कि:

अबू हनीफ़ा आमाल को ईमान के लिए ज़रूरी करार नहीं देते। उनके नज़दीक़ ईमान घटता बढ़ता नहीं। मोह़देसीन का कहना है कि आमाल ईमान में दाख़िल हैं और ईमान घटता बढ़ता है। दर अस्ल इमामे अबू हनीफ़ा और आपके असहाब और मुतकल्लेमीन और मोह़देसीन के दरमियान 'लफ़ज़ी इख़्तिलाफ़' था। लेकिन एक लफ़ज़ी इख़्तिलाफ़ को दुश्मनाने इस्लाम ने खुफ़िया साज़िश से बड़ी हवा दी। नतीजा यह हुआ कि उसकी बुनियाद पर उम्मत दो धड़ों में तक़सीम हो गई और एक दूसरे पर लान तान बल्कि ज़लालतो गमरही के फ़त्वे भी दिए गए। हालांकि इस इख़्तिलाफ़ की हकीक़त सिर्फ़ इतनी थी कि इमामे अबू हनीफ़ा और जो हज़रात यह कहते थे कि आमाल ईमान का जुज़ नहीं, उनकी मुराद यह थी कि ईमान की हकीक़त तसदीके क़लबी है और तसदीक़ इज़आनो यकीन का नाम है जिसका महल क़लब (दिल) है और आज़ा व ज़वारेह से सादिर होने वाले आमाल मसलन नमाज़, रोज़ा, हज़, ज़कात और सदकात वग़ैरह ईमान की हकीक़त यानी तसदीके क़लबी के अजज़ा नहीं कि उनमें से कोई एक न पाया जाए तो ईमान ही न पाया जाए। चुनांचे कुरआने हकीम में ईमान का महल दिल को कहा गया है। और कुरआने हकीम और अह़ादीसे सहीह़ा में मुतअद्दिद जग़हों में आमाल की नफ़ी के साथ ईमान को साबित माना गया है। लिहाज़ा ऐसा हो सकता है कि अमल न हो लेकिन ईमान हो। फ़ासिक़ मोमिन है अगरचे उसका ईमान कामिल नहीं। अब सवाल यह उठता है कि फिर अमल वाले का ईमान कामिल और बेअमल का ईमान नाक़िस कैसे है? जबकि ईमान ज़्यादा और कम नहीं होता। तो इसका ज़वाब यह है कि कौफ़ियते ईमान की कमी और ज़्यादती मुराद है कि अमल होगा तो ईमान का नूर कामिल होगा और अमल नहीं होगा तो नूर नाक़िस होगा।

उसके बर खिलाफ़ दीगर मोह़देसीन का कहना है कि आमाल ईमान का जुज़ हैं, इससे उनकी मुराद यह नहीं थी कि अगर अमल नहीं होगा तो ईमान वाला ईमान से ख़ारिज हो जायेगा बल्कि मुराद यह थी कि

ईमान वाला रहेगा लेकिन उसका ईमान नाकिस रहेगा। यानी फ़ासिक व बेअमल मोमिन के मामिन होने में इमामे अबू हनीफ़ा और दीगर मोहद्देसीन का कोई इख़िलाफ़ नहीं था। लेकिन ख़वारिज का कहना था कि बेअमल फ़ासिक मोमिन ही नहीं रहता। गुनाह के इर्तिकाब से वह ईमान से ख़ारिज और काफ़िर हो जाता है। इमामे आजम ने फ़रमाया कि ऐसा नहीं। इर्तिकाबे कबीरा से मोमिन ईमान से ख़ारिज नहीं होता। ख़वारिज के मुक़ाबिले में तमाम अहले सुन्नत का यह नज़रिया था, ख़्वाह मोहद्देसीन हों या फुक्हा या मुतकल्लेमीन। शुरु शुरु में ऐसे लोगों को जो मुरतकिबे कबीरा को काफ़िर नहीं कहते थे बल्कि अहले निजात कहते थे इन्हें अहले इरजा (मुरजिया) कहा जाता था। यानी यह लोग मुरतकिबे कबीरा के तअल्लुक से मग़फ़िरत की रिजा और उम्मीद रखने वाले हैं। लिहाज़ा मुरजी या अहले इरजा होना ऐब नहीं था बल्कि यह अहले सुन्नत की अलामत के तौर पर बोला जाता था। लेकिन दुश्मनों ने साज़िश की और अहले इरजा के नाम पर ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्होंने अपने आप को मुरजिया कहा और अपना यह नज़रिया पेश किया कि अगर ईमान है तो अमल की कोई ज़रूरत नहीं। लिहाज़ा ईमान की हालत में चाहे जितना गुनाह किया जाए उससे ईमान कुछ मुतअस्सिर नहीं होगा। ज़ाहिर है कि यह नज़रिया अहले सुन्नत के नज़रिये के ख़िलाफ़ था। लिहाज़ा अहले सुन्नत ने उन्हें मुरजिया गुमराह फ़िर्का करार दिया। लेकिन इस खुफ़िया साज़िश में दुश्मनों के साथ मुआनेदीन ने इमामे आजम और उनके असहाब के ख़िलाफ़ यह परोपेगन्डा फैलाया कि यह लोग मुरजिया हैं। हालांकि हकीकत से इसका कोई तअल्लुक नहीं। इमामे आजम और आपके असहाब को मुरजिया कहने वाले आपके दुश्मन या तो ख़वारिज व रवाफ़िज़ हैं या आपके हासेदीन व मुआनेदीन। दुश्मनों और हासिदों के परोपैगन्डे के जाल में फंस कर बाज़ मोहद्देसीन ने इमामे आजम और आपके असहाब पर जरहो कदह के ख़ुब तीर बरसाए और शुरुरी या लाशुरुरी तौर पर ख़वारिज के मिशन को ख़ूब तकवियत पहुंचाई गई और आज भी ख़वारिज की रूह ग़ैर मुक़ल्लेदन और अहले हदीस के जिस्मों में

दाखिल होकर इन्हें उसी मिशन को तक्वियत पहुंचाने के लिए मुज़तरिब व बेचैन कर रही है।

इसकी एक मिसाल हाफिज़ जुबैर अली जई और उनके हमनवा हैं जो इमामे आजम अबू हनीफ़ा और आपके असहाब को ग़ैर सिक़ह, ग़ैर मामून, जईफ़, मुनकिर, मतरूक बल्कि मुरजी गुमराह साबित करने में पूरी दाखिली व ख़ारिजी ताक़त सर्फ़ कर रहे हैं।

इमामे आजम के तअल्लुक से यह प्रोपेगन्डा भी फैलाया गया कि वह कुरआन को मख़लूक कहते हैं। उसको अल्लाह का कलाम नहीं मानते। लिहाज़ा वह फ़िक़ये बातिला फ़िक़ये जहमिया से तअल्लुक रखते हैं। क्योंकि फ़िक़ये जहमिया अल्लाह की सिफ़ते कलाम को नहीं मानता। कुरआन के मख़लूक और ग़ैर मख़लूक हाने का मसअला भी बहुत ख़तरनाक था। जिसने उम्मत मुसलिमा को क़त्लो ख़ूरेजी तक पहुँचा दिया था। हालांकि कुरआन के मख़लूक और ग़ैर मख़लूक होने का मसअला भी दर हकीक़त निज़ाई नहीं था बल्कि उसमें इख़्तिलाफ़ सिर्फ़ लफ़्ज़ी था। अहले सुन्नत में से जो लोग उसको मख़लूक कहते थे उनकी मुराद यह थी कि यह कुरआन जो अलफ़ाज़ व नुक़्श के साथ हम तिलावत करते हैं, जो काग़ज़ में लिखा हुआ है, जिसको अलफ़ाज़ो सूरत के साथ हम तिलावत करते हैं, वह कुरआन यानी अलफ़ाज़ो नुक़्श और ख़ुतूत वग़ैरा को मख़लूक कहते थे और कुरआन कलामुल्लाह जो अल्लाह की ज़ात के साथ उसकी सिफ़ते लाज़िमा दाइमा है वह ग़ैर मख़लूक है। दानों फ़रीक़ मन्शा व मुराद में मुत्तफ़िक़ होने के बावजूद इस बात के बोलने में इख़्तिलाफ़ रखते थे कि कुरआन को मख़लूक कहना दुरुस्त है या नहीं। बाज़ उसको दुरुस्त कहते थे और बाज़ दुरुस्त नहीं कहते थे। फिर जो लोग इसको दुरुस्त नहीं कहते थे उनमें बाज़ मुतशद्दिद थे और बाज़ एतेदाल संपद मुतशद्देदीन ने अपने मुख़ालिफीन पर सख़्त तनकीद की और उनकी तफ़सीक़ व तज़लील बल्कि तक़्फ़ीर भी कर दी। यानी उन्हें फ़ासिक़, गुमराह और काफ़िर तक़ कह डाला। ऐसे ही मुतशद्देदीन की तरफ़ से इमामे आजम पर जरह व क़दह की गई है जिसका जवाब एतेदाल व हक़ पसंद उलमाये अहले सुन्नत न दिया है।

एक अहम पैग़ाम—जवानाने अहले सुन्नत के नाम

अहले सुन्नत के नौजवानों को बातिल गुमराह फ़िर्क़ों से महफूज़ रखने के लिए कुछ ज़रूरी हिदायात पेश की जाती हैं। अगर उनको अपने दिलो दिमाग़ में बसा लें और उन पर अमल करें तो इंशा अल्लाह गुमरही व बद अक़ीदगी के दलदल में फंसने से महफूज़ रहेंगे।

➤ यह याद रखें कि अहले सुन्नत के सिवा सब बातिल व बद अक़ीदा और गुमराह फ़िर्क़ हैं। इसलिए उलमाये अहलेसुन्नत के सिवा किसी फ़िर्क़ के आलिम, मुबल्लिग़ व दाई से कुरआन व हदीस की तालीम हासिल न करें। अगर कोई बद अक़ीदा गुमराह कुरआन व हदीस के हवाले से कोई बात कहे तो उसको उलमाये अहले सुन्नत की जानिब रुजू किये बग़ैर आंख बंद करके क़बूल न करें। क्योंकि कुरआन व हदीस को आड़ बना कर बातिल फ़िर्क़ अपनी बदअक़ीदगी को आम करते हैं। इमामे मुसलिम ने सही मुसलिम शरीफ़ के शुरू में जलीलुल क़द्र ताबेई हज़रते मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहे अलैह के हवाले से लिखा है कि अहले सुन्नत के सिवा किसी से कोई हदीस न सुनी जाए।

➤ यह बात वाजेह रहे कि फ़ुरुई व फ़िक्ही मसाइल में अहले सुन्नत हनफी, मालेकी, हम्बली और शाफ़ेई में मुनहसिर हैं। चारों मज़ाहिब से हटकर कोई भी बात करना इजमा के खिलाफ़ और गुमरही है। चारों फ़िक्ही मज़ाहिब के हक़ होने और उनके अलावा के गुमराह होने पर इजमा काइम हो चुका है।

अल्लामा तहतावी (मोत: 1231 हि0) ने हाशियतुदुर् में फ़रमाया है कि निजात वाली जमाअत जिसे अहले सुन्नत व जमाअत कहा जाता है आज मज़ाहिबे अरबा के मानने वालों हनफी, मालेकी, शाफ़ेई और हम्बली में मुनहसिर है। इस ज़माने में जो जमाअत उनसे बाहर है वह अहले बिदअत यानी गुमराह और अहले नार है।

➤ रफ़य़दैन्, आमीन बिलजहर (नमाज़ में ज़ोर से आमीन कहना), इमाम के पीछे क़िरअत करना वग़ैरह फ़िक्ही मसाइल में चारों इमामों में से जिस इमामे की तक़लीद करता है उसके मुताबिक़ अमल किया करे।

क्योंकि चारों इमामे अहले सुन्नत हैं। गैर मुकल्लेदीन, अहले हदीस वहाबी वगैरह किसी के कहने पर अपने इमाम के तरीके को हरबिज न छोड़े। क्योंकि हनफी, मालेकी, शाफ़ेई और हम्बली ही अहले सुन्नत हैं बाकी सब गुमराह व बद अक़ीदा हैं। अहलुल हदीस गिरोहे मोहद्वेसीन को कहा जाता है, मोहद्वेसीन में बाज़ खुद मुजतहिद थे। यानी कुरआन व अहादीस से मसअला निकालते थे। जैसे इमामे अहमद इब्ने हम्बल और इमामे मालिक और बाज़ मुकल्लिद थे जैसे इमामे तिरमिज़ी शफ़ेई थे। जो मोहद्विस मुजतहिद थे वह मुकल्लिद नहीं थे और जो मुकल्लिद थे वह मुजतहिद नहीं थे। लेकिन दौरे हाज़िर में हर कसो नाकस जिसे कुरआन व हदीस की नुसूस के मदारिज, उसूले इस्तिंबात, नासिखो मन्सूख, जाहिर, नस्स, मुफ़स्सर, मोहकम, मुश्किल, मुजमल, मुताहशबेह, मोअव्वल में तमीज़ करने की सलाहियत नहीं, रिवायत व दिरायत और सनदो मतन के एतेबार से अक़सामे अहादीस का इल्म नहीं हूद यह है कि जिसे कुरआन व हदीस की इबारत ख्वानी नहीं आती बल्कि क़यामत यह है कि जिसे अरबी ज़बान की बिल्कुल पहचान नहीं वह भी अपने आप को “अहले हदीस” बलफ़जे दीगर मोहद्विस कहलाता है। और कुरआन व हदीस से खुद फ़िक्ही अहक़ाम समझने का दावा करता है। ऐसे लोगों से सुन्नी नौजवान दुर रहें और अपने आपको उलमाये अहले सुन्नत व जमाअत से हमेशा जोड़े रखें। इंशा अल्लह गुमराह फ़िर्कों की गुमराहियों से महफूज़ रहेंगे।

अल्लाह तआल इस्लाम को बातिल फ़िरकों के शर से बचाए और सिवादे आज़म अहले सुन्नत व जमाअत को कुव्वत व इस्तेहक़ाम व इजतेमाइयत अता फ़रमाये ।

माख़ज़ व मराजे (बाएतबारे हुरुफ़े तहज्जी)

किताब	मोअल्लिफ़	मौत	मतबा	सन
अलकुरआनुल करीम	—	—	—	—
अल आसार	इमामे अबू यूसुफ़	182 हि०	दारुल कुतुब अल इल्मिया, बैरुत	—
आसारुस्सुनन				
अल इबाना अन उसूलिदियाना	अबूल हसन अशअरी	324 हि०	दारुल अंसार काहिरा	1397 हि०
इतहाफुल खैरतिल महरा	शहाबुद्दीन किनानी शफ़ेई	840 हि०	दारुल वतद लिन्नश्	1999 ई०
इतहाफुल महरा	इब्ने हजर असकलानी	852 हि०	मजमउल मलिक फ़हद मदीनये मुनव्वरा	1994 ई०
असरुल हदीसिश्शरीफ़...	शेख़ अव्वामा			
अख़बारे अबी हनीफ़ा व ...	हसन बिन अली सैमिरी	436 हि०	आलिमुल कुतुब, बैरुत	1985 ई०
अख़बरुल कुज़ात	मोहम्मद बिन ख़लफ़ बिन हयान	306 हि०	अल मकतबा अत्तिजारियह मिस्त्र	1947 ई०
अदबुल मुफ़रद	मो० बिन इस्माईल बुख़ारी	256 हि०	दारुल बशइरिल इस्लामिया, बैरुत	1989 ई०
अलइरशाद फ़ी मारफ़ते उलमाइल हदीस	अबुल याला ख़लीली	446 हि०	मकतबा अररुश्द, रियाज़	1409 हि०
अजाहरुर्रियाज़ फ़ी अख़बारिल काज़ी अयाज़	शहाबुद्दीन तिलमिसानी	1041 हि०	मतबअतो लजनतित्तालीफ़ वत्तरजमा, काहिरा	1939 ई०
अतराफ़ुल मुसनद अलमोतली	इब्ने हजर असकलानी	852 हि०	दारे इब्ने कसीर, दिमश्क़	
असदुल गाबा	इब्नुल असरी अलजज़री		दारुलकुतुब अलइल्मिया, बैरुत	1994 ई०
आयानुल अस्त्र व आवानुन्नस्त्र	सलाहुद्दीन सफ़दी	764 हि०	दारुल फ़िक्क अल मुआसिर	1998 ई०
अलइत्तिबात लेमन रवा मिनर्रोवात...	बुरहानुद्दीन हलबी	841 हि०	दारुल हदीस, काहिरा	1988 ई०
अलइक़तिराह फ़ी	इब्ने दकीकुल ईद	702 हि०	दारुलकुतुब	

बयानिल इस्तिलाह			अलइलमिया, बैरुत	
इकमाल तहजीबुल कमाल	मुगल्लता बिन कुलैह हनफी	762 हि0	अअफारुकुल हदीसा लिक्तबाअह वन्नश्न	2001 ई0
अलइन्तिका फी फज़ाइलिल अइम्मा.	इब्ने अब्दुल बर मालिकी	463 हि0	दारुलकुतुब अलइलमिया, बैरुत	
अलअन्साब	अब्दुल करीम समआनी	562 हि0	मजलिसे दायरतुल मआरिफ अलउसमानिया, हैदराबाद	1962 ई0
बिदायतुल मुजतहिद	इब्नो रुशदिल हफीद	595 हि0	दारुल हदीस, काहिरा	2004 ई0
अल बदरुल मुनीर	इब्नो मुलविकन शाफेई	804 हि0	दारुल हिजरा लिन्नश्न वत्तोजी, रियाज़	2004 ई0
अल बिनाया शरहे हिदाया	बदरुद्दीन ऐनी	855 हि0	दारुलकुतुब अलइलमिया, बैरुत	2000 ई0
तारीखुल इस्लाम	शम्सुद्दीन जहबी	748 हि0	दारुल गरबिल इस्लामी	2003 ई0
तारीखे बगदाद	इब्ने खतीब बगदादी	463 हि0	दारुल गरबिल इस्लामी, बैरुत	2002 ई0
अत्तारीखुल कबीर	मो0 बिन इस्माईल बुखारी	256 हि0	मजलिसे दायरतुल मआरिफ अलउसमानिया, हैदराबाद	
अत्तबईन लेअसमइल मुदल्लेसीन	बुरहानुद्दीन हलबी	841 हि0	दारुल गरबिल इस्लामी, बैरुत	1986 ई0
अत्तहबीर फिल मोजमिल कबीर	अब्दुल करीम समआनी	562 हि0	रियासतो दीवानिल औकाफ, बगदाद	1975 ई0
तहरीरो उलूमिल हदीस	अब्दुल्लाह बिन यूसुफ जदी	मुआसिर	मोअस्सतुर्रय्यान बैरुत	2003 ई0
तोहफ़तुल एहवजी	अब्दुर्रहमान मुबारक पुरी	1353 हि.0	दारुलकुतुब अलइलमिया, बैरुत	

तोहफतुल अशराफ बेमारफतिल अतराफ	जमालुद्दीन मुजी	742 हि०	अलमकबतुल इस्लामी	1983 ई०
अत्तहकीक फी मसाइलिल ख़िलाफ	जमालुद्दीन इब्ने जौजी	597 हि०	दारुलकुतुब अलइलमिया, बैरुत	
तखरीजे अहादीसे इहयाउल उलूम	जमाअतुन मिनलउलमा		दारुल आसिमा लिन्न्श्च रियाज़	1987 ई०
तजकिरतुल हुफ़ाज़	शम्सुद्दीन ज़हबी	748 हि०	दारुलकुतुब अलइलमिया, बैरुत	1998 ई०
अत्तकरीब	यहया बिन शरफ़ नौवी	676 हि०	दारुल किताब अल अरबी, बैरुत	1985 ई०
अत्तलखीसुल हबीर	इब्ने हज़र असक़लानी	852 हि०	दारुलकुतुब अलइलमिया, बैरुत	1989 ई०
तन्कीहुत्तहकीक फी अहादीसित्तालीक	इब्नो अब्दिल हादी	744 हि०	अजवाउस्सलफ़, रियाज़	2000 ई०
तन्कीहुत्तहकीक	शम्सुद्दीन ज़हबी	748 हि०	दारुल वतन, रियाज़	2000 ई०
तहजीबुत्तहजीब	इब्ने हज़र असक़लानी	852 हि०	दायरतुल मआरिफ़ अन्निज़ामिया, हैदराबाद	1326 हि०
तहजीबुल कमाल	जमालुद्दीन मुजी	742 हि०	मोस्सतुरिंसाला, बैरुत	1980 ई०
अस्सिफ़ात	मोहम्मद बिन हिब्बान बुस्ती	354 हि०	दायरतुल मआरिफ़ अन्निज़ामिया, हैदराबाद	1973 ई०
जामिउल अहादीस जामे तिरमिज़ी	जलालुद्दीन सुयूती मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी	911 हि० 279 हि०		
जामउल मसानीद	मोहम्मद बिन महमूद ख़्वारज़मी	665 हि०		
अलजरह वत्तादील	इब्नो अबी हातिम राज़ी	327 हि०	दायरतुल मआरिफ़ अन्निज़ामिया, हैदराबाद	1952 ई०

जुजये रफयदैन	मोहम्मद बिन इस्माईल बुखारी	256 हि0		
अलजौहरुन्की	अलाउद्दीन इब्ने तुरकमानी	750 हि0	दारुल फ़िक्क	
अलजवाहिरुल मुजीअह फी तबकातिल हनफियह	अब्दुल कादिर मोहय्युद्दीन हनफी	775 हि0	मीर मोहम्मद कुतुब खाना, कराची	
लखैरातुल हिसान	अहमद बिन हजर हैसुमी मक्की	973 हि0	दारुलकुतुब अलइलमिया, बैरुत	1983 ई0
अहिराया	इब्ने हजर असकलानी	852 हि0	दारुल मारेफ़त, बैरुत	
अदुररुस्सुन्निय्यह फ़िल अजवेबतिल नजदिय्यह	उलमाये नजद			1996 ई0
दीवानुज्जोफ़ा	शम्सुद्दीन ज़हबी	748 हि0	मकतबतुन्नहज़ह अल हदीसिय्यह, मक्कतुल मुकर्रमह	1967 ई0
ज़ैलुल कौलिल मुसदद	मोहम्मद सिबग़तुल्लाह अलमदारेसी	1280 हि0	मकतबा इब्ने तैमियह, काहिरा	1401 हि0
रिजालुल मुन्ज़िरी	ज़कीउद्दीन मुन्ज़िरी	656 हि0	दारुलकुतुब अलइलमिया, बैरुत	1417 ई0
अल रौज़तुल नदिय्यह	सिद्दीक़ हसन खां कन्नौजी	1307हि0	दारुल मरेफ़त	
सफ़रुस्सआदा	मोहम्मद बिन याकूब फीराज़बादी	817 हि0		
सुनने इब्ने माजा	मोहम्मद बिन यज़ीद कज़वीनी	273 हि0	दरोएहयाइल कुतुबिल इल्मिय्यह, बैरुत	
सुनने अबू दरुद	सुलैमान बिन अशअस सजिस्तानी	275 हि0	अलमकतबा अलसरिय्यह, बैरुत	
सुनने दार कुत्नी	अली बिन उमर दार कुत्नी	385 हि0	मोअस्ससह अल रिसाला, बैरुत	2004 ई0

अस्सुननुस्सुगारा	अहमद बिन शुऐब निसई	303 हि०	मकतबा अलमतबूआत अल इस्लामियह, बैरुत	2004 ई०
अस्सुननुल कुबरा	अमद बिन हुसैन बैहकी	485रहि०	दरोएहयाइल कुतुबिल इल्मियह, बैरुत	2003 ई०
अस्सननुल कुबरा	अहमद बिन शुऐब निसई	303 हि०	मोअस्ससतुरिसाला , बैरुत	1421 हि०
सुननुस्सिआई	अहमद बिन शुऐब निसई	303 हि०	मकतबुल मतबूआतिल इस्लामियह, हलब	1986 ई०
सियरोआलिमन्नुबल I	शम्सुद्दीन ज़हबी	748 हि०	मोअस्ससतुरिसाला , बैरुत	1985 ई०
शरहे अबीदाऊद	बदरुद्दीन ऐनी	855 हि०	मकतबा अर्रुशद, रियाज	1999 ई०
शरहे मश्किलिल आसार	अहमद बिन मोहम्मद बिन सलामा तहावी	321 हि०	मोअस्ससतुरिसाला , बैरुत	1994 ई०
शरहे मुसनदे अबी हनीफा	अली बिन सुलतान अलकारी	1014 हि०	दारुल कुतुबिल इल्मिया, बैरुत	1985 ई०
शरहे मआनिल आसार	अहमद बिन मोहम्मद सलामा तहावी	321 हि०	आलिमुल कुतुब	1994 ई०
सुब्हुल आशा फी सनाअतिल इंशा	अहमद बिन अली फ़जारी	821 हि०	दारुल कुतुबिल इल्मिया, बैरुत	
सही इब्ने हिब्बान	मोहम्मद बिन हिब्बान	354 हि०	मोअस्ससतुरिसाला , बैरुत	1988 ई०
सही अबी अवाना				
सहीहुल बुख़ारी	मोहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी	256 हि०	दारो तौकिन्नजात	1422 हि०
सही मुसलिम	मुसलिम बिन हज्जाज कुशैरी	261 हि०	दारो एहयातित्तुरास अल अरबी	
अज़्जोफा वल मतरुकून	अबुल फर्ज इब्नो जोजी	597 हि०	दारुल कुतुबिल इल्मिया, बैरुत	1406 हि०
तबकातुल हुफ़ाज़	जलालुद्दीन सुयूती	911 हि०	दारुल कुतुबिल इल्मिया, बैरुत	1403 हि०
अत्तबकातुस्सुन्निय	तकियुद्दीन ग़ज़ज़ी	1010 हि०		

ह फी तराजिमिल हनफियह				
तबकातुल मुदल्लेसीन	इब्ने हजर असकलानी	852 हि0	मकतबतुल मिनार, उम्मान	1983 ई0
उकूदुल जमान फी मनाफिबिल इमामे अबी हनीफा	मोहम्मद बिन यूसुफ सालेही दिमशकी	942 हि0		
अलउकूदुरियह फी मनाफिबे इब्ने तैमियह	इब्नो अब्दुल हादी	744 हि0	दारुल कातिबिल अरबी, बैरुत	
अल उकूदुल्लोलुइया फी तारीखिद्दौलति रसूलियह	अली बिन हुसैन जुबैदी	812 हि0	मरकजुद्दिरासात वल बुहसुल यमनी, सनआ	1983 ई0
अलइलल	इमामे अहमद बिन हम्बल	241 हि0	दारुल खानी, रियाज़	2001 ई0
उमदतुल कारी	बदरुद्दीन ऐनी	855 हि0	दारो एहयातित्तुरास अल अरबी, बैरुत	
अलकाशिफ	शम्सुद्दीन जहबी	748 हि0	दारुल किबला लिस्सकाफतुल इस्लामियह, जद्दा	1992 ई0
अलकामिल फिज्जोफा	अबू अहमद बिन अदी	365 हि0	अलमकुतुबुल इल्मियह, बैरुत	1997 ई0
किताबुल आसार	मोहम्मदबिन हसन शैबानी	189 हि0	दारुल कुतुबिल इल्मिया, बैरुत	
किताबुल हुज्जह अला अहलिल मदीना	मोहम्मदबिन हसन शैबानी	189 हि0	आलिमुल कुतुब, बैरुत	1403 हि0
कशफुल मोअज़्ज़लात				
कन्जुल उम्माल	अली मुत्तकी हिन्दी	975 हि0	मोअस्ससतुर्रिसाला , बैरुत	1981 ई0
अलकवाकेबुन्नीरान	बरकात बिन अहमद बिन अल अकयाल	929 हि0	दारुल मामून, बैरुत	1981 ई0
लिसानुल मीज़ान	इब्ने हजर असकलानी	852 हि0	दायरतुल मआरिफ अन्निजामियह, हैदराबाद	1971 ई0

अलमजरुहीन मिनल मोहदेसीन	मोहम्मद बिन हिब्बान	354 हि0	दारुल वर्ई, हल्ब	1396 ई0
मुखतसरुल अहकाम	हसन बिन अल तोसी	312 हि0	मकतबतुल गुरबा अल असरियह, मदीना मुनव्वरह	1415 हि0
अलमुखतलेतीन	खलील बिन कैकलदी अलाई	761 हि0	मकतबतुल खान्जी, काहिरा	1996 ई0
अमुदल्लेसीन	वलीयुद्दीन इब्नो इराकी	826 हि0	दारुल वफ़ा	1995 ई0
अलमदूनतुल कुबरा				
मिरकातुल मफातीह	अली बिन सुलतान कारी	1014 हि0	दारुल फ़िफ़, बैरुत	2002 ई0
मुस्तखरजे अबी अवाना	याकूब बिन इसहाक सफ़राइनी	316 हि0	दारुल मारेफ़ा, बैरुत	1998 ई0
मुसनदे अबी हनीफ़ा	अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद हारेसी	340 हि0		
मुसनदे अबी हनीफ़ा	अहमद बिन अब्दुल्लाह अबू नऐम असबहानी	430 हि0	मकतबतुल कौसर, रियाज़	1415 हि0
मुसनदे अबी नुऐम				
मुसनदे अबी याला	अहमद बिन अली अबुल याला मूसिली	307 हि0	दारुलमामून लित्तुरास, दिमश्क	1404 हि0
मुसनदुल इमामे अहमद	इमामे अहमद इब्ने हम्बल	241 हि0	मोअस्ससतुरिसाला , बैरुत	1429 हि0
मुसनदे अबिल जअद	अली बिन जअद अल बगदादी	230 हि0	मोअस्ससतुरिसाला , बैरुत	1990 ई0
मुसनदुल हुमैदी	अब्दुल्लाह बिन जुबैर हुमैदी	219 हि0	दारुल सिक्ह दिमश्क	1996 ई0
मुसनद अत्तयालिसी	सुलैमान बिन दाऊद तयालिसी	204 हि0	दारे हिज्र, मिस्र	1999 ई0
अलमुसन्नफ़	अबूबक्र बिन अबी शैबा	235 हि0	मकतबा अर्रुशद, रियाज़	1409 हि0
अलमुसन्नफ़	अब्दुर्रज़्ज़ाक सनआनी	211 हि0	अल मकतबुल इस्लामी, बैरुत	1403 हि0
अल मतालेबुल आलिया	इब्ने हज़र असक़लानी	852 हि0	दारुल आसिमा, सऊदिया अरबिया	1419 हि0

तारीखुस्सिकात	अहमद बिन अब्दुल्लाह अल अजली	261 हि0	दारुल बाज़	1984 ई0
अलमोजमुल कबीर	सुलैमान बिन अहमद तिबरानी	360 हि0	मकतबा इब्ने तैमिया, काहिरा	1994 ई0
मारेफतुस्सुनन वल आसार	अहमद बिन हुसैन अबू बक्र बैहकी	485 हि0	जामिया अदिरासातिल इस्लामिया, पाकिस्तान	1412 हि0
मगानिल अखयार	बदरुद्दीन ऐनी	855 हि0	दारुल कुतुबिल इल्मिया, बैरुत	2006 ई0
अलमुगनी फिज्जोफा	शम्सुद्दीन जहबी	748 हि0		
मनाकिबे अबी हनीफा	शम्सुद्दीन जहबी	748 हि0	अलमआरिफ अन्नोमानिया, हैदराबाद	
मनाकिबे असदिल्लाहिल गालिब	इब्नुल जज़री	832 हि0		
मनाकिबुल इमामे अबी हनीफा	मुवफफ़ेकुद्दीन मक्की	567 हि0	हैदराबाद, दकन	1321 हि0
मौसूअतो अक़वालिल इमामे अहमद	जमाअत मिनल उलमा		आलिमुल कुतुब, बैरुत	1997 ई0
मौसूअतो अक़वाले अबिल हसन दार कुत्नी	मजमूआ मिनल मोअल्लेफीन		आलेमुल कुतुब, बैरुत	2001 ई0
मुअत्ता इमामे मोहम्मद	मोहम्मद बिन हसन शैबानी	189 हि0	अलमकतबतुल इल्मिया, बैरुत	
मीज़नुल एतेदाल	शम्सुद्दीन जहबी	748 हि0	दारुल मारेफत लित्तबाआ वन्नश्श, बैरुत	1063 ई0
नशरुस्सहीफा	अबू अब्दिरहमान हमदानी	1422 हि0	दारुल हरमैन, काहिरा	
नस्बुर्राया	जमालुद्दीन जैलेई	762 हि0	मोअस्ससतुर्रय्यान, बैरुत	1997 ई0
अलवाफी बिल वफ़यात	सलाहुद्दीन सफ़दी	764 हि0	दारो एहयातित्तुरास अल अरबी, बैरुत	2000 ई0

मुसन्निफ़ की किताबें

1. अकाइदे अहले सुन्नत (कुरआन व हदीस की रौशनी में) (मतबूआ)
2. फ़ज़ाइले शाबान व शबे बराअत (अह्मदीसे मोतबेरा की रौशनी में) (मतबूआ)
3. ईद मीलादुन्नबी की शरई हैसियत। मतबूआ
4. फ़ज़ाइले माहे रजब (मतबूआ)
5. शबे बराअत कैसे मनाये? (मतबूआ)
6. मग़फ़िरत का सामान माहे रमज़ान मारिसाला 20 रकआत तरवीह (मतबूआ)
7. क़व्वाली का शरई हुक्म (मतबूआ)
8. तजकिरये मौलाना सय्यद अहमद अशरफ़ कछौछवी (मतबूआ)
9. सरकारे कलां बहैसियते मुरशिदे कामिल (मतबूआ)
10. मकतूबाते सरकारे कलां (मतबूआ)
11. खुतबाते सरकारे कलां (मतबूआ)
12. आदाबे सुहबत व ज़ियारते मशाइख़ (मख़दूम अशरफ़ सिमनानी) तरजमा व तहशिया (मतबूआ)
13. नमाज़ में नाफ़ के नीचे हाथ बांधना (अह्मदीस व आसारे मोतबेरा की रौशनी में) (मतबूआ)
14. तर्क रफ़ेयदैन् (अह्मदीस व आसारे सहीहा की रौशनी में) (मतबूआ)
15. फ़िस्के यज़ीद (अह्मदीस व आसारे मोतबेरा के हवाले से) (मतबूआ)
16. इमामे हसन रज़ियल्लाहो तअाला अन्हो को ज़हर किसने दिया? (गैर मतबूआ)
17. लक़बे इमामे आजम (गैर मतबूआ)
18. क्या तरावीह आठ रकअत सुन्नत है? (इंगलिश) (मतबूआ)
19. मोजिज़ये रद्वे शम्स (जलालुद्दीन सुयूती व यूसुफ़ सालेही दिमश्की) तरजमा व तहशिया (मतबूआ)
20. फ़ज़ाइले ज़िक्रो ज़ाकेरीन (जलालुद्दीन सुयूती) तरजमा (मतबूआ)